वार्षिक
प्रशासकीय प्रतिवेदन
2025—2026

वन विभाग

वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन

2025—26

वन विभाग

मध्यप्रदेश शासन वन विभाग

विभाग का नाम – वन विभाग
माननीय वन मंत्री – श्री मोहन यादव, मुख्यमंत्री (प्रभारी वनमंत्री)
माननीय राज्य वन मंत्री – श्री दिलीप अहिरवार

सचिवालय

अपर मुख्य सचिव – श्री अशोक बर्णवाल
01.07.2024 से निरन्तर
सचिव – श्री अतुल कुमार मिश्रा
26.08.2022 से निरन्तर
अपर सचिव वन – श्री राजेश बाथम
13.10.2025 से निरन्तर
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी – श्री क्षितिज कुमार
03.10.2024 से 19.01.2026
श्री अंकित पांडे
19.01.2026 से निरन्तर
पदेन उप सचिव – श्री राजबेन्द्र मिश्रा
01.04.2025 से निरन्तर
वित्तीय सलाहकर – श्रीमती आस्था शर्मा
30.05.2022 से निरन्तर
अवर सचिव – श्री सतेन्द्र प्रताप सिंह
19.08.2025 से निरन्तर

विभागाध्यक्ष

प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, म.प्र. – श्री असीम श्रीवास्तव
01.02.2024 से 30.07.2025
– श्री व्हीं. एन. अंबाड़े
01.08.2025 से निरन्तर

विषय क्रम

अध्याय – एक

1.1 सामान्य 01

1.2 विभाग की संरचना 02

1.3.1 वन विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय 03

1.3.2 विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम तथा नियम 04

1.3.3 विभाग के अधीन आने वाले संचालनालय तथा कार्यालय 06

1.3.4 विभाग के अधीन आने वाली सेवाओं का नाम तथा विशेष सेवा संबंधी विषय 07

अध्याय – दो

1.4 विभागीय संरचना 09

1.4.1 अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालय 11

1.4.2 स्थापना 12

1.4.3 सतर्कता एवं शिकायत 17

1.4.4 मानव संसाधन विकास 18

1.4.5 नीति विश्लेषण 21

1.4.6 संयुक्त वन प्रबंधन 21

1.4.7 ग्रीन इंडिया मिशन 23

1.4.8 निगरानी एवं मूल्यांकन 24

1.4.9 अनुसंधान विस्तार एवं लोकवानिकी 27

1.4.10 भू–प्रबंध 28

1.4.11 कैम्पा 31

1.4.12 सूचना प्रौद्योगिकी 41

1.4.13 वन संरक्षण 59

1.4.14 उत्पादन 62

1.4.15 वन्यजीव प्रबंधन 63

1.4.16 कार्य आयोजना 71

1.4.17 वन भू–अभिलेख 73

1.4.18 समन्वय 74

1.4.19 प्रोजेक्ट 75

अध्याय – तीन

1.5 मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम 77
1.6 मध्यप्रदेश राज्य लघुवनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ 84
1.7 राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर 93
1.8 मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड 117
1.9 मध्यप्रदेश ईकोपर्यटन विकास बोर्ड 123
1.10 मध्यप्रदेश राज्य बांस मिशन 125

भाग–2 बजट विहंगावलोकन

2.1 आयोजना व्यय/ आयोजनेत्तर व्यय एवं राजस्व 127
2.2 कर, करेत्तर, सकल राजस्व 128
2.3 वानिकी और वन्य जीवन मदवार राजस्व 128
2.4 स्थापना व्यय/केन्द्र क्षेत्रीय योजना/ केन्द्र प्रवर्तित योजनायें 129
2.5 राज्य योजनायें 130

भाग–3 योजनायें

3.1 कार्य आयोजनाओं का क्रियान्वयन 133
3.2 वन अधोसंरचना का सुदृढीकरण 134

भाग–4

4.1 पुरस्कार 135
4.2 महत्वपूर्ण सांख्यिकी 136

भाग–5

1.4 विभाग के प्रकाशन 138

भाग–6 परिशिष्ट

1 क्षेत्रीय इकाईयों का विवरण 139
2 कार्यपालिक पदों की वृत्तवार, पदवार जानकारी 140
3 लिपिकिय पदों की वृत्तवार, पदवार जानकारी 141
4 विविध एवं चतुर्थ श्रेणी वृत्तवार, पदवार जानकारी 142
5 वर्षवार विभिन्न गैर वानिकी कार्यो के उपयोग हेतु व्यपवर्तित वन भूमि 143
6 वर्ष 2024–25 में अंतिम चरण स्वीकृति प्राप्त महत्वपूर्ण प्रकरण 144
7 वृत्तवार/वर्षवार अवैध कटाई के प्रकरण 145
8 वृत्तवार/वर्षवार अवैध चराई के प्रकरण 146
9 वृत्तवार/वर्षवार अवैध परिवहन के दर्ज प्रकरण 147
10 वृत्तवार/वर्षवार अतिक्रमण के प्रकरण एव प्रभावित क्षेत्र 148
11 वृत्तवार/वर्षवार अवैध उत्खनन के दर्ज प्रकरण एव प्रभावित क्षेत्र 149
12 वृत्तवार/वर्षवार दर्ज वन अपराध प्रकरण 150
13 वृत्तवार/वर्षवार अवैध परिवहन मे जप्त वाहनों की संख्या 151
14 वृत्तवार/वर्षवार अग्नि प्रभावित क्षेत्र 152
15 वृत्तवार/वर्षवार म0प्र0 काष्ठ चिरान अधिनियम के उल्लंघन के प्रकरण 153
16 प्रदेश के संरक्षित क्षेत्रों की सूची 154
17 म.प्र. के अन्तर्गत संरक्षित क्षेत्रों का विवरण (राष्ट्रीय उद्यान) 155
18 म.प्र. के अन्तर्गत संरक्षित क्षेत्रों का विवरण (वन्यजीव अभयारण्य) 156
19 मध्यप्रदेश टाइगर रिंजर्व का कोर क्षेत्र (वर्ग कि. मीं.) 158
20 मध्यप्रदेश टाइगर रिंजर्व का बफर क्षेत्र (वर्ग कि. मीं.) 159
21 टाईगर कन्जरवेशन प्लान (कोर एवं बफर) की अद्यतन् स्थिति 160
22 राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य की प्रबंध योजना के अनुमोदन/कार्यवाही की स्थिति का विवरण 163
23 भारतीय वन सर्वेक्षण देहरादून से प्रकाशित प्रतिवेदन अनुसार वनाच्छादन 165

भाग–1

अध्याय – एक

1.1 सामान्य

भारत की संस्कृति में मध्यप्रदेश एक ऐसा प्रकाशपुंज है, जिसकी आभा पूरे देश को आलोकित करती है। मध्यप्रदेश प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता विशेषकर वन एवं वन्यजीवों की विविधता के लिये जाना जाता है। यहा वनों के रहने और नदियों के बहने में एक अन्योन्याश्रय सम्बन्ध है। वनों की गोद से निकलती सोन, नर्मदा, ताप्ती, चम्बल के साथ सिंध, बेतवा, केन, धसान, तवा, क्षिप्रा, कालीसिंध जैसी सर सरिताएं यहां के जन जीवन को प्रभावित और परितृप्त करती हैं। मध्यप्रदेश की विभिन्न पर्वत श्रृंखलाएं एवं उनका जलग्रहण क्षेत्र वनाच्छादित होने के कारण ही कृषि एवं कृषि पर आधारित जनसंख्या का पोषण कर पाती है। यहां उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वाले सागौन, मिश्रित तथा साल के वन हैं। मंडला, डिण्डोरी, शहडोल तथा बालाघाट में साल वन हैं चंबल क्षेत्र ग्वालियर, शिवपुरी, भिण्ड तथा दतिया में करधई तथा झाड़ीदार वन है, तथा शेष क्षेत्र में बहुमूल्य सागौन वन है। वनों से लकड़ी के अलावा बांस एवं प्रचुर मात्रा में विभिन्न प्रकार की लघुवनोंपज एवं औषधीय प्रजातियां मिलती हैं। प्रदेश औषधीय पौधों के समृद्ध संसाधनों से भी परिपूर्ण है। वनों में तथा वनों की सीमा के आस–पास रहने वाले आदिवासी एवं अन्य ग्रामीण जनता का बहुत बड़ा भाग वनों पर निर्भर है, अतः वन विभाग का प्रमुख दायित्व वनों का वैज्ञानिक दृष्टि से इस तरह प्रबंधन करना है कि न सिर्फ ग्रामवासियों को वनों से जीविकोपार्जन का स्त्रोत निरंतर बना रहे, बल्कि प्रबंधन में उनकी भागीदारी भी सशक्त हो और वन एक प्राकृतिक धरोहर के रुप में संवहनीय, संरक्षित एवं सवंर्धित संसाधन के रुप में विकसित होता रहे। विगत कुछ वर्षों में मध्यप्रदेश वन विभाग वन्यजीव संरक्षण एवं संवर्धन में अग्रणी राज्यों की श्रेणी में अपना स्थान रखता है।

मध्यप्रदेश में वन विभाग की स्थापना वर्ष 1860 से ही वनों का वैज्ञानिक प्रबंधन प्रारंभ हो गया था और संभवतः मध्यप्रदेश भारत का पहला राज्य है जहां भारत की प्रथम वन नीति 1894 से ही वर्किंग प्लान बनाने का कार्य प्रारंभिक स्तर पर चालू किया गया था। वनों के वैज्ञानिक प्रबंधन की यह परम्परा भारत सरकार के वर्तमान उद्देश्यों एवं नीति निर्देशों के अनुरूप अभी भी कायम है।

1.2 विभाग की संरचना

विभाग में भारसाधक मंत्री होते है, जो कि उसके कार्याकारी प्रमुख होते है। वर्तमान में विभाग का प्रभार माननीय मुख्य मंत्री महोदय जी के पास है एवं विभाग में एक माननीय राज्य मंत्री भी है। विभाग के भारसाधक शासन सचिव अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव के स्तर के अधिकारी होते है, जो कि विभाग तथा उसके अधीनस्थ ऐसे अन्य अधिकारियों तथा सेवकों का जैसा कि शासन अवधारित करें, शासकीय प्रमुख है।

वर्तमान में वन विभाग में शासन स्तर पर वनमंत्री की सहायता अपर मुख्य सचिव, सचिव, पदेन सचिव, उप सचिव, अपर सचिव, विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, पदेन उप सचिव, वित्तीय सलाहकार एवं अवर सचिव के दल द्वारा की जाती है। वन विभाग के अधीन विभिन्न गतिविधियां विभिन्न शाखा प्रमुखों के माध्यम से संचालित की जाती है, जिनके मध्य समन्वय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख करते हैं।

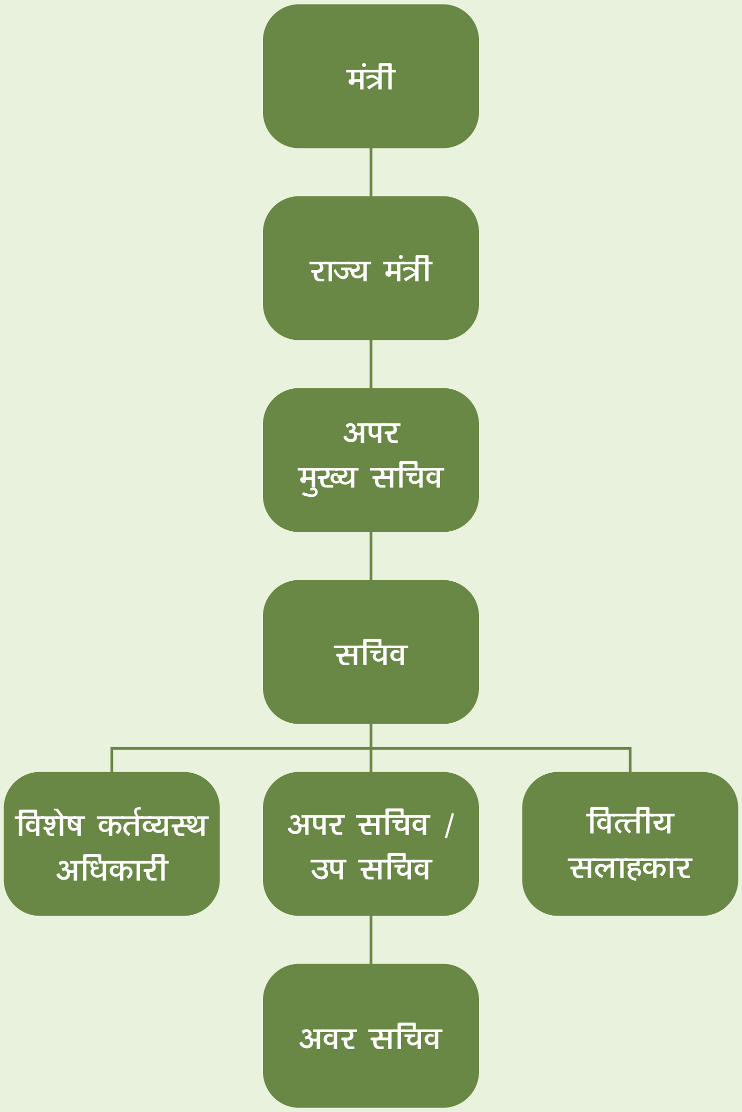

शासन संरचना

1.3.1 वन विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय :

1. राज्य में वनों की जैव विविधता का संरक्षण, जिसमें वन्य पशुओं एवं वनस्पति का संरक्षण सम्मिलित है।
2. राज्य के वन, जिसमें रोपण सम्मिलित हैं, उनका संरक्षण, संवर्धन, सीमांकन, विकास, गैर–वानिकी उपयोग, वनोपज निकासी, चराई एवं अन्य निस्तार सुविधाओं का निर्धारण, संयुक्त वन प्रबंधन वनोपज का अभिवहन, जैवविविधता संरक्षण के संबंध में विभिन्न अधिनियम तथा नियमों के अनुसार नीति निर्धारण।
3. जनहानि, पशु हानि के संबंध में नियमन तया हिंसक हुए वन पशुओं के विनाश के लिए नियम।
4. वन तथा वन्य जीव संबंधी ।
5. गैर–वानिकी क्षेत्रों में वानिकी गतिविधियों का विस्तार ।
6. ऐसी सेवाओं से संबंधित सभी विषय, जिनसे विभाग का संबंध हो (वित्त विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग को आवंटित विषयों को छोड़कर), उदाहरणार्थः– नियुक्तियां, पदस्थापनाएं, स्थानान्तरण, वेतन, छुट्टी, निवृत्ति वेतन, पदोन्नति, भविष्य निधि, प्रतिनियुक्ति, अनुशासनात्मक कार्यवाही तथा अभ्यावेदन।
7. चिड़ियाघर का पर्यवेक्षण ।
8. जैव विविधता का संरक्षण, इसके घटकों का अविरत उपयोग तथा जैविक संसाधनों के उपयोग से उद्भूत होने वाले लाभों का समान बंटवारा ।
9 जैवित तथा नृनाति, जैविक (इथनो बायोलाजीकल) संसाधनों का सूचीकरण, जिसमें जीव–विज्ञान–सम्बन्धी तथा वनस्पति सम्बन्धी सर्वेक्षण सम्मिलित है।
10. (क) बायोस्फीयर रिजर्व, तथा

    (ख) प्राकृतिक विरासत स्थलों, जिसमें वनस्पतिक उद्यान तथा वेटलैंड सम्मिलित हैं का सृजन, अधिसूचना, समन्वय तथा अनुश्रवण ।
11. अनुवांशिक संसाधनों की विनियामक संरक्षण योजना।
12. (एक) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 19 के अन्तर्गत अभियोजन की मंजूरी।

    (दो) भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 197 तथा विशेष अन्य अधिनियमों के अन्तर्गत लोकसेवकों के विरूद्ध अभियोजन की मंजूरी।

1.3.2 विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम तथा नियम :

1. भारतीय वन अधिनियम, 1927
2. वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972.
3. मध्यप्रदेश वनोपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969.
4. मध्यप्रदेश तेंदूपत्ता (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1964.
5. मध्यप्रदेश वन भूमि शाश्वत पट्टा प्रतिसंहारण अधिनियम, 1973.
6. वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 संशोधित 2023.
7. मध्यप्रदेश काष्ठ चिरान (विनियमन) अधिनियम, 1984.
8. मध्यप्रदेश वनोपज के करारों का पुनरीक्षण अधिनियम, 1987.

उपरोक्त अधिनियमों के अन्तर्गत बनाए गए नियमः–

9. वन संविदा नियम, 1927.
10. म. प्र. संरक्षित वन नियम, 1960.
11. मध्यप्रदेश वनोपज (परिवहन) नियम, 2022.
12. मध्यप्रदेश तेंदूपत्ता (व्यापार विनियमन) नियमावली, 1966.
13. मध्यप्रदेश वनोपज (व्यापार विनियमन) नियम, 1969.
14. मध्यप्रदेश वनोपज (व्यापार विनियमन) परामर्शदात्री (मंत्रणा) समिति तथा मूल्य प्रकाशन नियम, 1969.
15. मध्यप्रदेश वनोपज (व्यापार विनियमन) काष्ठ नियम, 1973,
16. वन्य जीव संव्यवहार तथा चर्मशोधन नियम, 1973.
17. मध्यप्रदेश इमारती लकड़ी तथा अन्य गौण उपज दर निर्धारण (विस्तारण) नियम, 1974.
18. मध्यप्रदेश वन भूमि शास्वत पट्टा प्रतिसंहारण नियम, 1974,
19. मध्यप्रदेश वन्य जीव (संरक्षण) नियम, 1974.
20. मध्यप्रदेश आरक्षित तथा संरक्षित वनों में वन ग्रामों की स्थापना नियम, 1977.
21. वन (संरक्षण) नियम, 2022 (थ्ब्–2022) भारत सरकार द्वारा 2022.
22. मध्यप्रदेश काष्ठ चिरान (विनियमन) नियम, 1984.
23. मध्यप्रदेश चराई नियम, 1986.
24. मध्यप्रदेश इमारती लकड़ी (बहती हुई, किनारे अटकी हुई, डूबी हुई, बिना स्वामी की) नियम, 1986.
25. मध्यप्रदेश वनोपज के करारों का पुनरीक्षण नियम, 1987.
26. मध्यप्रदेश फारेस्ट (फार्म ऑफ अपील) नियम, 1988.
27. स्थापित डिपों से इमारती लकड़ी, चिरान लकड़ी, लकड़ी की नीलामी में विक्रय को शर्तो को विनियमित करने वाले नियम, 1989.
28. केन्द्रीय चिड़ियाघर (पशु वाटिका) की मान्यता नियम, 15 जुलाई 2022.
29. वन्य जीव (विनिर्दिष्ट पौध लायसेंस धारक द्वारा रखने की शर्तें) नियम, 1995.
30. पारितोषिक (पुरस्कार) संबंधित नियम ।

मुख्य प्रशासित अधिनियम का विवरण

1. **भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16/1927)** – यह अधिनियम वनों की उपज की अभिवहन और इमारती लकड़ियों तथा वन–उपज पर उगाहने योग्य शुल्क से संबंधित विधि के समेकन के लिए अधिनियम है। यह अधिनियम मध्य प्रदेश में 01 नवम्बर 1956 से प्रभावशील है। ग्राम वन एवं संरक्षित वन के संवर्धन एवं प्रबन्धन में ग्राम वन समितियों की भूमिका को और सशक्त एवं प्रभावी किये जाने के उद्देश्य से उक्त अधिनियम अन्तर्गत मध्यप्रदेश ग्राम वन नियम 2015 तथा मध्यप्रदेश संरक्षित वन नियम 2015 बनाकर दिनांक 04 जून 2015 से प्रभावशील किया गया है।

2. **वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (क्रमांक 53/1972) एवं वन्यजीव (संरक्षण) संशोधन अधिनियम 2022 (क्रमांक 18/2022)** – यह अधिनियम देश की पारिस्थितिकीय और पर्यावरण में सुरक्षा सुनिश्चित करने की दृष्टि से, वन्यजीवों, पक्षियों और पादपों के संरक्षण के लिए तथा उनसे संबंधित या प्रासंगिक या आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए है। यह अधिनियम 20 दिसम्बर 2022 से प्रभावशील है।

3. **म.प्र. काष्ठ चिरान (विनियमन) अधिनियम, 1984 (क्रमांक 13/1984)** – यह अधिनियम वनों एवं पर्यावरण की सुरक्षा तथा संरक्षण के लिये–आरा मिलों की स्थापना और प्रवर्तन – संक्रिया तथा काष्ठ चिरान के व्यापार का लोक हित में विनियमन करने के लिये उपबंध करने हेतु अधिनियम है। अधिसूचना क्रमांक 3415–X–3–83 दिनांक 15 दिसम्बर 1983 द्वारा अध्यादेश क्रमांक 11/1983 प्रवृत किया गया था जिसका स्थान मध्य प्रदेश अधिनियम क्रमांक 13/1984 ने ग्रहण किया। अधिनियम क्रमांक 13/1984 को भूतलक्षी प्रभाव देकर 15 दिसम्बर, 1983 से ही प्रवृत किया गया।

4. **वन (संरक्षण एव संवर्धन) अधिनियम, 1980 (वर्ष 1988 एवं 2023 में संशोधित)** – यह अधिनियम वनों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिये और उससे जुड़े मामलों के लिए या उसके सहायक या आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने हेतु अधिनियम है। यह अधिनियम दिनांक 01 दिसम्बर 2023 से प्रभावशील है।

5. **म.प्र. वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969 (क्रमांक 9/1969)** – यह अधिनियम ''विनिर्दिष्ट वनोपज'' के व्यापार विनियमन हेतु है, जो 01 नवम्बर, 1969 से प्रभावशील है।

6. **म.प्र. तेन्दू पत्ता (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1964 (क्रमांक 29/1964)** – यह अधिनियम तेंदूपत्ता के व्यापार को लोकहित में विनियमन करके और तदर्थ उस व्यापार में राज्य का एकाधिकार उत्पन्न करने हेतु उपबंध करने हेतु है। यह अधिनियम 28 नवम्बर, 1964 से प्रभावशील है।

7. **म.प्र. वन भूमि शाश्वत पट्टा प्रतिसंहरण अधिनियम, 1973** – उक्त अधिनियम मध्य प्रदेश में वन भूमि के समस्त शाश्वत पट्टों का प्रतिसंहरण करने तथा उससे संबंधित विषयों के लिये है। यह अधिनिमय 01 अक्टूबर, 1973 से प्रभावशील है।

8. **म.प्र. लोक वानिकी अधिनियम, 2001 (क्रमांक 10/ 2001)** – यह अधिनियम मध्य प्रदेश राज्य में निजी और राजस्व वृक्ष आच्छादित क्षेत्रों के प्रबंधन तथा उससे संसक्त या उससे आनुषंगिक विषयों को विनियमित करने और सुगम बनाने हेतु है। यह अधिनियम 12 अप्रैल, 2001 से प्रभावशील है।

9. **जैवविविधता अधिनियम, 2002 (क्रमांक 18/2003)** – यह अधिनियम जैव विविधता के संरक्षण उसके अवयवों के पोषणीय उपयोग और जैव संसाधनों और ज्ञान के उपयोग से उद्भूत फायदों में उचित एवं साम्यपूर्ण हिस्सा बटानें और उससे संबंधित या उसके आनुषांगिक विषयों का उपबंध करने संबंधित है।

10. **म.प्र. आदिम जनजातियों का संरक्षण (वृक्षों में हित) अधिनियम, 1999** – आदिम जनजातियों को शोषण से बचाने की दृष्टि से उसके खेतों पर खडे हुये वृक्षों में उनके हित का संरक्षण करने के लिये मध्यप्रदेश आदिम जनजातियों का संरक्षण (वृक्षों में हित) अधिनियम 1999 बनाया गया है, जो 24 अप्रैल 1999 से प्रभावशील है।

1.3.3 विभाग के अधीन आने वाले संचालनालय तथा कार्यालय :

1. **प्रधान मुख्य वन संरक्षक का कार्यालय और उसके अधीनस्थ अन्य कार्यालय तथा संस्थाएं**
2. **अधिनियमों के अधीन गठित मण्डल तथा निगम : कुछ नहीं.**
3. **अन्य संस्थाएं तथा मण्डल :**
   1. मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम (मर्यादित).
   2. म. प्र. राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित.
   3. म. प्र. राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर.
   4. मध्यप्रदेश ईको–पर्यटन विकास बोर्ड.
   5. मध्यप्रदेश जैव विविधता (बायोडाइवर्सिटी) बोर्ड

विभाग के अन्तर्गत आने वाले मंडल/उपक्रम/संस्थाएं का विवरण

1. **मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम** – राष्ट्रीय कृषि आयोग की अंतरिम रिपोर्ट, 'प्रोडक्शन फॉरेस्ट्रीः मैन–मेड फॉरेस्ट्स' (1972) के आधार पर मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम की स्थापना 24 जुलाई, 1975 को की गई थी। म.प्र. राज्य वन विकास निगम का प्रमुख उद्देश्य निम्न कोटि के वनक्षेत्रों को तेजी से बढ़ने वाली बहुमूल्य तथा बहुउपयोगी प्रजातियों के रोपण द्वारा उच्च कोटि के वनों में परिवर्तित कर उत्पादन क्षमता एवं गुणवत्ता में सुधार लाना है।
2. **मध्यप्रदेश राज्य लघुवनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ** – मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज व्यापार एवं विकास सहकारी संघ का गठन 1984 में किया गया। प्रदेश में वर्ष 1989 में व्यवस्था में हुये महत्वपूर्ण परिवर्तन के फलस्वरूप लघु वनोपज के संग्रहण कार्य में संलग्न प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य कमजोर वर्ग के ग्रामीणों की आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान हेतु वनोपज के संग्रहण एवं विपणन का कार्य सहकारी समितियों के माध्यम से किया जा रहा है।
3. **राज्य वन अनुसंधान संस्थान** – राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर, वर्ष 1963 में अस्तित्व में आया। यह संस्थान वन, वनस्पति, वनवर्धन, वृक्ष सुधार, बीज तकनीकी, जैव विविधता, वन आनुवांशिकी, जैव प्रौद्योगिकी, वनोपज विपणन, वन विस्तार, वन मापिकी, वन पारिस्थितिकीय एवं पर्यावरणीय प्रभाव आदि विषयों में शोध एवं तकनीक विकसित कर उनके प्रचार–प्रसार का कार्य करता है।
4. **मध्यप्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड** – राज्य शासन द्वारा जैवविविधता अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत मध्य प्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड का गठन राज्य शासन की अधिसूचना दिनांक 11 अप्रैल 2005 से किया गया जिसे अधिसूचना दिनांक 25 अगस्त 2014 से वन विभाग, मध्य प्रदेश शासन से संबद्ध किया गया है। बोर्ड की मुख्य भूमिका जैवविविधता का संरक्षण, उसके संघटकों का पोषणीय उपयोग तथा जैविक स्त्रोतों और ज्ञान के उपयोग से उद्भूत लाभ का उचित एवं सम्यक वितरण सुनिश्चित करना है।
5. **मध्यप्रदेश ईकोपर्यटन विकास बोर्ड** – वन विभाग के अंतर्गत मध्यप्रदेश ईकोपर्यटन विकास बोर्ड एक स्वशासी संस्था है, जिसका गठन 12 जुलाई, 2005 को म.प्र. सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1973 के अंतर्गत किया गया। बोर्ड द्वारा ईकोपर्यटन गतिविधियों का विस्तार किया जाता है। जिसमें ''अनुभूति कार्यक्रम'' देश स्तर पर विशेष उपलब्धि रखता है।
6. **मध्यप्रदेश राज्य बांस मिशन** – मध्यप्रदेश राज्य बांस मिशन का गठन 03 जुलाई 2013 को राष्ट्रीय बांस मिशन की योजनाओं के क्रियान्वयन के लिये किया गया है। मध्य प्रदेश राज्य बांस मिशन द्वारा प्रदेश में बांस आधारित उद्यमिता एवं विकास योजनाओं के तहत नर्सरी विकास, बिगड़े बांस वनों का सुधार, बांस रोपण, बांस शिल्पकारों का दक्षता निर्माण, कार्यशाला तथा बांस बाजार का आयोजन किया जा रहा है।
7. **मध्यप्रदेश बाँस शिल्प एवं बाँस शिल्प विकास बोर्ड** बाँस शिल्पियों के मामलों पर सलाह देने हेतु मध्यप्रदेश बॉस मिशन सोसाइटी अन्तर्गत बोर्ड का गठन 04 जुलाई 2013 को किया गया है।

1.3.4 विभाग के अधीन आने वाली सेवाओं का नाम तथा विशेष सेवा संबंधी विषय

1. भारतीय वन सेवा.
2. राज्य वन सेवा
3. लिपिकीय, अलीपिकीय, राजपत्रित तथा अराजपत्रित सेवा.

वन विभाग, मध्यप्रदेश

अध्याय–दो
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख)

1.4 विभागीय संरचना

प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख मुख्यालय की विभिन्न शाखाओं के कार्यों पर नियंत्रण रखते हैं तथा दिशा–निर्देश देते हैं। प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख के कार्यालय के अंतर्गत प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मुख्य वन संरक्षक, वन संरक्षक तथा उप वन संरक्षक स्तर के अधिकारी विभिन्न शाखाओं के कार्यों का संपादन करते हैं।

मुख्यालय स्तर पर कार्यरत शाखाएं

- समन्वय
- प्रशासन – एक
- प्रशासन – दो
- विकास
- संरक्षण
- उत्पादन
- सूचना प्रौद्योगिकी
- अनुसंधान, विस्तार एवं लोक वानिकी
- वित्त एवं बजट
- सामुदायिक वन प्रबंधन परियोजना
- निगरानी एवं मूल्यांकन
- वन भू–अभिलेख
- कार्य आयोजना
- वन्यजीव प्रबंधन
- सतर्कता एवं शिकायत
- प्रोजेक्ट्स
- भू–प्रबंध
- मानव संसाधन विकास
- संयुक्त वन प्रबंधन
- नीति विश्लेषण
- कैम्पा
- ग्रीन इंडिया मिशन

1.4.1 प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख द्वारा प्रदेश के वनों के संरक्षण एवं संवर्धन कार्यों पर प्रशासकीय नियंत्रण रखा जाता है। साथ ही वे अन्य विभाग प्रमुख एवं विभाग के अन्तर्गत आने वाले मंडल, उपक्रम एवं संस्थाओं के साथ समन्वय करते हैं।

1.4.2 प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) एवं मुख्य वन्यजीव अभिरक्षक द्वारा प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों व अभयारण्यों पर प्रशासकीय नियंत्रण रखा जाता है तथा वैज्ञानिक आधार पर पूरे प्रदेश में वन्यजीवों का संरक्षण किया जाता है।

1.4.3 प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कार्य आयोजना एवं वन भू–अभिलेख) द्वारा प्रदेश के वनों के वैज्ञानिक प्रबंधन हेतु कार्य आयोजनाओं का पुनरीक्षण तथा वन भू–अभिलेख का संधारण किया जाता है।

1.4.4 प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) द्वारा कार्य आयोजनाओं के प्रावधानों के अनुसार कूपों से इमारती लकड़ी, जलाऊ, बाँस एवं खैर का वन वर्धन के अनुसार विदोहन एवं व्यापार किया जाता है तथा वनों के समीप बसे ग्रामीणों की घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु निस्तार व्यवस्था की जाती है। विभाग के राजस्व लक्ष्य की पूर्ति का मुख्य दायित्व इन्हीं का है।

1.4.5 प्रधान मुख्य वन संरक्षक (अनुसंधान विस्तार एवं लोकवानिकी) द्वारा राष्ट्रीय वन नीति के अनुसरण में वन क्षेत्रों का विस्तार एवं वन के प्रबंधन में जनभागीदारी सुनिश्चित की जाती है।

1.4.6 मुख्य कार्यपालन अधिकारी (कैम्पा) द्वारा विभाग अन्तर्गत क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण एवं प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि नियम, 2018 के अन्तर्गत वन एवं वन्यजीव संरक्षण तथा विकास की योजनाओं का निर्माण एवं क्रियान्वयन किया जाता है।

1.4.7. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण) द्वारा वनों के संरक्षण एवं प्रशासन सुदृढीकरण के कार्य सम्पादित किए जाते है ।

1.4.8 प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशिक्षण) मानव संसाधन के दक्षता वृद्धि हेतु प्रशिक्षण कार्य सम्पादित करते है, तथा प्रदेश के वन विद्यालय का प्रबंधन करते हैं।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक मुख्यालय में विभिन्न शाखाओं से संबंधित कार्य प्रधान मुख्य वन संरक्षक के प्रशासकीय नियंत्रण में सम्पन्न करते हैं। भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश संवर्ग में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (जैव विविधता संरक्षण एवं मुख्य वन्यजीव अभिरक्षक) का पद स्वीकृत किया गया है, जिनके नियंत्रण में मध्य प्रदेश के समस्त वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र आते हैं। वे वन्यजीव प्रबंधन एवं संरक्षण से संबंधी समस्त तकनीकी विषयों को सीधे नियंत्रित करते हैं, साथ ही प्रदेश के विभिन्न वन्यजीव एवं क्षेत्रीय वनमण्डलों के अंतर्गत वन्यजीव प्रबंधन एवं संरक्षण से संबंधित विषयों को क्षेत्रीय वन संरक्षक के माध्यम से नियंत्रित करते हैं। इसी प्रकार भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) की अधिसूचना क्रमांक 16016/03/2008–(A)–।। (A) दिनांक 26.08.2008 से प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कार्य आयोजना एवं वन भू अभिलेख) का पद स्वीकृत है, जिनके कार्यक्षेत्र में कार्य आयोजना के साथ–साथ वन भू–अभिलेख शाखा के कार्य आते हैं।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख वानिकी से संबद्ध विषयों हेतु शासन के तकनीकी सलाहकार होते हैं। विभाग से संबंधित मुद्दों को जिसमें राज्य शासन स्तर से कार्यवाही अपेक्षित होती है, उनके द्वारा शासन के संज्ञान में लाया जाता है। इसी प्रकार अखिल भारतीय सेवा एवं अधीनस्थ वन सेवा से संबंधित समस्त तकनीकी एवं प्रशासनिक मामले भी आवश्यकतानुसार शासन के संज्ञान में लाये जाते हैं। प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख कार्य आयोजना क्रियान्वयन, अग्नि सुरक्षा एवं वन वर्धनिक कार्यों जैसे तकनीकी विषयों, लिपिकीय एवं अधीनस्थ कार्यपालिक स्थापना से संबंधित विषयों पर विभाग प्रमुख के रूप में उन्हें प्रत्यायोजित अधिकारों तथा वित्तीय अधिकारों के विषय में अपनी स्वयं की अधिकारिता में स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं।

वानिकी विषयों के संबंध में राज्य शासन के प्रधान सलाहकार की भूमिका के साथ–साथ प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख की विभागीय कार्यों के प्रभावी नियंत्रण हेतु वन क्षेत्रों के निरीक्षण की महत्वपूर्ण भूमिका है।

1.4.1 अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालय

वन क्षेत्रों का वैज्ञानिक प्रबंधन और वन संसाधन का संरक्षण व संवर्द्धन क्षेत्रीय स्तर पर गठित प्रशासनिक इकाईयों के माध्यम से किया जाता है। क्षेत्रीय इकाईयों का विवरण तालिका क्रमांक 1.1 में दर्शित है।

इकाईयों का प्रकार	इकाई संख्या
वृत्त	16
वनमंडल	64
उपवनमंडल	135
परिक्षेत्र	473
उप वन परिक्षेत्र	1871
परिसर	8286

तालिका क्रमांक– 1.1
क्षेत्रीय इकाईयों का विवरण

परिसर रक्षक अपने प्रभार के परिसर में समस्त वन वर्द्धनिक एवं विकास कार्यों का क्रियान्वयन तथा वन एवं वन्यजीव की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। परिक्षेत्र सहायक अपने उप वनपरिक्षेत्र के प्रभार अन्तर्गत परिसरों में समस्त वन वर्द्धनिक एवं विकास कार्यों के क्रियान्वयन का नियमित तकनीकी पर्यवेक्षण तथा वन एवं वन्यजीवों का संरक्षण सुनिश्चित करते हैं। वन परिक्षेत्र अधिकारी अपने परिक्षेत्र में कार्य आयोजना के प्रावधानों के अनुसार समस्त क्षेत्रीय वन वर्द्धनिक कार्यों का निष्पादन) वन एवं वन्यजीवों का संरक्षण तथा विभागीय क्षेत्रीय विकास कार्यों का संपादन करवाते हैं और इस हेतु किये गये व्यय का लेखा संधारित करते है। परिक्षेत्राधिकारी काष्ठागार अधिकारी के रूप में काष्ठागारों में वनोपज की सुरक्षा व्यवस्था एवं विक्रय हेतु प्रबंधन के लिये उत्तरदायी होते हैं।

उप वनमंडलाधिकारी एक या अधिक परिक्षेत्रों से निर्मित क्षेत्रीय इकाई (उपमंडल) के प्रभारी होते है। उप वनमंडलाधिकारी की वन अपराधों के प्रशमन एवं वन अपराध में प्रयुक्त वनोपज, उपकरण, वाहन इत्यादि के राजसात में वन अधिनियमों के अन्तर्गत प्रभावी भूमिका है। उपमंडलाधिकारी (क्षेत्रीय) को उनके उपवनमंडल क्षेत्राधीन वन राजस्व की वसूली हेतु तहसीलदार की शक्ति मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता के तहत दी गई है। कार्य आयोजना अन्तर्गत कूपों का चिन्हांकन, सीमाकंन एवं उपचार मानचित्रों का सत्यापन उपवनमंडलाधिकारी द्वारा किया जाता है।

वनमंडलाधिकारी वनमंडल अन्तर्गत वनों एवं वन्यजीवों के संरक्षण, संवर्धन, प्रबंधन एवं वित्तीय नियंत्रण हेतु भारसाधक अधिकारी हैं। उनके द्वारा वनमंडल में वन वर्धनिक रूप से उत्पादित काष्ठीय एवं अकाष्ठीय वनोपज का विपणन, निस्तार आपूर्ति, संयुक्त वन प्रबंधन समितियों एवं वनग्रामों का प्रबंधन किया जाता है।

वन वृत्तों के भारसाधक अधिकारी के रूप में मुख्य वन संरक्षक अथवा वन संरक्षक वन वृत्त के अंतर्गत समस्त वनमंडलों के क्रियाकलाप, जिसमें कार्य आयोजना का क्रियान्वयन भी शामिल है, पर आवश्यकता अनुसार दिशा– निर्देश देने के दायित्व का निर्वाहन करते हैं।

प्रदेश में वनों की उत्पादकता बढाने एवं वनक्षेत्रों के बाहर सामुदायिक एवं निजी भूमि पर वनीकरण हेतु प्रदेश के 11 कृषि जलवायु प्रक्षेत्रों में एक–एक सामाजिक वानिकी वृत्त स्थापित किये गये हैं। इसके अतिरिक्त प्रदेश में कार्य आयोजना के पुनरीक्षण कार्य हेतु 3 कार्य आयोजना (ऑचलिक) तथा 16 कार्य आयोजना इकाईयों की स्थापना की गई है। कार्य आयोजना के प्रावधानों के अनुसार कूपों से वनोपज के विदोहन एवं विक्रय काष्ठागारों के माध्यम से विक्रय हेतु 11 उत्पादन वनमंडलों एव विक्रय इकाई की स्थापना की गई है। इन इकाईयों का विस्तृत विवरण परिशिष्ट–1 पर है।

1.4.2 स्थापना

प्रशासन–1 शाखा वन विभाग की अत्यन्त महत्वपूर्ण शाखा है। यह शाखा प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख के सीधे नियंत्रण में कार्य करती है।

शाखा में भारतीय वन सेवा के संवर्ग प्रबंधन, पदोन्नतियाँ, पदस्थितियाँ/स्थानांतरण एवं विभागीय जांच, आदि से संबंधित कार्य किये जाते हैं।

इसी प्रकार शाखा द्वारा राज्य वन सेवा संवर्ग एवं राज्य वन संबंद्ध सेवा का प्रबंधन, स्थाईकरण, राज्य वन सेवा से भारतीय वन सेवा में पदोन्नति, पदस्थिति/स्थानांतरण, गोपनीय प्रतिवेदनों का संधारण, न्यायालयीन प्रकरण एवं विभागीय जांच से संबंधित समस्त कार्य किये जाते है।

इसके अतिरिक्त शाखा के पेंशन कक्ष द्वारा सेवानिवृत्त अधिकारियों के पेंशन प्रकरण तैयार करना तथा प्रदेश के समस्त सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारियों के पेंशन से संबंधित प्रकरणों के निराकरण के लिए कार्यवाही की जाती है।

प्रशासकीय संरचना

(अ) भारतीय वन सेवा

भारत सरकार, कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) की अधिसूचना क्रमांक 116016/02/2014 ए.आई.एस.–दो (क) दिनांक 02 जुलाई, 2015 द्वारा मध्यप्रदेश संवर्ग के भारतीय वन सेवा अधिकारियों का संवर्ग पुनरीक्षण किया गया है। पुनरीक्षित संवर्ग अनुसार म.प्र. के लिए भारतीय वन सेवा अधिकारियों की प्राधिकृत संख्या 296 है। मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 3–26/2012/10–4 दिनांक 01.08.15 से संवर्ग पुनरीक्षण अनुसार नवीन संवर्ग पदो के विरूद्ध दो पद राज्य शासन द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक स्तर के स्वीकृत किये गये, जिनमें से एक पद विशेष प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा) एवं एक पद प्रधान मुख्य वनं सरक्षक (अनुसंधान एवं प्रशिक्षण) स्वीकृत किया गया है। इसके अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा आदेश दिनांक 06.03.2024 से प्रधान मुख्य वन संरक्षक स्तर के 04 पद स्वीकृत किये गये हैं। जिसका विवरण तालिका क्रमांक–1.2 में दर्शित हैः–

तालिका क्रमांक – 1.2 भारतीय वन सेवा (मध्यप्रदेश संवर्ग) की पदस्थिति (01.02.2026 की स्थिति में)

पद	संख्या	कार्यरत	
		पदों के विरूद्ध	लीव रिजर्व / असंवर्गीय
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख)	01	01	–
प्रधान मुख्य वन संरक्षक	04	04	05
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक	25	08	–
मुख्य वन संरक्षक	51	08	–
वन संरक्षक	40	18	–
उप वन संरक्षक	59	76	–
कुल वरिष्ठ पद	**180**	**120**	–
केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व	36	08	–
राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व	45	23	–
प्रशिक्षण रिजर्व	06	00	–
लीव रिजर्व तथा कनिष्ठ पद रिजर्व (परिवीक्षाधीन)	29	23	–
निलंबित	–	01	–
कुल प्राधिकृत संख्या	**296**	**185**	–

भारतीय वन सेवा के अधिकारी प्रमुख प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख के रूप में पदस्थ रहते हैं, जो विभाग प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं। इनका कार्य वन बल को नियंत्रित करना एवं राज्य शासन को तकनीकी विषयों में सहयोग प्रदान करना है। वन विभाग के मुख्यालय में विभिन्न शाखाओं में प्रधान मुख्य वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक पदस्थ रहते हैं जो विभाग के तकनीकी विषयों में कार्य सम्पादित करते हैं।

क्षेत्रीय पदस्थापना में मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक स्तर के अधिकारी वन वृत्त में पदस्थ होते हैं इनका कार्य वन मण्डल कार्यालयों (क्षेत्रीय/उत्पादन) पर नियन्त्रण एवं मार्गदर्शन का होता है।

उप वन संरक्षक स्तर के अधिकारी जो अनुसंधान विस्तार वृत्तों में पदस्थ हैं, उनके द्वारा वृत्त के अन्तर्गत आने वाली वन रोपणियों आदि के संचालक एवं प्रबंधन तथा वानिकी विस्तार का कार्य किया जाता है।

कार्य आयोजना इकाईयों में उप वन संरक्षक/वन संरक्षक स्तर के अधिकारी पदस्थ रहतें हैं जो वनमण्डलों हेतु दस वर्षीय कार्य आयोजना तैयार करते हैं।

क्षेत्रीय वनमण्डलों में पदस्थ वनमण्डलाधिकारियों द्वारा वन क्षेत्रों की सुरक्षा तथा वन क्षेत्रों में विकास कार्यों के दायित्व का निर्वहन किया जाता है।

इसके अतिरिक्त भारतीय वन सेवा के अधिकारी भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, म.प्र. राज्य लघु वनोपज संघ, म.प्र. राज्य वन विकास निगम, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, ईको पर्यटन विकास बोर्ड, म.प्र. राज्य जैव विविधता बोर्ड, राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर एवं बाँस मिशन आदि संस्थानों में पदस्थ रहतें हैं।

वन वृत्तों के भारसाधक अधिकारी के रूप में मुख्य वन संरक्षक अथवा वन संरक्षक वन वृत्त के अन्तर्गत समस्त वनमण्डलों के क्रियाकलाप, जिसमें कार्य आयोजना का क्रियान्वयन भी शामिल है पर आवश्यकतानुसार दिशा–निर्देश देने के दायित्व का निर्वहन करते है।

प्रदेश में वनों की उत्पादकता एवं वनक्षेत्रों एवं सामुदायिक एवं निजी भूमि पर वनीकरण हेतु प्रदेश के 11 कृषि जलवायु प्रक्षेत्रों में एक–एक सामाजिक वानिकी वृत्त स्थापित किये गये है। इसके अतिरिक्त प्रदेश में कार्य आयोजना के पुनरीक्षण कार्यो हेतु 03 कार्य आयोजना (आँचलिक) तथा 16 कार्य आयोजना इकाईयों की स्थापना की गई है।

(ब) राज्य वन सेवा

म.प्र. राज्य वन सेवा के लिए 359 पद स्वीकृत हैं।

सहायक वन संरक्षक का 01 पद **ABEYANCE** में रखा गया है। जिसका विवरण तालिका क्रमांक–1.3 में दर्शित है :

तालिका क्रमांक– 1.3

राज्य वन सेवा की पदस्थिति

(1.02.2026 की स्थिति में)

क्र.	संवर्ग का नाम	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत संख्या	रिक्त
1.	राज्य वन सेवा विभाग में कार्यरत	359	142	215
	योग	**359**	**142**	**215**

राज्य वन सेवा के अधिकारी उप वनमण्डलाधिकारी/सहायक वन संरक्षक के पदों पर कार्यरत हैं। ये अधिकारी क्षेत्रीय वनमण्डलों में उप वनमण्डल स्तर पर, टाइगर रिजर्व/राष्ट्रीय उद्यानों/ अभ्यारण्यों में सहायक संचालक एवं उत्पादन एवं अनुसंधान विस्तार वृत्तों में सहायक वन सरंक्षक के रूप में कार्य करते हैं। ये अधिकारी वनमंण्डलाधिकारी को क्षेत्रीय कार्य सम्पादन में सहयोग प्रदान करते हैं तथा क्षेत्र में प्रशासकीय नियन्त्रण बनाये रखते हैं।

म.प्र. राज्य वन (राजपत्रित) संबद्ध सेवा – इन अधिकारियों द्वारा निम्नानुसार कार्य किये जाते हैं :–

वर्तमान में राज्य वन (राजपत्रित) संबद्ध सेवा के लिए 44 पद स्वीकृत हैं, जिसका विवरण तालिका क्रमांक–1.4 में दर्शाया गया है।

तालिका क्रमांक– 1.4

राज्य वन (राजपत्रित) संबद्ध सेवा की पदस्थिति (31.12.2025 की स्थिति में)

क्र.	संवर्ग का नाम	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत संख्या	रिक्त
1.	लेखाधिकारी / प्रशासकीय अधिकारी	20	00	20
2.	विधिक सलाहकार (प्रतिनियुक्ति कोटा)	01	00	01
3.	अनुसंधान अधिकारी प्रोजेक्ट टाईगर कान्हा	01	00	01
4.	प्रचार अधिकारी	01	00	01
5.	संचालक, बजट (प्रतिनियुक्ति कोटा)	01	00	01
6.	उप संचालक, बजट / वित्त अधिकारी (प्रतिनियुक्ति कोटा)	06	01	05
7.	तकनीकी अधिकारी / प्रोग्रामर	01	00	01
8.	सहायक संचालक, प्रचार	01	00	01
9.	सहायक शल्य चिकित्सक (प्रतिनियुक्ति कोटा)	02	00	02
10.	पशु (वन्यजीव) चिकित्सक	11	11	01 पशु चिकित्सक प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत है।

(अ) लेखाधिकारी / प्रशासकीय अधिकारी – ये अधिकारी विभिन्न कार्यालयों में कार्यालय के नियन्त्रण एवं वित्तीय प्रबंधन में सहयोग करते हैं।

(ब) विधिक सलाहकार – विधिक सलाहकार की नियुक्ति प्रतिनियुक्ति से होती है। इनकी वन विभाग में प्रतिनियुक्ति विधि विभाग द्वारा की जाती है। इनका कार्य न्यायालयीन प्रकरणों में सहयोग प्रदाय करना होता है। वर्तमान में विधिक सलाहकार का पद रिक्त है।

(स) अनुसंधान अधिकारी – वन विभाग में अनुसंधान अधिकारी का एक पद कान्हा टाईगर रिजर्व मण्डला हेतु स्वीकृत है। ये अधिकारी कान्हा टाइगर रिजर्व मण्डला में पदस्थ हैं तथा यह वन्यजीव अनुसंधान का कार्य संपादित करते हैं।

(द) प्रचार अधिकारी एवं सहायक संचालक प्रचार– इन अधिकारियों का कार्य वन विभाग की गतिविधियों विभिन्न माध्यमों से व्यापक प्रचार–प्रसार करना तथा मीडिया से संपर्क रखना है।

(इ) संचालक बजट / उप संचालक बजट / वित्त अधिकारी – ये अधिकारी म.प्र. राज्य वित्त सेवा से वन विभाग में पदस्थ किये जाते हैं। इनका कार्य वन विभाग में बजट नियंत्रण एवं बजट संबंधी, कार्यों में विभाग को सहयोग प्रदान करना होता है।

(फ) तकनीकी अधिकारी / प्रोग्रामर – ये अधिकारी म.प्र. वन विभाग की सूचना प्रौद्योगिकी शाखा में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य में सहयोग प्रदान करते हैं।

(ज) पशु (वन्यजीव) चिकित्सक के 10 पदों पर संविलयन कर विभाग में 10 पशु चिकित्सक पदस्थ है। 01 पशु चिकित्सक तथा सहायक पशु चिकित्सकों के 02 पदों पर पशु चिकित्सा विभाग से वन विभाग में प्रतिनियुक्ति पदस्थ किये जाते हैं। इनके द्वारा राष्ट्रीय उद्यानों में वन्यजीवों की देखरेख एवं चिकित्सा का कार्य संपादित किया जाता है।

(ञ) प्रशासन एक शाखा में कर्मचारियों एवं अधिनस्थ अधिकारियों को गुणवत्ता में सुधार एवं प्रशासन में कसावट हेतु समय–समय पर प्रशिक्षण का आयोजन किया जाता है।

अधीनस्थ कार्यपालिक सेवाएं

वन विभाग के अधीनस्थ कार्यपालिक पदों के रूप में वनरक्षक, वनपाल, उप वन क्षेत्रपाल एवं वन क्षेत्रपाल के पद स्वीकृत हैं। वन विभाग की सबसे छोटी इकाई परिसर रक्षक के पद पर वनरक्षक कार्य करते हैं। इनका प्रशासकीय नियंत्रण परिक्षेत्र सहायक करते हैं जो वनपाल/उप वन क्षेत्रपाल स्तर के कर्मचारी हैं। परिक्षेत्र सहायक वन परिक्षेत्राधिकारी के अधीनस्थ कार्य करते हैं, जो वन क्षेत्रपाल स्तर के अधिकारी हैं। इन सभी का मुख्य कार्य अपने क्षेत्र के अन्तर्गत समस्त वनवर्धनिक एवं विकास कार्य का क्रियान्वयन तथा वन एवं वन्यप्राणी की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। अधीनस्थ कार्यपालिक सेवाओं का विस्तृत विवरण कार्यपालिक, लिपिकीय, चतुर्थ श्रेणी पदों का वृत्तवार जानकारी परिशिष्ट क्रमांक–02,03 एवं 04 में दिया गया है। स्वीकृत पदों का विवरण तालिका क्रमांक 1.5 में दर्शित में है।

तालिका क्रमांक– 1.5
अधीनस्थ कार्यपालिक सेवाओं की पदस्थिति

(1.1.2026 की स्थिति में)

क्रमांक	पद	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1	वनरक्षक	14030	12679	1351
2	वनपाल	4194	1596	2598
3	उप वन क्षेत्रपाल	1258	328	930
4	वन क्षेत्रपाल	1194	621	573
		20676	**15224**	**5452**

लिपिकीय सेवाएं

वन विभाग के अधीनस्थ विभिन्न कार्यालयों में पदस्थ लिपिकीय सेवाओं के लिए स्वीकृत पदों का विवरण तालिका क्रमांक 1.6 में दर्शित है।

तालिका क्रमांक– 1.6
लिपिकीय सेवाओं की पदस्थिति

(1.1.2026 की स्थिति में)

क्रमांक	पद	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1	सहायक गेड–3	1496	1154	342
2	सहायक ग्रेड–2	380	105	275
3	लेखापाल	246	123	123
4	सहायक ग्रेड–1	193	27	166
5	सहायक अधीक्षक	75	18	57
6	अधीक्षक	35	6	29
7	वरिष्ठ निज सहायक	15	2	13
8	निज सहायक	45	13	32
9	शीघ्रलेखक	81	43	38
10	स्टेनो टायपिस्ट	57	37	20
11	मानचित्रकार	204	153	51
12	वाहन चालक	613	219	394
योग		3440	1900	1540

चतुर्थ श्रेणी सेवाएं

वन विभाग के अधीनस्थ विभिन्न कार्यालयों में पदस्थ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का विवरण तालिका क्रमांक 1.7 में दर्शित है।

तालिका क्रमांक– 1.7
चतुर्थ श्रेणी सेवाओं की पदस्थिति

(1.1.2026 की स्थिति में)

क्रमांक	पद	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1	सुपरवाईजर	20	8	12
2	दफ्तरी	195	50	145
3	भृत्य/अर्दली/खलासी/फर्रास	950	663	287
	योग	1165	721	444

विविध

वन विभाग के अधीनस्थ विभिन्न कार्यालयों के लिए स्वीकृत अन्य विविध पदों एवं अनुकम्पा नियुक्ति के पदों का विवरण तालिका क्रमांक 1.8 एवं 1.9 में दर्शित है।

तालिका क्रमांक –1.8
विविध पदों की पदस्थिति

(1.1.2026 की स्थिति में)

क्रमांक	पद	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1	मुख्य महावत	14	1	13
2	महावत	35	5	30
3	सहायक महावत (चतुर्थ श्रेणी)	49	39	10
	योग	98	45	53

दिनांक 05.08.16 से अनुकंपा नियुक्ति हेतु मुख्य वन संरक्षक/वनमण्डलाधिकारियों को जिले में रिक्त पद पर नियुक्ति के अधिकार दिये गये हैं।

तालिका क्रमांक – 1.9
अनुकंपा नियुक्ति प्रकरण

(1.12.2025 की स्थिति में)

विवरण		वर्ष				
		2021	2022	2023	2024	2025
प्रकरण संख्या		440	206	209	222	219
निराकृत (नियुक्ति)		310	153	104	100	91
अमान्य प्रकरण		00	06	05	09	1
लंबित प्रकरण	कलेक्टर स्तर पर	03	02	02	02	0
	प्रक्रियाधीन (शासन/मुख्यालय/वृत्त/व.मं.अ./आवेदक)	127	50	92	111	127
	योग प्रकरण	130	52	94	113	127

भर्ती की जानकारीः–

वनरक्षक भर्ती परीक्षा वर्ष 2022–23 का अंतिम परिणाम म.प्र. कर्मचारी चयन मण्डल भोपाल द्वारा जारी किया गया, जिसमें 1342 पदों की मेरिट सूची प्राप्त हुई है, वनमण्डल स्तर पर 1182 के नियुक्ति आदेश जारी किये गये है शेष कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। सहायक ग्रेड–3 की भर्ती परीक्षा वर्ष 2023 का अंतिम परिणाम म.प्र. कर्मचारी चयन मण्डल भोपाल द्वारा जारी किया गया, जिसमें 60 पदों की मेरिट सूची प्राप्त हुई है, जिसमें से 52 के नियुक्ति आदेश जारी किये गये है। स्टेनोटायपिस्ट की भर्ती परीक्षा वर्ष 2023 का अंतिम परिणाम म.प्र. कर्मचारी चयन मण्डल भोपाल द्वारा जारी किया गया है जिसमें 28 पदों की मेरिट सूची प्राप्त हुई है, जिसमें से 18 के नियुक्ति आदेश जारी किये गये है।

सहायक ग्रेड–3 में 12 पदों पर दिव्यांगजन की वनमण्डल भोपाल से चयनित सूची प्राप्त हुई है जिसमें 04 के नियुक्ति आदेश जारी किये गये है। प्रशिक्षार्थ वनक्षेत्रपाल (प्रशिक्षण सत्र 2024–25) प्राप्त कर सीधी भर्ती के 76 वनक्षेत्रपालों को वानिकी क्रियाकलापों व रेंज प्रशिक्षण हेतु वनवृत्त में पदस्थ किया गया है।

1.4.3 सतर्कता एवं शिकायत

वन बल प्रमुख के अधीन सतर्कता एवं शिकायत शाखा समस्त स्तर से प्राप्त शिकायतों की जांच एवं अनुवर्ती कार्रवाई करती है। परिक्षेत्र अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई एवं परिक्षेत्र अधिकारी, लिपिकीय कर्मचारी एवं अधीनस्थ कार्यपालिक कर्मचारी के विरूद्ध अपील प्रकरणों का निराकरण का दायित्व सर्तकता एवं शिकायत शाखा का है, जिसका विवरण तालिका क्रमांक 1.10 में दर्शित है।

तालिका क्रमांक – 1.10
लंबित एवं निराकृत प्रकरणों की जानकारी
(माह 1 अप्रैल–2025 से 1 नवम्बर–2025 की स्थिति में)
विभागीय जाँच, आरोप ज्ञापन एवं अपील/पुनर्विलोकन प्रकरण

प्रकरण का विवरण	पूर्व शेष	1 अप्रैल 2025 से 30 अक्टूबर 2025 तक प्राप्त प्रकरण	कुल प्रकरण	1 अप्रैल 2025 से 30 अक्टूबर 2025 तक निराकृत प्रकरण	01 नवम्बर 2025 की स्थिति में प्रचलित प्रकरण
विभागीय जांच प्रकरण	15	21	36	17	19
आरोप ज्ञापन प्रकरण	09	16	25	18	07
अपील प्रकरण	19	03	22	04	18
पुनर्विलोकन प्रकरण	32	19	51	20	31
योग :–	75	59	134	59	75

1.4.4 मानव संसाधन विकास

प्रदेश के वन बल को अनुशासित एवं व्यवसायिक रुप से वन प्रबंध में दक्ष करने के लिये वन विभाग प्रतिबद्ध है। यह अधिकारियों व कर्मचारियों के प्रशिक्षण से संभव है। क्षमता विकास एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम में वन अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भर्ती उपरान्त व्यवसायिक प्रशिक्षण एवं सेवारत प्रशिक्षण आयोजित किये जाते हैं। इस हेतु मध्य प्रदेश वन विभाग के अंतर्गत प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख कार्यालय की मानव संसाधन विकास शाखा के निर्देशन एवं प्रशासन में प्रदेश में 9 प्रशिक्षण संस्थान (वन विद्यालय) निम्नानुसार संचालित हैं, जिसका विवरण तालिका क्रमांक 1.11 में दर्शित है।

तालिका क्रमांक–1.11

क्रं.	वन विद्यालय	नियंत्रणकर्ता अधिकारी	क्षमता
1	वनक्षेत्रपाल महाविद्यालय, बालाघाट	प्राचार्य, वनक्षेत्रपाल महाविद्यालय	100
2	वन विद्यालय, अमरकंटक	संचालक, वन विद्यालय, अमरकंटक	125
3	वन विद्यालय, बैतूल	संचालक, वन विद्यालय, बैतूल	125
4	वन विद्यालय, शिवपुरी	संचालक, वन विद्यालय, शिवपुरी	125
5	वन विद्यालय, गोविन्दगढ़	वनमंडलाधिकारी, रीवा क्षेत्रीय व.मं.	50
6	वन विद्यालय, झाबुआ	वनमंडलाधिकारी, झाबुआ क्षे. व.मं.	50
7	राजीव गांधी सहभागी वानिकी प्रशिक्षण संस्थान, लखनादौन	वनमंडलाधिकारी, उत्तर सिवनी क्षे.व.मं.	125
8	इंदिरा गांधी वन प्रशिक्षण शाला, पचमढ़ी	उप संचालक, सतपुड़ा टा.रि., पचमढ़ी	40
9	जैव विविधता प्रशिक्षण केन्द्र, ताला	उप संचालक, बांधवगढ़ टा.रि.,उमरिया	40

इन प्रशिक्षण शालाओं का उपयोग सीधी भर्ती के वन रक्षकों के प्रवर्तन प्रशिक्षण तथा पदोन्नत वन पालों के सेवा कालीन प्रशिक्षण देने में किया जा रहा है। इन शालाओं के प्रभारी पदों पर भारतीय वन सेवा एवं राज्य वन सेवा अधिकारियों की पदस्थिति की जाती है । इन प्रशिक्षण हेतु आवश्यक अधोसंरचना जैसे प्रशासनिक खण्ड, व्याख्यान कक्ष, क्रीड़ागन, छात्रावास इत्यादि वन सेवा एवं राज्य वन सेवा अधिकारियों की पदस्थिति की जाती है। इन प्रशिक्षण शालाओं में भी उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त उप वन क्षेत्रपाल पद से पदोन्नत वनक्षेत्रपालों के लिये वनक्षेत्रपाल महाविद्यालय, बालाघाट में 6 माह का नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं।

विभिन्न संवर्गो में भर्ती उपरान्त संबंधित प्रशिक्षण संस्थानों से नियमित प्रशिक्षणों को प्राप्त कर भारतीय वन सेवा अधिकारियों, राज्य वन सेवा अधिकारियों, सीधी भर्ती के वनक्षेत्रपालों एवं वनरक्षकों के लिये वनमंडलों में क्षेत्रीय/व्यवहारिक प्रशिक्षण निर्धारित समयावधि के दौरान आयोजित किये जाते हैं। इन क्षेत्रीय/व्यवहारिक प्रशिक्षण के कार्यक्रमों व रुपरेखा को निर्धारित किया जाकर सभी वन वृत्तों एवं वनमंडलों को उपलब्ध कराए गये हैं।

विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन –

(1) समस्त 9 वन विद्यालयों में प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन–

- पदोन्नत वनक्षेत्रपाल प्रशिक्षण कार्यक्रम (15 दिन प्रथम एवं 15 दिन द्वितीय सत्र)
- वनपाल प्रशिक्षण कार्यक्रम (45 दिवसीय)
- वनरक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम (6 माह)

(2) सीधी भर्ती के सहायक वन संरक्षक एवं वनक्षेत्रपालों के प्रशिक्षण–

- सहायक वन संरक्षक का 2 वर्ष का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम
- वनक्षेत्रपालों का केन्द्रीय अकादमियों में 18 माह का प्रशिक्षण

(3) विभागीय परीक्षा –

- सहायक वन संरक्षक एवं वनक्षेत्रपालों के लिये

प्रशिक्षण कार्यक्रम –

जिसका विवरण तालिका क्रमांक 1.12 में दर्शित है।

<table>
<tr>
<td>1.</td>
<td>भारतीय वन सेवा–
(कुल प्रशिक्षण अवधि 4 वर्ष)</td>
<td></td>
<td>कुल 4 माह मसूरी अकादमी में प्रशिक्षण, 16 माह का इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, देहरादून में प्रशिक्षण, 04 माह का भ्रमण संबंधित राज्य में, 11 माह का विभिन्न कार्यालयों में संलग्नीकरण, 5 माह का रेंज प्रभार एवं 12 माह का उपवनमंडल प्रभार। वर्तमान में निम्न भारतीय वन सेवा के अधिकारी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं–
<table>
<tr><th>क्र.</th><th>वर्ष</th><th>भा.व.से. प्रशिक्षु संख्या</th></tr>
<tr><td>1</td><td>2022–2024</td><td>17</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>राज्य वन सेवा
(कुल प्रशिक्षण अवधि 4 वर्ष)</td>
<td></td>
<td>दो वर्षीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, 8 माह का विभिन्न कार्यालयों में संलग्नीकरण, 4 माह का रेंज प्रशिक्षण एवं 1 वर्ष का उपवनमंडल का प्रभार।

वर्तमान में वर्ष 2019, 2020 एवं 2021 में सीधी भर्ती के 13 सहायक वन संरक्षक का निम्नानुसार 2 वर्षीय पाठ्यक्रम प्राप्त कर रहे हैं :–
<table>
<tr><th>चयन सूची वर्ष</th><th>प्रशिक्षुओं की संख्या</th><th>वन अकादमी का नाम</th><th>प्रशिक्षण अवधि</th></tr>
<tr><td>2019</td><td>01</td><td>कोयम्बटूर वन अकादमी</td><td>01.07.25 से 30.06.27</td></tr>
<tr><td>2020</td><td>06</td><td>देहरादून वन अकादमी</td><td>21.08.25 से 20.08.26</td></tr>
<tr><td>2021</td><td>07</td><td>कोयम्बटूर वन अकादमी</td><td>01.07.25 से 30.06.27</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td>3.</td>
<td>सीधी भर्ती के वनक्षेत्रपाल
(कुल प्रशिक्षण अवधि 3 वर्ष 6 माह)</td>
<td></td>
<td>18 माह का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, 6 माह का विभिन्न कार्यालयों में संलग्नीकरण, 1 माह का बीट प्रभार, 5 माह का आर.ए. सर्किल प्रभार, एवं 1 वर्ष का रेंज का प्रभार।
वर्तमान में वर्ष 2020 में चयनित सीधी भर्ती के 90 वनक्षेत्रपालों को 18 माह का प्रशिक्षण आयोजित कराये जाने हेतु निम्नानुसार वन अकादमियों में सीट आरक्षित की गई हैं :–
<table>
<tr><th>क्र.</th><th>वन अकादमी</th><th>प्रशिक्षण अवधि</th><th>सीटों की संख्या</th></tr>
<tr><td>1</td><td>कुण्डल अकादमी</td><td>26.02.2024 से 28.05.2025</td><td>37</td></tr>
<tr><td>2</td><td>हल्द्वानी</td><td>19.02.2024 से 18.08.2025</td><td>39</td></tr>
<tr><td>3</td><td>चन्द्रपुर</td><td>18.03.2024 से 17.09.2025</td><td>03</td></tr>
<tr><td>4</td><td>तमिलनाडु वन अकादमी</td><td>25.11.2024 से 24.05.2026</td><td>05</td></tr>
<tr><td colspan="3">कुल–</td><td>84</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td>4.</td>
<td>वनरक्षक
(कुल प्रशिक्षण अवधि 6 माह)</td>
<td></td>
<td>वन विद्यालयों में सीधी भर्ती के वनरक्षकों के लिये 6 माह के प्रारंभिक प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किया जाता है।</td>
</tr>
</table>

अन्य रिफ्रेशर कोर्स–

- सेवारत भारतीय वन सेवा अधिकारियों के लिये अनिवार्य अल्पकालीन (5 दिवसीय एवं 2 दिवसीय) रिफ्रेशर प्रशिक्षण कार्यक्रमों को भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा नियमित रुप से आयोजित किया जाता है। माह जनवरी 2024 से अब तक 325 भारतीय वन सेवा के अधिकारियों को प्रशिक्षण में भेजा गया।
- आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी, भोपाल में भा.व.से. एवं रा.व.से. स्तर के अधिकारियों के लिये प्रशिक्षण आयोजित कराया गया, जिसमें 46 अधिकारियों द्वारा भाग लिया गया।

विभागीय परीक्षा–

सीधी भर्ती के राजपत्रित वन अधिकारियों की विभागीय परीक्षा – वन विभाग के सहायक वन संरक्षक एवं वनक्षेत्रपालों के लिये प्रतिवर्ष दो बार, जनवरी एवं जुलाई में विभागीय परीक्षा समस्त 16 क्षेत्रीय वन वृत्तों में आयोजित कराई जाती है। माह जुलाई 2024 में दिनांक 22–25 की अवधि में विभागीय परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसकी उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन की कार्यवाही की जा रही है।

बजट धनराशि–

समस्त वन विद्यालयों के संचालन एवं प्रशिक्षणों पर होने वाले व्यय के भुगतानों के लिये वित्तीय वर्ष 2024–25 में मानव संसाधन विकास शाखा द्वारा संचालित योजना क्रमांक 4462–वन प्रशिक्षण केन्द्रों के संचालक के अंतर्गत निम्नानुसार उपमदों में राशि उपलब्ध कराई गई है जिसका विवरण तालिका क्रमांक–1.13 में दर्शित है:–

तालिका क्रमांक–1.13

क्रमांक	बजट उप मद	उपलब्ध राशि (रू. लाख में)	आवंटित की गई राशि (रू. लाख में)
1	12-मजदूरी	200.00	106.70
2	22-कार्यालय व्यय - 008 अन्य नैमतिक व्यय	32.00	09.11
3	24 परीक्षा एवं प्रशिक्षण 002 प्रशिक्षण	1000.00	934.18
4	41-छात्रवृत्ति एवं 002 वृत्तियां	1170.54	490.64
	योग -	2402.55	1540.63
केंद्रीकृत बजट उपमद में प्राप्त राशि		2157.26	476.55
महायोग -		4559.81	2017.18

1.4.5 नीति विश्लेषण

मध्यप्रदेश फॉरेस्ट मैन्युअल के पुनरीक्षण हेतु विभाग द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान, भोपाल को सौंपा गया जिसका शासन से अनुमोदन प्राप्त हो गया है।

1.4.6 संयुक्त वन प्रबंधन

राष्ट्रीय वन नीति के अनुसरण में वनों के संरक्षण एवं विकास हेतु जन सहयोग प्राप्त करने के लिए वनों एवं उनके आसपास निवास करने वाले समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए मध्य प्रदेश शासन द्वारा संयुक्त वन प्रबंधन हेतु संकल्प दिनांक 22 अक्टूबर, 2001 राजपत्र में अधिसूचित किया गया है, जिसमें तीन प्रकार की संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के गठन का प्रावधान है –

(1) वन सुरक्षा समितिः सघन वन क्षेत्रों में वनखंड सीमा की 5 किलोमीटर दूरी तक स्थित ग्रामों में गठित की जाने वाली संयुक्त वन प्रबंधन समिति को ''वन सुरक्षा समिति'' कहा जाता है। वन सुरक्षा समिति सघन वन क्षेत्रों में अवैध कटाई, चराई एवं अग्नि से क्षेत्र की सुरक्षा करती है तथा इसकी एवज में उन्हें आवंटित क्षेत्र से समस्त लघु वनोपज, रॉयल्टी मुक्त निस्तार एवं काष्ठ की विक्री से प्राप्त राजस्व की 20 प्रतिशत लाभांश दिये जाने का प्रावधान है।

(2) ग्राम वन समितिः बिगड़े वनक्षेत्रों में वनखंड की सीमा से पांच किलोमीटर दूरी तक स्थित ग्रामों में गठित की जाने वाली समिति को ''ग्राम वन समिति'' कहा जाता है। ग्राम वन समिति के सहयोग से पुर्नस्थापित होने पर आवंटित वन क्षेत्र से प्राप्त होने वाली समस्त लघु वनोपज एवं काष्ठ अनुपातिक विदोहन व्यय घटाकर ग्राम वन समिति को प्रदाय करने का प्रावधान है।

(3) ईको विकास समितिः जैव विविधता के संरक्षण हेतु गठित राष्ट्रीय उद्यान तथा अभ्यारण्य बफर क्षेत्रों की सीमा से 5 किलोमीटर की परिधि में स्थित ग्रामों में ''ईको विकास समिति'' गठित करने का प्रावधान है। इन समितियों के सामाजिक आर्थिक उत्थान का कार्य ईको विकास कार्यक्रम के तहत किया जाता है।

संकल्प के अनुसार ग्रामसभा स्तर पर वन प्रबंधन में जुड़ने के लिए मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा–6 के अंतर्गत तथा मध्य प्रदेश ग्राम सभा (सम्मिलन की प्रक्रिया) नियम 2001 में दर्शाई गई प्रक्रिया के अनुसार ग्राम सभा की बैठक आयोजित करके, वन क्षेत्र की स्थिति के अनुसार, संयुक्त वन प्रबंधन समिति का 5 वर्ष की अवधि के लिए गठन किया जाता है। अध्यक्ष पद के एक तिहाई पद महिलाओं हेतु आरक्षित किये गये हैं। साथ ही अध्यक्ष/उपाध्यक्ष में से एक पद पर महिला का होना अनिवार्य किया गया है। अनुसूचित जाति, जनजाति व पिछड़ा वर्ग के सदस्यों का प्रतिनिधित्व, यथासंभव, ग्रामसभा मे इनकी जनसंख्या के अनुपात में होगा तथा कार्यकारिणी में न्यूनतम 33 प्रतिशत महिलाएं होंगी। प्रदेश में वन समितियों की कुल संख्या 15608 हैं, जिनके द्वारा 79705 वर्ग कि.मी. वन क्षेत्रों का प्रबंधन किया जा रहा है, जिसका विवरण तालिका क्रमांक 1.14 में दर्शित है।

तालिका क्रमांक–1.14
समितियों एवं कार्यों का विवरण

समिति का प्रकार	समितियों की संख्या	प्रबंधित क्षेत्र
ग्राम वन समिति	9784	37799 वर्ग किमी
वन सुरक्षा समिति	4773	36377 वर्ग किमी
ईको विकास समिति	1051	5529 वर्ग किमी
योग -	15608	79705 वर्ग किमी

संयुक्त वन प्रबंधन समितियों का सशक्तिकरण –

म.प्र. शासन वन विभाग के आदेश क्रमांक/एफ 16–04/1991/10–2 दिनांक 27.04.2022 द्वारा वनों के संरक्षण एवं विकास हेतु जन सहयोग प्राप्त करने के लिए राज्य शासन के समसंख्यक संकल्प दिनांक 22 अक्टूबर, 2001 की कण्डिका 11.1.3 को प्रतिस्थापित करते हुये राज्य शासन के काष्ठ के विदोहन से प्राप्त होने वाली काष्ठ की बिक्री से प्राप्त राजस्व की 20 प्रतिशत राशि संयुक्त वन प्रबंधन समिति को देने के निर्णय को वित्तीय वर्ष 2022–23 से उक्त संकल्प में समाविष्ट किया गया।

काष्ठ एवं बांस विदोहन का लाभांश वितरण –

- **काष्ठ का लाभांश** – काष्ठ के विदोहन से प्राप्त होने वाली काष्ठ की बिक्री से प्राप्त राजस्व की 20 प्रतिशत राशि संयुक्त वन प्रबंधन समितियों को दिये जाने का प्रावधान है।
- **बाँस का लाभांश** – प्रदेश में बांस कटाई में संलग्न श्रमिकों को बांस विदोहन से प्राप्त शुद्ध लाभ की राशि का शत–प्रतिशत वितरण किया जाता है।

विगत पांच वर्षों में लाभांश वितरण का विवरण तालिका क्रमांक 1.15 में दर्शित है।

तालिका क्रमांक–1.15
विगत 05 वर्षों के लाभांश वितरण का विवरण

लाभांश प्रदाय वर्ष	काष्ठ लाभांश (राशि रू.करोड़ में)	बांस लाभांश (राशि रू.करोड़ में)	कुल लाभांश (राशि रू.करोड़ में)
2019-20	22.56	11.39	33.95
2020-21	10.37	0.03	10.40
2021-22	15.00	0.00	15.00
2022-23	34.00	21.00	55.00
2023-24	136.64	22.76	159.40
2024-25	189.52	0.29	189.81

1.4.7 ग्रीन इण्डिया मिशन

मुख्य उद्देश्य

- शहरी जैव विविधता का संरक्षण
- शहर के निवासियों को स्वस्थ लाभ
- सौंदर्य पूर्ण वातावरण का निर्माण
- युवाओं के बीच पर्यावरण एवं जैवविविधता के प्रति जागरूकता पैदा करना
- वायु एवं ध्वनि प्रदूषण को कम करने में योगदान
- वन भूमि को और अधिक क्षरण एवं अतिक्रमण से बचाना

प्रगति 31 अक्टूबर 2025 की स्थिति में :

वर्ष 2020–21 से 31 अक्टूबर 2025 की स्थिति में प्रदेश के 33 जिलों में नगर वन योजना के अंतर्गत 1961 हेक्टेयर क्षेत्र में 65 नगर वन/वाटिकाओं का कार्य संपादित किया जा रहा है। इन 65 नगर वन/वाटिकाओं के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा कुल 73.29 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है, जिसके विरुद्ध 55.23 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई है, जिनमें से 43.20 करोड़ रुपए व्यय किए जा चुके हैं। उक्त 65 नगर वन/वाटिकाओं में से 20 नगर वन/वाटिकाओं का कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा शेष कार्य प्रगति पर है।

इसके अतिरिक्त,1,157.85 हेक्टेयर क्षेत्र में 29 नवीन नगर वन/वाटिकाओं की स्वीकृति भारत सरकार से विगत दो माह के भीतर प्राप्त हुई है। इन 29 नगर वन/वाटिकाओं के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा कुल 38.64 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है, जिसके विरुद्ध 27.05 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त कर नगर वन स्थापना हेतु कार्यवाही की जा रही है। इस प्रकार, प्रदेश में नगर वन योजना के अंतर्गत कुल 94 नगर वन/वाटिकाएँ संचालित हैं ।

ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम

योजना अंतर्गत खुले वन और झाड़ीदार भूमि, बंजर भूमि और जलग्रहण क्षेत्रों सहित अवक्रमित भूमि (Degraded land parcels) को चिहिन्त करेगें, जिन्हे वृक्षारोपण के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। जिसमें उक्त नियमों के अधीन ग्रीन क्रेडिट के सृजन के प्रयोजनों के लिए देश भर में हरित आवरण की वृद्धि करने के लिए क्रियाकलापों को बढावा दिया जा सकें।

यह योजना वर्ष 2024 से संचालित किया गया है। जो मध्यप्रदेश के बिगडे वनों जिनमें खुले वन, झाडीदार भूमि व बंजर भूमि भी शामिल है वर्तमान में इस योजना के अंतर्गत 640 हेक्टेयर (सीधी, सिंगरौली, रीवा, उत्तर बैतूल, पश्चिम छिंदवाडा, खरगोन, दमोह, राजगढ एवं सतना) में चयन कर नवम्बर 2025 तक राशि रूपये 26.61 करोड़ स्वीकृत की गई है, तथा राशि रूपये 14.64 विमुक्त की गई है।

1.4.8 निगरानी एवं मूल्यांकन

निगरानी एवं मूल्यांकन शाखा प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, मध्यप्रदेश के अधीन कार्य करती है। मध्य प्रदेश वन विभाग द्वारा राज्य में किये गए वृक्षारोपण कार्यों के प्रभावी अनुश्रवण करने हेतु विभाग की सूचना एवं प्रौद्योगिकी शाखा द्वारा वृक्षारोपण निगरानी प्रणाली का विकास किया गया है। वर्तमान में निगरानी एवं मूल्यांकन शाखा द्वारा वृक्षारोपण निगरानी प्रणाली के माध्यम से संपूर्ण राज्य में मध्य प्रदेश वन विभाग द्वारा किये गये वृक्षारोपण कार्यों का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन मुख्यालय स्तर से किया जा रहा है।

विभागीय फॉरेस्ट मैन्युअल अनुसार शाखा के दायित्व :

1. विभाग में प्रचलित केंद्र सरकार एवं राज्य शासन की विभिन्न विकास योजनाओं, कार्य आयोजनाओं तथा वित्त आयोग के अंतर्गत स्वीकृत योजनाओं आदि का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन।
2. अनुश्रवण/मूल्यांकन के परिणामों से समय–समय पर वन बल प्रमुख को अवगत कराना।
3. जन परियोजनाओं/योजनाओं/कार्यक्रमों के कार्य समय पर नहीं हो पा रहे है। अथवा अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हो पा रहे है, उन कारणों का पता लगाना, परियोजना/ योजना कार्यक्रमों की कार्य विधि प्रक्रिया में आवश्यक संशोधन/परिवर्तन प्रस्तावित करना तथा यदि अपेक्षित परिणामों की प्राप्ति न हो पाने का कारण क्रियान्वयन स्तर पर लापरवाही या निर्देशों की अवहेलना है, तो संबंधित का उत्तरदायित्व का निर्धारण करना।
4. जिन योजनाओं/परियोजनाओं/कार्यक्रमों के क्रियान्वयन मे उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त हुए है, उनमें सफलता की कहानियां (success stories) एवं जिनमे अपेक्षित सफलता प्राप्त नहीं हुई है, उनमें सीखे गये सबकों (lessons learnt) का अभिलेखन करना।
5. उपरोक्त दायित्वों का निर्वहन शाखा के भारसाधक अधिकारी द्वारा किया जावेगा।

अन्य कार्य :

1. वृक्षारोपण निगरानी प्रणाली में जानकारी को अद्यतन रखने हेतु समस्त जानकारियां नियमित रूप से प्रविष्ट करने के लिए मुख्य वन संरक्षकों एवं वनमंडल अधिकारियों को निरंतर उनके क्षेत्र की स्थिति से अवगत कराना।
2. प्रणाली से संबंधित समस्याओं एवं सुझावों जैसे : नवीन रिपोर्ट को जोड़ना, Technical Checks लगाना, वृक्षारोपण पंजीकरण को निरस्त करना आदि के निराकरण हेतु नियमित रूप से सूचना एवं प्रौद्योगिकी शाखा से समन्वय स्थापित रखना।
3. वीडियो कांफ्रेंस एवं क्षेत्रीय कार्यशालाओं के माध्यम से वृक्षारोपण प्रबंधन को प्रभावी बनाने हेतु प्रयास।
4. वृक्षारोपण कार्यों के अनुश्रवण एवं मूल्यांकन द्वारा प्राप्त परिणामों के आधार पर विभाग को नीतिगत स्तर पर महत्वपूर्ण इनपुट प्रदान करना।

वृक्षारोपण निगरानी प्रणाली की मुख्य विशेषताएं :

1. यूजर फ्रेंडली डैशबोर्ड जो कि विभिन्न मापदंडों की स्थिति को दर्शाता है, जैसेः वनमंडल स्तर से अनुमोदन, प्रतिवर्ष माह मई एवं अक्टूबर सत्र के मूल्यांकन एवं जिओमैपिंग आदि की स्थिति।
2. वृक्षारोपण कार्यों के वनमडल स्तर से अनुमोदन, मूल्यांकन, व्यय एवं जिओमैपिंग आदि की विस्तृत रिपोर्ट।
3. मुख्यालय स्तर से बेहतर अनुश्रवण हेतु एकीकृत जिओ–पोर्टल, जिसके माध्यम से वृक्षारोपण क्षेत्र की सीमा के अतिरिक्त Satellite Imagery को देख सकते हैं।

4. चार स्तरों अर्थात् मुख्यालय, वन वृत्त, वनमंडल एवं परिक्षेत्र में अधिकारों का प्रतिनिधान के साथ ही मुख्यालय स्तर पर एकीकृत डाटा सेंटर।
5. कार्यप्रवाह आधारित पारदर्शी प्रणाली।
6. प्रणाली Public Domain में है एवं आमजन द्वारा इसका अवलोकन किया जा सकता है।

महत्वपूर्ण उपलब्धियां :

1. मुख्यालय एवं क्षेत्रीय अधिकारियों के समन्वय से वृक्षारोपण को बहुउपयोगी बनाने के सार्थक प्रयास किये गये हैं। वृक्षारोपण क्षेत्र में पौधे के रोपण के साथ–साथ, मृदा एवं जल सरंक्षण के केन्द्र बनाये गये है। साथ ही क्षेत्रों का रेस्टोरेशन हो रहा है। अधिकारियों का मार्गदर्शन स्थानीय रूप से छोटे–छोटे अभिनव प्रयोग करने हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है, ताकि पर्यावरणीय सरंक्षण हो सके।
2. शाखा में प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख के अनुमोदन उपरांत कार्यालयीन कार्य मुख्यतः ऑनलाईन (ईमेल द्वारा) संपादित करने का प्रयास किया जा रहा है।
3. नियमित रूप से वृक्षारोपण निगरानी प्रणाली में आंकड़ों की प्रविष्टि हेतु क्षेत्रीय अमले को समयानुसार निर्देश दिए गए एवं प्रणाली को अद्यतन रखा जा रहा है।
4. ऐसे वृक्षारोपण जिनका जीवितता प्रतिशत विभागीय मापदंडों से कम पाया गया है के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

शाखा द्वारा वर्ष 2024 में प्रणाली में जानकारी को अद्यतन रखने हेतु किये गये प्रयासों से प्राप्त प्रगति के संक्षिप्त आंकड़ें निम्नानुसार हैं। विवरण तालिका क्रमांक 1.18 में दर्शित है।

तालिका क्रमांक 1.16

क्रमांक	विवरण	As on 01.01.2024	As on 30.12.2024	प्रतिशत वृद्धि
1	कुल पंजीकृत रोपण	27281	29151	6.85
2	स्वीकृत रोपण	27222	28793	5.77
3	मूल्यांकित रोपण	26573	26756	0.69
4	कुल भू-मानचित्रित रोपण	26906	28649	6.48

तालिका क्रमांक 1.17
योजनावार वृक्षारोपण पंजीकरण स्थिति :

क्रमांक	योजना का नाम	कुल वृक्षारोपण (2006 से) (13-11-2025)
1	बांस मिशन	617
2	बुन्देलखण्ड पैकेज	115
3	कैम्पा	619
4	कैम्पा (ऊर्जा वन/जलाऊ लकड़ी)	219
5	जलग्रहण क्षेत्र योजना उपचार (CATP)-9665	28
6	प्रतिपूरक वनरोपण 9664	1801
7	पर्यावरण वानिकी	922
8	ई.एस.आई.पी	43
9	एफ.डी.ए (एन.ए.पी)	212 2
10	ग्रीन इंडिया मिशन	404
11	एकीकृत वन्यजीव प्रबंधन योजना (आईडब्ल्यूएमपी)-9666	1
12	संयुक्त प्रबन्धन समिति (जेएफएमसी)	232
13	महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी	1996
14	सूक्ष्म वन उत्पाद संघ	568
15	नगर वन योजना	11
16	राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (एन.ए.पी)	18
17	नेट प्रजेंन्ट वेल्यू (एनपीवी) -9667	5872
18	ओंकारेश्वर परियोजना	84
19	अन्य केन्द्रीय सहायता	116
20	अन्य	3047
21	सामाजिक वानिकी	4
22	यू.एन.डी.पी	263
23	वैकल्पिक वृक्षारोपण-1306	125
24	कार्य आयोजना का क्रियान्वयन	8519
25	कार्य योजना क्रियान्वयन (आर.डी.एफ को छोड़कर)	131
26	कार्य योजना क्रियान्वयन (आर.डी.एफ में वृक्षारोपण)	1314
	महयोग:	29151

1.4.9 अनुसंधान विस्तार एवं लोकवानिकी

उद्देश्य एवं संरचना –

मध्यप्रदेश के वनों की उत्पादकता बढ़ाने एवं वन क्षेत्रों के बाहर सामुदायिक एवं निजी भूमि पर वनीकरण कार्य किया जाकर वनोपज की आवश्यकता की पूर्ति हेतु प्रत्येक कृषि जलवायु प्रक्षेत्र में क्रमशः बैतूल, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, झाबुआ, खंडवा, रतलाम, रीवा, सागर एवं सिवनी में सामाजिक वानिकी वन वृत्त स्थापित हैं। इन वृत्तों के अंतर्गत 171 सामाजिक वानिकी रोपणियॉ संचालित हैं।

कैम्पा योजना के लिये वर्ष 2026 के रोपण हेतु 198.32 लाख एवं वर्ष 2027 के रोपण हेतु 181.50 लाख पौधों की तैयारी का कार्य प्रगति पर। कार्य आयोजना क्रियान्वयन एवं गैर वन क्षेत्रों के लिये विभागीय योजना नर्सरियों में पौधा तैयारी (6397) अंतर्गत 97.00 लाख मिश्रित प्रजाति के पौधों की तैयारी का कार्य प्रगति पर है। सागौन एवं बांस पौधों की तैयारी हेतु सामाजिक वानिकी वन वृत्तों की रोपणियों में विभागीय योजना नर्सरियों में पौधा तैयारी अंतर्गत 46100 मदर बेड्स तैयार किये गये हैं। सामाजिक वानिकी रोपणियों से वर्षा ऋतु 2025 में 5.74 करोड पौधे निवर्तित किये गये। वित्तीय वर्ष 2025–26 में गैर वन क्षेत्रों में पौधों के विक्रय से माह अक्टूबर 2025 तक राशि रू. 4.75 करोड का राजस्व प्राप्त हो चुका है।

वित्तीय वर्ष 2025–26 में लगभग दो वर्ष के उपरांत सामाजिक वानिकी वन वृत्त की रोपणियों में पौधों की तैयारी की दरों एवं विक्रय दरों का युक्तियुक्तकरण किया गया।

भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के निर्देशानुसार ''एक पेड मॉ के नाम'' अभियान के अंतर्गत प्रदेश वन विभाग द्वारा विभिन्न स्थलों पर 5.55 करोड पौधों का रोपण किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुरूप समस्त सामाजिक वानिकी वन वृत्तों में ''स्व सहायता समूहों के माध्यम से रोपणियों में पौधा तैयारी'' का कार्य प्रारंभ किया गया। प्रदेश में 4 स्थलों क्रमशः उज्जैन, सतना, छतरपुर एवं भोपाल में सांस्कृतिक वन स्थापित किये गये। प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के कार्य पूर्ण किये गये।

माननीय मुख्यमंत्री जी से प्राप्त निर्देशानुसार बुरहानपुर, टीकमगढ, मंदसौर में नये सांस्कृतिक वन स्थापना के प्रस्ताव शासन, वन विभाग के माध्यम से एप्को को प्रेषित किये गये। विस्तार वानिकी योजना (2536) अंतर्गत वर्ष 2025–26 में क्षेत्रीय वनमंडलों के माध्यम से लगभग 780 हे. क्षेत्र में रखरखाव एवं नये वृक्षारोपण का कार्य प्रगति पर है। वित्तीय वर्ष 2025–26 में अध्ययन एवं अनुसंधान योजना (5108) अंतर्गत राज्य वन अनुसंधान संस्थान के 1 एवं ऊष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान के 3 परियोजना हेतु अनुदान विमुक्त किया गया। विभागीय पत्रिका ''म0प्र0 वनांचल संदेश'' के 28 संस्करणों का प्रकाशन किया गया है।

1.4.10 भू–प्रबंध

भारत सरकार ने वर्ष 1980 में वन (संरक्षण एवं सवंर्धन) अधिनियम,1980 (संशोधित 2023) लागू किया जिसके अंतर्गत यह प्रावधानित है कि कोई राज्य शासन अथवा वन अधिकारी भारत सरकार के पूर्व अनुमोदन के पश्चात् ही वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु आदेश दे सकेंगे।

इस अधिनियम की धारा–2 के अंतर्गत निम्न प्रावधान हैः–

''किसी राज्य में तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, कोई राज्य सरकार या अन्य प्राधिकारी यह निदेश करने वाला कोई आदेश, केन्द्रीय सरकार के पूर्ण अनुमोदन के बिना नहीं देगा:–

(1) कि कोई आरक्षित वन उस राज्य में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में ''आरक्षित वन'' पद के अर्थ में या उसका कोई प्रभाग आरक्षित नहीं रह जाएगाः

(2) कि किसी वन भूमि या उसके किसी प्रभाग को किसी वनेत्तर प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया जाए:

(3) कोई वन भूमि या उसका कोई प्रभाग पट्टे पर या अन्यथा किसी प्राइवेट व्यक्ति या किसी प्राधिकरण, निगम, अभिकरण या आय संगठन को, जो सरकार के स्वामित्व, प्रबन्ध, नियंत्रण के अधीन नहीं है, समनुदेशित किया जाए

(4) किसी वन भूमि या उसके किसी भाग से, पुर्नवनरोपण के लिए उसका उपयोग करने के प्रयोजन के लिए, उन वन वृक्षों को, जो उस भूमि या प्रभाग में प्राकृतिक रूप से उग आए हैं, काटकर साफ किया जा सकता है।''

धारा 3A (दंड) : अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर साधारण कारावास की सजा हो सकती है।

सलाहकार समिति (Section 3) : वन भूमि के उपयोग से संबंधित मामलों पर केंद्र सरकार को सलाह देने के लिए एक समिति का गठन।

2023 के संशोधन (Forest Conservation and Development Amendment) :

दायरा : यह संशोधन 1980 के अधिनियम के तहत आने वाली जमीनों को स्पष्ट करता है, विशेषकर वे जो 1980 के बाद रिकॉर्ड में वन नहीं थीं।

छूट : सुरक्षा परियोजनाओं, रणनीतिक महत्व की परियोजनाओं, और चिड़ियाघर/सफारी को विशिष्ट शर्तों के साथ कुछ प्रतिबंधों **से छूट दी गई है।**

निजी वनीकरण : वन भूमि पर निजी वाणिज्यिक वृक्षारोपण को बढ़ावा देने का प्रावधान।

वन (संरक्षण एवं संवर्धन) संशोधन नियम, 2025 : ये नियम वन शासन को आधुनिक बनाने, वनीकरण को बढ़ावा देने और राष्ट्रीय जलवायु लक्ष्यों के अनुरूप वन भूमि के उपयोग को सुव्यवस्थित करने पर केंद्रित हैं।

किसी भी आवेदक संस्थान द्वारा वन भूमि का गैर वानिकी उपयोग प्रस्तावित होने पर वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत निर्धारित प्रारूप में निश्चित अभिलेखों के साथ ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है जो कि क्षेत्रीय अधिकारियों के परीक्षण एवं राज्य सरकार के अनुमोदन उपरान्त भारत सरकार को भेजा जाता है। भारत सरकार द्वारा प्रकरण में कुछ शर्तों के साथ सैद्धांतिक अनुमति दी जाती है। आवेदक तथा क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा शर्तों की पूर्ति उपरान्त भारत सरकार से वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 की धारा–2 के अंतर्गत वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु औपचारिक अनुमोदन प्राप्त किया जाता है। भारत सरकार के औपचारिक अनुमोदन उपरान्त राज्य शासन द्वारा वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु स्वीकृति जारी की जाती है।

भारत सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 10.10.2014 से वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 में संशोधन करते हुए दिनांक 01.11.2014 से समस्त रेखीय (सड़क, नहर, विद्युत लाईन एवं रेलवे लाईन) के प्रकरणों की स्वीकृति तथा शेष प्रकरणों मे (उत्खनन, जल, विद्युत परियोजनायें तथा अतिक्रमण के प्रकरणों को छोड़कर) 40 हेक्टेयर तक वन भूमि व्यपवर्तन की स्वीकृति के अधिकार भोपाल स्थित भारत सरकार के क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत गठित क्षेत्रीय साधिकार समिति को सौंपे गये हैं।

विगत वर्षों में प्रशासनिक तत्परता एवं प्रक्रिया के सरलीकरण के कारण, वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत प्रस्तावित प्रकरणों की स्वीकृति में लगने वाले समय में काफी सुधार हुआ है। विशेष रूप से प्रकरणों की ऑनलाईन स्वीकृति प्रक्रिया लागू करने से तथा प्रक्रिया के सरलीकरण के कारण प्रकरणों का निराकरण अधिक शीघ्रता से हो रहा है।

वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 प्रभावशील होने के बाद दिनांक 25.10.1980 से 30 नवम्बर 2025 तक कुल 1553 प्रकरणों में कुल 304746.884 हेक्टेयर वन भूमि प्रत्यावर्तित की गई है।

वर्ष 1980 से 30 नवम्बर 2025 तक की अवधि में वन भूमि व्यपवर्तन का गोशवारा तालिका क्रमांक 1.18 में दर्शित है।

तालिका क्रमांक 1.18 उपयोगवार वन भूमि व्यपवर्तन

क्र.	श्रेणी	व्यपवर्तित वन भूमि					कुल व्यपवर्तित वन भूमि	प्रतिशत
		1980 -1990	1991 -2000	2001-2010	2011 -2020	2021-2025		
1	सिंचाई	62797.147	6308.486	8949.552	6166.756	10330.513	94552.454	31
2	विद्युत	2566.964	487.020	2369.214	3916.700	1510.374	10850.272	4
3	खनिज	3664.534	5189.345	4115.89	5618.133	6143.493	24731.395	8
4	विविध	702.849	4757.334	3170.893	5078.515	4322.637	18032.228	6
5	रक्षा	12458.038	16632.640	6.270	8081.871	0	37178.819	12
6	अतिक्रमण	11940 1.716	0	0	0	0	119401.716	39
	योग	201591.248	33374.825	18611.819	28861.975	22307.017	304746.884	100

प्रत्यावर्तित वन भूमि का वर्षवार तथा श्रेणीवार विवरण परिशिष्ट–5 में संलग्न है। वर्ष 2025 में अंतिम स्वीकृति प्राप्त महत्वपूर्ण परियोजनाओं का विवरण परिशिष्ट–6 में संलग्न है।

वन (संरक्षण एवं सवंर्धन) अधिनियम,1980 (संशोधित 2023) में राज्य शासन/वनाधिकारियों को प्रदत्त अधिकार

वन क्षेत्रों में गैर वानिकी कार्य करने की अनुमति जारी करने के सम्बन्ध में राज्य शासन/क्षेत्रीय वनमण्डलाधिकारियों को निम्नानुसार अधिकार भारत सरकार से प्रत्यायोजित किये गये हैंः–

(क) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत निम्न श्रेणियों के कार्यों में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लिये 05 हेक्टेयर से कम वन भूमि व्यपवर्तन की स्वीकृति के अधिकार राज्य शासन को प्रदत्त किये हैंः–

1. शाला भवन
2. अस्पताल
3. विद्युत लाईन एवं संचार लाईन (ओएफसी सहित)
4. पेयजल (भूमिगत व्यवस्था सहित)
5. वाटर या रेन हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर
6. लघु सिंचाई नहरें
7. ऊर्जा के गै़र पारंपरिक स्त्रोत
8. कौशल उन्नयन हेतु प्रशिक्षण केन्द्र
9. विद्युत सब–स्टेशन
10. संचार पोस्ट एवं मोबाइल टॉवर
11. सड़क का निर्माण
12. पुलिस स्थापना

(ख) भारत सरकार द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अंतर्गत निम्न श्रेणियों के कार्यों में 01 हेक्टेयर तक वन भूमि जिसमें 75 वृक्ष प्रति हेक्टेयर होने के स्थिति में व्यपवर्तन की स्वीकृति संबंधित क्षत्रीय वनमण्डलाधिकारी को प्रदत्त किये हैः–

1. विद्यालय
2. औषधालय
3. आंगनबाड़ी
4. उचित कीमत की दूकानें
5. विद्युत और दूरसंचार लाईनें
6. टंकियां और अन्य लघु जलाशय
7. पेयजल की आपूर्ति और जल पाईप लाईनें
8. जल या वर्षा जल संचयन संरचनाएं
9. लघु सिंचाई नहरें
10. अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत
11. कौशल उन्नयन या व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र
12. सड़कें
13. सामुदायिक केन्द्र

वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम 1980 संशोधित (2023) लागू होने के पश्चात् स्वीकृत प्रकरणों का विवरण तालिका क्रमांक–1.19 में दर्शित हैः–

तालिका क्रमांक–1.19

क्र.	वर्ष	स्वीकृत प्रकरण	स्वीकृत वनक्षेत्र का रकबा (हे.में.)
1	2016	22	975.196
2	2017	19	3264.388
3	2018	49	6768.574
4	2019	29	1699.997
5	2020	56	5762.816
6	2021	82	4080.2
7	2022	40	1334.345
8	2023	62	8345.417
9	2024	76	3576.15
10	2025 (30 नवम्बर 2025 की स्थिति में)	136	4970.906

म.प्र. शासन वन विभाग के ज्ञापन दिनांक 17.05.2005 द्वारा वनमण्डलाधिकारी को वनक्षेत्रों के गुजर रहे 25.10.1980 के पूर्व के कच्चे मार्गो के उन्नयन हेतु सशर्त अनुमति जारी करने के लिये अधिकृत किया गया है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत जारी भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 19.09.2006 के परिपेक्ष्य में उक्त योजनांतर्गत सड़कों के उन्नयन हेतु अलग से पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।

1.4.11 कैम्पा

(CAMPA) (Compensatory Afforestation Management&Planning Authority)

वन (संरक्षण एवं सवंर्धन) अधिनियम,1980 (संशोधित 2023) के अंतर्गत विभिन्न विकास कार्यों के लिये वन भूमि व्यपवर्तन के प्रकरण स्वीकृत किये जाते हैं। वन भूमि व्यपवर्तन के प्रकरणों में स्वीकृति जारी करते समय भारत सरकार द्वारा विभिन्न शर्तें अधिरोपित की जाती हैं। इन शर्तों के अनुरूप आवेदक संस्थान से प्रतिपूरक रोपण (CA), आवाह क्षेत्र उपचार (CATP), वन्यजीव प्रबंधन (IWMP) तथा निवल वर्तमान मूल्य (NPV) आदि की राशि जमा कराई जाती है। इन शर्तों का मुख्य उद्देश्य वन भूमि के व्यपवर्तन से होने वाली क्षति की पूर्ति करना है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रिट याचिका (सिविल) 2002/95 टी.एन. गोदावर्मन तिरूमलपाद बनाम भारत संघ और अन्य मे तारीख 30 अक्टूबर 2002 के अपने आदेश मे यह मत व्यक्त किया कि प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि का सृजन किया जाये। वर्ष 2006 मे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के तारतम्य मे एक तदर्थ प्राधिकरण का गठन किया गया तथा वर्ष 2009 मे मार्गदर्शक सिद्धांत बनाये गये। प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि का प्रबंधन मार्गदर्शक सिद्धांत के अनुसार 2017–18 तक किया जाता रहा है।

इसी क्रम मे प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि के प्रबंधन हेतु दिनांक 03.08.2016 को प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि अधिनियम, 2016 तथा दिनांक 10.08.2018 को प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि नियम, 2018 भारत सरकार के राजपत्र में अधिसूचित किया गया। प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि अधिनियम 2016 (2016 का 38) की धारा 10 की उपधारा (1) के तहत 30 सितम्बर 2018 को मध्यप्रदेश राज्य प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (कैम्पा) के नाम से राज्य प्राधिकरण का गठन किया है। मध्यप्रदेश शासन ने 17 अक्टूबर 2018 को मध्यप्रदेश के लोक लेखा के ब्याज अर्जित करने वाले खण्ड के अंतर्गत मुख्य शीर्ष ''8121 साधारण एवं अन्य आरक्षित निधियां'' के नीचे एक विशिष्ट लघु शीर्ष 129–मध्यप्रदेश प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि का गठन किया है।

प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि अधिनियम, 2016 मे निहित प्रावधानों के अनुसार राज्य प्राधिकरण के निधि के प्रबंधन और योजना बनाये जाने हेतु त्रिस्तरीय समितियों के गठन के निर्देश हैं।

माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में	–	शासी निकाय
मुख्य सचिव मध्यप्रदेश शासन की अध्यक्षता में	–	राज्य स्तरीय संचालन समिति
प्रधान मुख्य वन संरक्षक मध्यप्रदेश की अध्यक्षता में	–	राज्य कार्यकारिणी समिति

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक/एफ 19–42 /2018/01/4 दिनांक 26.10.2018 से राज्य स्तरीय संचालन समिति (Steering Committee) तथा आदेश क्रमांक एफ–3–22/2018/10–2 दिनांक 25.10.2018 द्वारा कार्यकारिणी समिति (Executive Committee) का गठन किया गया है। मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक/एफ 19–52/2018/1/4 दिनांक 15.01.2019 से शासी निकाय (Governing Body) का गठन किया गया है।

उक्त समितियों के गठन के पश्चात् अभी तक शासी निकाय की एक, संचालन समिति की ग्यारह तथा कार्यकारिणी समिति की 14 वी बैठक आयोजित की गई हैं।

प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि नियम 2018 में राज्य प्राधिकरण के निधि (कैम्पा निधि) के एन.पी.व्ही. तथा ब्याज की राशि के उपयोग के संबंध में मुख्य बिंदु निम्नानुसार हैंः–

- एन.पी.व्ही. की 80 प्रतिशत राशि वन एवं वन्यजीव प्रबंधन पर व्यय
- एन.पी.व्ही. की 20 प्रतिशत राशि वन और वन्यजीव संबंधी अद्योसंरचना को सुदृढ़ करने, क्षमता निर्माण आदि पर व्यय
- वन विभाग के केवल वन रेंज अधिकारियों तक के अधिकारी के आवास एवं कार्यालयीन भवनों का निर्माण तथा वाहन क्रय
- वाहन क्रय, चिड़िया घर एवं वन्यजीव सफारी की स्थापना/उन्नयन पर प्रतिबंध
- ब्याज की 60 प्रतिशत तक की राशि से क्षतिपूर्ति रोपण/दाण्डिक प्रतिपूर्ति वनीकरण/वन्यजीव प्रबंधन के मूल्य वृद्धि, वन एवं वन्यजीव प्रबंधन से संबंधित कार्य का संपादन
- ब्याज की 40 प्रतिशत तक की राशि से राज्य प्राधिकरण के गैर अनावर्ती और आवर्ती व्यय

प्रत्येक वर्ष प्रस्तावित क्षतिपूर्ति रोपण, आवाह क्षेत्र उपचार, वन्यजीव प्रबंधन तथा एन.पी.व्ही. से संबंधित विभिन्न प्रस्तावित कार्यों को सम्मिलित करते हुये वार्षिक कार्य आयोजना (ए.पी.ओ.) तैयार किया जाता है। इस ए.पी.ओ. को राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा परीक्षण कर राज्य स्तरीय संचालन समिति को अनुमोदन हेतु प्रेषित किया जाता है। राज्य स्तरीय संचालन समिति द्वारा इस ए.पी.ओ. के आवश्यक परीक्षण पश्चात् अनुशंसा सहित भारत सरकार को प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि नियम 2018 के प्रावधानो के अनुसार स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जाता है। भारत सरकार द्वारा प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि नियम, 2018 के अनुसार ए.पी.ओ. को स्वीकृत किया जाता है।

वित्तीय प्रगति – वनीकरण के अतिरिक्त कैम्पा निधि से वन्यजीव क्षेत्रों के रहवास विकास, वनों के संरक्षण, अद्योसंरचना विकास एवं जलग्रहण क्षेत्र उपचार आदि कार्य किये गये है। वित्तीय वर्ष 2021–22, वर्ष 2022–23, वर्ष 2023–24 एवं वर्ष 2024–25 की वित्तीय प्रगति निम्नानुसार है–

(अ) वित्तीय वर्ष 2021–22 – वित्तीय वर्ष 2021–22 में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित ए.पी.ओ. के अनुसार किये गये कार्यों मे उपयोग मे ली गई राशि का विवरण तालिका क्रमांक–1.20 में दर्शित है:–

तालिका क्रमांक–1.20

(राशि करोड़ों में)

क्रमांक	शीर्ष	वर्ष 2021-22 में स्वीकृत राशि	व्यय राशि (31 मार्च 2022 की स्थिति मे)
1	2	3	4
1	क्षतिपूर्ति (प्रतिपूरक) वृक्षारोपण -9664	138.19	98.39
2	जलग्रहण उपचार क्षेत्र-9665	5.66	6.3
3	वन्यजीव प्रबंधन-9666	0.00	0.00
4	शुद्ध वर्तमान मूल्य-9667	542.8	445.28
5	अन्य	0.00	0.00
6	ब्याज की राशि-9668	26.81	11.12
	योग	713.46	561.09

(ब) वित्तीय वर्ष 2022–23 – वित्तीय वर्ष 2022–23 में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित ए.पी.ओ. के अनुसार किये गये कार्यों मे उपयोग मे ली गई राशि का विवरण तालिका क्रमांक–1.21 में दर्शित है :–

तालिका क्रमांक–1.21

(राशि करोड़ों में)

क्रमांक	शीर्ष	वर्ष 2022-23 में स्वीकृत राशि	व्यय राशि (31 मार्च 2023 की स्थिति मे)
1	2	3	4
1	क्षतिपूर्ति (प्रतिपूरक) वृक्षारोपण -9664	153.07	129.79
2	जलग्रहण उपचार क्षेत्र-9665	22.02	19.36
3	वन्यजीव प्रबंधन-9666	7.00	5.22
4	शुद्ध वर्तमान मूल्य-9667	639.87	569.96
5	अन्य	0.03	0.00
6	ब्याज की राशि-9668	12.88	5.03
	योग	834.89	729.38

(स) वित्तीय वर्ष 2023–24 – वित्तीय वर्ष 2023–24 में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित ए.पी.ओ. के अनुसार किये गये कार्यों मे उपयोग मे ली गई राशि का विवरण तालिका क्रमांक–1.22 में दर्शित है :–

तालिका क्रमांक–1.22

(राशि करोड़ों में)

क्रमांक	शीर्ष	वर्ष 2023-24 में स्वीकृत राशि	व्यय राशि (31 मार्च 2024 की स्थिति मे)
1	2	3	4
1	क्षतिपूर्ति (प्रतिपूरक) वृक्षारोपण -9664	117.76	110.89
2	जलग्रहण उपचार क्षेत्र-9665	25.33	22.02
3	वन्यजीव प्रबंधन-9666	8.28	7.66
4	शुद्ध वर्तमान मूल्य-9667	787.29	783.10
5	अन्य	0.04	0.00
6	ब्याज की राशि-9668	20.54	13.85
	योग	959.24	937.52

(द) वित्तीय वर्ष 2024–25 – वित्तीय वर्ष 2024–25 में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित ए.पी.ओ. के अनुसार किये गये कार्यों मे उपयोग मे ली गई राशि का विवरण तालिका क्रमांक–1.23 में दर्शित है :–

तालिका क्रमांक–1.23

(राशि करोड़ों में)

क्रमांक	शीर्ष	वर्ष 2024-25 में स्वीकृत राशि	व्यय राशि (31 मार्च 2025 की स्थिति मे)
1	2	3	4
1	क्षतिपूर्ति (प्रतिपूरक) वृक्षारोपण -9664	158.2	140.89
2	जलग्रहण उपचार क्षेत्र-9665	46.19	40.32
3	वन्यजीव प्रबंधन-9666	38.33	13.14
4	शुद्ध वर्तमान मूल्य-9667	1137.63	1047.85
5	अन्य	0.02	0.00
6	ब्याज की राशि-9668	10.22	3.47
	योग	1390.59	1245.67

((इ) वित्तीय वर्ष 2025–26 – वित्तीय वर्ष 2024–25 में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित ए.पी.ओ. के अनुसार किये गये कार्यों मे उपयोग मे ली गई राशि का विवरण तालिका क्रमांक–1.24 में दर्शित हैः–

तालिका क्रमांक–1.24

(राशि करोड़ों में)

क्रमांक	शीर्ष	वर्ष 2025-26 में स्वीकृत राशि	व्यय राशि (31 दिसम्बर 2025 की स्थिति मे)
1	2	3	4
1	क्षतिपूर्ति (प्रतिपूरक) वृक्षारोपण -9664	306.75	161.01
2	जलग्रहण उपचार क्षेत्र-9665	32.92	22.86
3	वन्यजीव प्रबंधन-9666	37.27	16.29
4	शुद्ध वर्तमान मूल्य-9667	1052.02	801.28
5	अन्य	0.02	0.00
6	ब्याज की राशि-9668	14.97	4.43
	योग	1445.95	1005.87

विगत वित्तीय वर्ष 2025–26 में कैम्पा अतर्गत किये गये उल्लेखनीय कार्य निम्न है :–

- क्षतिपूर्ति वनीकरण अंतर्गत कुल 8706.11 हे. रकबे मे क्षेत्र तैयारी कार्य तथा 4466.30 हे रकबे मे रोपण कार्य एवं 31062.33 हे. में रखरखाव कार्य किया गया हैं, उक्त कार्यो हेतु कुल राशि 161.01 करोड़ उपयोग की गयी हैं।
- जलग्रहण क्षेत्र उपचार अंतर्गत पौधारोपण, बोल्डर चेक डैम, परकोलेशन टैंक, तालाब, गैबियन संरचनाएं, समोच्च खंती, समोच्च बंध और घास के मैदान विकसित करने जैसी विभिन्न गतिविधियां शामिल हैं। 24 सिंचाई परियोजनाओं अंतर्गत दमोह, बुरहानपुर, अशोकनगर, शिवपुरी, छतरपुर, कान्हा टाइगर रिजर्व मण्डला, पश्चिम मण्डला, डिण्डोरी, जबलपुर, दक्षिण सागर, उत्तर सागर, विदिशा, टीकमगढ़, उत्तर पन्ना, पन्ना टाइगर रिजर्व, दक्षिण बालाघाट, दक्षिण सिवनी, धार, सेंधवा, रतलाम, ग्वालियर एवं इन्दौर में 76551 हे वन भूमि में जलग्रहण क्षेत्र उपचार का कार्य किया गया हैं जिसमें कुल राशि 22.86 करोड़ उपयोग की गयी है।
- एन.पी.व्ही. (NPV) मद अंतर्गत पौधारोपण हेतु कुल 26092 हे. रकबे मे क्षेत्र तैयारी कार्य तथा 44655 हे रकबे मे रोपण कार्य एवं 183001 हे. में रखरखाव कार्य किया गया हैं। उक्त कार्यो हेतु कुल राशि 801.28 करोड़ उपयोग की गयी हैं।
- कैम्पा अंतर्गत वर्ष 2025–26 में कुल 3,26,49,130 पौधों का रोपण किया गया हैं।
- नदियों के पुर्नजीवन कार्यो के अंतर्गत नर्मदा/यमुना/गोदावरी नदी के जल ग्रहण क्षेत्र उपचार हेतु राशि रूपये 7.00 करोड़ से जल एवं मृदा संरक्षण संबंधी विविध कार्य संपादित किये जा रहे हैं।
- अग्रिम पंक्ति के अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु वनरक्षक आवास/परिक्षेत्र सहायक आवास/परिक्षेत्र कार्यालय–200 भवन, कुल राशि रूपये 37.32 करोड़ से निर्माण कार्य किये जा रहे हैं।
- इस वर्ष रोपण अंतर्गत कुछ विशिष्ट प्रजातियों जैसे सलई, गुग्गल एवं अंजन का भी रोपण किया जा रहा हैं।
- भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (राष्ट्रीय कैम्पा) की 35वी कार्यकारिणी समिति द्वारा ए.पी.ओ. वर्ष 2025–26 में एन.पी.व्ही. अन्तर्गत नेटवर्किंग कार्य के लिये 26 जिलों को विडियों कान्फेसिंग यूनिट क्रय हेतु राशि रूपये 39.00 लाख आवंटित किया गया।

अविरल निर्मल नर्मदा योजना अंतर्गत नर्मदा नदी के 10 कि.मी. की परिधी में आने वाले 12 वन मण्डलों (रायसेन, सीहोर, अलीराजपुर, धार, जबलपुर, पूर्व मण्डला, डिण्डौरी, पश्चिम मण्डला, हरदा, खरगौन, बड़वानी, बड़वाह, उत्तर सिवनी, नरसिंहपुर, दमोह एवं दुर्गावती टाईगर रिजर्व) में 5650 हेक्टेयर क्षेत्र में रोपण हेतु क्षेत्र तैयारी तथा भू–जल संबंधी कार्य किया जा रहा हैं एवं वर्ष 2026 की वर्षा ऋतु में अविरल निर्मल नर्मदा योजना अंतर्गत लगभग 28 लाख पौधे लगाये जाने का लक्ष्य हैं।

तालिका क्रमांक–1.25

प्राधिकरण(कैम्पा) के अंतर्गत वृक्षारोपण हेतु क्षेत्र तैयारी

(रकबा हेक्टेयर में)

क्रमांक	वर्ष	क्षतिपूर्ति मद	एन.पी.व्ही. मद	योग
1	2	3	4	6
1	2018-19	1907.85	0.00	1907.85
2	2019-20	5104.86	13470.76	18575.62
3	2020-21	4493.98	16526.02	21020.00
4	2021-22	2192.00	9422.00	11614.00
5	2022-23	5246.93	30099.71	35346.64
6	2023-24	1077.90	43164.23	44242.13
7	2024-25	4466.30	41952	46418.3
8	2025-26	8706.00	26092	34798
योग		33195.82	180726.72	213922.54

राज्य प्राधिकरण की गतिविधियों के छायाचित्र

वृक्षारोपण

भारत माला परियोजना अंतर्गत झाबुआ एवं रतलाम जिले के 8 लेन राजमार्ग क्रमांक 221, रकबा :–13 हे वृक्षारोपण वर्ष–2025 , झाबुआ

बिगड़े वनों का सुधार ,कक्ष क्र–पी.एफ. 760 रकबा 60 हे. रोपण वर्ष–2024, औबेदुल्लागंज

वृक्षारोपण एवं वर्मी कम्पोस्ट डालने का कार्य, कक्ष क्र. 230, रकबाः–30 हे वृक्षारोपण वर्ष–2025, झाबुआ

चोरल फील्ड फाइरिंग के बदले क्षतिपूर्ति वनीकरण मानपुरा परिक्षेत्र, कक्ष क्र. 34 रकबा :–120 हे वृक्षारोपण वर्ष–2025, इन्दौर

क्षर्तिपूर्ति वनीकरण (CA) वृक्षारोपण

राख बांध वृक्षारोपण, रोपण वर्ष–2024–25, कक्ष क्र.–पी. 490, वनमण्डल–उत्तर बैतूल

मिश्रित वृक्षारोपण, रखरखाव वर्ष–2024–25, कक्ष क्र.–पी. 29, रकबा–50 हे,वनमण्डल–अलीराजपुर

अधोसंरचना विकास के कार्य

पौधा विक्रय केन्द्र, रोपणी –पथरीयाबररोल, दक्षिण सागर वर्ष 2024–25

वनरक्षक निवास, वर्ष 2024–25, वनमण्डल–इन्दौर

परिक्षेत्र कार्यालय, वर्ष 2024–25, परक्षित्र मण्डला, वनमण्डल–पश्चिम मण्डला

अधोसंरचना विकास के कार्य

वनरक्षक नाका, वर्ष–2024–25,कुरई, पेंच टा.रि. सिवनी

रोपणी कार्य

50 पक्के बेड, किशनपुर रोपणी, वर्ष–2024–25, वनमण्डल–इन्दौर

बडगोंदा रोपणी, वर्ष–2024–25, वनमण्डल– इन्दौर

जयन्तीकुंज रोपणी, वर्ष–2024–25 सामाजिक वानिकी वृत्त रीवा

यमुना नदी पुर्नजीवन योजना

बीट केथलहा, कक्ष क्र–63 वर्ष 2024–25, वनमंडल–मंदसौर

पिच पान्ड,कक्ष क्र.–पी–182, रकबा–100 हे. वर्ष–2024–25

जल ग्रहण उपचार क्षेत्र (ब।ज्च)

गेबियन संरचना, परिक्षेत्र–कुंडम वर्ष 2024–25

बोल्डर चेक डेम, परिक्षेत्र–पनागर वर्ष 2024–25

संकन पोंडए परिक्षेत्र– कुंडम वर्ष 2023–24

बोल्डर चेक डेम, परिक्षेत्र–पनागर वर्ष 2024–25

आस्थामूलक कार्य

सोलर स्ट्रीट लाईट (किशनपुरा रोपणी)
वर्ष 2024–25, वनमण्डल–इन्दौर

विघुत व्यवस्था भैरूघाट रोपणी वर्ष
2024–25, वनमण्डल–इन्दौर

वन्यजीव संरक्षण

चारागाह विकास वर्ष 2204–25, वनमण्डल–सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, नर्मदापुरम

चीतल पुर्नवास, वर्ष 2024–25, वनमण्डल–कान्हा टा.रि. मण्डला

लेंटाना उन्मूलन, वर्ष 2024–25, वनमण्डल–पन्ना टाइगर रिजर्व

अनुभूति कार्यक्रम

सहजागरूकता, वर्ष –2025, वन विहार, भोपाल

1.4.12 सूचना प्रौद्योगिकी

सूचना प्रौद्योगिकी तकनीको का उपयोग विभागीय कार्यों में गतिशीलता लाने हेतु किया जा रहा है जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

1. जी.आई.एस. (भौगोलिक सूचना प्रणाली)

सूचना प्रौद्योगिकी शाखा में जी.आई.एस. तकनीक का प्रयोग वन क्षेत्रों के नक्शों के निर्माण एवं संधारण के लिये किया जाता है।

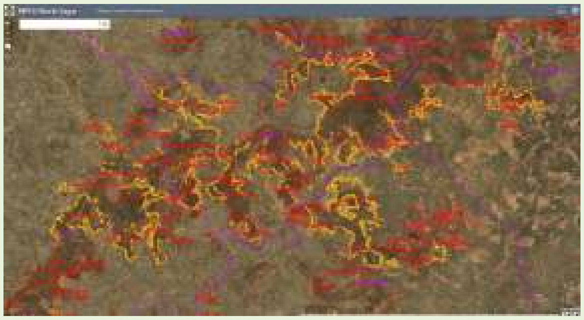

(i) वन खण्डों के मानचित्रों का डिजिटाईजेशन

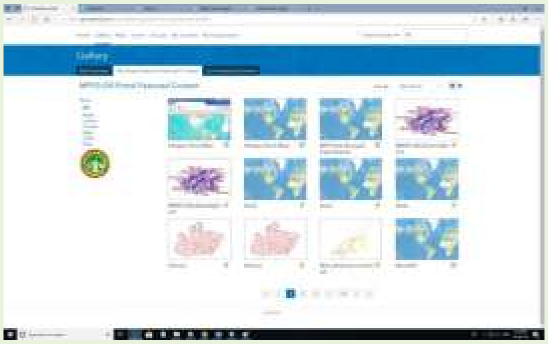

वनखण्डों के मूल मानचित्रों एवं राजस्व विभाग के खसरेवार उपलब्ध जी.आई.एस. डेटा का उपयोग कर नक्शे तैयार किये गये है। 64 वनमण्डल में से 40 के परिष्कृत मानचित्र तैयार किये गये हैं एवं कार्य आयोजना में समायोजन किया जा चुका है एवं 23 वनमण्डलों के वनक्षेत्रों के मानचित्रों का सुधार कार्य प्रगति पर है जिसे शीघ्र पूर्ण किया जायेगा।

विभाग द्वारा मानचित्रों की गुणवत्ता एवं पारदर्शिता के लिये जी.आई.एस. पोर्टल का उपयोग किया जा रहा है एवं समस्त मानचित्र वेब मैप के माध्यम से वनमंडलों एवं कार्य आयोजना इकाईयों ऑनलाईन प्रदान किया जा रहा है। मैप आई.टी. के माध्यम से अन्य शासकीय संस्थाओं को भी डेटा प्रदाय किया जा रहा है।

(ii) नक्शों की गुणवत्ता का सुधार

नक्शो की गुणवत्ता सुधार के लिये मोबाईल जी.आई.एस. का भी उपयोग किया जा रहा है, इसके अंतर्गत 2 मोबाईल ऐप विभाग द्वारा संचालित हैं Survey 123 एवं Collector for ArcGIS ये दोनों एप विभागीय पोर्टल से संचालित होती हैं एवं डेटा रियल टाईम में पोर्टल पर उपलब्ध हो जाता है जो वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा पोर्टल पर ऑन–लाईन देखा जा सकता है। इस कार्य हेतु विभागीय क्षेत्रीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को Login ID एवं Password प्रदाय किये गये हैं।

(iii) सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा कार्य आयोजना तथा प्रबंधन हेतु मानचित्रों का सृजन

विभिन्न कार्य आयोजनाओं के निर्माण, तथा वन मंडलों के सुचारू प्रबंधन हेतु सूचना प्रौद्योगिकी शाखा के द्वारा अनेक मानचित्रों को यूनिफाईड तरीके से बनाकर उन्हें एटलस के रूप में सभी कार्य आयोजना अधिकारियों, मुख्य वन संरक्षकों तथा वन मंडलाधिकारियों को एकल लॉगिन द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है। इनमे से कुछ एटलस निम्नानुसार है–

(iv) फायर एटलस–

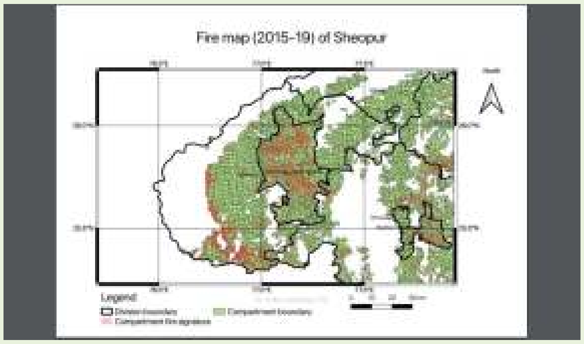

मध्यप्रदेश में कार्य आयोजनाओं में फायर नक्शा डालना वन अग्नि प्रबंधन हेतु आवश्यक है। इस हेतु वन के मानचित्रों को ग्रिड में बांट जाता है तथा विगत 05 वर्षो की वन अग्नि की घटनाओं को दर्शाया जाता है, जिससे उन क्षेत्रों को जिनमें कम या अधिक अग्नि के प्रकरण हो रहे है, अलग अलग पहचाना जा सके। इस प्रक्रिया में प्रायः क्षेत्रीय अमले से जानकारी एकत्रित कर उसका डिजिटाईजेशन तथा मानचित्रि करण किया जाता है, जिसमें अधिक समय लगाने के साथ–साथ त्रृटियों की संभावना रहती है।

इन कमियों पर काबू पाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी शाखा द्वारा प्रदेश के सभी वन मंडलों के फायर नक्शों को निर्माण, सेटलाईट डेटा के उपयोग से किया गया है, जिसे *http:// intranet. mpforest.gov.in/ Publicdomain/ atlas/ FireAtlas.pdf* पर उपलब्ध कराया गया है। इसमें वे कम्पाटमेंट, जिनमे पिछले 05 वर्षों में कोई वन अग्नि की घटना नही हुई है, को हरे रंग से दर्शार्या गया है तथा वन अग्नि की घटनाओं वाले क्षेत्रों को अधिकाधिक लाल रंग से दर्शार्या गया है।

(v) कंटूर मानचित्रों का एटलस

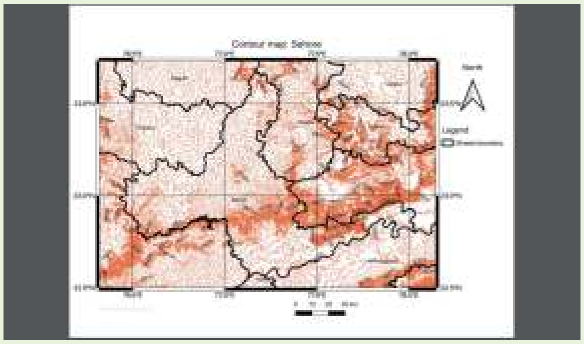

कंटूर मानचित्रों से विभिन्न क्षेत्रों के सतह तथा ढलान का पता चलता है, जिससे क्षेत्रों के पहुँच मार्ग तथा सिल्वीकल्चरली सूटेबल प्लांटेशन प्रजातियों के बारे में जानकारी मिलती है। अतः प्रबंधन योजना में कंटूर मानचित्रों को सम्मिलित किया जाता है।

सूचना प्रौद्योगिकी शाखा द्वारा सैटेलाईट राडार की आधुनिक तकनीकों का उपयोग कर सभी वनमंडलों के कंटूर मानचित्रों का सृजन कर *http://intranet.mpforest.gov.in/Public domain/atlas/ Atlas_contour.pdf* पर उपलब्ध कराया गया है।

(vi) हिलशेड मानचित्रों का एटलस

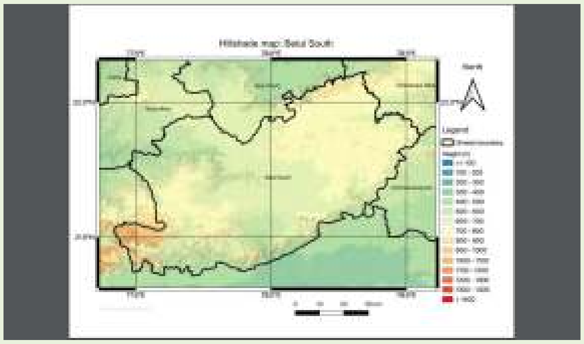

हिलशेड मानचित्र ऊचाई मानचित्रों में थ्रीडी डेटा सम्मिलित कर बनाए जाते है, जिससे विभिन्न क्षेत्रों की सतह के बारे में त्वरित जानकारी मिलती है।

सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा सैटेलाईट राडार की आधुनिक तकनीकों का उपयोग कर सभी वनमंडलों के हिलशेड मानचित्रों का सृजन कर *http://intranet.mpforest.gov.in/ Publicdomain/ atlas/Atlas_ hillshade.pdf* पर उपलब्ध कराया गया है।

(vii)विभिन्न संरक्षित क्षेत्रों तथा वन मंडलों के थ्री डी मानचित्र

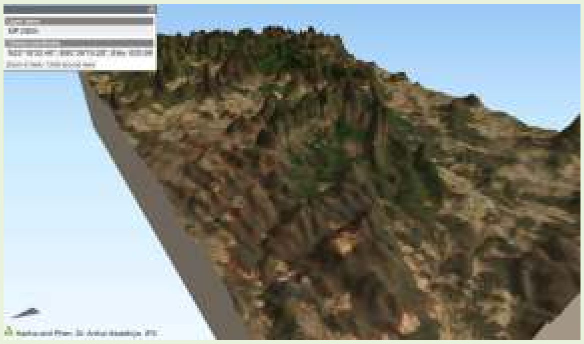

वनों के भीतर विभिन्न वानिकी गतिविधियों के लिए क्षेत्र चयन हेतु सूचना प्रौद्योगिकी शाखा द्वारा डिजिटल एलीवेशन माडल की आधुनिक तकनीक के उपयोग से विभिन्न संरक्षित क्षेत्रों तथा वन मंडलों के थ्री डी मानचित्रों /decision support system का निर्माण कर *http://intranet. mpforest. gov.in/ Public domain/atlas/index.html* पर उपलब्ध कराया गया है।

वर्तमान में शाखा द्वारा परिष्कृत की गई एवं शासन द्वारा स्वीकृत कुल 40 कार्य आयोजना के डाटा का उपयोग कर सूचना प्रौद्योगिकी की GIS Wing द्वारा निम्न प्रकार की GIS Applications का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी सहायता से क्षेत्रीय स्तर पर अधिकारी एवं कर्मचारी GIS संबधित समस्त कार्यों को सुलभता से कर सकेगें। इस तारतम्य में उमरिया वनमंडल को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में तैयार कर दिया गया है एवं शेष 39 वनमंडलों पर कार्य किया जा रहा है। निर्माण की गई समस्त GIS Applications के Mobile एवं Desktop Version उपलब्ध है।

(viii)Administrative Boundaries Web App – (GIS Web Map Application)

उक्त GIS Application का उपयोग कर वरिष्ठ अधिकारी से लेकर मैदानी कर्मचारी तक सभी वनमंडल की Administrative Boundaries को आसानी से देख सकते है। Administrative Boundaries में यदि त्रुटि परिलक्षित होती है तो उसे चिन्हित कर सूचना प्रौद्योगिकी शाखा को अवगत कराया जा सकता है। जिससे उक्त त्रुटि को सुधार कर आगामी कार्य आयोजना में सम्मिलित किया जा सके। साथ ही मोबाईल वर्जन का उपयोग कर मैदानी स्तर पर उपयोगकर्त्ता अपनी GPS Location को मैप पर देख सकेगा। उपयोगकर्त्ता स्वंय की Location अथवा किसी भी दो Location के बीच की दूरी का measurement आसानी से कर सकता है। उपलब्ध टूल से वन राजस्व सीमा विवाद (Forest & Revenue boundary dispute) को हल किया जा सकता है। एप्लीकेशन के माध्यम से चिन्हित क्षेत्र का एरिया प्राप्त कर आसानी से प्रिंट तैयार किया जा सकता है।

(ix) Encroachment & FRA Web App -

उक्त GIS Web Map Application के माध्यम से वनमंडल के समस्त Encroachment एवं FRA को मैप पर देखा जा सकता है तथा संबंधित व्यक्ति की जानकारी भी प्राप्त की जा सकती है। फिल्ड द्वारा सर्वे किये गये Encroachment को upload करने के उपरांत त्वरित ही वरिष्ठ अधिकारी/कर्मचारी Web App पर देख सकते है एवं उपरोक्त संबंध में निर्णय ले सकते है।

(x) Assets Survey Application (Mobile based)

Survey123 & ArcGIS Field Maps दो Mobile based Applications द्वारा संपूर्ण वनमंडल के Assets Survey किया जा सकता है। उक्त एप्लीकेशन IOS & Android दोनो Operating System के मोबाईल के लिए उपलब्ध है। Assets Survey से प्राप्त डाटा को आसानी से किसी भी GIS based Web Map Application में उपयोग किया जा सकता है।

(xi) Catchment Web App -

Catchment GIS Web Map Application के माध्यम से वनमंडल की समस्त Waterbodies एवं Catchment Area को मैप पर देखा जा सकता है एवं इस App की सहायता से कक्षवार जल आपूर्ति को देख कर आसानी से contour trenches के निर्माण की सटीक स्थिति को मार्क किया जा सकता है। Catchment Web App में 3D Web map फिचर्स को सम्मिलित करने पर Catchment Area में जल संग्रहण की क्षमता का विश्लेषण भी किया जा सकता है। उक्त Web App वन क्षेत्र में किये जा रहे Project की planning में सहायक सिद्ध होगा।

(xii) Grid Web App (Coupe Demarcation Web Map Application) -

Grid Web App के माध्यम से वनमंडल के वन क्षेत्र हेतु different time intervals की Grid को तैयार किया जा रहा है जिसे planning में उपयोग किया जा सकेगा। साथ ही Coupe Demarcation में उपयोग होने वाली Grid इस Web App के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है।

(xiii) Forest Mining Web App -

Mobile based Survey 123 & ArcGIS Field Maps के माध्यम से वन क्षेत्र में स्वीकृत Mining के सर्वेक्षित डाटा को Forest Mining WebApp के माध्यम से देखा जावेगा।

(xiv) Nursery & Depot Web App -

उपयोगकर्त्ता इस एप्लीकेशन के माध्यम से Nursery & Depot की location को उनके live Stock की जानकारी, दूरी एवं पहुंच सुलभ मार्गो के साथ आसानी से देख सकता है।

(xv) Working Plan Web App -

इस एप्लीकेशन के माध्यम से शासन से स्वीकृत कार्य आयोजनाओं को GIS Portal पर विभागीय Symbology के अनुरूप प्रदर्शित किया गया है। उक्त Web App के माध्यम से कार्य आयोजना में प्रयुक्त समस्त Layers को on/off mode में देखा जा सकता है। एकल लॉगिन पर उपलब्ध वर्किंग प्लान लाईब्रेरी एप्लीकेशन में सभी वर्किंग प्लान की डिजिटल मेन्युअल उपलब्ध है।

2. रिमोट सेंसिंग

मध्यप्रदेश के वनों की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु सूचना प्रौद्योगिकी शाखा द्वारा वन आवरण एवं वन घनत्व में होने वाले परिवर्तन एवं वनों की प्रजाति तथा वनों के प्रकार का विश्लेषण किया जा रहा है। उक्त विश्लेषण हेतु NRSC हैदराबाद से प्राप्त की गई Medium Resolution सेटेलाईट इमेजरी LISS-IV (5.8 Meter) का उपयोग कर NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) के माध्यम से Change Detection कर रिपोर्ट तैयार की गई है। NDWI (Normalized Difference Water Index) के माध्यम से Water masking कर Water Bodies का विश्लेषण भी किया गया है। विभिन्न वनमंडलों की आवश्यकतानुसार Slope Map तैयार कर उनकी कार्य आयोजना हेतु प्रेषित किए गए है। संपूर्ण मध्यप्रदेश हेतु अद्यतन प्री एवं पोस्ट मानसून मीडियम रिज्योल्यूशन सेटेलाईट इमेजरी प्रोसेस कर तैयार की गई है।

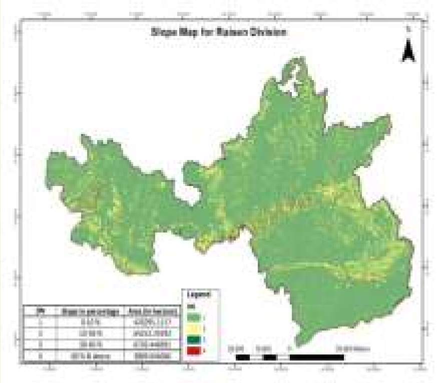

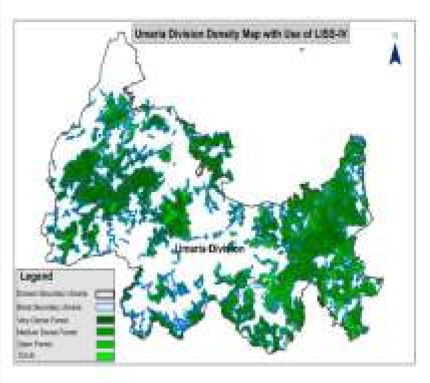

(i) जल स्त्रोत्रों के मानचित्र का एटलस

मध्यप्रदेश देश का टाईगर स्टेट है तथा हमारे वन विविध प्रकार के जीव–जन्तुओं से परिपूर्ण है। ग्रीष्म ऋतु में जानवरों के लिए पीने के पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करना वन्य जीव प्रबंधन के लिए आवश्यक रहता है, जिसके लिए सतही जल स्त्रोत्रों की पहचान कर उनको सूचीबद्ध कर प्रबंधन योजना में सम्मिलित किया जाता है।

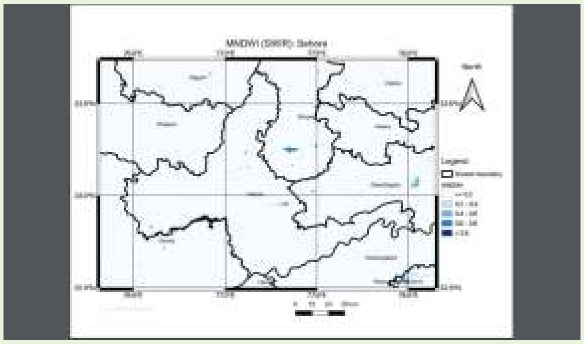

सूचना प्रौद्योगिकी शाखा द्वारा मध्यप्रदेश के समस्त वन मंडलों के सतही जल स्त्रोत्रों का मानचित्रिकरण कर उन्हें http://intranet.mpforest.gov.in/Publicdomain/atlas/Atlas_MNDWI.pdf पर उपलब्ध कराया गया है। इन मानचित्रों को ग्रीष्म ऋतु के सैटेलाईट रिमोट सेंसिग डेटा के उपयोग से बनाया गया है।

(ii) वन आवरण के मानचित्र का एटलस

मध्यप्रदेश वन विभाग के समस्त वनमण्डलों का वनमण्डलवार वन आवरण मानचित्र एटलस सेटेलाईट इमेजरी की सहायता से तैयार किया गया है। इस हेतु लैंडसैट सेटेलाईट इमेजरी में उपस्थित NIR Band का उपयोग करते हुये NDVI (Normalized Diffenerce Vegetation Index) के माध्यम से तैयार किया गया है। यह वनमण्डलवार मानचित्र https://mpforest.gov.in/Publicdomain/ atlas/Atlas_ NDVI.pdf पर उपलब्ध कराया गया है।

(iii) True Color Composite के मानचित्र का एटलस

मध्यप्रदेश के समस्त वनमण्डलों को Visualization हेतु सेटेलाईट इमेजरी विश्लेषण कर True Color Composite मानचित्र एटलस के रूप में तैयार किया गया है। जो https://mpforest.gov.in/Publicdomain/atlas/Atlas_TCC.pdf पर उपलब्ध कराया गया है। इसमें मल्टीस्पेक्ट्रल इमेज का उपयोग करते हुए मानचित्र तैयार किया गया है।

3. विभागीय वेबसाईट का उन्नयन

विभागीय वेबसाईट में विभागीय अधिनियम, नियम, परिपत्र, अधिसूचनाएँ, दिशा–निर्देश, आदेश, नीतियाँ, न्यायालयीन प्रकरण एवं योजनाओं का संग्रहण किया गया है।

विभागीय उपयोग हेतु वन विभाग की शाखाओं, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य एवं वन विद्यालयों की जानकारी भी समाहित की गई है। इसके अतिरिक्त एकल लॉग–इन के माध्यम से विभिन्न प्रकार की एप्लीकेशनों का सार्वजनिक एवं विभागीय स्तर पर उपयोग किया जा सकता है।

सूचना का अधिकार के तहत वन विभाग की समस्त शाखाओं से जानकारी एकत्र कर विभागीय वेबसाईट पर शाखावार समाहित किया गया है। इसके अतिरिक्त वन विभाग की अधिसूचनाओं एवं कार्य आयोजनाओं को वनमण्डलवार विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किया जा रहा है। विभागीय वेबसाईट का स्टेट डेटा सेन्टर द्वारा Security Audit कराया जा रहा है।

4. भारतीय वन सेवा (भा.व.से.) म.प्र. केडर के अधिकारियों के गोपनीय प्रतिवेदन ऑनलाईन लिखने हेतु सॉफ्टवेयर स्पैरो (SPARROW) का क्रियान्वयन

भारतीय वन सेवा (भा.व.से.) म.प्र. केडर के अधिकारियों के गोपनीय प्रतिवेदन ऑनलाईन लेखन का कार्य SPARROW (Smart Performance Appraisal Report Recording Online Window) सॉफ्टवेयर के माध्यम से वर्ष 2016–2017 से प्रारम्भ किया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी शाखा द्वारा पोर्ट्ल पर अधिकारीयो की On-Boarding, Designation Updation, Contact details Updation & E-mail ID Generation/ Activation ईत्यादी कार्य किए जाते है, साथ ही पोर्ट्ल पर Online PAR जारी करने हेतु Cadre Custodian के अकाउंट का उपयोग कर प्रतिवर्ष निर्देशानुसार PAR generate किये जाते है। पोर्ट्ल पर PAR Submission (Self Apprisal/ Reporting/ Reviwing/ Accepting स्तर पर) एवं PAR Submission हेतु अधिकारियों की सहायता का कार्य सूचना प्रौद्योगिकी शाखा द्वारा निरंतर जारी है। वर्ष 2023–24 के अंतर्गत लगभग 200 अधिकारियों हेतु कुल 428 PAR Generate कराए गए है।

5. राज्य वन सेवा (ACF) म.प्र. केडर के अधिकारियों के गोपनीय प्रतिवेदन ऑनलाईन लिखने हेतु सॉफ्टवेयर स्पैरो (SPARROW) का क्रियान्वयन

राज्य वन सेवा (ACF) म.प्र. केडर के अधिकारियों के गोपनीय प्रतिवेदन ऑनलाईन लेखन का कार्य SPARROW (Smart Performance Appraisal Report Recording Online Window) सॉफ्टवेयर के माध्यम से वर्ष 2021–2022 से प्रारम्भ किया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी शाखा द्वारा पोर्ट्ल पर अधिकारीयो की On-Boarding, Designation Updation, Contact details Updation & E-mail ID Generation/ Activation ईत्यादी कार्य किए जाते है, साथ ही पोर्ट्ल पर Online PAR जारी करने हेतु Cadre Custodian के अकाउंट का उपयोग कर प्रतिवर्ष निर्देशानुसार PAR generate किये जाते है।

पोर्ट्ल पर सभी स्तर (Self appraisal, Reporting, Reviwing and Accepting level) पर PAR Submission हेतु अधिकारियों की सहायता का कार्य सूचना प्रौद्योगिकी शाखा द्वारा निरंतर जारी है। वर्ष 2023–24 के अंतर्गत लगभग 169 अधिकारियों हेतु कुल 235 PAR Generate कराए गए है। निर्धारित समयावधि में विभिन्न स्तरों पर PAR लेखन नहीं किये जाने एवं Custodian प्रशासन–1 के निर्देश अनुसार PAR को Force Forward करने का कार्य सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा ही किया जा रहा है।

6. राज्य वन सेवा (Range Officer) म.प्र. केडर के अधिकारियों के गोपनीय प्रतिवेदन ऑनलाईन लिखने हेतु सॉफ्टवेयर स्पैरो (SPARROW) का क्रियान्वयन

राज्य वन सेवा (Range Officer) म.प्र. केडर के अधिकारियों के गोपनीय प्रतिवेदन ऑनलाईन लेखन का कार्य राज्य शासन से प्राप्त निर्देशों के परिपालन में SPARROW (Smart Performance Appraisal Report Recording Online Window) सॉफ्टवेयर के माध्यम से वर्ष 2022–2023 से प्रारम्भ किया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी शाखा द्वारा पोर्ट्ल पर अधिकारीयो की PIMS Database तैयार कर On-Boarding, तथा वनपरिक्षेत्र अधिकारियों के नाम आधारित E-mail ID Generate कर समस्त को SMS के माध्यम से Username Password भेजे गये है। साथ ही पोर्ट्ल पर Online PAR जारी करने हेतु 16 वृत्त कार्यालय तथा 08 टाईगर रिजर्व/नेशनल पार्क कार्यालयों को PAR जारी करने हेतु आवश्यक प्रशिक्षण सूचना प्रौद्योगिकी शाखा द्वारा Online/Offline माध्यम से दिया गया है। Cadre Custodian के अकाउंट के माध्यम से शेष PAR जारी किये गये है, साथ ही FRO Service के गोपनीय प्रतिवदन लेखन का कार्य प्रथमतः होने के फलस्वरूप क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा गलत PAR को सुधारने का कार्य भी शाखा द्वारा किया गया है। पोर्टल पर सभी स्तर (Self apprisal, Reporting, Reviwing and Accepting level) पर PAR Submission हेतु अधिकारीयो की सहायता का कार्य सूचना प्रौद्योगिकी शाखा द्वारा की गई है। वर्ष 2023–24 के अंतर्गत लगभग 741 अधिकारियों हेतु कुल 1368 PAR Generate कराए गए है।

7. म.प्र. राज्य वन सेवा (Class II & III) स्टेनो ग्राफर तथा ड्राफ्टमेन के कर्मचारियों का गोपनीय प्रतिवेदन ऑनलाईन लिखने हेतु सॉफ्टवेयर स्पैरो (SPARROW) का क्रियान्वयन –

म.प्र. राज्य वन सेवा (Class II & III) स्टेनो ग्राफर तथा ड्राफ्टमेन केडर के कर्मचारियों के गोपनीय प्रतिवेदन ऑनलाईन लेखन का कार्य राज्य शासन से प्राप्त निर्देशों के परिपालन में SPARROW (Smart Performance Appraisal Report Recording Online Window) सॉफ्टवेयर के माध्यम से वर्ष 2023–2024 से प्रारम्भ किया जाना है। वर्तमान में प्रचलित कार्यवाही इस प्रकार है :–

- सूचना प्रौद्योगिकी शाखा द्वारा पोर्ट्ल पर अधिकारीयो की PIMS Database Draft तैयार कर मुख्यालय की प्रशासन–।। शाखा को सत्यापन हेतु प्रेषित किया गया है।
- स्थानीय एनआईसी से संपर्क साधकर उक्त दोनों सर्विस हेतु PAR फार्म में आवश्यक संशोधन करने हेतु एनआईसी को प्रशासन–।। शाखा के माध्यम से लेख किया गया है।
- एनआईसी द्वारा वर्तमान में ऑनलाईन फार्म का डेमो लिंक प्रदाय नहीं की गई है, डेमो लिंक प्राप्त होने तथा उनका सत्यापन होने के उपरांत ही फाईनल गो–अहेड दिया जा सकता है।

उक्त कार्यवाही पूर्ण होने के उपरांत दोनों सर्विस के गोपनीय प्रतिवेदन का ऑनलाईन मतांकन वर्ष 2023–24 हेतु प्रारंभ किया जा सकेगा।

8. विभागीय डाटा सेंटर

विभागीय डाटा सेंटर मे Quad Core Processor based Server (27 Nos.) एवं Storage Area Network (SAN - 02 Nos), Network Attached Storage (NAS-02 Nos.) RAID - 5 Configured स्थापित है। जी.आई.एस. एवं रिमोट सेन्सिग के क्षेत्र मे सेटेलाईट डाटा संग्रहण हेतु Storage Area Network (SAN-100TB, 63TB) एवं 8 Core Processor based Server स्थापित है। विभागीय डाटा सेंटर को NKN द्वारा प्रदाय High Speed 100 Mbps के माध्यम से जोडा गया है। डाटा की सुरक्षा हेतु आधुनिक Sonicwall Firewall तकनीक का उपयोग किया गया है। Server तथा Firewall के मध्य त्वरित गति से डाटा स्थानांतरण हेतु 1 GB के 03 नग Cisco Layer III switch लगाए गए है जिसकी सहायता से विभागीय वेबसाईट तीव्र गती से कार्य कर रही है। विभागीय डाटा सेंटर माह फरवरी 2013 से म.प्र. शासन के सूचना प्रौद्यौगिकी विभाग द्वारा निर्मित स्टेट डाटा सेंटर मे स्थापित है। जिसका प्रबंधन एवं रख–रखाव वन विभाग की सूचना प्रौद्योगिकी शाखा द्वारा वन मुख्यालय वन भवन भोपाल से किया जा रहा है। विभागीय डाटा सेन्टर में विभागीय पोर्टल के साथ–साथ ईको टूरिज्म बोर्ड, बायोडायवर्सिटी बोर्ड इत्यादि की वेबसाईट का संधारण किया जा रहा है।

9. म.प्र. शासन ई–मेल नीति :–

वन विभाग में म.प्र. शासन ई.मेल नीति 2014 के क्रियान्वयन हेतु सर्वप्रथम एनआईसी के सहयोग से शाखा द्वारा शासकीय ई.मेल का DA-Admin प्राप्त किया गया जिससे विभाग में @mp.gov.in डोमेन पर ईमेल का निर्माण किया जा सके। सर्वप्रथम शाखा द्वारा समस्त मुख्यालय/क्षेत्रीय कार्यालयों up-to range office के पद आधारित ईमेल का निर्माण किया गया। कालांतर में शाखा द्वारा विभाग की आवश्यकताओं के अनुरूप अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम आधारित ईमेल का निर्माण किया गया। जिसका उपयोग वे ऑनलाईन एप्लीकेशनों – ई.ऑफिस, गोपनीय प्रतिवेदन सॉफ्टवेयर स्पैरो, ई–ऑक्शन इत्यादि जैसी महत्वपूर्ण एप्लीकेशनों के ऑथोन्डिकेशन में किया जा रहा है। एनआईसी द्वारा ईमेल में सुरक्षा की दृष्टि से लागू किये गये कवच से क्षेत्रीय कार्यालयों को अवगत कराने का कार्य सूचना प्रौद्योगिकी शाखा द्वारा किया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी शाखा द्वारा मुख्यालय/क्षेत्रीय कार्यालयों की मांग अनुसार ईमेल डाटा में आवश्यक संशोधन किये जाने का कार्य किया जा रहा है।

10. ई–ऑफिस प्रणाली

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देशों के परिपालन में वन विभाग विभागाध्यक्ष कार्यालय भोपाल में ई–ऑफिस प्रणाली लागू करने हेतु दिनांक 27.09.2019 को माननीय वन मंत्री जी महोदय द्वारा शुभारंभ किया गया। ई–ऑफिस प्रणाली पायलेट रूप से मुख्यालय की तीन शाखाए– सूचना प्रौघोगिकी, ग्रीन इंडिया मिशन तथा संयुक्त वन प्रबंधन में दिनांक 16.09.2019 से लागू की गई। ई–ऑफिस प्रणाली लागू करने हेतु मुख्यालय की समस्त शाखाओं के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण कक्ष मे प्रशिक्षण दिया जा चुका है साथ ही लॉकडाउन के समय भी वेब बेस्ड कान्फ्रेस/विडियो कान्फ्रेस के माध्यम से समस्त शाखाओं के अधिकारियों एवं कर्मचारियों हेतु माह अप्रेल, मई 2020 में ई–ऑफिस ट्रेनिंग आयोजित की गई है।

वर्तमान मे वन मुख्यालय की समस्त शाखाओ द्वारा ई–ऑफिस पर कार्य करना प्रारम्भ किया जाना शेष है। ई–ऑफिस पर कार्य करने मे आ रही कठिनाईयों के निराकरण हेतु सूचना प्रौद्योगिकी शाखा द्वारा निरंतर सहयोग दिया जा रहा है एवं पुरानी फाईलो को स्केन करने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी शाखा द्वारा मुख्यालय की 06 (सतर्कता शिकायत, अनुसंधान एवं विस्तार, संरक्षण, उत्पादन, प्रशासन–। एवं प्रशासन–।।) शाखाओ को हाई–एन्ड स्केनर प्रदाय करने का कार्य अगस्त 2020 मे किया गया है।

11. वन विभाग में ई.–टेण्डरिंग एवं सामग्री का इलेक्ट्रॉनिक क्रय

वन विभाग में ई.–प्रोक्योरमेन्ट लागू करने हेतु मध्यप्रदेश शासन ई.–प्रीक्योरमेंट नवीन पोर्टल mptenders.gov.in द्वारा ऑनलाईन निविदा जारी करने हेतु राज्य शासन से निर्देश प्राप्त हुए हैं। नवीन पोर्टल पर टेण्डर जारी करने की प्रक्रिया को विभाग में क्रियान्वयन करने हेतु सर्वप्रथम विभाग का ऑन बोर्डिंग नवीन पोर्टल पर कराये जाने की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है। क्षेत्रीय कार्यालयों को नवीन पोर्टल संबंधी यूजर नेम तथा पासवर्ड प्रदाय किये जाकर पोर्टल के माध्यम से ई–टेण्डरिंग की प्रक्रिया प्रचलन में है। उक्त कार्यवाही के अंतर्गत विभिन्न वनमण्डलों के यूजर बनाये जा रहे है।

भारत सरकार के उपक्रम GeM (Government e-Marketing Plus) https:/gem.gov.in द्वारा क्रय हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख द्वारा मनोनित नोडल अधिकारी (प्राईमारी यूजर) के रूप में रहकर विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों की मांग अनुसार यूजर आईडी तथा पासवर्ड जनरेट किये गये। गर्वमेन्ट ई–मार्केट प्लस हेतु क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए पैमेन्ट अथॉरटी तथा बायर अथॉरटी के क्रेडेंशियल्स संबंधित अधिकारी के शासकीय ईमेल तथा आधार एवं मोबाईल नंबर के अनुरुप बनाकर मांग अनुसार ई.मेल तथा एसएमएस के माध्यम से प्रदाय किये जा रहे हैं। वर्तमान में लगभग 246 पैमेन्ट/बायर अथारटी यूजर आईडी तथा पासवर्ड जारी किये जा चुके है।

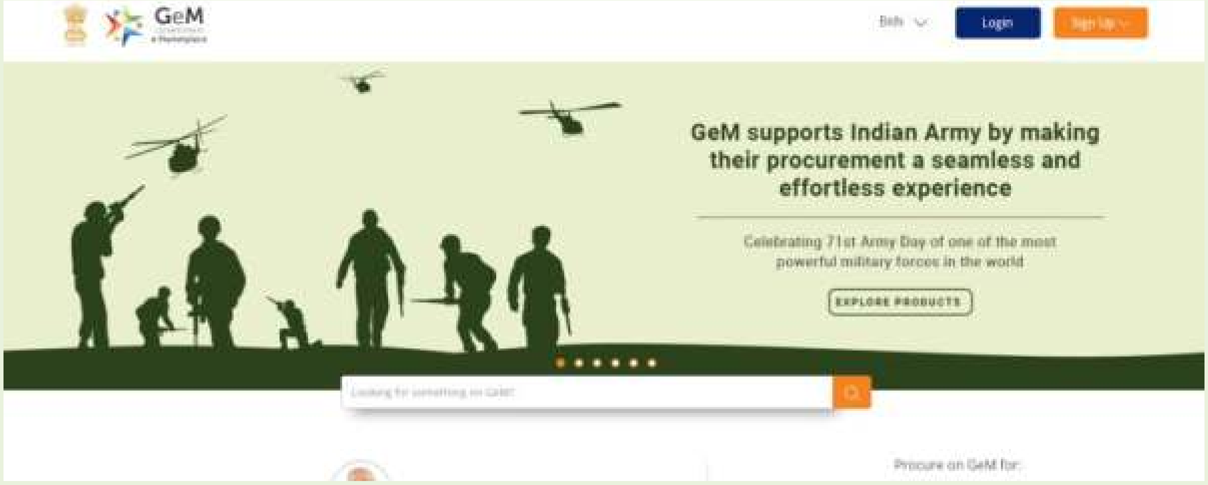

12. वीडियो कान्फ्रेंस सुविधा

भोपाल मुख्यालय सहित 16 क्षेत्रीय वृत्त कार्यालयों/64 वनमण्डलों में वीडियों कान्फ्रेंसिंग की सुविधा उपलब्ध है। इस सुविधा के माध्यम से नियमित रूप से मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा क्षेत्रीय अधिकारियों से विभिन्न महत्वपूर्ण एवं सामयिक विषयों पर चर्चा आयोजित की जाती है एवं यह सुविधा वर्तमान में भी उपयोग में लाई जा रही है साथ ही विगत दो वर्षो में कोविड.19 की स्थिति में दृष्टि में रखते हुए शासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करते हुए ऑनलाइन सॉफ्टवेयर वेब–एक्स के माध्यम से अधिकारियों के स्वयं के प्रतिकक्ष से बेव विडियों कान्फ्रेसिंग सुविधा का उपयोग किया जा रहा है, जो कि प्रतिमाह माह के द्वितीय शुक्रवार को अपर मुख्य सचिव वन की अध्यक्षता में आयोजित की जाती है।

13. विभाग के उपयोगी एप्लीकेशन

वन एवं वन्य जीव प्रबंध को प्रभावशील बनाने के लिए मुख्य रूप से निम्नानुसार सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन विकसित किये गये है :–

(I) सिम्प्लीफायर near real time fire monitoring system

सूचना प्रौद्योगिकी शाखा द्वारा नासा के सैटेलाईट से प्राप्त near real time fire डेटा को मानचित्र में अंकित करने की प्रणाली विकसित की गई है, जो सिम्प्लीफायर के नाम से *https:// mpforest.maps. arcgis.com/apps/ Embed/index.html? webmap=329f4476069d430dba3 c6a6e3d693 408&extent=72.5658,20.1545,84. 6948,27.1233&home= true&zoom=true&scale= true&search=true&searchextent=false&details= true&basemap_ toggle=true&alt_ basemap= topo&disable_scroll=false&theme=light* पर उपलब्ध कराई गई है।

इसके उपयोग से वन तथा राजस्व क्षेत्रों में लगी अग्नि के बारे में त्वरित जानकारी प्राप्त होती है जो वन अग्नि प्रबंधन हेतु उपयोगी है। जानकारी को राज्य, वृत्त, वन मंडल, रेंज, बीट, तथा कम्पार्टमेंट के लेवल पर देखा जा सकता है।

(ii) फारेस्ट फायर अलर्ट सिस्टम 3.0

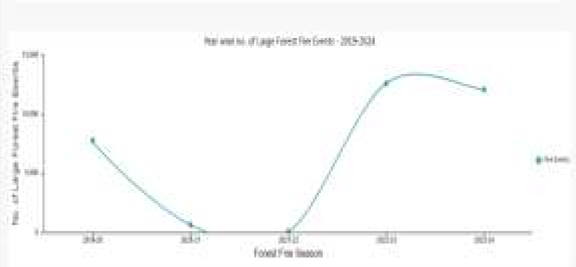

मध्यप्रदेश वन विभाग, वन समिति, क्षेत्रीय अमलें के लगभग 90 हजार उपयोगकर्ता FSI Fire Portal में पंजीकृत हो चुके है। म.प्र. वर्तमान में पंजीकृत यूजर्स की श्रेणी में देश में प्रथम स्थान पर है। फायर प्रकरणों की संख्या में विगत वर्षों की तुलना में कमी परिलक्षित हुई है। भारतीय वन सर्वेक्षण के पोर्टल फारेस्ट फायर अलर्ट सिस्टम 3.0 की सहायता से वनक्षेत्रों में लगी आग को सेटेलाईट के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर रजिस्ट्रड मोबाईल नम्बर पर एसएमएस के माध्यम से सूचना दी जाती है जिससे कि संबंधित क्षेत्र में वन अमले द्वारा पहुंचकर अग्नि नियंत्रण कर वनों की रक्षा की जाती है।

(iii) फारेस्ट आफेंस मैनेजमेंट सिस्टम (FOMS)

प्रणाली के माध्यम से वर्षवार पजीकृत वन अपराधों की जानकारी, परिक्षेत्र वन अपराध पंजी, जांच, अभिसंधान, वसूली कालातीत प्रकरणों एवं राजसात वाहनों की रिपोर्ट प्राप्त की जा सकती है।

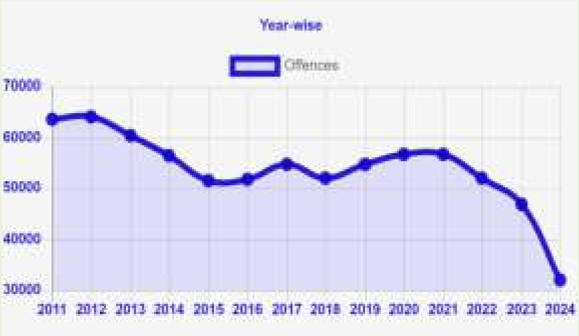

(iv) वन अपराधी डेटाबेस

मध्यप्रदेश के वन अपराधों में लिप्त अपराधियों की जानकारी संधारण के लिये वन अपराधी डेटाबेस का निर्माण किया गया है। वन अपराध प्रकरणों में दर्ज किये जाने वाले POR से इन अपराधियों को Link करने की व्यवस्था बनाई गई है।

(v) अधिकारी कर्मचारी प्रबंधन प्रणाली

इस प्रणाली के माध्यम से विभागीय कर्मचारियों का डेटाबेस तैयार किया जाता है इसमें उनकी सेवाओं का विवरण एवं नियुक्ति, पदस्थिति, आदि सम्मिलित होती है।

इसके प्रथम मॉड्यूल में अधिकारी कर्मचारी की व्यक्तिगत, शासकीय, पता आदि की जानकारी एकत्र करना प्रारंभ किया गया, जिसको सभी के द्वारा सराहा गया। जानकारी के अद्यतन सुचारू रूप से प्रारंभ है एवं आज दिनांक तक 17588 अधिकारियों कर्मचारियों के रिकार्ड ऑनलाईन है। जिसको विभिन्न मापदण्डों से देखा जा सकता है।

(vi) प्लान्टेशन मानिटरिंग सिस्टम (PMS)

इस प्रणाली के द्वारा वृक्षारोपण का पंजीकरण, उनकी वास्तविक भौगोलिक स्थिति, क्षेत्र का विवरण, प्रजाति आदि का डेटाबेस तैयार कर वृक्षारोपण क्षेत्रों का अनुश्रवण किया जाता है।

(vii) रोपणी प्रबंधन सूचना प्रणाली

रिसर्च एवं एक्स्टेन्शन के लिए ऑनलाईन एप्लीकेशन बनाई गई, जिसमें प्रदेश की नर्सरी के स्टॉक, निर्वतन एवं ग्रेड उन्नयन से संबंधित जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई गई है। जिससे पारदर्शिता आई है एवं नर्सरी के अनुश्रवण से बहुत सहायता प्राप्त हुई है।

(viii) कैम्पा प्रणाली

सूचना प्रौद्योगिकी शाखा द्वारा कैम्पा शाखा के लिए वर्ष 2021 में कैम्पा प्रणाली का विकास किया गया, जिसके अंतर्गत प्रदेश भर में कैम्पा मद के अंतर्गत किए गए विभिन्न प्रकार के कार्यो को ऑनलाईन ए.पी.ओ. के आधार पर बजट आवंटन एवं कार्यो का वित्तीय मूल्यांकन किया जाता है। प्रणाली में वर्तमान ए.पी.ओ. के साथ ही पूर्व के वर्षो के ए.पी.ओ एवं उनके अंतर्गत किए गए कार्यो का भी संधारण कर भौतिक एवं वित्तीय मूल्यांकन किया जा रहा है।

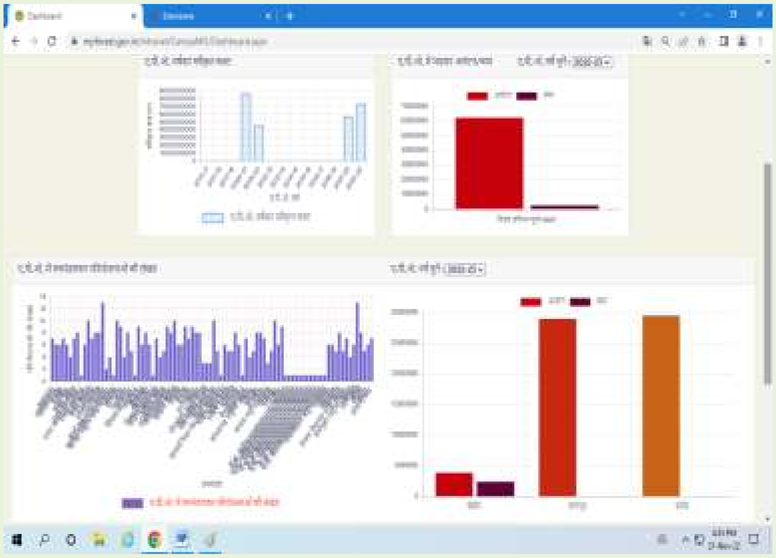

(ix) कान्ट्रेक्टर पंजीयन प्रणाली

वन विभाग के विभिन्न काष्ठागारों में काष्ठ की नीलामी प्रक्रिया को कम्प्यूटर के माध्यम से संचालित करने हेतु इस प्रणाली के माध्यम से विभिन्न प्रदेशों एवं मध्यप्रदेश के समस्त विनिर्माता/ व्यापारी/उपभोक्ता/फुटकर विक्रेता द्वारा ऑनलाईन पंजीयन एवं किया जाता है। क्रेताओं के द्वारा पंजीयन राशि के ऑनलाइन भुगतान के लिए सूचना प्रौद्योगिकी शाखा द्वारा ट्रेजरी के पेमेन्ट गेटवे का इन्ट्रीगेशन का कार्य किया गया। पंजीयन के समय उपलब्ध कराये गये आवश्यक दस्तावेजों एवं भुगतान का परीक्षण वनमण्डलाधिकारी द्वारा किया जाकर क्रेताओं को प्रमाण पत्र ऑनलाईन जारी किया जाता है जिसे क्रेता इस प्रणाली में लॉग–इन कर डॉउनलोड कर सकते हैं।

(x) बजट प्रबंधन (मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ :–

इस एप्लीकेशन का विकास मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ के लिए किया गया है जिसमे मुख्यालय द्वारा सैंक्शन, आवंटन एवं डिवीजन द्वारा प्रगति एवं व्यय की जानकारी के साथ फोटो वीडियो अपलोड किये जाते है। इस एप्लीकेशन में विभिन्न प्रकार की रिपोर्ट्स सैंक्शन, विमुक्ति आदेश एवं क्वेरी बिल्डर इत्यादि उपलब्ध है।

(xi) राष्ट्रीय परिवहन अनुज्ञा–पत्र प्रणाली

NTPS पोर्टल का निर्माण Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEFCC) के द्वारा किया गया है। यह एक वर्क फ्लो पर आधारित एप्लीकेशन है जिसे डेस्कटॉप एवं मोबाईल संस्करण उपयोग के लिए उपलब्ध है। इन दोनों प्रकार के सस्करणों की सहायता से आवेदक निजी भूमि पर उगाई जा रही प्रजातियों के लिए Transit Permit (TP) या No Objection Certificate (NOC) के लिए आवेदन कर सकता है। Transit Permit (TP) का भुगतान वेब पोर्टल या मोबाईल एप्लीकेशन के माध्यम से किया जा सकता है। दिनांक 12 अक्टूबर 2020 से 22 अक्टूबर 2020 तक सभी 16 वृत्तों के विभिन्न वनमण्डलों को सूचना प्रौद्योगिकी शाखा द्वारा प्रशिक्षण दिया जा चुका है, तथा दिनांक 01.08.2021 से पूरे प्रदेश में उक्त प्रणाली का सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित किया गया है।

(xii) गैर वन–भूमि अनापत्ति प्रमाण पत्र (फारेस्ट ऑनलाइन एन.ओ.सी)

उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT), म0प्र0 औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (MPIDC) भोपाल एवं वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार के के अंतर्गत जिला स्तरीय सुधार योजना का कार्यान्वयन है।

इस सुधार योजना का उद्देश्य विभिन्न हित धारको ंको मुख्यतः इनफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी (ICT) के माध्यम से सहायता करना है। सूचना प्रौद्योगिकी की क्षमताओं का उपयोग करके विभागों की विभिन्न राज्य एवं जिला स्तरीय सेवाओं का स्वचालित संचालन किया गया है। इस हेतु म0प्र0 वन विभाग ने MAP_IT भोपाल के सहयोग से जिला स्तरीय सुधार कार्यक्रम-2019 (DBRAP) के तहत Ease of Business (EoDB) की सुविधा प्रदान करने हेतु गैर वन भूमि का प्रमाण पत्र एवं जंगल से दूरी का प्रमाण पत्र इत्यादि सेवाओं के लिये एक Online Software Application विकसित किया है।

अब आवेदक बिना किसी कार्यालय में गए वेबसाइट https://mpforest.gov.in/forestnoc के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकेगा। भूमि की पड़ताल सेटेलाइट डेटा तथा जियोग्राफिक इनफार्मेशन सिस्टम की सहयता से स्वतः हो जाएगा। अपवादात्मक परिस्थितियों के अलावा कही भी आवेदक को या शासकीय अधिकारी/कर्मचारियों को मानवीय मध्यवर्तन की आवश्यकता नही रहेगी। इस पहल के तहत अब मात्र रूपए 512 (सेवा शुल्क सम्मलित) का ऑनलाइन भुगतान करना होगा और आवेदक डिजिटल रूप से अनुमोदित छव्ब प्रमाण पत्र वेबसाइट से डाउनलोड कर पायेगा।

इस योजना को शासन द्वारा लोकसेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत भी लिया गया है जिससे दो सप्ताह के अंदर ही प्रमाण पत्र जारी हो सकेगा। यह Ease Of Doing Business, e-Governance, Citizen Centric Governance के प्रति विभाग की प्रतिबद्धता का एक उदाहरण है।

(xiii) वन मंडल अधिकारी कार्य निष्पादन प्रणाली

वन मंडल अधिकरियों के समग्र मूल्यांकन के लिए उक्त प्रणाली का उपयोग किया जा रहा है प्रणाली के माध्यम से वन मंडल अधिकारियों को मासिक मुख्यालय द्वारा निर्धारित विभिन्न 12 बिन्दुओं के लक्ष्य की उपलब्धियों के आधार पर रैकिंग दी जाती है। प्रणाली का अनुवीक्षण अपर मुख्य सचिव वन, सचिव वन एव प्र. मु.व.स. एवं वन बल प्रमुख द्वारा किया जाता है।

(xiv) आजादी का अमृत महोत्सव प्रणाली

सूचना प्रौद्योगिकी शाखा द्वारा वर्तमान में आजादी का अमृत महोत्सव प्रणाली का विकसित की गई है, जिसमें वृक्षारोपण अभियान-I एवं वृक्षारोपण अभियान-II में किये गये कार्यो का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन किया जाता है।

(xv) वन राजस्व संग्रहण प्रणाली

विभाग के विभिन्न कार्यालयों के माध्यम से प्राप्त राजस्व की निगरानी एवं मूल्यांकन हेतु सचिव वन के निर्देशानुसार उक्त प्रणाली का निर्माण किया है। जिसमें राजस्व प्राप्ति के विभिन्न मदों के अनुरूप वार्षिक एवं मासिक लक्ष्य एवं उपलब्धियों की प्रविष्टि विभिन्न ईकाईयों एवं वन मंडलों सें की जाती है, इस प्राणाली का अनुश्रवण अपर मुख्य सचिव वन, सचिव वन, प्र.मु.व.सं. एवं वन बल प्रमुख द्वारा किया जाता है।

14. मध्यप्रदेश प्लांट बायोडाइवर्सिटी सर्च इंजन

मध्यप्रदेश में विभिन्न वन मंडलों के पादप जैव विविधता को सूचना प्रौद्योगिकी शाखा द्वारा मध्यप्रदेश प्लांट बायोडाइवर्सिटी सर्च इंजन के रूप में विकसित किया गया है। इसके द्वारा किसी भी वन मंडल या ईको रीजन के पौधों की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। पौधो को उनके बौटनिकल या स्थानीय नामों से सर्च किया जा सकता है, तथा किसी विशेष पौधे की उपलब्धता भी ज्ञात की जा सकती है, जो विशेष तौर पर संकटापन प्रजातियों के बीज संग्रहण के लिए उपयोगी है।

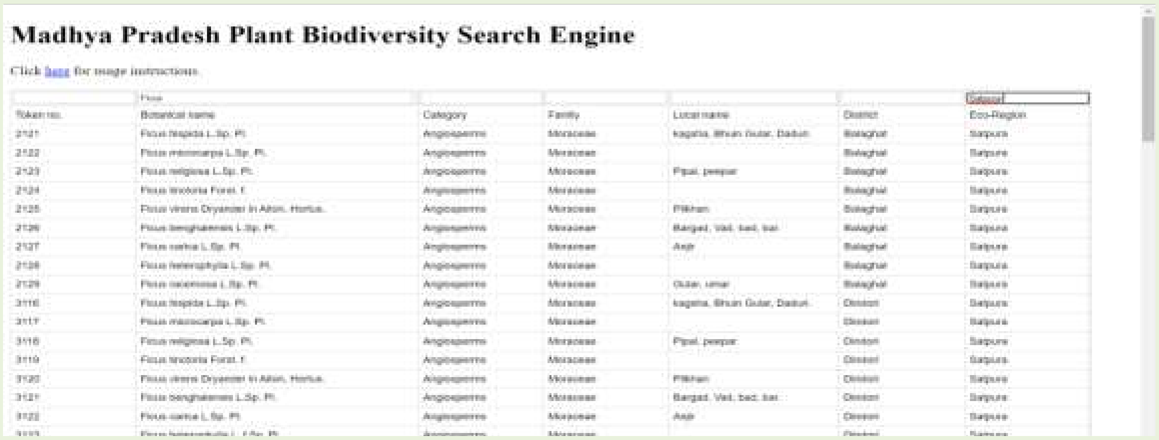

15. वन सुविधा प्रणाली

इस प्रणाली का उपयोग जन हानि/जन घायल/पशु हानि इत्यादि प्रकरणो के पंजीयन एवं लाभार्थी को प्रदान किये जाने वाले मुआवजे के अनुश्रवण हेतु किया जा रहा है। इस प्रणाली के दो भाग है – (1) Indroid App (2) Online application

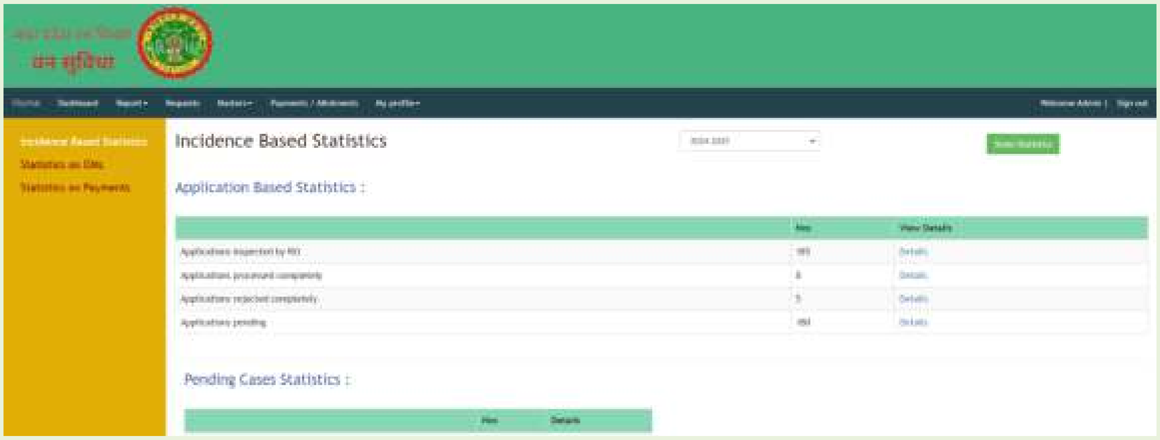

परिक्षेत्र अधिकारी को Android App में login उपरांत जन हानि/जन घायल/पशु हानि इत्यादि प्रकरणो को capture करते है एवं नेटवर्क उपलब्ध होने पर इन प्रकरणों को online application में sync करते है। उप वनमण्डलाधिकारी परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा प्रस्तावित राहत राशि में आवश्यक संशोधन कर सकते है। परिक्षेत्र अधिकारी इन प्रकरणो के स्वीकृति आदेश का प्रारूप generate कर हस्ताक्षर के उपरांत इसे पोर्टल पर upload करते है।

वनमण्डलाधिकारी इस generate किये गये स्वीकृति आदेश का उपयोग लाभार्थी के खाते में ट्रेजरी प्रक्रिया द्वारा राहत राशि के भुगतान हेतु करते है।

16. आरामिल पंजीयन/नामांतरण/हस्तांतरण प्रणाली

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 12—12—96 के आदेश के परिपालन में न्यायालय में प्रस्तुत सूची में शामिल आरा मिल का पंजीयन/ नवीनीकरण/ नामांतरण/ हस्तांतरण इस प्रणाली के माध्यम से किया जा रहा है यह कार्य वनमण्डल/ परिक्षेत्र/ उपवनमण्डल एवं समिति के अनुमोदन से किया जा रहा है।

17. वन भवन कॉन्फ्रेंस हॉल बुकिंग प्रणाली –

इस एप्लीकेशन में वन भवन के 30, 50 एवं 100 सीटर कॉन्फ्रेंस हॉल की ऑनलाईन बुकिंग की सुविधा उपलब्ध है। जिससे हॉल की रिक्तता एवं उपलब्धता ज्ञात हो सकती है।

18. प्रशासन अराजपत्रित आवक/जावक :–

इस एप्लीकेशन का निर्माण प्रशासन–।। शाखा के लिये किया गया है, जिसकी सहायता से आवक जावक संबंधित कार्यों का निराकरण सुविधापूर्वक किया जा रहा है। इसमें सामान्य (General), न्यायालीन प्रकरण (Court Cases), शासन (Government), सी.एम. हेल्पलाईन (C.M. Helpline), आई.डी.सी. (I.D.C.), विधानसभा (Vidhansabha), आर.टी.आई. (R.T.I.), एवं समय–सीमा (T.L.) इत्यादि प्रकरणों की आवक संख्या, जावक संख्या तथा निराकृत संख्या सुगमता से देखी जा सकती है।

19. पोस्टमार्टम रिपोर्टिंग प्रणाली :–

वन्यजीवों के पोस्टमार्टम के संबंध में वेब एप्लीकेशन का निर्माण किया गया है। जिसके द्वारा 04 प्रकार के पोस्टमार्टम फॉर्मेट 1-F1 (बाघ, तेन्दुआ एवं चीता), 2-F2 (अन्य समस्त वन्यजीव), 3-F3 (वन्यजीवों अवयवों का परीक्षण) एवं 4-F4 (केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के अधीन वन्यजीव) तैयार किये गये है। जिसमें पशु चिकित्सकों द्वारा ऑनलाईन पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार की जायेगी।

20. वृक्षारोपण अभियान एक पेड माँ के नाम :–

वृक्षारोपण अभियान एक पेड़ माँ के नाम और #Plant4Mother का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 5 जून, 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर किया गया है। यह माँ की याद में या उनके सम्मान में पेड़ लगाने का अभियान है। अभियान का लक्ष्य भूमि क्षरण को रोकना और पलटना, सूखा प्रतिरोध का निर्माण करना और मरुस्थलीकरण को रोकना है। ।

मध्य प्रदेश राज्य के लिए समाज के सभी stakeholders को शामिल करके सितंबर 2024 तक 3.80 करोड़ और मार्च 2025 तक 580 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य है।

वन विभाग ने माननीय प्रधानमंत्री द्वारा मध्यप्रदेश को वृक्षारोपण अभियान के तहत दिए गए लक्ष्य की 83: उपलब्धि कर ली है, 16 अक्टूबर 2024 तक मेरी लाइफ पोर्टल में 4,80,76379 वृक्षारोपण की प्रविष्टि फोटो और वीडियो की जानकारी के साथ हो चुकी है।

1.4.13 वन संरक्षण

प्रदेश में लगातार बढ़ती जा रही आबादी और उसकी आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं में होने वाली सतत् बढ़ोत्तरी के कारण प्रदेश के जैविक संसाधनों विशेषकर वनों, वन भूमि एवं वन्य जीवों का संरक्षण लगातार चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है। वर्ष 2008 के पश्चात वन अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद कृषि हेतु भूमि की बढ़ती भूख के कारण वन क्षेत्रों में अतिक्रमण एक गंभीर समस्या है। कुछ बहुमूल्य प्रजातियों जैसे सागौन, खैर आदि की बाजार में बढ़ती मांग के कारण उनकी अवैध कटाई एवं तस्करी संगठित अपराध का रूप लेने लगी है।

संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के सदस्यों की सकिय भागीदारी, क्षेत्रीय इकाईयों की प्रतिबद्धता तथा स्थानीय जिला एवं पुलिस प्रशासन के सहयोग से वन एवं वन्यजीवों से संबंधित अपराधों की रोकथाम के लिए निरंतर ईमानदार प्रयास किये जा रहे हैं, जिसके वांछित परिणाम भी प्राप्त हो रहे हैं। विभाग द्वारा विगत पांच वर्षों में पंजीबद्ध वन अपराध प्रकरणों का विवरण तालिका कमांक 1.26 में दर्शित है।

तालिका क्रमांक– 1.26
वन अपराधों का विवरण

वन अपराध प्रकरण		2021	2022	2023	2024	2025 अंतरिम
अवैध कटाई के प्रकरण		45591	42667	43864	43532	38612
अवैध चराई के प्रकरण		590	460	365	300	241
अवैध परिवहन के प्रकरण		1931	1618	1507	2247	1383
अतिक्रमण	प्रकरण संख्या	1825	1593	1257	1686	1686
	नवीन प्रभावित क्षेत्र(हे0)	2110	3298	2161	3215	3215
अवैध उत्खनन	प्रकरण संख्या	981	953	679	522	522
	प्रभावित क्षेत्र (हे0)	5802	1241	954	871	871
कुल पंजीबद्ध वन अपराध		58108	52904	50180	50711	46604
जप्त वाहनों की संख्या		1850	1793	1593	2247	1018
न्यायालय में प्रस्तुत प्रकरण		3210	3335	2381	2323	0
वन अपराध प्रशमन एवं अन्य विविध प्राप्तिया (लाख में)		35916.67	50146.11	49281.72	60549.05	0

पर्यावरण एवं वनों की सुरक्षा की दृष्टि से काष्ठ के चिरान एवं व्यापार को लोकहित में विनियमित करने के लिये बनाये गये मध्यप्रदेश काष्ठ चिरान (विनियमन) अधिनियम 1984 के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर दर्ज किये गये वन अपराध प्रकरणों का विवरण तालिका क्रमांक– 1.27 में दर्शित हैः–

तालिका क्रमांक– 1.27
वर्षवार दर्ज प्रकरण

वन अपराध प्रकरण	2021	2022	2023	2024	2025 अंतरिम
प्रकरण संख्या	86	118	80	80	115

वनों की प्रभावी सुरक्षा हेतु क्षेत्रीय कर्मचारियों की गतिशीलता बढ़ाने हेतु पर्याप्त संख्या में वाहन उपलब्ध कराये गये हैं। अतिसंवेदनशील वनक्षेत्रों में बीट व्यवस्था के साथ ही सामूहिक गश्ती हेतु वन चैकियों की स्थापना की गई है। वर्ष 2025 की स्थिति में 329 वन चैकियां कार्यरत हैं। प्रत्येक चैकी में गश्ती हेतु शासकीय अथवा अनुबंधित वाहन उपलब्ध कराये गये हैं। वन अपराधों प्रकरणों से संबधित विस्तृत जानकारी परिशिष्ट क्रमांक 07 से 15 में दिया गया है।

वन मण्डल मंदसौर अवैध कटाई एवं परिवहन में जप्त वाहन

वन अपराधों पर नियंत्रण एवं त्वरित कार्यवाही हेतु प्रत्येक वन वृत्त में उड़नदस्ता दल कार्यरत हैं। उड़नदस्ता दल में पर्याप्त संख्या में वनकर्मी , शस्त्र एवं वाहन उपलब्ध हैं। ऐसे क्षेत्रों में जहां संगठित वन अपराधों की संभावना है विशेष सशस्त्र बल की 3 वाहिनियों क्रमश 8 वीं वाहिनी – छिन्दवाड़ा 15 वीं वाहिनी – इन्दौर तथा 26 वीं वाहिनी – गुना के 221 सशस्त्र अधिकारी एवं कर्मचारी पदस्थ हैं जिन्हें 14 संवेदनशील वनमण्डलों में संलग्न किया गया है। परिक्षेत्राधिकारियों हेतु एवं संवेदनशील वन चोकियों एवं वृत्त स्तरीय उड़नदस्ता दल हेतु कैम्पा योजना के माध्यम से 520 से अधिक वाहन अनुबंधित कर उपलब्ध कराये गये हैं।

अतिक्रमण रोकथाम वन मण्डल अशोकनगर

वर्ष 2025 की विशिष्ट उपलब्धिया –

वर्ष 2025–26 में वन चौकियों हेतु वाहनों का क्रय प्रस्तावित है।

राज्य में वन एवं वन्यजीव सुरक्षा के लिये संवेदनशील क्षेत्रों में वन भूमि पर अतिक्रमण अवैध वृक्ष कटाई अवैध उत्खनन एवं अवैध शिकार आदि वन अपराधों में पेशेवर अपराधिक तत्व शामिल रहते हैं जो वन कर्मचारियों द्वारा नियमानुसार कार्यवाही में बाधा डालने में सक्षम हैं। ऐसे असामाजिक तत्व हथियारों का उपयोग भी करते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में वन अपराधियों से आमना–सामना एवं मुठभेड़ होने की अनेक वारदातें होती हैं।

वित्तीय वर्ष 2025–26 में प्रशासन सुदृढ़ीकरण योजना अंतर्गत वन सुरक्षा को सुदृढ़ करने हेतु वन चैकियो में सुरक्षा श्रमिको की व्यवस्था, वन चैकी हेतु सुरक्षा सामग्री पेयजल, सुरक्षा किट (हेलमेट चेस्टगार्ड डंडा आदि) सीसीटीवी कैमरा वन चैकी वाहनो की मरम्मत टायर ट्युब वन संरक्षण विषय पर प्रशिक्षण तथा कम्प्यूटर प्रिन्टर हेतु क्षेत्रीय कार्यालयों को राशि उपलब्ध कराई गई है। इसके अतिरिक्त सूचनाओं के त्वरित आदान प्रदान के लिये मोबाईल सिम नेटवर्क एवं आवश्यकतानुसार किराये के वाहनों हेतु भी राशि उपलब्ध कराई गई है।

ब) केन्द्र प्रवर्तित योजना (फारेस्ट फायर प्रिवेन्शन एंड मैनेजमेन्ट स्कीम) के अंतर्गत अग्नि सुरक्षा कार्य, मृदा संरक्षण कार्य, वन अग्नि की प्रति जागरूकता कार्यए वनमण्डलों को आधुनिक ड्रोन से सुसज्जित कर मानिटंरिग व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने का प्रयास फायर लाईन कटाई एवं जलाई तथा फायर वाचर्स का नियोजन किया गया।

स) कैम्पा योजना अंतर्गत अग्नि सुरक्षा हेतु अग्नि रेखाओं फायर वाचर्स प्रशिक्षण के साथ साथ ब्रशवुड कटर ब्लोअर एवं अग्नि रोधी किट हेतु क्षेत्रीय इकाइयों को बजट उपलब्ध कराया गया है।

दूरस्थ वनांचलों में जहा अन्य संचार साधन उपलब्ध नहीं है वहां वायरलेस संचार नेटवर्क को पुनर्स्थापित करने हेतु भी राशि उपलब्ध कराई गई है।

वन सुरक्षा प्रशिक्षण / कार्यशाला

संयुक्त वन प्रबंधन समितियों का अग्नि नियंत्रण में सहयोग लिये जाने हेतु प्रोत्साहन

वन सुरक्षा प्रबंधन में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग

वन सुरक्षा के अनुश्रवण हेतु इंटरनेट आधारित “वन अपराध प्रबंधन प्रणाली” (एफ.ओ.एम.एस.) विकसित की गई है साथ ही समस्त क्षेत्रीय एवं वन्यप्राणी वनमण्डलों को एफ ओ सी आर पंजी के स्थान पर “वन अपराध प्रबंधन प्रणाली” (एफ.ओ.एम.एस.) पर ही प्रकरण दर्ज करने की व्यवस्था लागू की गई है।

1.4.14 उत्पादन

राज्य में मुख्य रूप से सागौन, साल, बांस, तथा अन्य मिश्रित प्रजातियों के वन पाये जाते हैं। कार्य आयोजना के प्रावधानों के अनुसार कूपों से ईमारती लकड़ी, जलाऊ,एवं बांस का वन वर्धन के दृष्टिकोण से विदोहन किया जाता है। साथ ही वनों के समीप बसे ग्रामीणों की घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये आवश्यक निस्तार की व्यवस्था की जाती है। उत्पादन शाखा द्वारा लोक वानिकी तथा मालिक मकबूजा के अंर्तगत कृषकों द्वारा वन विभाग के डिपो में लाई गई काष्ठ के भुगतान की व्यवस्था भी की जाती है। विगत वर्षों में वन क्षेत्रों से काष्ठ एवं बांस का उत्पादन एवं प्राप्त राजस्व का विवरण तालिका क्रमांक– 1.28 में दर्शित है :–

तालिका क्रमांक –1.28
काष्ठ और बांस उत्पादन एवं प्राप्त राजस्व

विवरण	विदोहन वर्ष (अक्टूबर से सितम्बर) माह फरवरी-2026 की स्थिती में (2025-26)
इमारती लकड़ी (घ.मी. में)	1,13,343
जलाऊ चट्टे (नग)	49,629
बांस (नो.टन)	20,494
प्राप्त राजस्व (करोड़ रू.में) (अन्य स्त्रोतो से प्राप्त राजस्व भी सम्मिलित) वित्तीय वर्ष की स्थिति में	1265.56 (करोड़) (जनवरी 2026 की स्थिति में)

वर्ष 2025–26 की वर्षवार निस्तार माह दिसम्बर 2025 की स्थिति में विवरण तालिका क्रमांक– 1.29 में दर्शित है :–

तालिका क्रमांक –1.29
वर्षवार निस्तार प्रदाय

(राशि रूपये लाख में)

विवरण	प्रदाय निस्तार सामग्री (वर्ष 2025)		
वनोपज का नाम	बांस	बल्ली	जलाऊ चट्टे
मात्रा	16.54	0.11	0.5
विक्रय मूल्य	360.57	15.11	429.36
बजार मूल्य	574.62	19.36	1006.87
दी गई रियायत	795.81		

प्रदेश के उत्पादन कार्यो को संपादन करने हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 में निर्मित 22.18 लाख मानव दिवस थे।

टीप :– वन विभाग (Forest Department) में लीगल सेल (Legal cell) की स्थापना

- मुख्यालय वन भवन भोपाल में एक विधि प्रकोष्ठ की स्थापना दिनांक 05.02.2026 को की गई।
- विधि प्रकोष्ठ हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) म.प्र. भोपाल को नियंत्रणकर्ता अधिकारी के रूप में मनोनित किया गया।
- विधि प्रकोष्ठ 15.02.2026 से पूर्ण रूप से अपने कार्य प्रारंभ करेगी।

1.4.15 वन्यजीव प्रबंधन

वन्यजीव प्रबंधन – प्रदेश में वन्यजीव का संरक्षण एवं प्रबंधन वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के अंतर्गत किया जाता है।

प्रदेश के संरक्षित क्षेत्र – राज्य शासन द्वारा वन्यजीव संरक्षण को उच्च प्राथमिकता दी गई है। मध्यप्रदेश में वन्यजीव संरक्षित क्षेत्रों का क्षेत्रफल 11497.268 वर्ग कि.मी. है। प्रदेश में 11 राष्ट्रीय उद्यान एवं 26 वन्यजीव अभयारण्य तथा 01 कन्जर्वेशन रिजर्व हैं। कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना, पेंच, सतपुड़ा एवं संजय राष्ट्रीय उद्यान तथा इनके निकटवर्ती 07 अभयारण्यों को समाहित कर प्रदेश में 06 टाइगर रिजर्व पूर्व से अधिसूचित हैं। इसके अतिरिक्त वर्ष 2023 में वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व का गठन नौरादेही एवं वीरांगना दुर्गावती अभयारण्य को समाहित कर किया गया है तथा पद्म श्री डॉ. विष्णू श्रीधर वाकणकर टाइगर रिजर्व रातापानी का गठन दिसम्बर 2024 में तथा माधव राष्ट्रीय उद्यान को माधव टाइगर रिजर्व के रूप में वर्ष 2025 को अधिसूचित किया गया है। इन 09 टाइगर रिजर्व्स को कोर जोन 7326.691 वर्ग कि.मी. तथा बफर जोन 8109.531 वर्ग कि.मी. है। वर्ष 2025 में डॉ. भीमराव अम्बेडकर अभयारण्य सागर, जहांनगढ अभयारण्य श्योपुर एवं ताप्ती कन्जर्वेशन रिजर्व बैतुल का गठन किया गया है। डिण्डौरी जिले के घुघवा में फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान एवं धार जिले में ''डायनोसोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, बाग'' स्थापित किया गया है। भोपाल के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान को आधुनिक चिड़ियाघर के रूप में मान्यता प्राप्त है। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसायटी के सहयोग से केरवा, भोपाल में गिद्धों के संरक्षण हेतु प्रजनन केन्द्र की स्थापना की गई है। इसके अतिरिक्त मुकुन्दपुर, जिला सतना में व्हाइट टाइगर सफारी एवं चिड़ियाघर स्थापित किया गया है। प्रदेश के रायसेन जिले में प्रदेश का पहला डोम आधारित बटरफ्लाई पार्क बनाया गया। इसके अतिरिक्त सतना जिले के मुकुन्दपुर में एवं खण्डवा जिले के सिंघाजी परिक्षेत्र के ग्राम चारखेडा में डोम आधारित बटरफ्लाई पार्क स्थापित किये गये है। बाघ, बारासिंघा, मगर, डॉलफिन, घड़ियाल, तेन्दुआ, गौर एवं काला हिरण प्रदेश को पहचान देने वाली मुख्य वन्यजीव प्रजातियां है। प्रदेश के संरक्षित क्षेत्रों की सूची एवं परिशिष्ट– 16 से 22 मे दी गई है। प्रदेश के कुछ संरक्षित क्षेत्रों के गठन की अंतिम अधिसूचना जारी होना शेष है। प्रदेश के संरक्षित क्षेत्रों की अंतिम अधिसूचना की स्थिति है।

वीरांगना दुर्गावती एवं श्रीधर वाकणकर टाइगर रिंजर्व रातापानी का गठन :– राज्य सरकार द्वारा नौरादेही अभयारण्य एवं रानीदुर्गावती अभयारण्य को अधिसूचना दिनांक 20.09.2023 से 2339.13 वर्ग कि.मी. क्षेत्र को समाहित कर वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व कोर क्षेत्र 1414.008 वर्ग कि.मी. तथा बफर क्षेत्र 925.122 वर्ग कि.मी. है। इसी प्रकार राज्य सरकार द्वारा रातापानी अभयारण्य को पद्म श्री डॉ.विष्णू श्रीधर वाकणकर टाइगर रिजर्व रातापानी के रूप में 1271.465 वर्ग कि.मी. क्षेत्र को अधिसूचना दिनांक 02.12.2024 से घोषित किया गया है, जिसमें कोर क्षेत्र 763.812 वर्ग कि.मी. तथा बफर क्षेत्र 507.653 वर्ग कि.मी. है।

माधव टाइगर रिंजर्व, शिवपुरी का गठन :– राज्य सरकार द्वारा माधव राष्ट्रीय उद्यान, शिवपुरी की सीमा के अंदर है, इकोलाजिकल, पशु वर्ग, वनस्पति वर्ग, जियो–मार्फोलाजिकल या जीव विज्ञान के कारणों के लिए तथा इसके आस–पास वन्यजीव के संरक्षण, वृद्धि तथा विकास के प्रयोजन के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 07.03.2025 से माधव राष्ट्रीय उद्यान, शिवपुरी को माधव टाइगर रिजर्व, शिवपुरी के रूप में वन संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा (1972 का 53) की धारा 38 (एफ) के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है। माधव टाइगर रिजर्व का कोर क्षेत्र 375.233 वर्ग कि.मी. तथा बफर 1276.154 वर्ग कि.मी. है।

डॉ. भीमराव अम्बेडकर अभयारण्य, सागर का गठन :– मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग द्वारा आरक्षित वन क्षेत्रों का वन्यजीव तथा पर्यावरण के संरक्षण, संवर्धन या विकास के प्रयोजन के लिये पर्याप्त रूप से पारिस्थितिक, जीव वनस्पति तथा जीव विज्ञान महत्व का होने के कारण वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 26–क (1) (ख) के अंतर्गत 258.64 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को डॉ. भीमराव अम्बेडकर अभयारण्य, सागर के रूप में 11 अप्रैल 2025 को गठित किया गया है।

जहांनगढ़ अभयारण्य, श्योपुर का गठन :– मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग द्वारा आरक्षित वन क्षेत्रों का वन्यजीव तथा पर्यावरण के संरक्षण, संवर्धन या विकास के प्रयोजन के लिये पर्याप्त रूप से पारिस्थितिक, जीव वनस्पति तथा जीव विज्ञान महत्व का होने के कारण वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 18 की उपधारा (1) के अंतर्गत 4.02 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को जहांनगढ़ अभयारण्य, श्योपुर के रूप में 04 अगस्त 2025 को गठित किया गया है।

ताप्ती कंजर्वेशन रिजर्व, बैतूल का गठन :– मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग द्वारा आरक्षित वन क्षेत्रों का वन्यजीव तथा पर्यावरण के संरक्षण, संवर्धन या विकास के प्रयोजन के लिये पर्याप्त रूप से पारिस्थितिक, जीव वनस्पति तथा जीव विज्ञान महत्व का होने के कारण वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा (1972 का 53) यथा प्रयोज्य, की धारा 36 (क) के अंतर्गत 250.00 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को ताप्ती कंजर्वेशन रिजर्व, बैतूल के रूप में 20 अगस्त 2025 को गठित किया गया है।

वन्यजीव संरक्षण :– वन्यजीव के संरक्षण एवं प्रबंध की मौलिक जिम्मेदारी संबंधित क्षेत्रीय इकाईयों एवं क्षेत्रीय वनमण्डलों की है। इनकी सहायता के लिए प्रदेश में निम्न अतिरिक्त व्यवस्थायें की गई हैं –

- मध्यप्रदेश राज्य में गंभीर संगठित वन्यजीव अपराध अन्वेषण स्टेट टाइगर स्ट्राईक फोर्स एवं चार ईकाइयां क्रमशः भोपाल, इन्दौर, जबलपुर एवं शिवपुरी में कार्यरत है।
- वनों के समीपस्थ बसाहटों में वनों से भटककर आने वाले वन्यजीव को पकड़ कर सुरक्षित रूप से अन्यत्र छोड़ने के लिये रीजनल वन्यजीव रेस्क्यू स्क्वॉड्स की संख्या 10 से बढ़ाकर 14 की गई है।
- प्रदेश में वन्यजीव के विरूद्ध हुये अपराधों में कारगर अन्वेषण, अपराधियों एवं वन्यजीव सामग्री की खोज के लिये 18 प्रशिक्षित डॉग स्क्वाड्स का गठन किया गया है। इससे वन्यजीव अपराधों के अन्वेषण में अभूतपूर्व सफलताएं प्राप्त हुई हैं।
- मध्यप्रदेश वन विभाग के वन्यजीव अपराध नियंत्रण के विशेष प्रयासों को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के द्वारा प्रदेश के चार स्थानों क्रमशः जबलपुर, इन्दौर, भोपाल एवं शिवपुरी में विशेष न्यायालयों की स्थापना की गई है। उक्त न्यायालय STSF के द्वारा पंजीकृत अपराध प्रकरणों की सुनवाई करेंगे। प्रत्येक न्यायालय में CJM स्तर के एक न्यायाधीश को अधिकृत किया गया है।
- टाइगर रिज़र्व्स एवं अन्य महत्वपूर्ण संरक्षित क्षेत्रों की परिधि में स्थित क्षेत्रीय वन मण्डलों के बाघ विचरण वाले क्षेत्रों में स्थित 56 परिक्षेत्रों में सुरक्षा तंत्र को सुदृढ़ करने हेतु पेट्रोलिंग चौकी निर्माण तथा वाहन, वायरलेस एवं उपकरण प्रदाय किये गये हैं।
- संरक्षित क्षेत्रों के अंतर्गत वन्य पशुओं के स्वास्थ्य परीक्षण एवं इलाज के लिए 10 पशु चिकित्सकों का पृथक कैडर कार्यरत है।
- नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय जबलपुर के अंतर्गत स्कूल ऑफ वाइल्ड लाइफ फॉरेंसिक एंड हेल्थ वन विभाग की सहायता से संचालित है।

वन्यजीवों का अवैध शिकार एवं अन्य कारणों से मृत्यु :– समस्त प्रयासों के बाद भी प्रदेश में प्रति वर्ष वन्यजीव के अवैध शिकार एवं अन्य कारणों से मृत्यु के प्रकरण घटित होते हैं। विगत वर्षों की प्रकरण संख्या का विवरण तालिका क्रमांक–1.30 में दर्शित है

तालिका क्रमांक–1.30
(अवैध शिकार एवं मृत्यु प्रकरण)

वर्ष	अवैध शिकार प्रकरण	अन्य मृत्यु प्रकरण	योग
2019	216	915	1131
2020	472	736	1208
2021	370	456	826
2022	600	481	1081
2023	311	215	626
2024	410	228	638
2025	401	449	850

उपरोक्त प्रकरणों में अवैध शिकार एवं अन्य कारणों से मृत विभिन्न वन्यजीव की संख्या का विवरण तालिका क्रमांक–1.31 में दर्शित है।

तालिका क्रमांक–1.31

(अवैध शिकार एवं मृत वन्यजीव की संख्या)

वर्ष	अवैध शिकार से मृत वन्यजीव की संख्या	अन्य कारणों से मृत वन्यजीव की संख्या	योग
2019	266	992	1258
2020	498	813	1311
2021	376	480	856
2022	480	497	977
2023	321	320	641
2024	306	245	551
2025	439	475	914

मानव तथा वन्यजीवों के बीच द्वंद्व कम करने के प्रयासः–

वन्यजीवों से जन हानि होने पर राहत राशि का भुगतान –

उद्देश्य – वन्यजीवों द्वारा जन हानि किये जाने पर मृत व्यक्ति के परिवार को राहत राशि उपलब्ध कराना।

पात्रता की शर्तें – राहत राशि के भुगतान के लिए आवश्यक पात्रता की शर्तें निम्नानुसार हैं–

- जन–हानि (मृत्यु) वन्यजीव (सांप, गुहेरा एवं जहरीले जन्तु को छोड़कर) द्वारा हुई हो (यहां वन्यजीव से तात्पर्य वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में दी गई परिभाषा से है)
- आवेदनकर्ता मृत व्यक्ति का उत्तराधिकारी/परिवार का सदस्य/रिश्तेदार हो वर्तमान में म.प्र. लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 के तहत वन्यजीवों से जन हानि हेतु राहत राशि के भुगतान की निर्धारित समयावधि आवेदन दिनांक से तीन कार्य दिवस है।

वन्यजीवों से जन घायल होने पर राहत राशि का भुगतान –

उद्देश्य – वन्यजीवों से घायल व्यक्ति को राहत राशि उपलब्ध कराना।

घायल व्यक्ति को शासन के आदेश क्रमांक/एफ 15–13/2007/10–2 दिनांक 29 अप्रैल, 2016 एवं शासन के आदेश दिनांक 10.12.2022 के अनुसार निम्नानुसार क्षतिपूर्ति की राशि दिये जाने का प्रावधान है, जिसका विवरण तालिका क्रमांक–1.34 में दर्शित है।

तालिका क्रमांक–1.32

क्रमांक	वन्यजीवों द्वारा की जाने वाली हानि	राहत राशि
1	वन्यजीवों द्वारा जनहानि होने पर	रू. 8,00,000 (आठ लाख) मात्र एवं इलाज पर हुआ वास्तविक व्यय
2	स्थायी विकलांगता होने पर	रू. 2,00,000 (दो लाख) मात्र एवं इलाज पर हुआ वास्तविक व्यय
3	जनघायल होने पर	इलाज पर हुआ वास्तविक व्यय तथा अस्पताल में भर्ती रहने की अवस्था में अतिरिक्त रूप में रू. 500/ प्रतिदिन (अस्पताल में भर्ती रहने की अवधि हेतु) (क्षतिपूर्ति की अधिकतम सीमा रू. 50,000/ (पचास हजार) तक होगी)

वर्तमान में म.प्र. लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 के तहत वन्यजीवों से जन घायल होने पर राहत राशि के भुगतान की निर्धारित समयावधि आवेदन दिनांक से सात कार्य दिवस है।

वन्यजीवों से पशु–हानि एवं पशुघायल हेतु राहत राशि का भुगतान–

योजना का स्वरूप और कार्य क्षेत्र– वन्यजीवों द्वारा घरेलू निजी पशुओं को मारे जाने पर पशु मालिकों को प्रति मवेशी आर्थिक सहायता राजस्व पुस्तक परिपत्र के प्रावधानों के अनुसार उपलब्ध करवायी जाती है तथा वन्यजीवों से पशुघायल होने पर शासन के आदेश क्रमांक / एफ 15–13 / 2007 / 10–2 दिनांक 29 अप्रैल, 2016 के अनुसार प्रभावित लोगों को वर्तमान में राजस्व पुस्तक परिपत्र के प्रावधानों के अनुसार वन्यजीवों द्वारा पशुहानि हेतु देय मुआवजा राशि की 50 प्रतिशत राशि तक क्षतिपूर्ति राशि दिये जाने का प्रावधान है।

योजना क्रियान्वयन की प्रक्रिया –सहायता पाने के लिये यह आवश्यक है कि –

- निजी पशु मारे जाने / घायल किये जाने पर सूचना समीप के वन अधिकारी को घटना के 48 घंटे के अंदर दी गई हो।
- मारे गये मवेशी / पशु को मारे गये स्थान से नहीं हटाया गया हो।
- वर्तमान में म.प्र. लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 के तहत वन्यजीवों से पशु हानि हेतु राहत राशि के भुगतान की निर्धारित समयावधि आवेदन दिनांक से तीस कार्य दिवस है।

वन्यजीवों से फसल हानि का मुआवजा –

योजना का स्वरूप और कार्यक्षेत्र – मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 के तहत् वर्तमान में सेवा क्रमांक 4.6 में राजस्व विभाग द्वारा वन्यजीवों से किसानों की फसलों को पहुंचाई जाने वाली हानि का मुआवजा 30 कार्य दिवस में दिये जाने का प्रावधान है। इसके तहत हानि का आंकलन राजस्व विभाग में प्रचलित प्रक्रिया अनुसार राजस्व अधिकारी द्वारा किया जाता है। जिसका विवरण तालिका क्रमांक–1.33 में दर्शित है।

तालिका क्रमांक–1.33
मध्यप्रदेश में वन्यजीवों से जनहानि, जनघायल एवं पशुहानि के कुल प्रकरण एवं मुआवजा

वर्ष	जनहानि प्रकरण	राशि	जनघायल प्रकरण	राशि	पशुहानि प्रकरण	राशि
2019-20	51	20030838	1190	8736774	9760	88330916
2020-21	90	32788407	1273	9550946	12948	97206733
2021-22	57	22117423	1003	9354937	13685	116865913
2022-23	86	34034697	1320	12464921	16762	150655102
2023-24	76	58894565	1232	13277572	14046	123431898
2024-25	71	55326292	896	13399690	15259	200557225

ग्रामीणों का पुर्नवास :– वन्यजीव संरक्षण तथा मानव–वन्यजीव द्वंद्व को कम करने के लिए वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के अनुसार बाघों के क्रिटिकल रहवास क्षेत्रों से समस्त ग्रामों का पुनर्स्थापन आवश्यक है। शेष संरक्षित क्षेत्रों के चिन्हित ग्रामों का भी पुनर्स्थापन किया जाना प्रावधानित है। इस हेतु रूपये 15.00 लाख प्रति पुनर्वास इकाई की दर से ग्राम के पुनर्वास के लिए राशि का निर्धारण किया जाता है। इसके लिये केन्द्र प्रवर्तित योजना एवं राज्य योजना के अंतर्गत राशि प्राप्त हो रही है। राज्य शासन की नीति के अनुसार पुनर्स्थापन का कार्य ग्रामवासियों की सहमति के उपरांत ही किया जाता है। पर्यटन कैबिनेट के निर्णय अनुसार संरक्षित क्षेत्र के बाहर अंदरूनी वन क्षेत्र में स्थित ग्राम को भी उनकी सहमति प्राप्त होने पर अन्य पुर्नस्थापित किया जा सकता है। विगत वर्षों में पुनर्स्थापित किये गये ग्रामों की संख्या का विवरण तालिका क्रमांक–1.34 में दर्शित है।

तालिका क्रमांक–1.34
(संरक्षित क्षेत्रों से पुर्नस्थापित ग्राम)

वित्तीय वर्ष	पुर्नस्थापित ग्रामों की संख्या
2019-20	5
2020-21	5
2021-22	4
2022-23	2
2023-24	7
2024-25	9

वन्यजीवों की संख्या का आंकलन :– अखिल भारतीय बाघ आंकलन 2022 के परिणाम 29 जुलाई 2023 को घोषित किये गये जिसके अनुसार मध्यप्रदेश में 785 बाघ आंकलित किये गये हैं और मध्य प्रदेश ने भारत में बाघों की संख्या के अनुसार प्रथम स्थान पर रहते हुए पुनः टाइगर स्टेट का दर्जा प्राप्त कर लिया है। मध्य प्रदेश में बाघो की संख्या भारत के कुल आंकलित बाघों की संख्या 3167 की लगभग 25 प्रतिशत पायी गयी है। इसके पूर्व वर्ष 2018 के आंकलन में मध्यप्रदेश में 526 बाघ आंकलित किये गये थे। विगत वर्षों में किये गये प्रबंधकीय प्रयासों का परिणाम है कि न केवल बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है अपितु बाघों की उपस्थिति वाले वन क्षेत्रों की संख्या में भी अप्रत्याशित वृद्धि हुई है।

केन्द्र शासन द्वारा भारत के टाइगर रिजर्व की प्रबंधकीय दक्षता के चतुर्वार्षिक आंकलन अध्ययन (MEE) के परिणामों में भी मध्य प्रदेश के 3 टाइगर रिजर्व क्रमशः पेंच, कान्हा एवं सतपुड़ा प्रथम तीन स्थानों पर आए हैं। विवरण तालिका क्रमांक–1.35 में दर्शित है।

तालिका क्रमांक–1.35
(बाघों की संख्या का आंकलन)

बाघों की संख्या					
राज्य/वर्ष	2006	2010	2014	2018	2022
मध्यप्रदेश	300 (236-364)	257 (213-301)	308	526	785

वन विभाग द्वारा प्रदेश में प्रथम बार वर्ष 2016 में भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, भोपाल के सहयोग से संकटग्रस्त प्रजातियों के गिद्धों की गणना की गई थी जिसके अंतर्गत प्रदेश में 7 प्रजाति के लगभग 7000 गिद्ध पाये गए थे तथा वर्ष 2018–19 में भी प्रदेशव्यापी गिद्ध गणना कराई गई जिसमें लगभग 8300 गिद्ध पाये गये हैं। इसी के तारतम्य में वर्ष 2020–21 में भी प्रदेशव्यापी गिद्ध गणना कराई गयी जिसमें लगभग 9400 गिद्ध पाये गये यह गणना संकटग्रस्त गिद्धों के संरक्षण में भविष्य में नींव का पत्थर साबित होगी।

टाइगर रिजर्व का प्रबंधः– वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38V(4)(ii) के अन्तर्गत प्रत्येक टाइगर रिजर्व में क्रिटिकल टाइगर हैबीटेट (कोर) एवं बफर क्षेत्र अधिसूचित किया जाना अनिवार्य है। क्रिटिकल टाइगर हैबीटेट पूर्णतः वन्यजीवों के उपयोग के लिए सुरक्षित है, जबकि बफर क्षेत्र क्रिटिकल टाइगर हैबीटेट के चारों ओर का वह बहुउपयोगी क्षेत्र है जो क्रिटिकल टाइगर हैबीटेट की संनिष्ठता एवं सुरक्षा के लिये आवश्यक है। टाइगर रिजर्व के प्रबंध हेतु बनाये जाने वाले टाइगर कंजर्वेशन प्लान में कोर एवं बफर क्षेत्र हेतु प्रबंध निर्देशों को सम्मिलित किया जाता है। इसके अतिरिक्त दो संरक्षित क्षेत्रों को जोड़ने वाले कॉरिडोर क्षेत्र के बारे में भी सांकेतिक प्रावधान सम्मिलित किये जाते हैं। वर्तमान में प्रचलित/निर्माणाधीन टाइगर कंजर्वेशन प्लान की स्थिति परिशिष्ट में है।

माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी में बाघों का पुर्नस्थापनः– भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी में 05 बाघों के पुर्नस्थापन की अनुमति प्रदाय की गई है। प्रथम चरण में 01 बाघ एवं 02 बाघिन को मार्च 2023 में पुर्नस्थापित किया गया है। शेष 02 बाघों को द्वितीय चरण में पुर्नस्थापन किया जावेगा।

अन्य अभयारण्यों/राष्ट्रीय उद्यानों में वन्यजीव प्रबंधनः– उपरोक्त के अतिरिक्त प्रदेश के समस्त राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभयारण्यों में 10 वर्षीय प्रबंधन योजना बनाकर वन्यजीव संरक्षण संबंधी कार्य किये जाते हैं। वर्तमान में प्रचलित/निर्माणाधीन वन्यजीव प्रबंध योजना की स्थिति परिशिष्ट में है।

संरक्षित क्षेत्रों के बाहर वन्यजीव प्रबंधः– संरक्षित क्षेत्रों के बाहर वन्यप्राणी प्रबंधन हेतु राज्य योजना प्रचलित है। इसके अंतर्गत संरक्षित क्षेत्रों के बाहर वन्यप्राणी प्रबंध हेतु क्षेत्रीय वनमण्डलों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। कॉरिडोर क्षेत्रों को सुदृढ़ करने के लिये भी इस योजना के अंतर्गत कार्य किया जाता है।

वन्यजीव संरक्षित क्षेत्रों में पर्यटनः– पर्यटकों की सुविधा के लिये कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना, सतपुड़ा, संजय एंव पेंच टाइगर रिजर्व में ऑनलाइन बुकिंग की व्यवस्था है। पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दिनांक 01.10.2017 से बफर क्षेत्रों में भी ऑन लाइन बुकिंग की सुविधा प्रारंभ की गई है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी मार्गदर्शिका के उपबंधों के अधीन टाइगर रिजर्व में पर्यटन हेतु खुला क्षेत्र 20 प्रतिशत की सीमा तक निर्धारित है एवं उक्त के अनुरूप टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्रों में पर्यटन हेतु पर्यटक वाहन धारण क्षमता निर्धारित की गई है जो निम्नानुसार है। जिसका विवरण तालिका क्रमांक– 1.36 में दर्शित है।

क्रमांक	टाइगर रिजर्व का नाम	वाहन धारण क्षमता (प्रति दिवस)
1	कान्हा टाइगर रिजर्व	178
2	बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व	147
3	पेंच टाइगर रिजर्व	99
4	पन्ना टाइगर रिजर्व	85
5	सतपुड़ा टाइगर रिजर्व	180
6	संजय टाइगर रिजर्व	80

तालिका क्रमांक–1.36

उक्त टाइगर रिजर्व एवं अन्य समस्त संरक्षित क्षेत्रों में विगत वर्षों में आये पर्यटकों की संख्या तथा उनसे आय का विवरण तालिका क्रमांक–1.37 में दर्शित है।

तालिका क्रमांक–1.37
(संरक्षित क्षेत्रों में पर्यटकों की संख्या)

वित्तीय वर्ष	पर्यटकों की संख्या (लाख में)	अर्जित आय (लाख में)
2019-20	15.86	2034.94
2020-21	13.96	2197.71
2021-22	23.90	4846.19
2022-23	26.49	5565.33
2023-24	19.91	4206.47
2024-25	11.78	5882.88

पर्यटन वर्ष 2017–18 से नवीन मुकुन्दपुर जू,पचमढ़ी व केन घड़ियाल अभयारण्य के पर्यटन आंकड़े भी सम्मिलित किये गये हैं।

मध्य प्रदेश टाइगर फाउंडेशन समिति

- मध्यप्रदेश सरकार की सहायता करना।
- जनसामान्य में वन्यजीव मध्य प्रदेश शासन ने वर्ष 1997 में नवाचार करते हुये मध्य प्रदेश टाइगर फाउंडेशन समिति की स्थापना मध्य प्रदेश सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत की थी। यह गैर शासकीय संगठन जन सहयोग एवं अन्य संस्थानों के साथ मिलकर प्रदेश में वन्यजीव संरक्षण का कार्य करता है। विभिन्न सहयोगियों से प्राप्त होने वाले दान राशि एवं सामग्री को संरक्षित क्षेत्रों में आवश्यक विशिष्ट प्रबंधकीय जरूरतों हेतु उपलब्ध कराता है इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश टाइगर फाउंडेशन समिति जन समुदाय में वन्यजीव संरक्षण के प्रति जुड़ाव बढ़ाने के लिये विभिन्न अभियान आयोजित करती है। मध्यप्रदेश टाइगर फांउडेशन समिति दानदाताओं/संस्थाओं से दान प्राप्त कर राज्य में वन्यजीव संरक्षण एवं संवर्धन के कार्य करती है। सोसायटी के उद्देश्य निम्नानुसार है–
- वन्यजीव एवं उनके रहवास के संरक्षण हेतु कार्य करना।
- ग्रामों के विस्थापन, पुर्नवसन एवं उनकी आजीविका हेतु कार्य करना।
- वन्यजीव संरक्षण प्रयासों संरक्षण हेतु जागरूकता फैलाना।

मध्यप्रदेश टाइगर फांउडेशन समिति की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां –

स्मारिका दुकान– मध्य प्रदेश टाइगर फाउंडेशन समिति के तहत वित्तीय स्थिरता प्राप्त करने और आय स्रोतों में विविधता लाने के लिए, समिति की शासी निकाय की 20वीं बैठक में अनुमोदन के बाद वन भवन, वन मुख्यालय, भोपाल के गेट नं. 02 पर एक दिनांक 15.01.2025 को स्मारिका दुकान स्थापित की गई है, जो मध्य प्रदेश टाइगर फाउंडेशन समिति द्वारा संचालित की जा रही है। इस दुकान में निम्नलिखित उत्पाद शामिल किए गए हैं:

- मध्य प्रदेश के संरक्षित क्षेत्रों के भीतर स्थानीय समुदायों द्वारा तैयार किए गए उत्पाद।
- विभिन्न टाइगर रिजर्व की स्मारिका दुकानों से सामग्री।
- वन्यजीव संरक्षण से संबंधित पुस्तकें/प्रकाशन।
- लैपल पिन।
- उपरोक्त दुकान से प्राप्त आय का उपयोग वन्यजीव संरक्षण में लगे कर्मचारियों के कल्याण के लिए किया जाएगा।

राष्ट्रीय वन्यजीव कार्यशाला 2025

मध्यप्रदेश में भविष्य की वन्यजीव रणनीति पर 7 एवं 8 मार्च 2025 को पेंच टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश में आयोजित राष्ट्रीय वन्यजीव कार्यशाला 2025 का आयोजन मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशन में किया गया था, जैसा कि राज्य वन्यजीव बोर्ड (एस.बी.डब्ल्यू.एल) की 27 वीं बैठक में संकल्प लिया गया था। यह कार्यशाला राष्ट्रीय संरक्षण प्रयासों में राज्य की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानते हुए आयोजित की गई थी, जिसका उद्देश्य उभरती चुनौतियों का सामना करने के लिए वन्यजीव प्रबंधन को मजबूत बनाने की एक व्यापक रणनीति और कार्ययोजना विकसित करना था।

कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य वर्तमान वन्यजीव संरक्षण प्रथाओं का मूल्यांकन करना, भविष्य के जोखिमों का अनुमान लगाना और राष्ट्रीय एवं वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं से सीख लेकर मजबूत रणनीतियां बनाना था। चर्चा का मुख्य फोकस उन्नत उपकरण और प्रौद्योगिकियों का एकीकरण था, जिसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता का अनुप्रयोग शामिल था, ताकि मध्य प्रदेश में सक्रिय, डेटा–संचालित और वैज्ञानिक वन्यजीव प्रबंधन को सक्षम बनाया जा सके।

अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 2025– 29 जुलाई 2025 अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 2025 का राज्य स्तरीय 15वां आयोजन कुशाभाउ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेशन सेंटर, भोपाल में डॉ. मोहन यादव, माननीय मुख्यमंत्री, म.प्र. शासन के मुख्य आतिथ्य एवं श्री दिलीप अहिरवार, माननीय राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण के म.प्र. शासन के विशेष आतिथ्य में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्जवलन कर किया गया। कार्यक्रम में श्री रामेश्वर शर्मा, विधायक, श्री नरेन्द्र

सिंह चौहान, विधायक बरगी विधानसभा, श्री किशन सूर्यवंशी अध्यक्ष, नगर निगम, श्री रविन्द्र यति, भाजपा जिला अध्यक्ष भोपाल, श्री अशोक वर्णवाल, अपर मुख्य सचिव, वन म.प्र. एवं श्री असीम श्रीवास्तव, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, म.प्र. श्री शुभरंजन सेन, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) म.प्र. सहित वन विभाग के अधिकारी एवं सेवानिवृत्त अधिकारी उपस्थित रहे।

उक्त कार्यक्रम में माननीय मुख्य अतिथि के द्वारा वन्यजीव ट्रांसलोकेशन, रेस्क्यू एवं डॉग स्क्वॉड वाहनों एवं 'गजरक्षक'– एलीफेंट ऐप का लोकार्पण किया गया। इसके पश्चात सात विभागीय प्रकाशनों का विमोचन किया गया एवं सक्रिय वन्यजीव प्रबंधन से संबंधित पांच वृत्तचित्र के टीजर रिलीज किये गए व वन्यजीव संरक्षण एवं प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशस्तिपत्र देकर सम्मानित किया गया।

वन शहीद दिवस 2025– मध्यप्रदेश टाइगर फाउंडेशन समिति द्वारा प्रदेश में विगत 01 वर्ष के भीतर वन एवं वन्यजीव सुरक्षा कार्य के दौरान आरोपियों के साथ हुई मुठभेड़, वन्यजीवों का हमला, अग्नि दुघर्टना, जैसी विषम परिस्थितियों में अपनी जान न्यौछावर करने वाले वनकर्मियों/वन विभाग के शासकीय/स्थाई–अस्थाई कर्मचारी एवं अन्य श्रेणियों में वन विभाग का किसी इकाई से मासिक वेतन/मासिक पारिश्रमिक पाने वाले समस्त वनकर्मियों के बलिदान को मान्यता देते हुए उनके प्रथम आश्रितों (Nominee) को वन शहीद दिवस पर राशि रू. 01.00 लाख एवं स्मारक पटिटका से सम्मानित किया जाता है।

इसी क्रम में दिनांक 11.09.2025 को वन शहीद दिवस के अवसर पर बहुउददेश्यीय हॉल, वन विश्राम गृह, चार इमली, भोपाल में कार्यक्रम आयोजित किया गया। उक्त कार्यक्रम में स्व. श्री फूलसिंह रजक, वनपाल, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, स्व. श्री नागेन्द्र सिंह, सुरक्षा श्रमिक, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व तथा स्व. हरिराम ध्रुवे, स्थाईकर्मी, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के परिजनों को राशि रू. 01.00 लाख एवं स्मारक पटिटका से सम्मानित किया गया।

चीता पुनर्वास – कूनो राष्ट्रीय उद्यान, मध्यप्रदेश – वन, वन्यजीव एवं पर्यावरण से समृद्ध मध्य प्रदेश में 70 वर्ष पूर्व भारत से विलुप्त हो चुके चीता को प्रोजेक्ट चीता अंतर्गत भारत में वापिस लाने का एक साहसिक प्रयास किया गया। चीता प्रोजेक्ट अंतर्गत प्रथम चरण में अफ्रीका महाद्वीप के नामीबिया से 8 अफ्रीकी चीतों को दिनांक 17 सितंबर 2022 को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान, श्योपुर में क्वारेंटाइन बाड़ों में छोड़ा गया। कूनो राष्ट्रीय उद्यान, नामीबिया के चीता विशेषज्ञ तथा भारतीय वन्यजीव संस्था वन की शोध टीम द्वारा बाड़ों में चीतों की लगातार सूक्ष्मता से देखरेख की गई। चीतों के स्वास्थ्य की देखरेख हेतु 3 वन्यजीव चिकित्साकों को भी तैनात किया गया है जो चीतों के भोजन की गुणवत्ता, मात्रा तथा स्वास्थ्य की देखरेख कर रहे हैं।

राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा कूनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गये चीतों की मॉनिटरिंग हेतु एक चीता टास्क फोर्स का गठन किया गया है। चीता टास्क फोर्स द्वारा चीतों के सामान्य व्यवहार एवं स्वास्थ्य की मॉनिटरिंग, शिकार करने की क्षमता तथा कूनो राष्ट्रीय उद्यान के रहवास में ढलने, चीतों को क्वारेंटाइन बाड़ों से बड़े बाड़ों में तथा बड़े बाड़ों से वन क्षेत्र में स्वतंत्र विचरण हेतु मुक्त करने तथा कूनो राष्ट्रीय उद्यान एवं उसके आसपास पर्यटन की संभावनाओं के दृष्टिगत पर्यटन की योजना तैयार की जा रही है। चीतों में लगाये गये रेडियो कॉलर, हाई मास्क कैमरा, कैमरा ट्रैप्स, ड्रोन तथा प्रशिक्षित मॉनिटरिंग चीतों की मॉनिटरिंग दलों द्वारा की जा रही है।

द्वितीय चरण में दक्षिण अफ्रीका से दिनांक 18.02.2023 को 12 अन्य चीते कूनो राष्ट्रीय उद्यान में लाकर बसाये गये है। इस प्रकार कुल 20 चीते लाये गये है एवं 04 बच्चों का जन्म हुआ है। देश में चीतों के दीर्घकालिक संरक्षण सुनिश्चित करने की दृष्टि से आगामी कुछ वर्षों तक नियमित रूप से निश्चित संख्या में चीते दक्षिण अफ्रीकी देशों से भारत लाये जाएंगे। भारत में चीतों के पुनर्वास हेतु तैयार किये गये एक्शन प्लान के अनुसार प्रदेश में कूनो राष्ट्रीय उद्यान के अतिरिक्त गांधीसागर अभयारण्य तथा नौरादेही अभयारण्य को भी चीता संरक्षण हेतु उपयुक्त पाया गया है। गांधीसागर अभयारण्य में तैयारी की जा रही है वर्तमान में कुल 9 चीतों 6 वयस्क एवं 3 शावकों की मृत्यु हुई है। शेष 10 वयस्क एवं 19 शावक चीता कुल 29 चीते कूनों राष्ट्रीय उद्यान के बाडे में उपलब्ध है। गांधीसागर अभयारण्य में 02 चीते दिनांक 20.04.2025 एवं 01 चीता दिनांक 17.09.2025 को छोड़े गये। चीता कमेटी द्वारा निर्णय लेने के उपरांत बाडे से छोड़ने की कार्यवाही की जावेंगी।

1.4.16 कार्य आयोजना

प्रदेश के वनों का वैज्ञानिक प्रबंधन कार्य आयोजना के अनुसार किया जाता है। कार्य आयोजना पुनरीक्षण हेतु प्रदेश में 16 क्षेत्रीय वृत्त स्तर पर कार्य आयोजना इकाईयॉ स्थापित हैं। उन इकाइयों के नियंत्रण हेतु तीन ऑचलिक कार्यालय स्थापित किये गये हैं। जिसका विवरण तालिका क्रमांक 1.38 में दर्शित है

तालिका क्रमांक 1.38
कार्य आयोजना की क्षेत्रीय इकाईयॉ

कार्य आयोजना ऑचलिक	कार्य आयोजना इकाई
भोपाल	1. भोपाल 2.बैतूल 3.नर्मदापुरम 4.सागर 5.छतरपुर
इंदौर	1. इंदौर 2.खण्डवा 3.ग्वालियर 4.शिवपुरी 5.उज्जैन
जबलपुर	1. जबलपुर 2.सिवनी 3.बालाघाट 4.रीवा 5.शहडोल 6.छिन्दवाड़ा

वर्ष 2025–26 में 07 वनमंडलों की पुनरीक्षित कार्य आयोजनाओं का अनुमोदन भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई है, जिसका विवरण तालिका क्रमांक 1.39 में दर्शित है –

तालिका क्रमांक 1.39
स्वीकृत कार्य आयोजनायें

(वर्ष 2025 की स्थिति में)

क्रमांक	कार्य का विवरण	संख्या	वनमंडल का नाम
1	2	3	4
1	अनुमोदित कार्य आयोजनायें	07	रायसेन, नीमच, खण्डवा, मंदसौर, रीवा, टीकमगढ़ एवं डिण्डौरी

प्रदेश के पुनरीक्षणाधीन कार्य आयोजनाओं का विवरण तालिका क्रमांक 1.40 में दर्शित है :–

तालिका क्रमांक 1.40
प्रदेश के वनमंडलों की पुनरीक्षणाधीन कार्य आयोजना

क्र.	वनमंडल	कार्य आयोजना अधिकारी	अवधि
1	2	3	4
1.	बफर जोन सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, नर्मदापुरम	श्री रमेश प्रताप सिंह	2015-16 से 2024-25
2.	बफर जोन पेंच टाइगर रिजर्व, सिवनी	श्री चितरंजन त्यागी	2015-16 से 2024-25
3.	उत्तर बालाघाट	श्री मुद्रिका सिंह	2015-16 से 2024-25
4.	दक्षिण पन्ना	श्री व्ही.के.नीमा	2015-16 से 2024-25
5.	उज्जैन	श्री मोहन लाल मीना	2015-16 से 2024-25
6.	शाजापुर	श्री मोहन लाल मीना	2015-16 से 2024-25
7.	इंदौर	श्री बी.एस.अन्निगेरी	2016-17 से 2025-26
8.	कटनी	श्री आर.के.पाठक	2016-17 से 2025-26
9.	बड़वाह	श्री बी.एस.अन्निगेरी	2016-17 से 2025-26
10.	उत्तर शहडोल	श्री शान्त कुमार शर्मा	2016-17 से 2025-26
11.	गुना	डॉ. दिलीप कुमार	2016-17 से 2025-26
12.	अशोकनगर	डॉ. दिलीप कुमार	2016-17 से 2025-26
13.	बुरहानपुर	श्री ए.के.भूगांवकर	2017-18 से 2026-27
14.	पश्चिम मण्डला	श्रीमती कमलिका मोहन्ता	2017-18 से 2026-27
15.	पश्चिम बैतूल	श्री ए.के.नागर	2017-18 से 2026-27
16.	ग्वालियर	श्री एम.कालीदुरई	2017-18 से 2026-27
17.	दतिया	श्री एम.कालीदुरई	2017-18 से 2026-27
18.	भिण्ड	श्री एम.कालीदुरई	2017-18 से 2026-27
19.	उत्तर सिवनी	श्री एच.एस.मोहन्ता	2017-18 से 2026-27
20.	औबेदुल्लागंज	श्री मृदुल पाठक	2017-18 से 2026-27
21.	दमोह	श्री आर.पी.एस.बघेल	2017-18 से 2026-27
22.	पश्चिम छिन्दवाड़ा	श्री ए.के.जोशी	2018-19 से 2027-28
23.	जबलपुर	श्री ए.के.सिंह	2018-19 से 2027-28

* वनमंडल जिनकी (पी.डब्लू.पी.आर) प्रथम कार्य आयोजना के पुनरीक्षण प्रतिवेदन की बैठक आयोजित की गई – उत्तर बालाघाट, ओबेदुल्लागंज, दक्षिण पन्ना, दमोह, बुरहानपुर, ग्वालियर, दतिया, भिण्ड, उज्जैन, शाजापुर, गुना, अशोकनगर एवं कटनी।

1.4.17 वन भू–अभिलेख

वन ग्रामों का राजस्व ग्रामों में परिवर्तन –

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा–3(1)(ज) के तहत प्रदेश के 827 वनग्रामों को राजस्व ग्रामों में सम्परिवर्तन कराये जाने की कार्यवाही जनजातीय कार्य विभाग द्वारा दिनांक 22.04.2022 एवं दिनांक 26.05.2022 से जारी निर्देशों के तहत राजस्व विभाग, वन विभाग, जनजातीय कार्य विभाग तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संयुक्त रूप से कार्यवाही की जा रही है।

प्रदेश स्तर पर जिला कलेक्टर्स द्वारा जारी वनग्रामों को राजस्व ग्रामों में सम्परिवर्तन कराये जाने से संबंधित 792 ग्रामों की प्रस्तावित अधिसूचनाओं को म.प्र. राजपत्र दिनांक 26.07.2024 में प्रकाशित किया गया है।

जनजातीय कार्य विभाग द्वारा दिनांक 16.04.2025 को जारी SOP के अनुसार वनग्रामों में वन अधिकार पत्र/पट्टों की मान्यता प्रदान करने की कार्यवाही प्रदेश स्तर पर प्रचलित है।

म.प्र. राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचनाओं की जानकारी :–

वर्ष अप्रैल 2025 से दिसम्बर 2025 तक प्रकाशित अधिसूचनाओं की जानकारी का विवरण तालिका क्रमांक –1.41 में दर्शित है :–

तालिका क्रमांक–1.41

क्र.	भारतीय वन अधिनियम 1927	वनखण्डों की संख्या	रकबा (हे.में)
1	धारा-29	99	3930.818
2	धारा-4	03	208.864

1.4.18 समन्वय

प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख मध्य प्रदेश भोपाल के अधीन प्रदेश के विभागीय कार्यो का संपादन मे समन्वय के कार्य किया जाता है।

मध्य प्रदेश लोक सेवाओ के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 का क्रियन्वयन विभाग द्वारा सफलतापूर्वक किया जा रहा है। योजना का क्रियान्वयन आन लाईन होने के परिणामस्वरूप इसका सत्त अनुश्रवण प्रभावी रूप से किया जा रहा है। सेवा प्रदाय का विवरण तालिका क्रमांक 1.42 में दर्शित है –

तालिका क्रमांक 1.42
मध्यप्रदेश शासन लोकसेवा प्रबंधन प्रणाली अन्तर्गत सेवा प्रदाय की स्थिति

अब तक प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या	निर्धारित समय सीमा में निराकृत आवेदन पत्रों की संख्या			निर्धारित समय सीमा के निकालने के पश्चात निराकृत आवेदन पत्रों की संख्या			लंबित आवेदन पत्रों की संख्या					योग	अपूर्ण आवेदन पत्रों की संख्या
	सेवा उपलब्ध कराई गई	सेवा अमान्य कर दी गई	योग	सेवा उपलब्ध कराई गई	सेवा अमान्य कर दी गई	योग	समय सीमा बाहय	समय सीमा पुर्ण होने वाले					
								आज	2 दिनों में	3 दिनों में	3 से अधक दिनों में		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
193	157	0	157	30	1	31	0	0	0	0	0	0	5
32	13	0	13	1	1	2	0	0	0	0	0	0	17
166	86	18	104	30	13	43	0	0	0	0	0	0	19
2847	1934	177	2111	486	116	602	0	0	2	0	2	4	130
33286	27457	1049	28506	3621	296	3917	4	2	1	0	425	432	431
36524	29647	1244	30891	4168	427	4595	4	2	3	0	427	436	602

1.4.19 प्रोजेक्ट

प्रोजेक्ट शाखा प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, मध्यप्रदेश के अधीन कार्य करती है। मध्य प्रदेश वन विभाग अंतर्गत विभिन्न विकास कार्यों हेतु प्रस्ताव बनाना, अनुमोदन एवं क्रियान्वयन का कार्य शाखा द्वारा किया जा रहा है।

वर्तमान में शाखा द्वारा निम्नानुसार प्रोजेक्ट प्रस्तावों को प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, मध्यप्रदेश के अनुमोदन उपरांत संबन्धित शाखाओं को बजट प्रस्ताव हेतु प्रेषित कर दिया गया है:

1. समग्र वन ग्राम विकास योजना।
2. सौर ऊर्जा विकास योजना।
3. संरक्षित क्षेत्रों विकास योजना।
4. मध्य प्रदेश में वन रक्षकों/गाइडों के लिए इकोटूरिज्म पर प्रशिक्षण।
5. मध्य प्रदेश वन विभाग के सभी सामाजिक वानिकी वृत्तों के अंतर्गत बेहतर वृक्षारोपण प्रबंधन हेतु प्रशिक्षण परियोजना।
6. मृदा एवं नमी संरक्षण योजना।
7. वन्यजीव संरक्षण योजना।

वन विभाग, मध्यप्रदेश

अध्याय –तीन
विभाग के अन्तर्गत आने वाले निगम, उपक्रम व संस्थाओं का विवरण

1.5 मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम

1.5.1 निगम का गठन

राष्ट्रीय कृषि आयोग की अंतरिम रिपोर्ट प्रोडक्शन फारेस्ट्रीः मैन–मेड फारेस्ट्स (1972) के आधार पर रू– 20.00 करोड़ की अधिकृत पूंजी से मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम की स्थापना 24 जुलाई 1975 को की गई थी। म.प्र. पुनर्गठन अधिनियम 2000 के अनुसरण में दिनांक 01 अप्रेल 2001 को मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम लि. का विभाजन छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लि. एवं म.प्र. राज्य वन विकास निगम लि. के मध्य किया जा चुका है। 31 अक्टूबर 2006 से निगम की अधिकृत अंशपूंजी रू. 40.00 करोड़ तथा प्रदत्त अंशपूंजी रू. 39,31,75,600 है, जिसमें से केन्द्र शासन का अंशदान रू. 1,38,60,000 एवं मध्यप्रदेश शासन का अंशदान रू. 37,93,15,600 है।

निगम का संचालक मंडल

शासन द्वारा निगम के संचालन हेतु संचालक मंडल का गठन किया गया है, जिसमें वर्तमान स्थिति में 05 संचालक, शासन द्वारा मनोनीत किये गये हैं।

निगम के प्रमुख उद्देश्य

निगम की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य निम्न कोटि के वनक्षेत्रों को तेजी से बढ़ने वाली बहूमूल्य तथा बहुउपयोगी प्रजातियों के रोपण द्वारा उच्च कोटि के वनों में परिवर्तित कर उत्पादन क्षमता एवं गुणवत्ता में सुधार लाना है। विवरण तालिका क्रमांक 1.43 में दर्शित है :

तालिका क्रमांक 1.45
प्रशासनिक संरचना

क्षेत्रीय इकाईया	संख्या	इकाईया
क्षेत्रीय मुख्य महाप्रबंधक	02	भोपाल, जबलपुर
संभागीय प्रबंधक	11	खंडवा, सीहोर, विदिशा-रायसेन (भोपाल), बरघाट (सिवनी), छिंदवाड़ा, लामटा (बालाघाट), रामपुर-भतौड़ी (बैतूल), कुंडम (जबलपुर), मोहगांव (मंडला), रीवा-सीधी (सीधी), उमरिया,

क्षेत्रीय महाप्रबंधक वन विभाग के मुख्य वनसंरक्षक (क्षेत्रीय) के समकक्ष कार्य करते हैं जिनके अधीन संभागीय प्रबंधक पदस्थ किये जाते हैं। क्षेत्रीय महाप्रबंधक भोपाल के अधीन

5 संभागीय प्रबंधक, क्षेत्रीय महाप्रबंधक जबलपुर के अधीन 6 संभागीय प्रबंधक कार्यरत हैं। संभागीय प्रबंधक वन विभाग के वनमंडलाधिकारी के समकक्ष क्षेत्र में कार्य करते हैं। राज्य शासन द्वारा राजपत्र में अधिसूचना जारी कर वन विकास निगम के क्षेत्रीय महाप्रबंधक को मुख्य वनसंरक्षक (क्षेत्रीय) के समकक्ष तथा संभागीय प्रबंधक को वनमंडलाधिकारी (क्षेत्रीय) के समकक्ष वैधानिक अधिकार प्रदाय किये गये हैं।

दिनांक 01–01–2026 की स्थिति में निगम के कुल स्वीकृत अमले 1299 के विरूद्ध कार्यरत संख्या 462 (180 प्रतिनियुक्ति सहित) है।

1.5.2 गतिविधियां एवं उपलब्धियां

वन विकास निगम द्वारा वन विभाग से हस्तांतरित वन भूमि पर सागौन एवं बांस का व्यावसायिक रोपण निगम की मुख्य गतिविधि है।

1.5.3 निगम का लेखा

वर्ष 2021–22 के निगम के वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे विधानसभा के मानसून सत्र माह जुलाई 2025 को विधान सभा के पटल पर रखे जा चुके हैं।

स्थापना वर्ष से ही निगम निरंतर लाभ में चल रहा है। वर्ष 2021–22 तक संचित लाभ रू. 606.77 करोड़ है।

1.5.4 बजट की स्थिति

निगम के संचालक मंडल की बैठक में वर्ष 2025–26 का बजट निम्नानुसार अनुमोदित किया गया है, विवरण तालिका क्रमांक 1.44 में दर्शित है :

तालिका क्रमांक 1.44
वन विकास निगम
का बजट (2025–26)

क्र.	विवरण	बजट अनुमान (लाख रू0 में)
(अ)	प्रारंभिक बैंक शेष	5084.55
(ब)	प्राप्तियां/आय	
	1 विदोहन से (कर के अतिरिक्त)	15502.34
	2 विविध आय	946.46
	3 डिपाजिट रोपण हेतु प्राप्तियां	5337.80
	4 अन्य से प्राप्तियां	2684.24
	5 कैम्पा से प्राप्तियां	2548.00
	6 म.प्र. शासन से कमीशन	89.00
	योग (ब)	27107.84
	योग (अ+ब)	32192.39
(स)	व्यय/भुगतान	
	1 विदोहन व्यय	4299.28
	2 रख-रखाव	659.07
	3 स्थापना व्यय	6380.41
	4 वृक्षारोपण/पुनरूत्पादन व्यय	6498.68
	5 पूंजीगत व्यय	57.50
	6 अनुसंधान विकास एवं कार्य आयोजना व्यय	5.00
	7 कैम्पा	2548.00
	8 किसान कल्याण एवं कृषि विकास	420.00
	9 वन्यजीव-संरक्षण	257.20
	10 आयकर भुगतान	100.00
	11 म.प्र. शासन/भारत सरकार को लाभांश का भुगतान	1300.00
	12 म.प्र. शासन को लीज रेंट का भुगतान	1500.00
	13 संयुक्त वन प्रबंध	1558.77
	14 अतिरिक्त बजट स्वीकृति	123.65
	15 डिपाजिट कार्य व्यय	3500.00
	योग (स)	29207.56
(द)	अंतिम बैंक शेष	2984.83
	योग (स+द)	32192.39

वृक्षारोपण की उपलब्धियां

वन विभाग द्वारा हस्तांतरित किये गये वनक्षेत्रों में वर्ष 1975 से 2025 तक सागौन/बांस/अन्य वृक्षारोपण क्षेत्र का विवरण तालिका क्रमांक 1.45 में दर्शित है :

तालिका क्रमांक 1.45

वन विभाग से निगम को हस्तांतरित वन क्षेत्र (निगम के प्रभार में)	उपचार किया गया क्षेत्र	उपचार हेतु शेष क्षेत्र	गतिविधियां का संक्षिप्त विवरण
4.21 लाख हे.	3.79 लाख हे.	0.42 लाख	सागौन रोपण, बांस रोपण, आर.डी.एफ रोपण (कैम्पा एन पी व्ही), डिपाजिट रोपण

डिपाजिट मद के अन्तर्गत विगत 03 वर्षों तक विभिन्न संस्थानों में उनके द्वारा उपलब्ध कराई गई भूमि एवं वित्तपोष से 36.24 लाख पौधों का रोपण किया गया है।

नर्मदा नगर रोपणी, खण्डवा परियोजना मण्डल,

उमरिया परियोजना मण्डल, परिक्षेत्र उमरिया,
कक्ष क्र. 826 टीपी 2002 (21 वर्ष)

निगम द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी

1. रोपण कार्य की जानकारी

निगम द्वारा वृक्षारोपण का कार्य भारत सरकार को प्रेषित प्रस्ताव की स्वीकृति उपरांत किया जाता है। साथ ही निगम द्वारा कैम्पा आर. डी.एफ.मद तथा डिपाजिट मद अंतर्गत रोपण कार्य संपादित किया जाता है। विगत 3 वर्षो में निगम द्वारा किए गए रोपण का संक्षिप्त विवरण तालिका क्रमांक 1.46 में दर्शित है :

तालिका क्रमांक 1.46

वर्ष	2023-24	2024-25	2025-26
रोपित पौधा संख्या (लाख)	124.14	124.56	114. 62

2. निगम द्वारा रोपित किए गए रोपण की क्षेत्रवार जानकारी निम्नानुसार हैः–

अ – (i) वन विकास निगम द्वारा वर्ष 2024–25 एवं 2025–26 में किया गया रोपण जिसका विवरण तालिका क्रमांक 1.47 में दर्शित है :

तालिका क्रमांक 1.47

वर्ष	2024-25		2025-26	
योजना	रोपण क्षेत्र ग्रास (हे.)	रोपित पौधा संख्या (लाख)	रोपण क्षेत्र ग्रास (हे.)	रोपित पौधा संख्या (लाख)
वर्षा आधारित/स्थल विशेष सागौन रोपण	9364.02	106.87	5684.00	96.95
हैवल्स इंडिया द्वारा वित्त पोषित सागौन रोपण	163.00	4.075	163.00	4.075
एन.टी.पी.सी. कार्बन सिंक रोपण	70.00	0.70	159.00	1.83
चंदन प्रजाति रोपण	0	0	10	0.05
योग	9597.02	111.645	6016	102.905

अ – (ii) वर्ष 2025–26 (रोपण जुलाई 2026 में निगम के रोपण एवं पुनरुत्पादन कार्य के प्रस्ताव भारत सरकार को दिनांक 30–07–2025 से प्रेषित किया गया था। भारत सरकार के क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल द्वारा दिनांक 09–09–2025 को संपन्न बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार भारत सरकार के पत्र कर्मांक 12–04/89/(FOR)/दिनांक 22–09–2025 से प्रदाय स्वीकृति अनुसार संक्षिप्त विवरण तालिका क्रमांक 1.48 में दर्शित है:

तालिका क्रमांक 1.48

वर्ष	पुनरुत्पादन हेतु समस्त प्रस्तावित कुल ग्रास क्षेत्र (हे.)	प्रस्तावित विदोहन क्षेत्र (हे.)	रोपण हेतु प्रस्तावित पौधे (लाख में)
रोपण जुलाई 2026	4380.493	2196.12	50.00

ब. वन विभाग के क्षेत्र में किया गया रोपणः–

तालिका क्रमांक 1.49

वर्ष	2023-24		2024-25	
योजना	रोपण क्षेत्र (हे.)	रोपित पौधा संख्या (लाख)	रोपण क्षेत्र (हे.)	रोपित पौधा संख्या (लाख)
कैम्पा	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक

स. विभिन्न संस्थाओं के द्वारा प्रदायित क्षेत्र में निगम द्वारा किया गया रोपण :–

तालिका क्रमांक 1.50

डिपोजिट कार्य	रोपित पौधा संख्या (लाख में)		
वर्ष	2023-24	2024-25	2025-26
योग	11.98	12.56	11.70

द . विभिन्न संस्थाओं के द्वारा प्रदायित क्षेत्र में निगम द्वारा वर्ष 2024 एवं 2025 में डिपोजिट कार्य अंतर्गत संस्थावार प्रस्तावित किया गया रोपण तालिका क्रमांक 1.51 में दर्शित है :

तालिका क्रमांक 1.51

संस्था का नाम	वर्ष 2024 में रोपित	वर्ष 2025 में रोपित
एन.सी.एल. रोपण	6.19	5.00
डब्ल्यू.सी.एल. रोपण	3.97	3.90
एस.ई.सी.एल. रोपण	2.15	2.25
एम.पी.आई.डी.सी. रोपण	0.04	0
एम.पी.पी.जी.आई.सी.रोपण	0.21	0
एन.टी.पी.सी.	-	0.55
योग	12.56	11.70

तालिका क्रमांक 1.54
वर्षवार रूटशूट उत्पादन एवं निर्वतन की जानकारी

(लाख में)

वर्ष	विगत वर्ष के अतिशेष रूटशूट	वर्ष में अनुमानित उत्पादित रूटशूट	योग	निगम के उपयोग हेतु उपलब्ध रूटशूट	वन विभाग/अन्य संस्था को प्रदाय रूटशूट
2024-25	0.55	157.54	158.09	133.67	24.42
2025-26	0.00	171.72	171.72	128.09	43.63

3. वन्यजीव संरक्षण योजना

माननीय हरित प्राधिकरण, भोपाल के अनुसार 3 से 5% वन क्षेत्र में वन्य जीव संरक्षण के कार्य कराने के निर्देश दिये है। जिसके अनुक्रम में वन्य जीव संरक्षण योजना के अन्तर्गत विगत वर्षो में निगम द्वारा विभिन्न कार्य कराये गये है। वन्य जीव संरक्षण अंतर्गत विगत 04 वर्षों में कार्यों का संक्षिप्त विवरण तालिका क्रमांक 1.53 में दर्शित है :

तालिका क्रमांक 1.53

वर्षवार संपादित कार्य एवं व्यय			
वर्ष	स्वीकृत राशि (लाख में)	कुल व्यय राशि (लाख में)	प्रमुख संपादित कार्य
2023-24	80.00	72.30	बोरी बंधान, तालाब निर्माण, वॉटर हॉल निर्माण, चेक/स्टॉप डेम निर्माण
2024-25	67.95	61.40	बोरी बंधान, तालाब निर्माण, वॉटर हॉल निर्माण, चेक/ स्टॉप डेम निर्माण (कार्य पूर्ण)
2025-26*	257.20	150.00	चारागाह विकास, लेन्टाना उन्मूलन

4. निगमित सामाजिक दायित्व अन्तर्गत किये संपादित कार्यो की जानकारी :–

इस हेतु कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार निगमित सामाजिक दायित्व समिति का गठन किया गया है। इसके अतिरिक्त निगमित सामाजिक दायित्व प्रकोष्ठ का भी गठन किया गया है, जो किए जाने वाले कार्यो का प्रतिवेदन समिति के समक्ष प्रस्तुत करता है। निगमित सामाजिक दायित्व के अंतर्गत निगम द्वारा विगत 04 वर्षों में संपादित किये गये कार्यों का संक्षिप्त विवरण तालिका क्रमांक 1.54

तालिका क्रमांक 1.54

वर्ष	लक्ष्य राशि (लाख में)	कुल व्यय राशि (लाख में)	प्रमुख संपादित कार्य
2023-24	148.53	148.96	ड्यूअल डेस्क वितरण, वॉटर फिल्टर, खेलकूद सामग्री वितरण पिकअप वाहन (महिन्द्रा युटिलिटी व्हीकल), रजिस्ट्रेशन, बीमा, ऐसेसरीज एवं अन्य व्यय स्टील के बर्तन सेट
2024-25	155.00	155.02	विद्यालयों में स्कूल बैग वितरण हेतु राशि रू. 80.00 लाख एवं वन विभाग खेलकूद तैयारी हेतु राशि रू. 10.00 लाख प्रदाय किया गया है। सोलर लाईट पैनल स्थापित, खेलकूद सामग्री
2025-26	152.00	-	राशि प्रस्तावित ।

5. श्रमिक कल्याणकारी योजनाएं

श्रमिक कल्याणकारी या महिलाओं के लिये पृथक से कोई योजना निगम द्वारा नहीं चलाई जा रही है। परंतु निगम द्वारा संचालित समस्त वानिकी कार्य बिना भेदभाव के महिला एवं पुरूष श्रमिकों द्वारा ही संपन्न किये जाते हैं। निगम का अधिकांश कार्यक्षेत्र आदिवासी बहुल है। निगम की स्थाई रोपणियों में वर्ष भर लगातार कार्य उपलब्ध रहता है। जिसमें अधिकांश महिलाएं कार्यरत हैं। निगम के अन्य वानिकी कार्यों में भी महिलाओं को रोजगार के बराबर अवसर प्रदान किये जाते हैं। इन कार्यों में प्रतिवर्ष लगभग 40 लाख मानव दिवस रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। कार्यस्थल पर श्रमिकों का स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाता है। कम्पनी अधिनियम 1956 (संशोधित कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार वनक्षेत्रों में कार्यरत श्रमिकों एवं समीपस्थ ग्रामीणों के लिये निगम के शुद्ध लाभ की 2 प्रतिशत राशि निगमित सामाजिक दायित्व (CSR) के अन्तर्गत खेलकूद सामग्री, प्रशिक्षण, स्कूल बैग्स वितरण। डुअल डेस्क वितरण आदि कार्यों पर व्यय की जा रही ।

6. वनोपज का विदोहन

तालिका क्रमांक 1.57

विवरण	2023-24	2024-25	2025-26 प्रस्तावित
ईमारती काष्ठ (घ.मी.)	63993.26	66507	66239.81
जलाऊ चट्ठे (नग)	35994	30653	30137
बाँस (नो. टन)	3795.49	3055	2244.86
प्राप्त राजस्व (करोड़ रूपये)	181.59	178.29	164.43

7. संयुक्त वन प्रबंधन के अंतर्गत समितियों को लाभांश वितरण

म.प्र. शासन के निर्देशानुसार म.प्र. राज्य वन विकास निगम को हस्तांतरित वनक्षेत्रों के प्रबंधन से प्राप्त शुद्ध लाभ में से निगम की 11 परियोजना मंडलों की 776 संयुक्त वन प्रबंधन समितियों को वर्ष 2006–07 से 2017–18 तक राशि रू. 8619.61 लाख लाभांश राशि भुगतान की गई है। वर्ष 2018–19 हेतु कुल 96 संयुक्त वन प्रबंध समितियों को कुल राशि रू 1558.77 लाख का लाभांश का भुगतान किया जाना प्रस्तावित है। मंडलवार वर्ष 2006–07 से 2017–18 तक संयुक्त वन प्रबंधन समितियों को वितरित करने की जानकारी का विवरण तालिका क्रमांक 1.56 में दर्शित है :

तालिका क्रमांक 1.58

मंडल का नाम	समितियों की संख्या	भुगतान की गई लाभांश राशि रू. (राशि लाख में)
छिंदवाड़ा परियोजना मंडल, छिंदवाड़ा	66	17 32.28
बरघाट परियोजना मंडल, सिवनी	134	1378.19
लामटा परियोजना मंडल, बालाघाट	83	572.83
मोहगांव परियोजना मंडल, मंडला	132	537.11
रामपुर-भतौड़ी परियोजना मंडल, बैतूल	34	593.40
कुंडम परियोजना मंडल, जबलपुर	63	269.20
उमरिया परियोजना मंडल, उमरिया	34	717.02
रीवा-सीधी परियोजना मंडल, सीधी	54	5.62
विदिशा-रायसेन परियोजना मंडल, भोपाल	82	221.36
खंडवा परियोजना मंडल, खंडवा	71	1007.09
सीहोर परियोजना मंडल, सीहोर	23	1585.51
योग-	776	8619.61

1.6 मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ

वनोपज के संग्रहण एवं व्यापार से वनवासियों को लाभ दिलाने की दृष्टि से वर्ष 1984 में मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ का गठन मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत हुआ। मध्यप्रदेश शासन द्वारा वर्ष 1988 में लघु वनोपज के संग्रहण, भण्डारण एवं व्यापार से बिचौलियों को पूर्णतः समाप्त करने के लिये वास्तविक संग्रहण कर्ताओं की त्रिस्तरीय सहकारी संस्थाओं का गठन किया गया। प्राथमिक स्तर पर वास्तविक संग्राहकों की सदस्यता से 1071 प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियां, जिला स्तर पर 60 जिला वनोपज सहकारी यूनियन तथा शीर्ष स्तर पर मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित, कार्यरत है। वर्तमान में मात्र तेन्दूपत्ता के विपणन को छोडकर शेष अन्य लघु वनोपज जैसे हर्रा, बहेडा, लाख, अचार, महुआ, शहद, माहुल पत्ता, आंवला एवं औषधीय वनोपजों का संग्रहण एवं विपणन करने कीग्रामीणों को स्वतंत्रता है। मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ, तेन्दूपत्ता का संग्रहण एवं व्यापार प्राथमिक लघु वनोपज समितियों के माध्यम से करता है तथा शेष अन्य वनोपज के संग्रहण, विपणन में समन्वयक की भूमिका निभाता है।

1. तेंदूपत्ता व्यापारः–

विगत तीन वर्षों में संग्रहण एवं निर्वतन की जानकारी का विवरण तालिका क्रमांक 1.57 में दर्शित है :

तालिका क्रमांक–1.57

संग्रहण वर्ष	संग्रहण दर (रु. प्रति मा. बो.)	कुल संग्रहित मात्रा (लाख मानक बोरा में)	संग्रहण मजदूरी की राशि (करोड़ रुपये में)	विक्रित मात्रा (लाख मानक बोरा में)	विक्रय मूल्य (करोड़ रुपये में)
1	2	3	4	5	6
2023	4000	12.07	482.80	12.07	623.42
2024	4000	16.68	667.20	16.68	946.96
2025	4000	17.12	684.80	16.96	1033.41

वर्ष 2023 में तेन्दूपत्ता के लिए मौसम अनुकूल न होने के कारण 12 लाख मानक बोरा तेंदूपत्ता संग्रहित कर मजदूरी के रूप में संग्राहकों को 362 करोड़ वितरित किए गए।

वर्ष 2024 एवं आगामी वर्षों के लिए संग्राहकों को सचिव म.प्र.शासन वन विभाग के आदेष क्रमांक/26–1/2010/10–3 दिनांक 13.12.2023 द्वारा पारिश्रमिक रूपये 3000 से बढ़ाकर रूपये 4000 प्रतिमानक बोरा किया गया।

राज्य शासन द्वारा दिनांक 15 नवम्बर 2022 को अधिसूचना जारी कर ''मध्यप्रदेश पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) नियम 2022'' लागू किये गये हैं। इन नियमों के अध्याय–9 के अन्तर्गत नियम– 25, 26 एवं 27 में गौण वनोपजों के संग्रहण एवं विपणन के संबंध में ग्राम सभाओं को व्यापक अधिकार दिये गये हैं।

तेन्दूपत्ता के संबंध में नियम 26(4) में प्रावधान है कि ''तेन्दूपत्ते का संग्रहण एवं विपणन मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज व्यापार एवं विकास सहकारी संघ मर्यादित के माध्यम से कराया जायेगा, तथापि ग्राम सभा चाहे तो तेन्दू पत्ते का संग्रहण एवं विपणन स्वयं कर सकेगी, बशर्ते ग्राम सभा इस बाबत् संबंधित संग्रहण वर्ष के पूर्व वर्ष में 15 दिसंबर तक इस हेतु संकल्प पारित कर ग्राम पंचायत के माध्यम से वन विभाग के क्षेत्रीय अधिकारियों को अवगत करावें ।''

संग्रहण वर्ष 2025 में च्मै। अंतर्गत प्रदेश की 17 जिलों की कुल 224 ग्राम सभाओं द्वारा उनके द्वारा स्वयं संग्रहण एवं विपणन की सहमति दी गई है। उत्तर बालाघाट की दो प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों किनारदा एवं डाबरी के अंतर्गत संपूर्ण ग्राम सभाओं द्वारा स्वयं संग्रहण एवं विपणन की सहमति दी गई है।

संग्रहण वर्ष 2026 हेतु म.प्र.शासन द्वारा ''पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम 1996 के तहत ऐसी ग्राम सभाओं जो स्वंय तेन्दूपत्ता संग्रहण एवं विपणन करने की इच्छुक है, उनसे प्रस्ताव दिनांक 15 दिसम्बर 2025 तक प्राप्त करने के जिला यूनियनों को निर्देश दिये गये थे। विवरण तालिका क्रमांक– 1.59 में दर्शित हैः –

2. शुद्ध आय का वितरणः–

संविधान के 73वें संशोधन के फलस्वरूप लघु वनोपज का स्वामित्व ग्राम सभाओं को सौंपा गया है। प्रदेश में लघु वनोपज व्यवसाय से ग्रामीणों को उचित लाभ दिलाने के लिए अनेक नीतिगत निर्णय लिये गये हैं। लघु वनोपज के अंतर्गत तेन्दूपत्ता के व्यवसाय से होने वाली संपूर्ण शुद्ध आय प्राथमिक सहकारी वनोपज समितियों को उपलब्ध कराई जा रही है।

तेन्दूपत्ता लाभांश की राशि का 75 प्रतिशत संग्राहकों को प्रोत्साहन पारिश्रमिक के रूप में, 10 प्रतिशत स्थल विशिष्ट की आवश्यकतानुसार वनों के संरक्षण, संवर्धन एवं जागरूकता हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम के रूप में, 5 प्रतिशत ग्राम सभा के नियंत्रणाधीन सामुदायिक वन प्रबंधन समिति को तथा शेष 10 प्रतिशत प्राथमिक लघु वनोपज समितियों की अधोसंरचनाएं एवं कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयनहेतु राशि मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा दी जा रही है।

(I) **प्रोत्साहन पारिश्रमिक** :– इस व्यवस्था के अंतर्गत विगत तीन वर्षों की प्रोत्साहन पारिश्रमिक की राशि का विवरण तालिका क्रमांक– 1.58 में दर्शित है : –

तालिका क्रमांक–1.58

वर्ष	प्रोत्साहन पारिश्रमिक राशि (रूपये करोड़ में)	
	कुल आंकलित	कुल वितरित राशि
2021	234.06	206.64
2022	317.15	309.34
2023	115.02	113.99

(ii) **मूल भूत सुविधाओं का विकास** :– इस व्यवस्था के अन्तर्गत विगत तीन वर्षों में अधोसंरचना विकास कार्यो का विवरण तालिका क्रमांक – 1.59 में दर्शित हैः –

तालिका क्रमांक–1.59

क्रमांक	वित्तीय वर्ष	कार्यो की संख्या	स्वीकृत राशि (रूपये लाख में)
1	2023-24	859	6661,27
2	2024-25	735	6749.87
3	2025-26	88	825.02

(ii) **वन संवर्धन** :– अंत स्थलीय एवं बाह्य स्थलीय पौधारोपण का विवरण तालिका क्रमांक– 1.60 में दर्शित है : –

तालिका क्रमांक–1.60

क्रमांक	वित्तीय वर्ष	रोपण क्षेत्र (हैक्टे.में)	स्वीकृत राशि (रूपये लाख में)
1	2023-24	862	2000.95
2	2024-25	2755	4838.35
3	2025-26	0	0

3. लघु वनोपज संग्रहण एवं विपणन से ग्रामीणों को उचित लाभ दिलाना :–

लघु वनोपज से ग्रामीणों को रोजगार के साधन विकसित करने एवं लघु वनोपज का उन्हे उचित लाभ दिलाने हेतु म.प्र. राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा सतत प्रयास किये जा रहे हैं, जिनमें निम्न गतिविधियां प्रयुक्त हैं–

(I) **प्रधानमंत्री वन धन योजना** :–

जनजातीय समुदाय की आय वृद्धि के लिये भारत सरकार ने वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री वन धन विकास योजना का आरंभ किया। मध्यप्रदेश में इस योजना का क्रियान्वयन लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित के द्वारा किया जा रहा है। वन धन विकास योजना का क्रियान्वयन सुचारु रूप से प्रदेश में वर्ष 2020 से प्रारंभ हुआ। अब तक प्रदेश के 20 जिलों में कुल 126 वन धन विकास केंद्र स्थापित किए गये हैं जिनके अंतर्गत करीब 37,800 सदस्य पंजीकृत हैं। वन धन केन्द्रों द्वारा लघु वनोपजों का संवहनीय संग्रहण, प्राथमिक प्रसंस्करण एवं विपणन तथा बाजार की मांग एवं उपलब्धता के आधार पर वनोपजों का मूल्य संवर्धन के कार्य किए जा रहे हैं।

साथ ही प्रदेश में प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान योजना (PM & JANMAN) अंतर्गत विशेष रूप से कमजोर आदिवासी वर्गों (PVTG) के लिए कुल लक्ष्य 198 पीवीटीजी वन धन केंद्रों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया था। PVTG & VDVK की स्थापना के लिए प्रदेश के PVTG बाहुल्य 19 जिला यूनियनों (अनुपपुर, अशोकनगर, उत्तर बालाघाट, दक्षिण बालाघाट, दक्षिण छिंदवाड़ा, पश्चिम छिंदवाड़ा, पूर्व छिंदवाड़ा, डिंडोरी, गुना, ग्वालियर, कटनी, पूर्व मंडला, पश्चिम मंडला मुरेना, नरसिंहपुर, दक्षिण शहडोल, श्योपुर, सीधी, शिवपुरी, रायसेन एवं विदिशा) को चिन्हित किया गया है। वर्तमान में इन जिलों से कुल 221 पीवीटीजी वन धन केंद्रों के प्रस्ताव TRIFED, जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार को भेजें जा चुके है जिसमे से TRIFED द्वारा अभी तक प्रदेश में स्थापना के लिए कुल 83 पीवीटीजी वनधन केंद्र स्वीकृत किये गए हैं।

(ii) **न्यूनतम समर्थन मूल्य पर लघु वनोपजों का क्रय:–** न्यूनतम समर्थन मूल्य पर लघु वन उत्पाद का मूल्य श्रृंखला विकास के माध्यम से लघु वन उत्पाद का विपणन (Mechanism for marketing of Minor Forest Produce (MFP) and Development of Value Chain for MFP) योजना संचालित की जा रही है, जो कि 75 प्रतिशत भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय से पोषित है एवं 25 प्रतिशत राज्य शासन का अंश है। राज्य शासन के अंश का वहन राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा किया जाता है।

योजना अंतर्गत मध्य प्रदेश में प्रमुखता से पाई जाने वाली 32 लघु वनोपज प्रजातियों का संग्रहण न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किया जाता है। जिसके अद्यतन निर्धारित मूल्य निम्नानुसार तालिका क्रमांक 1.61 में दर्शित है : –

तालिका क्रमांक–1.61

क्र.	वनोपज	न्यूनतम समर्थन मूल्य (दर रू.मे प्रति किलो)
1	अचार गुठली	130/-
2	बेल गूदा	30/-
3	करंज बीज	40/-
4	कुसुम लाख	275/-
5	लाख रंगीनी	200/-
6	महुआ बीज/गुल्ली	35/-
7	महुआ फूल	35/-
8	नीम बीज	30/-
9	साल बीज	20/-
10	शहद	225/-
11	बहेडा	25/-
12	चकोडा बीज	20/-
13	हर्रा	20/-
14	नागरमोथा	35/-
15	जामुन बीज	42/-
16	आंवला गूदा	52/-
17	मकिंग नट (भिलावा)	09/-
18	अनन्त मूल	35/-
19	अमलतास बीज	13/-
20	अर्जुन छाल	21/-
21	गिलोय	40/-
22	कोंच बीज	21/-
23	कालमेघ	35/-
24	बायबडंग बीज	94/-
25	धवईफूल	37/-
26	वन तुलसी पत्तियां	22/-
27	कुटज (सूखी छाल)	31/-
28	मकोय (सूखे फल)	24/-
29	अपंग पौधा	28/-
30	इमली बीज सहित	36/-
31	सतावरी की सूखी जड	107/-
32	गुडमार	41/-

(iii) अपनी दुकान, गोदाम निर्माणः– भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय एवं ट्राईफेड नई दिल्ली के सहयोग से न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना अन्तर्गत लघु वनोपजों के क्रय एवं भण्डारण हेतु 235 नयी अपनी दुकान एवं 160 नये गोदाम समूह का निर्माण कराया गया है।

एक जिला एक उत्पाद :–

एक जिला एक उत्पाद योजनान्तर्गत मध्य प्रदेश के अलीराजपुर तथा उमरिया जिले में महुआ का चयन किया गया है। उच्च गुणवत्ता का महुआ संग्रहण करने हेतु प्रयास किये जा रहे है। संग्रहित महुआ के सुरक्षित भंडारण/विपणन पर भी ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही महुआ के मूल्य संवर्धन से कई उत्पादों को भी तैयार किया जा रहा है। इन तैयार उत्पादों को विभिन्य प्रकार के कार्यक्रमों/मेलो में प्रदर्शित भी किया जा रहा है। विपणनको और अधिक प्रोत्साहित करने हेतु ई– प्लेटफार्म का भी उपयोग करने का प्रयास किया जा रहा है।

कल्याणकारी योजनायें :–

लघु वनोपज संग्राहकों की सहायता हेतु म.प्र. राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा निम्न योजना संचालित की जा रही है।

एकलव्य शिक्षा विकास योजना :–

लघु वनोपज संघ द्वारा ''एकलव्य शिक्षा विकास योजना'' नवंबर 2010 में प्रारंभ की गई है। इस योजना का उद्देश्य वनक्षेत्रों में निवास करने वाले तेन्दूपत्ता संग्राहकों के बच्चों की शिक्षा की ऐसी व्यवस्था करना है, जिससे उनके होनहार बच्चे धनाभाव के कारण उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित न रह जाएं। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु उत्कृष्ट शिक्षण संस्थानों में प्रवेश एवं शिक्षा का व्यय वनोपज संघ द्वारा वहन किया जाता है।

- प्रदेश के तेन्दूपत्ता संग्राहकों, फड़मुंशियों एवं प्राथमिक वनोपज समितियों के प्रबंधकों के पिछली परीक्षा में 60 प्रतिशत अंक पाने वाले बच्चों को योजना का लाभ लेने की पात्रता है।
- इस योजना में पात्रता हेतु संग्राहक के लिए यह आवश्यक है कि विगत पांच वर्षों में उसके द्वारा न्यूनतम एक मानक बोरा तेन्दूपत्ता का संग्रहण किया गया हो तथा फड़ मुंशी एवं समिति प्रबंधक द्वारा कम से कम तीन वर्षों में तेन्दूपत्ता सीजन में कार्य किया गया हो।
- योजना में शिक्षण शुल्क, पाठ्य पुस्तकों पर व्यय, छात्रावास व्यय तथा वर्ष में एक बार घर आने–जाने हेतु यात्रा व्यय दिया जाता है, तथा सहायता की अधिकतम वार्षिक सीमा निम्नानुसार होगी–
  - कक्षा 9वीं एवं 10वीं के विद्यार्थियों को 15,000/– रुपये अधिकतम
  - कक्षा 11वीं एवं 12वींके विद्यार्थियों को 18,000/– रुपये अधिकतम
  - गैर तकनीकी स्नातक विद्यार्थियों को 25,000/– रुपये अधिकतम
  - व्यावसायिक कोर्स के विद्यार्थियों को 60,000/– रुपये अधिकतम

इस वर्ष से प्रचलित प्रावधानों के अतिरिक्त कक्षा 12वीं उत्तीर्ण करने के बाद व्यवसायिक कोर्स इंजीनियरिंग एवं मेडिकल की कोचिंग संभागीय स्तर एवं जिला स्तर पर करने हेतु भी वित्तीय सहायता प्रदाय करने के प्रावधान किए गए है।

- भोपाल, इन्दौर, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा संभागीय मुख्यालयों में रू. 8000/– प्रतिमाह (अधिकतम 12 माह हेतु)
- अन्य संभागीय मुख्यालयों में रू. 6000/– प्रतिमाह (अधिकतम 12 माह हेतु)
- संभागीय जिले को छोड़कर शेष अन्य जिला स्तर पर रू. 3500/– प्रतिमाह (अधिकतम 12 माह हेतु)

एकलव्य शिक्षा विकास योजना

लाभान्वित हितग्राहियों की वर्षवार संख्या का विवरण तालिका क्रमांक–1.62 में दर्शित हैः–

तालिका क्रमांक–1.62

वित्तीय वर्ष	स्कूल शिक्षा	उच्च शिक्षा	तकनीकी शिक्षा	योग	राशि (लाख में)
2024-25	2027	603	328	2958	379.55
2025-26	759	125	59	943	120.51
महायोग	2786	728	387	3901	500.06

लघु वनोपज प्रसंस्करण एवं अनुसंधान केन्द्र (एम.एफ.पी.–पार्क) की वर्ष 2024–25 के महत्वपूर्ण कार्य एवं उपलब्धियॉ

(I) हर्बल औषधियों की आपूर्ति :

शासकीय आपूर्ति आयुष विभाग मध्यप्रदेश एवं अन्य शासकीय संस्थाओं से वित्तीय वर्ष 2025–26 में 31 अक्टूबर 2025 तक रू. 16.22 करोड़ से अधिक मूल्य की औषधियों की आपूर्ति संबंधित विभागों को की जा चुकी है।

6.2. रिटेल (खुदरा) आपूर्ति वित्तीय वर्ष 2025–26 में संजीवनी केन्द्रों एवं अन्य रिटेल क्षेत्रों में प्राप्त आपूर्ति आदेशो के अंतर्गत 31 अक्टूबर 2025 तक रू. 23.82 लाख मूल्य की औषधियों की आपूर्ति की गई है।

(iii) प्रशिक्षण :

- IFS From GIZ Delhi Project - 20 Officers

(2.) ACF From कोयम्बटूर – 42 अधिकारी

(3) वन समितियों / प्राथमिक लघु वनोपज समितियों एवं वनधन केन्द्र के हितग्राहियों को दो दिवसीय प्रशिक्षण 06 एवं 07 नवम्बर को आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में वनक्षेत्रपाल सहित उप वनमंडलाधिकारी भी उपस्थित रहे।

एम.एफ.पी. पार्क का भ्रमण

- Vinaka and Collage of Pharmacy, Bhopal& 11-07-2025, Students - 46
- Sarvepalli Radhakrishna Collage of Ayurveda] BPL – 15-07-2025, Students - 36
- Vaishnavi Institute of Pharmacy] Bhopal – Students 44 on 12 Aug,2025
- SIP Tech, Bhopal – 13, 14 Aug 2025 - 35 Students
- SVN Institute of Pharmacy & Research, Sagar - Student -50 ; 12 Sept, 2025
- बंसल कॉलेज ऑफ फार्मेसी– 15, 16 Sept,2025 - 80 Student
- शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या उ.म. विद्यालय के कक्षा 9–12 की 60 छात्राओं – दिनांक 23 सितम्बर, 2025
- MPCST, Bhopal - 29 Sept, 2025 - 35 Student
- आर.एन.टी.यू.विश्वविद्यालय– 06 Oct, 2025 - 38 Student
- मानसरोवर डेंटल कॉलेज छात्र – 13 Oct, 2025 - 50 Student
- श्री साई इंस्टीयूट ऑफ फार्मेसी– 14 Oct,2025 - 41 Student

दंत स्वास्थ्य परीक्षण शिविर –

दिनांक 13 - Oct -25 को मानसरोवर डेंटल कॉलेज के चिकित्सक दल द्वारा केन्द्र के 46 हितग्राहियों का परीक्षण किया गया।

रैली आयोजन :– दिनांक 23.09–2025 को आयुर्वेद दिवस के उपलक्ष्य में रैली का आयोजन तथा पौधा वितरण किया गया।

अंतर्राष्ट्रीय वन मेला 2024

वन विभाग, मध्य प्रदेश शासन एवं मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ, मर्यादित, भोपाल के संयुक्त तत्वाधान में 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वन मेले का आयोजन दिनांक 17 से 23 दिसंबर 2025 तक लाल परेड मैदान, जहाँगीराबाद, भोपाल में किया गया। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय वन मेले की थीम ''समृद्ध वनः खुशहाल जन'' रखी गई।

मेले का उद्घाटन समारोह में, श्री दिलीप अहिरवार, माननीय राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण म.प्र. शासन के विशिष्ट आतिथ्य में आयोजित किया गया।

इस अवसर पर श्री अशोक बर्णवाल, अपर मुख्य सचिव, वन एवं प्रशासक, म.प्र. राज्य लघु वनोपज संघ, श्री व्ही.एन.अंबाड़े, वन बल प्रमुख, वन विभाग म.प्र.एवं डॉ. समीता राजौरा, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य लघु वनोपज संघ की विशेष उपस्थिति रही।

सर्व प्रथम सभी अतिथियों द्वारा मेले में धन्वन्तरी पूजन कर ''समृद्ध वनः खुषहाल जन'' थीम पर आधारित विभागीय प्रदर्शनी, जिला यूनियन तथा वन धन केंद्र स्टाल्स एवं मेले का अवलोकन किया गया।

इन 07 दिनों में मेले में लगभग तीन लाख लोगों ने मेले का भ्रमण किया। प्रतिदिन लगभग चालीस हजार से अधिक लोगों ने मेले का लाभ उठाया। इस वर्ष मेले में प्रदेश की प्राथमिक लघु वनोपज समितियों के सदस्य, संग्रहणकर्ता, प्रसंस्करणकर्ता एवं आयुर्वेदिक फार्मेसी, विपणनकर्ताओं के 300 स्टॉल स्थापित किये गये, जिसमें मध्यप्रदेश के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, उत्तराखण्ड, एवं जम्मू कश्मीर राज्यों का प्रतिनिधित्व रहा।

प्रदेश के विभिन्न विभागों द्वारा प्रदर्शनी क्षेत्र में आकर्षक प्रदर्शनी लगाई गई। जिसके माध्यम से आमजनों को विभागीय कार्यों एवं योजनाओ की जानकारी प्राप्त हुई। मेले में हर्बल उत्पादों, जड़ी बूटियों के प्रदर्शन एवं विक्रय हेतु 48 जिला लघु वनोपज सहकारी यूनियन एवं 19 वन धन केन्द्रों के स्टाल्स लगाए गए। मेले में निःशुल्क चिकित्सा परामर्श हेतु ओपीडी के 50 स्टॉल स्थापित किये गये, जिसमें 150 आयुर्वेदिक डॉक्टरों/वैद्यों द्वारा लगभग 13 हजार से अधिक लोगों को निःशुल्क परामर्श दिया गया।

मेले में वनोपज उत्पादों की कुल बिक्री लगभग 2.65 करोड़ रूपये रही। सर्वाधिक जोर प्राकृतिक, हर्बल, जैविक एवं आयुर्वेदिक उत्पादों पर रहा।

NTFPs Inclusive Growth Linking Forest Prospenty With Community Well-being विषय पर 2 दिवसीय अंर्तराष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन दिनांक 19 एवं 20 दिसम्बर को किया गया। कार्यशाला में प्रदेश एवं देश के विभिन्न विषय विशेषज्ञों की उपस्थिति के साथ नेपाल, भूटान के प्रतिनिधियों द्वारा भाग लिया गया। विशेषज्ञों के साथ सार्थक संवाद के साथ–साथ लघु वनोपज प्रबंधन क्षेत्र में किए जा रहे अनुसंधान, नवाचार से भी प्रतिभागी अवगत हुए।

मेले के दौरान 20 दिसम्बर को क्रेता–विक्रेता सम्मेलन भी आयोजित किया गया, जिसमें एम.एफ.पी–पार्क के साथ 35 जिला वनोपज यूनियन, 79 प्राथमिक लघु वनोपज समितियाँ, 17 वन धन केन्द्रों के 120 प्रतिनिधियों को एक विपणन मंच उपलब्ध कराया गया। क्रेता–विक्रेता सम्मेलन में विभिन्न प्रकार की लघु वनोपज के आपसी क्रय–विक्रय हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये है।

देश के प्रसिद्ध गायककार श्री नीरज श्रीधर के द्वारा वन मेले में मनमोहक प्रस्तुतिया कर उपस्थित जन समुदाय का मनोरंजन किया गया।

11 वें अंतर्राष्ट्रीय वन मेला, 2025 के समापन समारोह का आयोजन 23 दिसम्बर को श्री डॉ.कुंवर विजय शाह, आदिम जाति कल्याण विभाग मध्यप्रदेश शासन के मुख्य आतिथ्य के रूप में तथा माननीय श्री दिलीप सिह अहिरवार मध्यप्रदेश शासन की अध्यक्षता में किया गया।

इस अवसर पर श्री अशोक बर्णवाल जी, अपर मुख्य सचिव, वन एवं प्रशासक म.प्र. राज्य लघु वनोपज संघ, श्री व्ही.एन. अंबाडे जी, वन बल प्रमुख, वन विभाग, म.प्र. एवं डॉ. समीता राजौरा, प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य लघु वनोपज संघ मंचासीन रहे।

1.7 राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर

म.प्र. राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर की, 27 जून, 1963 को म.प्र. राज्य शासन, वन विभाग द्वारा जबलपुर में स्थापना की गई। यह संस्थान भारत का प्रथम राज्य स्तरीय वानिकी शोध संस्थान है। 29 अक्टूबर, 1994 में इस संस्थान को स्वायतता प्रदान की गई एवं 02 अगस्त, 1995 को संस्था के रूप में पंजीबद्ध किया गया। संस्थान वन वनस्पति, वनवर्धन, वृक्ष सुधार, बीज तकनीकी, जैव विविधता, वन आनुवांशिकी, जैव प्रौद्योगिकी, वनोपज विपणन, वन विस्तार, वन मापिकी, वन पारिस्थितिकीय एवं पर्यावरणीय प्रभाव, वन्यजीव तथा कृषि वानिकी आदि विषयों में शोध एवं क्षेत्रीय स्तर पर हस्तांतरण योग्य तकनीक विकसित कर उनके प्रचार–प्रसार का कार्य करता है। संस्थान के संचालक मंडल में 18 सदस्य तथा अनुसंधान सलाहकार समिति में 20 सदस्य हैं। संस्थान में संचालक का पद प्रधान मुख्य वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक के स्तर का है।

महत्वपूर्ण योजनाएँ एवं गतिविधियाँ

- वर्ष 2025–26 के दौरान संस्थान की अनुसंधान गतिविधियाँ, अनुसंधान परियोजनाओं के माध्यम से वन विभाग के क्षेत्रीय स्तर पर वन प्रबंधन में वैज्ञानिक सहयोग प्रदान करने हेतु विभिन्न विषयों पर केन्द्रित रही है। इनमें से कुछ प्रमुख विषय निम्नानुसार हैः–
- जंगल की आग का मृदा संरचना एवं मृदा नमी पर प्रभाव
- वन गतिविधियों के मूल्यांकन में संयुक्त वन प्रबंधन समितियों (JFMCs) की भूमिका का विश्लेषण विशेष रूप से वन अग्नि प्रबंधन पर ध्यान केन्द्रित करते हुए
- सूक्ष्म प्रबंध योजना निर्माण हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम
- वृक्षारोपण करने की तकनीक पर दो दिवसीय प्रशिक्षण– सह–कार्यशाला
- सागौन के वनों से स्वस्थ्य एवं उन्नत केंडिडेट प्लस ट्री का चयन
- मध्यप्रदेश तथा महाराष्ट्र में कृषकों को लाख की खेती को प्रोत्साहित करने तथा उनके आय में वृद्धि बाबत लाख के कीटों का संरक्षण एवं संचारण करने हेतु नेटवर्क परियोजना का संचालन।
- मध्यप्रदेश के विभिन्न वनों में स्थित नमूना भूखण्डों (sample plots) में सागौन, साल एवं अन्य प्रजातियों की वृद्धि का अध्ययन।
- संस्थान के बैम्बूसिट्म (बांस का पौधशाला) में देश के विभिन्न क्षेत्रों से विभिन्न प्रजातियों के बांस पौधों को लाकर उनका रोपण तथा रखरखाव।
- मध्यप्रदेश के विभिन्न कृषि–जलवायु क्षेत्रों में कृषि–वानिकी मॉडल्स की सफलता एवं असफलता के कारकों का विश्लेषण।
- संस्थान की मृदा विज्ञान प्रयोगशाला में मध्यप्रदेश के विभिन्न वनमण्डलों, मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम तथा संस्थान में प्रचलित विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत प्राप्त मृदा नमूनों का परीक्षण किया गया।
- Comprative study of M-P- teak timber and imported teak timer
- Estimation of prey population abundance and dynamics in M-P-
- Strengthening of Market Information System (MIS) for Dissemination of Market Analysis of Minor Forest Produce in different Agro&Climatic Zones of Madhya Pradesh
- Conservation of Baobab tree *(Adansonia digitata)* through development and extension of its nursery plantation and conservation techniques in Dhar district of M-P-

- Hands on eÛperiment on kusmi lac cultivation in Bichhiya village of Umaria Forest Division of Madhya Pradesh
- Criteria for laying fire lines and their effective width
- Developing a new danger rating system
- Assessment of impact of fire on vegetation invasive plants and forest fauna of Madhya Pradesh
- Assessment of floral and faunal bio&diversity and prepartion of suitable wildlife conservation plan in respect to construction of Sitapur-Hanumana micro irrigation project
- Assessment of floral and faunal diversity and preparation of wildlife passage plan on the proposed construction of 3rd railway line for the section of Itarsi-Nagpur under Narmadapuram and Betul districts
- A scientific study on the ecological impact and sustainability of aerial firefighting in the forests of South Panna division
- Molecular characterization Biochemical profiling and in&vitro multiplication of elite genotypes of *Boswellia serrata* (traina & planch) with special reference in M-P-
- Standardization of propoagation technology for production of quality seedlings of *Boswellia serrata, Buchania lanzan* and *Shorea robusta*
- Multilocational cum provenance trials of important forestry and bamboo species in different forest divisions of Madhya Pradesh-
- Standardization of Propagation technology for production of quality seedlings of *Boswellia serrata, Buchanania lanzan* and *Shorea robusta.*
- Ecology of Indian wolf *(Canis lupus pallipes)* and its conservation implication in Nauradehi wildlife division, M.P.
- Collection and Ex–situ conservation of medicinal and aromatic plants in Gene-bank of SFRI, Jabalpur and their management
- Study project on wild elephant habitat use and mitigation measures to minimize man-elephant conflict: With special reference to Sanjay-Bandhavgarh habitat linkage of central highlands landscape-
- Training on concept of Soil Moisture Conservation and its Importance in forestry

अनुश्रवण एवं मूल्यांकनः–

संस्थान द्वारा किए गए अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्यः–

(1) वन विभाग म.प्र. द्वारा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वर्ष 2015–16 में किये गये वृक्षारोपणों का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

वर्तमान में रा.व.अ.सं. जबलपुर की अनुश्रवण एवं मूल्यांकन सेल द्वारा म.प्र. के विभिन्न वृक्षारोपणों के मूल्यांकन का कार्य किया जा रहा है। यह कार्य वन विभाग म.प्र. द्वारा स्वीकृत परियोजना वन विभाग म.प्र. द्वारा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वर्ष 2015–16 में किये गये वृक्षारोपणों का अनुश्रवण एवं मूल्यांकनृ के तहत किया जा रहा है। यह परियोजना श्री प्रदीप वासुदेवा संचालक, रा.व.अ.सं. जबलपुर, परियोजना नियंत्रक एवं समन्वयक श्री संदीप फैलोज, उपसंचालक एवं कार्यालय प्रमुख के मार्गदर्शन में संपादित की जा रही है।

वन विभाग में वनीकरण एवं वनों की उत्पादकता में वृद्धि हेतु विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न उद्देश्यों के पूर्ति हेतु वन विभाग द्वारा प्रतिवर्ष वृक्षारोपण कराये जाते है। ये वृक्षारोपण परियोजनायें लगभग 07 वर्ष की होती हैं अतः इन वृक्षारोपणों की परियोजना अवधि समाप्त होने पर इनका समग्र मूल्यांकन किया जाना आवश्यक है मूल्यांकन की यह जानकारी Base line data का कार्य करेगी जो आने वाले समय में वृक्षारोपण कार्यो का महत्व क्षेत्रीय अमले एवं अन्य को समझाने में सहायक होगा।

यह मूल्यांकन कार्य संपूर्ण म.प्र. के 64 वनमंडलों में किया जा रहा है यह चार चरणों में किया जायेगा। जिसमें प्रथम चरण में 180 वृक्षारोपणों (लगभग 4500 हे. क्षेत्र) एवं द्वितीय चरण के 180 वृक्षारोपणों (लगभग 3682.16 हे. क्षेत्र) का मूल्यांकन कार्य पूर्ण कर प्रतिवेदन मुख्यालय भोपाल को प्रेषित किये गये हैं। तृतीय चरण में 180 वृक्षारोपणों (लगभग 5482.66 हे. क्षेत्र) के क्षेत्रीय मूल्यांकन का कार्य पूर्ण हो गया है। 140 वृक्षारोपण स्थलों की डाटा फीडिंग, एनालिसिस एवं प्रतिवेदन तैयार कर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, भोपाल म.प्र. को सॉफ्टकॉपी में ई–मेल द्वारा भेजा जा चुका है। शेष बचे वृक्षारोपणों के प्रतिवेदन तैयार करने का कार्य प्रगति पर है। यह मूल्यांकन कार्य रा.व.अ.सं. जबलपुर के वैज्ञानिकों, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारियों, फील्ड स्टाफ एवं प्रोजेक्ट स्टाफ के द्वारा किया जा रहा है।

पूर्व में वृक्षारोपणों के मूल्यांकन में सिर्फ जीवित प्रतिशत एवं ग्रोथ का ही अध्ययन किया जाता था परंतु वर्तमान में किये जा रहे मूल्यांकन में वन संसाधन सर्वेक्षण, वन्यजीवों की उपस्थिति, सामाजिक आर्थिक एवं प्रोजेक्ट इम्पेक्ट असिस्मेंट आदि का अध्ययन भी शामिल किया गया है। इस रोपण कार्य से क्षेत्र की जैव विविधता पर क्या प्रभाव पड़ रहा है यह जानकारी भी मिलेगी।

प्रशिक्षण कार्यक्रमः—

(1) सूक्ष्म प्रबंध योजना निर्माण हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संयुक्त वन प्रबंध) वित्तपोषी संस्था से स्वीकृत परियोजना ``सूक्ष्म प्रबंध योजना निर्माण हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम´´ के अंतर्गत तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम दिनांक 16/09/2025 से 18/09/2025 तक मध्यप्रदेश राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर की वन प्रबंधन प्रभाग द्वारा श्री प्रदीप वासुदेवा, संचालक रा.व.अ. सं. जबलपुर के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया है। इस तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में 06 वनमण्डलों दक्षिण सागर, उत्तर सागर, दमोह, दक्षिण सिवनी, उत्तर सिवनी एवं नरसिंहपुर से कुल 27 प्रशिक्षणार्थियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन संस्थान के संचालक. के द्वारा किया गया। उद्घाटन के अवसर पर इन्होने अपने उदबोधन में सूक्ष्म प्रबंध योजना निर्माण से संबधित महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में विषय विशेषज्ञ श्री आर. बी. शर्मा, आई.एफ.एस. सेवानिवृत्त मुख्य वन संरक्षक, श्री ओंकार सिंह राणा, सेवानिवृत्त उप वन संरक्षक, श्री अभिषेक शर्मा एवं श्री अनुज सक्सेना रहे।

श्री आर. बी. शर्मा, सेवानिवृत्त मुख्य वन संरक्षक एवं श्री ओंकार सिंह राणा, सेवानिवृत्त उप वन संरक्षक ने सूक्ष्म प्रबंध योजना की अवधारणा, परिचय, उद्देश्य, निर्माण एवं निर्माण से पूर्व की तैयारी आदि विषयों पर जानकारी दी गयी। इसके साथ ही विषय विशेषज्ञ श्री अभिषेक शर्मा एवं श्री अनुज सक्सेना के द्वारा सहभागी ग्रामीण समीक्षा (PRA) के बारे में जानकारी दी। इसके उपरांत विषय विशेषज्ञों के द्वारा सूक्ष्म प्रबंध योजना से संबंधित विभिन्न विषयों पर PPT के माध्यम से जानकारी प्रदान की गयी।

इसके अलावा विशेषज्ञों द्वारा यह बताया गया कि सूक्ष्म प्रबंध योजना `पाँच/दस—वर्षीय विकास योजना´ है, जिसमें अधिकांश लोगों, विशेष रूप से वन—आश्रित समुदायों, और समाज के अन्य विभिन्न वर्गों की अपेक्षाओं को शामिल किया जाता है। इस योजना में गाँव के समग्र और स्थायी विकास के लिए उपलब्ध प्राकृतिक और मानव संसाधनों के आधार पर गतिविधियों की एक प्राथमिकता—सूची होती है जिसके द्वारा वन क्षेत्र एवं ग्राम के विकास संयुक्त रूप से किया जाता है। यह ग्राम—स्तरीय वन और विकास की रूपरेखा है। यह आवश्यकता—आधारित, स्थान—विशिष्ट योजना है, जो उपलब्ध संसाधनों का उपयोग ग्रामीण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करती है। इसका मुख्य उद्देश्य वन संसाधनों पर समुदाय की निर्भरता को संतुलित करना, स्थिरता सुनिश्चित करना और जैव विविधता का संरक्षण करना है।

इसके उपरांत द्वितीय दिवस दिनांक 17/09/2025 को वन परिक्षेत्र कुन्डम की ग्राम वन समिति कुन्दवारा में सहभागी ग्रामीण समीक्षा (PRA) का अभ्यास विषय विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में ग्राम वन समिति के सदस्यों के साथ किया गया। इस अवसर पर वनमण्डल अधिकारी जबलपुर श्री ऋषि मिश्रा तथा उनके क्षेत्रीय अधिकारी एवं कर्मचारी भी उपस्थित रहे। प्रशिक्षण के अंतिम दिवस दिनांक 18/09/2025 को ग्रुप डिस्कशन किया गया तथा अंत में संस्थान के संचालक द्वारा प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण पत्र वितरण किया गया तथा परियोजना की मुख्य अन्वेषक डॉ. प्रतीक्षा चतुर्वेदी के द्वारा आभार व्यक्त किया गया।

(2) म.प्र. राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर में प्रशिक्षु राज्य वन सेवा अधिकारी वनक्षेत्रपाल एवं वनरक्षकों का वानिकी अनुसंधान के विभिन्न आयामों से परिचय हेतु प्रशिक्षणार्थियों का अध्ययन प्रवास।

म.प्र. राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर में वन विद्यालय अमरंकटक राजीव गांधी सहभागी वानिकी प्रशिक्षण संस्थान, लखनादौन, वन विद्यालय शिवपुरी, वन विद्यालय झाबुआ, वन क्षेत्रपाल महाविद्यालय, बालाघाट, वन विद्यालय बैतुल, वनरक्षक प्रशिक्षण शाला, गोविन्दगढ़, रीवा, तेलंगाना फॉरेस्ट एकादमी, चंद्रपुर फॉरेस्ट एकादमी, महराष्ट्र के वन अधिकारियों को उनके अध्ययन प्रवास के दौरान संस्थान की अनुसंधान गतिविधियों से अवगत कराया गया। उनके द्वारा संस्थान के संग्रहालय, औषधीय पौध की नर्सरी, बीज एकत्रीकरण, प्रसंस्करण एवं भण्डारण की तकनीक तथा बीज प्रमाणीकरण, मृदा परीक्षण, वन्यजीव, पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, लाख की खेती, हरबेरियम, एवं वन मापिकी से संबंधित जानकारी प्रदान की गई। उनके द्वारा संस्थान द्वारा प्रकाशित विभिन्न अभिलेखों का भी अवलोकन किया गया।

(3) जैव प्रौद्योगिकी एवं पादप ऊतक संवर्धन पर प्रशिक्षण

संस्थान के जैव प्रौद्योगिकी प्रभाग द्वारा ज्ञान गंगा महाविद्यालय जबलपुर, खालसा महाविद्यालय जबलपुर, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर, मंगलायतन विश्वविद्यालय जबलपुर, महाकौशल विश्वविद्यालय जबलपुर, सेन्ट एलॉयसियस महाविद्यालय जबलपुर, रानीलक्ष्मी बाई केन्द्रीय विश्वविद्यालय झांसी (उ.प्र.), शासकीय एम.एच. होमसाइंस एवं साइंस महिला महाविद्यालय जबलपुर के स्नातक स्तर के विभिन्न संकाय के 207 विद्यार्थियों को जैव प्रौद्योगिकी/पादप ऊतक संवर्धन/अन्य विषय पर 5 दिवस/7 दिवस/10 दिवस का प्रशिक्षण दिया गया। जैव प्रौद्योगिकी विषय के अंतर्गत डी.एन.ए.आइसोलेशन,पी.सी.आर. ऐम्पिलिफिकेशन आदि से संबंधित तकनीकों पर प्रशिक्षण दिया गया।

प्रकाशन तथा अन्य गतिविधियाँ :–

संस्थान द्वारा त्रैमासिक पत्रिका 'वन–धन व्यापार'का प्रकाशन किया जाता है। समय–समय पर अनुसंधान द्वारा विकसित तकनीकों के प्रचार–प्रसार हेतु पुस्तक, तकनीकी बुलेटिन, ब्रोशर एवं पेम्पलेट्स का प्रकाशन भी किया जाता है।

संस्थान द्वारा प्रदत्त सेवाऐंः

- कृषकों, उद्यमियों, छात्रों एवं वन विभागीय अमलें को औषधीय पौधों की कृषि तकनीक, उनके सतत् विदोहन, प्राथमिक प्रसंस्करण, भंडारण, विपणन, मूल्य संवर्धन, क्षमता विकास, वृक्ष सुधार, मृदा परीक्षण, हरबेरियम एवं रोपणी विकसित करने संबंधी जानकारी प्रदाय करना।
- वृक्षारोपण एवं कृषि तकनीक की जानकारी।
- अकाष्ठीय वनोपजों के बाजार की जानकारी का प्रचार–प्रसार।
- पर्यावरणीय प्रभाव का आंकलन एवं प्रबंधन योजना का निर्माण।
- वन संसाधन का आंकलन।
- विभिन्न वृक्ष प्रजातियों के उत्पादन एवं आयतन तालिका का निर्माण।
- जैवविविधता एवं वनस्पति का मूल्यांकन।
- वन्यजीव प्रबंधन में अनुसंधान तकनीकों द्वारा वन्यजीव संरक्षण हेतु तकनीकी जानकारी।
- विभिन्न कृषि वानिकी पद्धतियों का अध्ययन, सामाजिक, आर्थिक विश्लेषण तथा विस्तार।
- बीज प्रमाणीकरण, उत्तम गुणवत्ता के बीजों एवं रोपण सामग्री का प्रदाय।
- तकनीकी मैन्युअल एवं प्रचार प्रसार हेतु अनुसंधान परियोजनाओं द्वारा विकसित तकनीकों पर पठन सामग्री इत्यादि तैयार करना।

(4) संस्थान की महत्वपूर्ण उपलब्धियाँः

(i) **जंगल की आग का मृदा संरचना एवं मृदा नमी पर प्रभाव**

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष–संरक्षण) भोपाल द्वारा ``जंगल की आग का मृदा संरचना एवं मृदा नमी पर प्रभाव´´ पर परियोजना अनुसंधान सलाहकार समिति (RAC) की बैठक में स्वीकृत की गयी।

मृदा नमूनों के एकत्रीकरण के लिये सेंपलिंग करने हेतु पश्चिम मंडला वनमण्डल से अग्नि प्रभावित क्षेत्रों की जानकारी मंगायी गयी जिसके आधार पर सेम्पलिंग निर्धारित की गयी। सेपलिंग के आधार पर पश्चिम मंडला वनमंडल के समस्त आठ वन परिक्षेत्रों जैसे बरेला, निवास, बीजाडांडी, काल्पी, टिकरिया, मंडला, महाराजपुर एवं बम्हनी के अग्नि प्रभावित वन क्षेत्रों से मानसून पूर्व फायर और नॉन–फायर क्षेत्रों से मृदा नमूनों का एकत्रीकरण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

मृदा परीक्षण संस्थान की मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में किया जा रहा है। परीक्षण में मृदा की नमी, जल धारण क्षमता (WHC), बनावट (Texture), बल्क डेंसिटी, pH, विद्युत चालकता (EC), कार्बनिक कार्बन (OC), कार्बनिक पदार्थ (OM) और मुख्य पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम का मूल्यांकन शामिल हैं। प्राप्त परिणामों का विश्लेषण कर जंगल की आग के मृदा गुणवत्ता पर प्रभाव का निष्कर्ष निकाला जाएगा।

(ii) **वन्य एशियाई हाथियों के आवास उपयोग एवं मानवदृहाथी संघर्ष को न्यूनतम करने हेतु निवारण उपायों का अध्ययनः मध्य भारत के केंद्रीय उच्चभूमि परिदृश्य में संजय–बांधवगढ़ गलियारे के विशेष संदर्भ में**

पृष्ठ भूमि और परिप्रेक्ष्य

विगत वर्षों में पूर्वी मध्य प्रदेश क्षेत्र में विशेष रूप से गुरु घासीदास–संजय–बांधवगढ़ गलियारे के माध्यम से एशियाई हाथियों (*Elephans maximus*) की पुनःआबादी और क्षेत्रीय विस्तार देखा गया है। यह प्रवृत्ति जलवायु उपयुक्तता, ऐतिहासिक संपर्कता और मानव जनित दबावों की जटिल पारस्परिक क्रिया का परिणाम है।

यह अध्ययन मध्य भारत में पहली बार द्विस्तरीय (dual-scale) पारिस्थितिक एवं सामाजिक–पर्यावरणीय विश्लेषण प्रस्तुत करता है, जिसमें हाथियों की आवाजाही, आवास उपयुक्तता और मानव–हाथी संघर्ष (HEC) का विश्लेषण MaxEnt मॉडलिंग, ग्राम–स्तरीय सर्वेक्षण तथा संघर्ष पैटर्न मूल्यांकन (161 गाँवों में) के माध्यम से किया गया।

(iii) **क्षेत्रीय स्तर** (Eastern Madhya Pradesh)

MaxEnt मॉडल (AUC = 0-809 ± 0-005) के अनुसार :

- वन आवरण (29.8%), मानव जनसंख्या घनत्व (28.7%), और नदी तटीय रेतीले क्षेत्र (15.3%) हाथियों के आवास निर्धारण के प्रमुख कारक हैं।
- खनन गतिविधियाँ, भले ही मॉडल में केवल 3.9% योगदान देती हैं, परंतु उनका Permutation Importance (26.0%) पाया गया, जो यह दर्शाता है कि खनन गलियारों की संपर्कता (connectivity) को बाधित कर मानव–हाथी संघर्ष को बढ़ाती हैं।

यह स्पष्ट करता है कि हाथी मुख्यतः वनी कृत नदी तटीय क्षेत्रों को पसंद करते हैं, जब कि बस्तियों और खनन विस्तार से उनकी गतिशीलता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

(iv) **परिदृश्य स्तर** (Chhattisgarh–Madhya Pradesh Corridor)

- वृहद स्तर पर बने मॉडल (AUC = 0-803 ± 0-007) में जलवायु संबंधी कारक प्रमुख पाए गए:
- न्यूनतम तापमान (bio6) - 22.8%
- अधिकतम तापमान (bio5) - 14.3%
- वार्षिक वर्षा (bio12) - 12.1%

यह इंगित करता है कि तापीय नियंत्रण (thermoregulatory) और जल संबंधी सीमाएँ (hydrological thresholds) हाथियों के वितरण को नियंत्रित करती हैं, इसलिए जलवायु–सहिष्णु वन गलियारे दीर्घकालिक संरक्षण के लिए आवश्यक हैं।

(v) **संयुक्त विश्लेषण** (Overlay Analysis)

दोनों मॉडलों के संयुक्त विश्लेषण से यह पाया गया कि पूर्वी मध्य प्रदेश में लगभग 3,191.44 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र संरचनात्मक और जलवायवीय रूप से उपयुक्त है, जो मुख्यतः वनीकृत नदी तटीय गलियारों के साथ रेखित है।

- कुछ क्षेत्र जहाँ स्थानीय उपयुक्तता अधिक है, वे जलवायु सहनशीलता की सीमा पर हैं और भविष्य में संभावित संघर्ष क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं।
- जबकि कुछ क्षेत्र जलवायु की दृष्टि से अनुकूल हैं, परंतु खनन ब्लॉकों, ग्राम घनत्व और आवासीय विखंडन के कारण उनकी गलियारे के रूप में उपयोगिता सीमित हो जाती है।

(5) **सामाजिक–जन सांख्यिकीय एवं संघर्ष मूल्यांकन**

161 गाँवों के 877 उत्तरदाताओं पर आधारित सर्वेक्षण से निम्नलिखित तथ्य सामने आए:

- 89% फसल क्षति की घटनाएँ जंगल की सीमा से 500 मीटर के भीतर हुईं।
- सर्वाधिक प्रभावित वर्ग जनजातीय कृषक परिवार थे जिनके पास 2–5 एकड़ भूमि है और जो मानसून आधारित धान की खेती पर निर्भर हैं।
- सितंबर से नवंबर के बीच संघर्ष चरम पर था, जिसमें 47.7% घटनाएँ फसल प्रजनन चरण में हुईं।
- रात्रि कालीन घटनाएँ 98.4% मामलों में दर्ज की गईं।
- सांख्यिकीय विश्लेषण से पता चलाः
- हाथियों के झुंड द्वारा फसल नुकसान एकल दाँती (Tusker) हाथियों की तुलना में अधिक था (x^2= 8.343, p=0.015)।

- एकल दाँती (Tusker) हाथी द्वारा घर तोड़ने की घटनाएँ 4.3 गुना अधिक थीं ($p = 0.002$)।
- अपूर्ण मुआवजा दावे और प्रतिशोधी दृष्टिकोण के बीच मजबूत सहसंबंध पाया गया ($x^2 = 43.000$, $p<0.001$)।
- संघर्ष का अनुभव बढ़ने के साथ पारिस्थितिक समझ का स्तर भी बढ़ा कृ 59.1% उच्च संघर्ष क्षेत्रों के उत्तरदाताओं ने मध्यम स्तर की पारिस्थितिक समझ दिखाई ($x^2 = 47.951$, $p<0.001$)।

सामुदायिक दृष्टि कोण और सह–अस्तित्व

- 49% उत्तरदाताओं ने हाथियों के साथ सह–अस्तित्व (coexistence) को स्वीकार किया, बशर्ते समुचित मुआवजा समय पर मिले।
- 75% लोगों ने पुनर्वास (relocation) का विरोध किया।
- सिंगरौली के जनजातीय क्षेत्रों में सांस्कृतिक सहनशीलता अधिक थी, जहाँ हाथियों को गणेश देवता से जोड़ा जाता है।
- अनूपपुर जैसे आधुनिक क्षेत्रों में यह सहनशीलता अपेक्षाकृत कम थी।
- शिक्षा का स्तर सहनशीलता पर प्रत्यक्ष प्रभावी नहीं था, परंतु अनुभव और जानकारी से पारिस्थितिक समझ और सह–अस्तित्व की भावना बढ़ी।

निवारण उपाय (Mitigation Measures)

स्थानीय स्तर पर अपनाए गए उपायों में मिर्च धुआँ (83.7%), पटाखे (70.7%), और ध्वनि/आग रेखाएँ (24%) प्रमुख थीं, किन्तु 77% उत्तर दाताओं ने इन्हें अपर्याप्त बताया।

अध्ययन के आधार पर निम्नलिखित प्रबंधन और नीतिगत उपाय सुझाए गए हैं:

क्षेत्रीय स्तर (Eastern MP)

- नदी तटीय गलियारों को खनन एवं बस्तियों के अतिक्रमण से संरक्षित किया जाए।
- 24 प्रवेश बिंदुओं और 45 उच्च संघर्ष वाले गाँवों के चारों ओर बफर जोन बनाए जाएँ।
- सौर फेंसिंग (solar fencing) हेतु 50% सब्सिडी योजना आरंभ की जाए, साथ ही मौसमी निगरानी एवं अनाज भंडारण सहायता दी जाए।

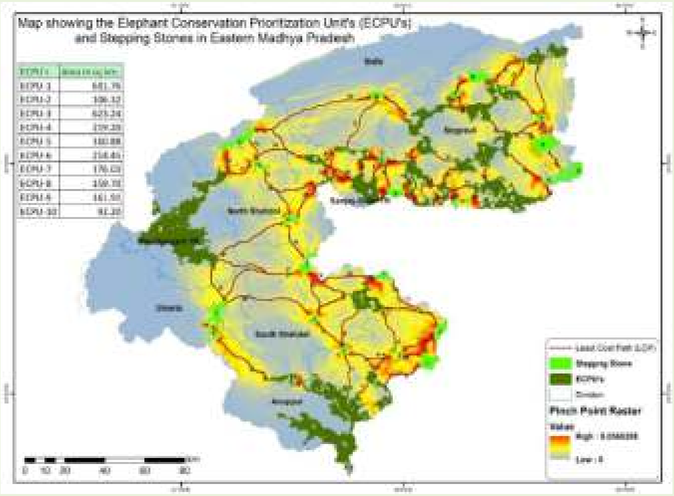

परिदृश्यस्तर (Chhattisgarh–MP Corridor)

- जलवायु–सहिष्णु वनों (climate&resilient forests) के संरक्षण पर बल दिया जाए, विशेष कर उन क्षेत्रों में जहाँ bio6 (न्यूनतम तापमान) और bio12 (वार्षिक वर्षा) उच्च हैं।
- छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, झारखंड और ओडिशा के बीच Interstate Elephant Governance Task Force गठित किया जाए।

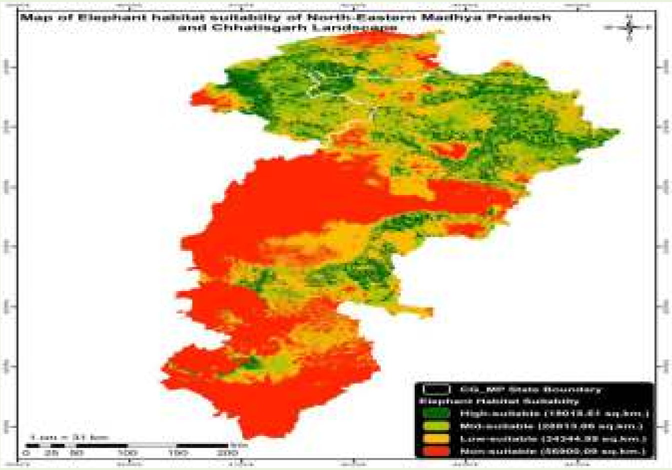

सामुदायिक उपाय (Community-Centric Interventions)

- SMS/IVRS आधारित रीयल–टाइम चेतावनी प्रणाली विकसित की जाए।
- डिजिटल मुआवजा प्लेट फॉर्म बनाया जाए, जहाँ जियो–टैग्ड फोटो अपलोड कर 30 दिन के भीतर दावा निपटान हो।

- "हाथी मित्र बाल वाहिनी" (छात्र क्लब) गठित की जाए जो जागरूकता एवं सहभागिता बढ़ाए।
- वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित प्रशिक्षण मॉड्यूल स्थानीय निवारण उपायों हेतु तैयार किए जाएँ।

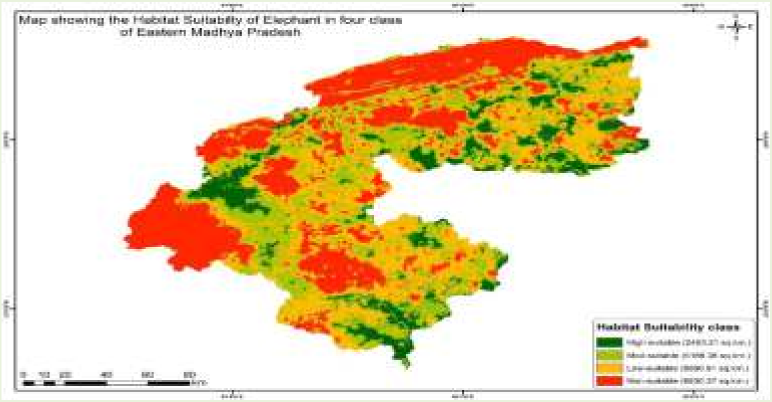

निष्कर्ष और संरक्षण मार्ग (Conclusion and Conservation Pathway)

यह स्तरीय अध्ययन पारिस्थिति कमॉड लिंग और सहभागी शासन को जोड़ते हुए एक एकीकृत संरक्षण ढाँचा (integrated conservation frame work) प्रस्तुत करता है।

यह दृष्टिकोण स्थानिक विश्लेषण और सामाजिक संदर्भों को जोड़कर बड़े स्तनधारियों के संघर्ष प्रबंधन एवं गलियारे की संपर्कता बनाए रखने के लिए विस्तारणीय (scalable) और हस्तांतरणीय (transferable) समाधान प्रदान करता है।

मध्य भारत में हाथी संरक्षण की सफलता इस पर निर्भर करेगी कि कृ

- स्थानिक योजना (spatial planning),
- संस्थागत समन्वय (institutional coordination) और
- स्थानीय सहभागिता (community participation) कितनी मजबूत है।

हाथी केवल पारिस्थितिक दृष्टि से की–प्रजाति (keystone species) ही नहीं हैं, बल्कि सांस्कृतिक सहनशीलता और मानव–प्रकृति सामंजस्य के प्रतीक भी हैं। उनका अस्तित्व इस बात पर निर्भर करेगा कि हम संघर्ष के बीच सह–अस्तित्व की कितनी मजबूत नींव बना सकते हैं।

(5) पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन परियोजना

सीतापुर हनुमाना सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के निर्माण के संबंध में पुष्प और जीव–जंतुओं की जैव–विविधता का आकलन और उपयुक्त

वित्त पोषण एजेंसी – नई गढ़ी (Naigadi) सूक्ष्म दाब सिंचाई प्रभाग, जल संसाधन विभाग, रीवा, (म.प्र.) वन्यजीव संरक्षण योजना तैयार करना।"

अंतरिम निष्कर्ष–

- क्षेत्र की जैव विविधता मिट्टी पानी हवा एवं ध्वनि की गुणवत्ता पर प्रस्तावित गतिविधियों के संभावित प्रभावों और उनके शमन उपायों का अध्ययन किया जा रहा है।
- पुष्प एवं जीव–जंतुओं की विविधता के संरक्षण एवं सुरक्षा और सुधार के लिए शमन उपाय सुझाना और वन्यजीव संरक्षण योजना भी तैयार की जायेगी।प्राथमिक अध्ययन अवधि के क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान जैविक घटकों के पुष्प मूल्यांकन पर प्राथमिक आंकड़े एकत्र किए गए हैं।
- सर्वेक्षण अवधि के दौरान पेड़ों झाड़ियों लताओं और घासों का अवलोकन किया गया।

6. नर्मदापुरम और बैतूल जिलों के अंतर्गत इटारसी–नागपुर खंड के लिए प्रस्तावित तीसरी रेलवे लाइन के निर्माण का वनस्पति और जीव विविधता पर प्रभाव का आकलन और वन्यजीव मार्ग योजना तैयार करना

वित्त पोषण एजेंसी– मध्य रेलवे

अंतरिम निष्कर्ष–

- क्षेत्र की मौजूदा वनस्पतियों और जीवों पर आधारभूत आंकड़े एकत्रित किये जा रहे है।
- मौजूदा वनस्पतियों और जीवों के संरक्षण सुरक्षा के लिए उपयुक्त शमन उपाय विकसित किये जायेगें।

7. **एक नई ख़तरा रेटिंग प्रणाली विकसित करना** (Developing A New Danger Rating System)

अंतरिम निष्कर्ष–

- जबलपुर वन प्रभाग के समस्त रेंजों में अग्नि प्रभावित वनक्षेत्रों का सर्वेक्षण किया गया –
- मौसम संबंधी आँकड़े पिछले 10 वर्षों के तापमान आर्द्रता वर्षा आदि के आँकड़े एकत्र किए गए।
- अग्नि इतिहास पिछले वन अग्नि घटनाओं के संकलित अभिलेखों के द्वितीयक आँकड़ों का संग्रह स्थान सहित एकत्र किया

8. Ecology of Indian Grey Wolf *(Canis lupus pallipes)* and its conservation implication in Nauradehi Wildlife Division Madhya Pradesh

- परियोजना की द्वितीय अंतरिम प्रतिवेदन वित्त पोषित संस्थान को प्रेषित किया जा चुका है।
- परियोजना अंतर्गत भेडियो को कैप्चर कर रेडियो कालर प्रतिस्थापन किया जायेगा।

9. Estimation of Prey Population, abundance and dynamics in MP

- प्रदेश के विभिन्न जिलों की राजस्व क्षेत्रों में पाई जाने वाली काला हिरण, चिंकारा, नीलगाय, जंगली सुअर आदि चोपायो आदि जानवरो की संख्याओं की जानकारी एकत्र कि जा रही है।
- अब तक अशोकनगर, शाजापुर, आगर मालवा भोपाल आदि जिलों की आकड़े एकत्रित कर परियोजना प्रतिवेदन प्रदाय किया गया है। वर्तमान में हरदा जिले से आकड़े एकत्रित किये जा रहे है एवं इस प्रकार इस वर्ष में पश्चिमी मध्यप्रदेश के बाकी जिलों से आकड़े एकत्रित किये जायेंगे।

10. Assessment of floral and faunal diversity and preparation of wildlife passage plan on the proposed construction of 3rd railway line for the section of Itarsi Nagpur under Narmadapuram and Betul Districts

- पश्चिमी रेलवे झुझारपुर (इटारसी के पास) से चिचोड़ा (मुलताई के पास) के बीच लगभग 150 किमी की ट्रैक लंबाई पर तीसरी रेलवे लाइन का निर्माण कर रहा है।
- यह लाइन सतपुड़ा–मेलघाट टाइगर कॉरिडोर को दो हिस्सों में तथा मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम और बैतूल जिलों के बीच सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के इको–सेंसिटिव ज़ोन को एक हिस्से में बाँट रही है।
- उक्त क्षेत्र में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) द्वारा स्वीकृत परियोजना के माध्यम से अध्ययन क्षेत्र में वन्यजीवों की विविधता के आँकलन हेतु ट्रांसेक्ट लाइन सर्वेक्षण, पैलेट काउंट सर्वेक्षण एवं मांसाहारी वन्यजीवों के साक्ष्य से संबंधित जानकारी एकत्र की जा रही है।
- इसके साथ–साथ, उक्त रेलवे ट्रैक के अंडरपास और ओवरपास का सर्वेक्षण कार्य भी प्रगति पर है।

11. राज्य वन अनुसंधान संस्थान (एस.एफ.आर.आई) जबलपुर एवं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.टी.) इंदौर के बीच MoU

- वन्यजीव प्रबंधन एवं अनुसन्धान में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial intelligence) जैसी उन्नत तकनीकी का उपयोग कर रेलवे लाइन विस्तार कार्य के कारण वन्यजीवों के साथ होने वाले संघर्ष को रोकने के उद्देश्य से राज्य वन अनुसंधान संस्थान (एस.एफ.आर.आई) जबलपुर ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.टी.) इंदौर के साथ दिनांक 11/8/2025 में एक MoU हस्ताक्षर किया गया हैं।
- उक्त कार्यक्रम में संस्थान के संचालक श्री प्रदीप वासुदेवा एवं वैज्ञानिक डॉ. अनिरुद्ध मजूमदार उपस्थित रहे, जबकि आई.आई.टी. इंदौर के संचालक श्री सुहास एस जोशी, डीन श्री अभिरुप दत्त एवं सह–प्राध्यापक डॉ सौरभ दास उपस्थित रहे थे।

12. Assessment of floral and faunal bio&diversities and preparation of suitable Wildlife Conservation Plan in respect to construction of Sitapur – Hanumana Micro Irrigation Project

- सीतापुर–हनुमना माइक्रो इरीगेशन प्रोजेक्ट के अंतर्गत उक्त डैम लाइन के 10 किलोमीटर के इम्पैक्ट लाइन में जलीय जीवों एवं वन्यजीवों की प्रजातियों की विविधता का अध्ययन किया जा रहा है।
- इसके साथ–साथ उक्त क्षेत्र में घड़ियाल, मगर एवं इंडियन स्किमर की ब्रीडिंग और नेस्टिंग स्थलों, आवास, तथा डैम की हाइड्रोलॉजी से संबंधित अध्ययन कार्य प्रगति पर है।

13. अखिल भारतीय बाघ आंकलन 2026

- प्रदेश के क्षेत्रीय वन अमलों को वन्यजीवों की गणना की विभिन्न विधियों के बारे में जानकारी देने के उद्देश्य से विभिन्न वनमंडलों एवं टाइगर रिज़र्व में व्याख्यान प्रदान किया जा रहा है।
- इसमें शाकाहारी एवं मांसाहारी वन्यजीवों गणना पद्धति, कैमरा ट्रैप का क्षेत्रीय प्रतिस्थापन, एम–स्ट्राइप्स इकोलॉजिकल ऐप पर प्रशिक्षण और फील्ड डेमोंस्ट्रेशन के साथ साथ विभिन्न उपकरणों जैसे रेंज फाइंडर एवं कंपस के उपयोग की भी जानकारी प्रदान की जा रही है ।

14. Network Project on Conservation of Lac Insect Genetic Resource

- प्रदेश में लाख उत्पादन को प्रोत्साहन देने एवं लाख उत्पादन के माध्यम से वन समिति सदस्यों और कृषकों की आजीविका तथा आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है।
- इसके अंतर्गत, वनमंडल जबलपुर, अनूपपुर एवं इंदौर में एक दिवसीय लाख प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसके माध्यम से 150 से अधिक प्रतिभागियों को लाख उत्पादन की उन्नत तकनीकों के बारे में जानकारी प्रदान की गई।
- सेमिलता के पौधे पर लाख उत्पादन को कृषक क्षेत्रों में बढ़ावा देने के उद्देश्य से, वनमंडल मंडला, डिंडोरी, कटनी एवं जबलपुर के कृषक क्षेत्रों में 200 से अधिक सेमिलता के पौधों का रोपण (प्लांटेशन) किया गया है, जिसमें कुसमी लाख की उत्पादन क्षमता का आकलन किया जाएगा।

15. Hands on Exercise on Kusmi Lac Cultivation in Bichhiya Village of Umaria Forest Division of Madhya Pradesh

- वनमंडल उमरिया के बिछिया ग्राम में कुसुम वृक्षों पर लाख उत्पादन क्षमता का आकलन करने हेतु कुसुम वृक्षों का चयन कर बीहन लाख संचारित किया गया । साथ ही, समिति सदस्यों को प्रशिक्षण प्रदान कर के समय–समय पर लाख उत्पादन की उन्नत तकनीक का फील्ड डेमोंस्ट्रेशन कराया गया।
- कुसुम वृक्षों में लाख कीट संचरण के पश्चात, समय–समय पर, लाख की उपस्थिति से संबंधित आँकड़े एकत्रित किए गए। इस प्रयास के फलस्वरूप, कृषकों ने प्रारंभ में 1.80 क्विंटल और तत्पश्चात 1 क्विंटल बीहन लाख का उत्पादन कर विक्रय किया।
- व्यावसायिक लाख उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए इन कुसुम वृक्षों पर अतिरिक्त बीहन लाख संचारण प्रस्तावित है।

16. मध्यप्रदेश के विभिन्न कृषि–जलवायु क्षेत्रों में कृषि–वानिकी मॉडल्स की सफलता एवं असफलता के कारकों का विश्लेषण

उद्देश्य

- मध्यप्रदेश के विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्र में पूर्व में प्रचलित कृषि–वानिकी मॉडल्स की वर्तमान स्थिति का अध्ययन।
- पूर्व प्रचलित कृषि–वानिकी मॉडल्स की सफलता एवं असफलता के कारणों की पहचान।
- सफल कृषि वानिकी मॉडल्स की रूपरेखा प्रचार–प्रसार हेतु प्रस्तुत करना।

कार्य विवरण

- मध्यप्रदेश के विभिन्न कृषि–जलवायु क्षेत्रों के अंतर्गत 27 जिलों के 94 कृषकों के 173 रोपणों का सर्वेक्षण कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
- द्वितीयक साहित्य से प्राप्त 1991 से 2020 के मध्य कृषकों के रोपणों की सूची के अनुसार 21 जिलों में 114 गाँवों के 151 कृषकों का सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
- सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों को कम्प्यूटर में फीड कर आंकडों के विश्लेषण का कार्य प्रगति पर है।
- सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण उपरांत अंतिम परियोजना प्रतिवेदन लेखन का कार्य पूर्ण कर 31 मार्च 2026 तक अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया जावेगा

17. Strengthening of Market Information Centre for dissemination of market analysis of Minor Forest Produce in different agro&climatic zones of Madhya Pradesh-

उद्देश्य

- राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर गैर–लकड़ी वन उत्पादों (लघु वनोपज) के बाजार विश्लेषण के प्रसार हेतु वर्तमान बाजार सूचना प्रणाली को सुदृढ़ करना।
- मध्यप्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों एवं मंडियों से विभिन्न लघु वनोपजों के उत्पादवार दरों (रु./किग्रा) की बाजार जानकारी एकत्र करना।
- त्रैमासिक समाचार पत्रिका "वन–धन व्यापार" का प्रकाशन एवं प्रसार करना

कार्य विवरण

- मध्यप्रदेश के 11 कृषि जलवायु क्षेत्र के 27 जिलों में से 09 कृषि जलवायु क्षेत्र के 23 जिलों के प्रमुख लघुवनोपजों बाजारों के वनोपजां की बाजार कीमत, आवक एवं आपूर्ति श्रृंखला पर गहन अध्ययन किया गया।
- मध्यभारत के गैर–वन उत्पादों एवं औषधीय पौधों के व्यापार संबंधी जानकारी साझा करने के लिये त्रैमासिक लघुवनोपज समाचार पत्रिका "वन–धन व्यापार" वर्ष – 25 अंक 1, 2 एवं 3 का प्रकाशन किया गया।
- पत्रिका में मध्यप्रदेश के प्रमुख बाजारों जैसे उमरिया, मण्डला, इंदौर, छिंदवाड़ा, बैतूल, श्योपुर, ग्वालियर, बालाघाट, सिवनी, सतना, टीकमगढ़ पन्ना, नीमच, कटनी आदि में 50 से अधिक प्रकार के लघुवनोपजों और औषधीय पौधों के औसत बाजार मूल्य की जानकारी दी जाती है। इसके अतिरिक्त, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और दिल्ली जैसे अन्य राज्यों के बाजारों के औसत मूल्य भी इसमें संकलित कर प्रकाशित किये जाते हैं, जो कि मध्य भारत की इस तरह की प्रथम पत्रिका है।

शिवपुरी जिले के लघुवनोपज व्यापारियों का सर्वेक्षण

18. ''वन गतिविधियों के मूल्यांकन में संयुक्त वन प्रबंधन समितियों (JFMCs) की भूमिका विश्लेषण'', विशेष रूप से वन अग्नि प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करते हुए।

उद्देश्य

- वनों के अंतर्गत विभिन्न समूहों (कलस्टर) में लगने वाली आग के रोकथाम में वन प्रबंधन समितियों (JFMCs) की भूमिका का तुलनात्मक अध्ययन।
- JFMCs को वन अग्नि प्रबंधन में आने वाली चुनौतियों की पहचान करना एवं उनके समाधान का उपाय सुझाना।

कार्य विवरण

डिण्डौरी वनमण्डल के अन्तर्गत 10 परिक्षेत्र में आने वाली 182 समितियों में से 98 समितियों का सर्वेक्षण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। अवशेष जानकारियों का संकलन नवम्बर 2025 में पूर्ण कर लिया जाएगा। आंकड़ों के विश्लेषण उपरांत प्रतिवेदन लेखन का कार्य पूर्ण कर 31 मार्च 2026 तक अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया जावेगा।

शाहपुरा रेंज के बड़गाव बीट में वनों में लगने वाली आग

शाहपुर रेंज के रैली बीट के बीट गार्ड व समिति सदस्यों से वनों में आग लगने के विषय में चर्चा

19. जबलपुर वनमण्डल के कुण्डम परिक्षेत्र के कक्ष क्रमांक RF - 314 के वनक्षेत्र मे सूख रहे सागौन के वृक्षों की जांच एवं उनके नियंत्रण की जानकारी

जबलपुर वनमण्डल के कुण्डम परिक्षेत्र के कक्ष क्रमांक त्थ–314 के वनक्षेत्र में सागौन के वृक्ष सूख रहे है। जिनकी जांच करने हेतु वनमण्डलाधिकारी जबलपुर द्वारा संस्थान से अनुरोध किया गया था। अतः इस हेतु राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर (SFRI) एवं उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर (TFRI) की संयुक्त टीम द्वारा प्रभावित क्षेत्रों मे यह दौरा कार्य किया गया।

दौरा कार्य का उद्देश्यः

- जबलपुर वनमण्डल के कुण्डम परिक्षेत्र के कक्ष क्रमांक त्थ–314 के वनक्षेत्र में सागौन के सूख रहे वृक्षों की जांच करना।
- क्षेत्रीय अमले को उसके बारें में जागरुक करना।
- प्रकोप के निदान की जानकारी को सरल हिन्दी भाषा में तैयार करना जिससे वन विभाग के मैदानी अमलें को समझने एवं उपचार करने में आसानी हो।

प्रभावित क्षेत्र का दौरा दि. 22/08/2025 को किया गया एवं प्रतिवेदन वनमण्डलाधिकारी जबलपुर को भेजा गया।

20. डिण्डोरी वनमण्डल के शाहपुर परिक्षेत्र के कक्ष क्रमांक 1350 के रोपण क्षेत्र मे कीट प्रकोप की जांच एवं उनके नियंत्रण की जानकारी

वनमण्डलाधिकारी डिण्डोरी का पत्र क्र./व्ययलेखा/2025–26/9337, डिण्डोरी, दिनांक 21.08.2025 के अनुसार उनके वनमण्डल के शाहपुर परिक्षेत्र के कक्ष क्रमांक 1350 रोपण क्षेत्र मे कीट प्रकोप पाया गया है। जिनकी जांच करने हेतु संस्थान से अनुरोध किया गया था। अतः इस हेतु रोपण के प्रभावित क्षेत्रों मे यह दौरा कार्य किया गया।

दौरा कार्य का उद्देश्यः

- वनमण्डल के शाहपुर परिक्षेत्र के कक्ष क्रमांक 1350 के रोपण क्षेत्र मे कीट प्रकोप की जांच करना।
- क्षेत्रीय अमले को उसके बारे मे जागरुक करना।
- प्रकोप के निदान की जानकारी को सरल हिन्दी भाषा में तैयार करना जिससे वन विभाग के मैदानी अमलें को समझने एवं उपचार करने में आसानी हो।

प्रभावित क्षेत्र का दौरा दि. 03/09/2025 को किया गया एवं प्रतिवेदन वनमण्डलाधिकारी डिण्डोरी को भेजा गया।

21. विश्व आयुर्वेद दिवस पर अश्वगंधा जागरुकता अभियान के तहत अश्वगंधा की स्वास्थ्य लाभ और औषधीय क्षमता"विषय पर व्याख्यान

दिनांक 23.09.2025 को विश्व आयुर्वेद दिवस पर अश्वगंधा जागरुकता अभियान के तहत प्रगति फाउंडेशन, ग्वालियर द्वारा कृषि महाविद्यालय रीवा में एक दिवसीय जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किया गया । इस कार्यक्रम में संस्थान के डा. उदय होमकर द्वारा "अश्वगंधा की स्वास्थ्य लाभ और औषधीय क्षमता" विषय पर व्याख्यान दिया गया। इस कार्यक्रम में महाविद्यालय के अध्यापक, विद्यार्थी, विंध्यक्षेत्र के कृषक एवं जन सामान्य भी उपस्थित रहें।

22. विश्व आयुर्वेद दिवस पर जागरुकता अभियान के तहत विभिन्न औषधीय पौधों की कृषि तकनीक विषय पर व्याख्यान

दिनांक 19.09.2025 को आयुर्वेद दिवस के अवसर पर जागरुकता अभियान के तहत क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान पुणे द्वारा एक वेबिनार कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में संस्थान के डा. उदय होमकर द्वारा विभिन्न औषधीय पौधों की कृषि तकनीक" विषय पर व्याख्यान दिया गया। इस कार्यक्रम में महाविद्यालय के अध्यापक, विद्यार्थी, विभिन्न क्षेत्रों के कृषक, आयुर्वेदाचार्य एवं जनसामान्य भी उपस्थित रहें।

23. राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर एवं ज्ञानगंगा इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी एवं साइंसेस, जबलपुर के मध्य एम.ओ.यू.

दिनांक 11/08/2025 को राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर एवं ज्ञानगंगा इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी एवं साइंसेस, जबलपुर के मध्य औषधीय विज्ञान, वानिकी, वनस्पति, जीव विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, कृषि विज्ञान एवं अन्य संबंधित शैक्षणिक विषयों के आधारभूत एवं आधुनिक अनुसंधान के प्रसार एवं सहयोग हेतु एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर किये गये।

इस दौरान संस्थान के संचालक श्री प्रदीप वासुदेवा,उप संचालक श्री संदीप फेलोज, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी डा– उदय होमकर एवं वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी श्री एस. एस. रघुवंशी उपस्थित थे। ज्ञानगंगा इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी एण्ड साइंसेस फार्मेसी जबलपुर के प्राचार्य डा– मेधा वर्मा, फार्मेसी विभाग के प्रोफेसर डा. प्रदीप गोलानी एवं एसोसिएट प्रोफेसर डा. निखिल विश्वकर्मा उपस्थित थे।

24. राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर ने सेम्हल की ग्राफ्टिंग में पाई सफलता

सेम्हल वृक्ष (*Bombaxceiba*) एक उष्णकटिबंधीय वृक्ष प्रजाति है जो भारत के लगभग सभी प्रांतो मे पाया जाता है। यह अपने तने पर कांटों की उपस्थिति से यह अलग ही पहचाना जा सकता है।

सेम्हल वृक्ष की विशेषताएं

सेम्हल 15–25 मीटर तक ऊंचा वृक्ष होता है। वृक्ष की पत्तियाँ बड़ी और पाँच–लोब युक्त होती हैं। सामान्यतः इस वृक्ष के फूल लाल रंग के होते हैं। इसके फल बड़े और अंडाकार होते हैं। पीले रंग के फूल वाले सेम्हल बहुत ही कम पाये जाते हैं।

सेमल वृक्ष का उपयोग

सेम्हल वृक्ष की लकड़ी का उपयोग फर्नीचर और अन्य लकड़ी के उत्पादों के लिए किया जाता है। वृक्ष के फाइबर का उपयोग रस्सियों और अन्य उत्पादों के लिए किया जाता है। इसके विभिन्न भागों का विशेषकर जड़ और गोंद का उपयोग आयुर्वेदिक दवाओं में किया जाता है।

पीले रंग के सेम्हल की ग्राफ्टिंग

राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर की औषधीय रोपणी में लाल रंग के सेम्हल के बीज से पौधों को तैयार कर उस पर पीले रंग के बड़े वृक्ष की टहनी की ग्राफ्टिंग में सफलता प्राप्त की गई। इससे सेम्हल के छोटे पौधे में अगले वर्ष से ही फूल आने लगते है।

गत वर्ष सेम्हल के एक ही पौधे पर दो विभिन्न रंग (लाल एवं पीले) की टहनीयों की ग्राफ्टिंग कि गयी। जिससे सेम्हल के छोटे पौधे में ही दो अलग–अलग रंग के पुष्पन क्रमशः पीले एवं लाल रंग के देखे गए। फूलों का आकार बड़े वृक्ष के फूलों समान ही रहा।

इस तकनीक से अल्प समय में ही पुष्पन एवं फलन की प्रक्रिया को आरंभ किया जा सकता है। यह तकनीक इस प्रजाति के संरक्षण, संवर्धन एवं वांछित गुणों के वृक्ष तैयार करने में उपयोगी सिद्ध होगी।

25. वन विकास निगम, सिवनी में रोपणी में संस्थान की तरफ से कीट प्रबंधन विषय पर व्याख्यान दिया गया।

मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम की हिर्री संगम, सिवनी नर्सरी में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम सिवनी के क्षेत्रीय कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण आयोजित किया गया। वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी डॉ. उदय होमकर ने सागौन नर्सरी में लगने वाले कीटों और उनके नियंत्रण के उपाय पर व्याख्यान दिया।

26. शासकीय कला महाविद्यालय, पनागर में औषधीय पौधों की पहचान एवं संरक्षण विषय पर प्रस्तुतिकरण

राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अंतर्गत शासकीय कला महाविद्यालय, पनागर में आयोजित व्याख्यान माला कार्यक्रम में संस्थान से डॉ उदय होमकर, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी द्वारा औषधीय पौधों की पहचान एवं उनके संरक्षण में राज्य वन अनुसंधान संस्थान के योगदान विषय पर प्रस्तुतिकरण किया गया। विद्यार्थियों को औषधीय पौधों की पहचान, उसकी उपयोगिता एवं औषधीय पौध आधारित रोजगार संबंधित जानकारी प्रदाय की गयी।

27. एनसीसी (राष्ट्रीय कैडेट कोर) आर्टिलरी इकाई जबलपुर के कैडेटों ने एसएफआरआई, संग्रहालय का भ्रमण किया। उन्हें वन विभाग, वानिकी अनुसंधान और राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर के बारे में जानकारी प्रदान की गई।

28. वृक्षारोपण गतिविधियाँ

केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के परिसर में 30.06.2025 को वृक्षारोपण गतिविधियाँ की गईं। श्री प्रदीप वासुदेवा, संचालक एस.एफ.आर.आई., श्री संदीप फैलो, उप केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के परिसर में 30.06.2025 को वृक्षारोपण गतिविधियाँ की गईं। श्री प्रदीप वासुदेवा, संचालक एस.एफ.आर.आई., श्री संदीप फैलो, उप संचालक, डॉ उदय होमकर एस.आर.ओ., संरक्षण प्रभाग और श्री एसएस रघुवंशी, एस.आर.ओ., विस्तार प्रभाग ने इस गतिविधि में भाग लिया। इसी तरह 6 जुलाई 2025 को सैन्य अस्पताल, जबलपुर में वन महोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सैन्य अस्पताल परिसर में 500 विभिन्न प्रकार के पौधे रोपे गए। इस अवसर पर सैन्य अस्पताल जबलपुर के कमांडेंट, ब्रिगेडियर श्री पवन शर्मा, कर्नल श्री अनिल कुमार शर्मा (रजिस्ट्रार एवं ओसी टीपीएस) तथा कर्मचारीगण एवं उनके परिवारजन उपस्थित रहे।राज्य वन अनुसंधान संस्थानके श्री प्रदीप वासुदेवा, संचालक एवं डॉ. उदय होमकर एस.आर.ओ., प्रभारी संरक्षण प्रभाग भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे ।

राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर के स्थापना दिवस के अवसर पर 27.06.2025 को भी संस्थान के वनस्पति उद्यान में, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं संचालक श्री प्रदीप वासुदेवा द्वारा नागलिंगम (Cannon ball tree) का एक पौधा तथा उप संचालकश्रीमती सीमा द्विवेदी द्वारा बाओबाब का एक पौधा लगाया गया। इंदिरा गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक से आए इंटर्नशिप विद्यार्थियोद्वारा भी बाओबाब का एक पौधा लगाया गया।

29. Standardization of Propagation technology for production of quality seedling of *Boswellia serrata, Buchanania lanzan and Shorea robusta*.

उद्देश्य –

साल, सलई एवं अचार प्रजातियों के बीज एवं नर्सरी तकनीक विकसित कर उच्च गुणवत्ता के पौधे तैयार करना।

इस परियोजना के अंतर्गत *Boswellia serrata, Buchanania lanzan* एवं *Shorea robusta* प्रजातियों की बीज एवं नर्सरी तकनीक विकसित कर उच्च गुणवत्ता की पौध तैयारी हेतु कार्य किया जा रहा है। इन सभी प्रजातियों की अभी तक वैज्ञानिक आधार पर विस्तृत बीज एवं नर्सरी तकनीक विकसित नहीं है। परियोजना में वर्तमान में उक्त तीनों प्रजातियों के बीज संग्रहण, प्रसंस्करण, भण्डारण एवं बुवाई पूर्व उपचारण का कार्य कर परियोजना की विधि अनुसार बीज की अंकुरण क्षमता एवं जीवन क्षमता बढ़ाए जाने हेतु कार्य किया जा रहा है। इसके साथ ही नर्सरी तकनीक विकसित करने के लिए रूट ट्रेनर पद्धति से उच्च गुणवत्ता के पौध तैयारी के लिए रूट ट्रेनर साईज एवं उसमें भरे जाने वाले पॉटिंग मिश्रण के निर्धारण के लिए विभिन्न पॉटिंग मिश्रण का उपयोग कर कार्य किया जा रहा है।

30. Standardization of species specific root trainer sizes and potting mixes of five important wild medicinal tree species-

उद्देश्य –

- रूट ट्रेनर में लक्षित प्रजातियों के बेहतर विकास एवं अधिकतम जीवित प्रतिशतता के लिए पॉटिंग मिश्रण का मानिकीकरण करना।
- रूट ट्रेनर में लक्षित प्रजातियों के बेहतर विकास एवं अधिकतम जीवित प्रतिशतता के लिए रूट ट्रेनर साईज का मानिकीकरण करना।
- वृक्षारोपण हेतु रूट ट्रेनर में तैयार लक्षित प्रजातियों के पौध की आयु का निर्धारण।

चयनित प्रजातियाँ –

1.) मेलाइना अरबोरिया (खमेर)

2.) मधुका लोंगीफोलिया (महुआ)

3.) स्टरकूलिया यूरेन्स (कुल्लू)

4.) मीलिया डूबिया (महानीम)

5.) यूजीनिया डलबर्जियॉडिस (तिनसा)

रूट ट्रेनर में उक्त चयनित प्रजातियों की पौध तैयारी हेतु बीजों के संग्रहण, प्रसंस्करण का कार्य किया जाकर पूर्व में विकसित तकनीक द्वारा बीजों को उपचारण कर विभिन्न 4 साईज के रूट ट्रेनर में 38 अलग–अलग पॉटिंग मिश्रण में बीजों की बुवाई कर उच्च गुणवत्ता के पौध तैयारी हेतु कार्य प्रांरभ किया गया है जिसमें अत्यधिक पौध वृद्धि एवं जीवित प्रतिशतता के लिए रूट ट्रेनर की साईज एवं पॉटिंग मिश्रण का मानकीकरण किया जावेगा।

यूजीनिया डलबर्जियॉडिस (तिनसा)

स्टरकूलिया यूरेन्स (कुल्लू)

31. Comparative study of MP Teak Timber and Imported Teak Timber-

उद्देश्य –

सभी विदेशी सागौन काष्ठ (इर्म्पोटेड टीक टिम्बर) एवं म.प्र. सागौन काष्ठ की फिजिकल, मैकेनिकल एवं केमिकल गुणधर्मों का अध्ययन करते हुये बाजार में म.प्र. सागौन काष्ठ की मांग (डिमांड) कम होने के करणों को जानना है एवं मप्र सागौन काष्ठ की डिमांड बढ़ाने हेतु सुझाव प्रस्तुत किया जाना है।

परियोजना के अंतर्गत मप्र सागौन काष्ठ नमूनों को जबलपुर, इंदौर एवं भोपला वन मंडलो से एकत्रित किया गया है, जबकि नागपुर वन मंडल के पंजीकृत व्यापरियों से ब्राजील, इक्वाडोर, घाना, वर्मा, कोस्टारिका, नाइजीरिया एवं तंजानिया सागौन काष्ठ के नमूने एकत्रित किये गये है। इन एकत्रित नमूनों को IWST बैंगलोर भेजकर नमूनों के विभिन्न गुणधर्मों जैसे– मोइसचर कन्टेंट, बेसिक स्पेसिफिक ग्रेविटी, मॉडूलस ऑफ इलास्टीसिटी, मॉडूलस ऑफ रपचर, कम्परेसिव स्ट्रेंथ (ग्रेन के संमानंतर), कम्परेसिव स्ट्रेंथ (ग्रेन के लंबवत्), हार्डनेस, सियर स्ट्रेंथ (ग्रेन के संमानंतर), टेन्साइल स्ट्रेंथ (ग्रेन के संमानंतर), स्क्रू होल्डिंग पावर, नेल होल्डिंग पावर आदि पर जानकारी प्राप्त की। इस रिपोर्ट के आधार पर मप्र सागौन काष्ठ की तुलना अन्य विदेशी सागौन काष्ठ से की जावेगी।

बाजार में म.प्र. सागौन की मांग कम होने के कारणों को जानने के लिए प्रश्नावली का प्रारूप तैयार किया गया। इस प्रारूप के माध्यम से नागपुर, इंदौर, भोपाल एंव जबलपुर के काष्ठ एवं आरा मशीन व्यापारी, फर्नीचर व्यापारी एवं भवन निर्माता व्यापारियों का फीडबैक प्राप्त किया जा चुका है। नागपुर, इंदौर, भोपाल एंव जबलपुर के क्रमशः 53, 34, 30 एवं 34 व्यापारियों का फीडबैक प्राप्त कर अध्ययन किया जा रहा है। इन व्यापारियों के द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार मप्र सागौन की मांग में कमी के कारणों का उल्लेख प्राप्त होगा, जिसके आधार पर भविष्य में मप्र सागौन की मांग बढ़ाने हेतु शासन नीति, काष्ठ गुणवत्ता मुल्यांकन, स्थायित्व मूल्यांकन, मूल्य तुलना, मूल्य विभाजन, मूल्य परिवर्तनशीलता, काष्ठ प्रमाणीकरण प्रमाण पत्र आदि कारकों पर सुझाव प्रस्तुत किया जावेगा। इस अध्ययन द्वारा प्राप्त सुझावों को अपनाने पर म.प्र. सागौन मांग में बढ़ोत्तरी होने के साथ आय में भी वृद्धि होने की संभावना है।

जबलपुर से सैम्पल एकत्रीकरण

भोपाल टिम्बर व्यापारियों से चर्चा

32. सागौन के वनों में केंडिडेट प्लस ट्री (Candidate Plus Trees) का चयन

जैव प्रौद्योगिकी प्रभाग के अंतर्गत मध्यप्रदेश के विभिन्न वनमण्डलों में प्राकृतिक रूप से पाये जाने वाले सागौन के वनों में केंडिडेट प्लस ट्री (Candidate Plus Trees) का चयन निर्धारित विधि द्वारा वृक्ष सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत किया गया है जिसका मुख्य उद्देश्य इस प्रजाति को अनुवांशिकी रूप से और विकसित करना है। इसके साथ–साथ संस्थान द्वारा पूर्व में चयनित केंडिडेट प्लस ट्री (Candidate Plus Trees) के सत्यापन का कार्य किया गया। इन चयनित केंडिडेट प्लस ट्रीस एवं पूर्व में चयनित केंडिडेट प्लस ट्री (Candidate Plus Trees) में से उपलब्ध CPTs को आनुवांषिक विविधता मूल्यांकन के द्वारा चिन्हित किया गया है जिनसे सागौन के अनुवांशिकी रूप से विकसित पौधों को क्लोनिंग के माध्यम से तैयार किया जा सकता है इन्ही उद्देश्य की पूर्ती के लिये जैव प्रौद्योगिकी प्रभाग के अंतर्गत परियोजना पर कार्य किया गया। जिसके अन्तर्गत केन्डीडेट धन वृक्षों की पत्तियों से डी.एन.ए. आइसोलेशन किया जाकर चयनित केन्डीडेट धनवृक्षों के मध्य अनुवांशिकी विविधता (जेनेटिकडायवर्सिटी) का अध्ययन किया गया ताकि अनुवांशिकी रूप से विकसित उत्तम वृक्षों (एलीटट्रीज़) का चयन कम समय में किया जा सके एवं सागौन धनवृक्षों के अभिजात वर्ग (एलाईटमटेरियल) को चयन कर प्रदेश में सागौन प्रजाति का अनुवांषिकीय एवं वृक्ष सुधार कार्यक्रम को बढ़ावा मिल सके।

33. ''मल्टीलोकेशनल कम प्रोवेनेंस ट्राइल्स ऑफ इम्पारटेंट फॉरेस्ट्री एण्ड बेम्बू स्पशीज इन डिफरेंट फॉरेस्ट डिवीजन ऑफ मध्यप्रदेश"

जैव प्रौद्योगिकी प्रभाग के अंतर्गत ''मल्टीलोकेशनल कम प्रोवेनेंस ट्राइल्स ऑफ इम्पारटेंट फॉरेस्ट्री एण्ड बेम्बू स्पशीज इन डिफरेंट फॉरेस्ट डिवीजन ऑफ मध्यप्रदेश" परियोजना पर भी कार्य किया जा रहा है जिसके अंतर्गत बीजा, हल्दू, तिन्सा, धामन, शीशम एवं अचार के विभिन्न प्रोवेनेंस से चयनित धनवृक्षों से बीज एकत्रीकरण का कार्य किया जाकर संस्थान में रूट ट्रेनर तकनीक से तैयार पौधों एवं बांस प्रजाति (डेन्ड्रोकेलेमस स्टॉक्साई) के पौधों को प्रदेश के 16 वनमण्डलों में प्रदाय कर पौध रोपण का कार्य कराया जाना है। इस परियोजना का मुख्य उ्देश्य यह ज्ञात करना है कि किस क्षेत्र का प्रोवेनेंस किस कृषि जलवायु क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है जिसका चयन कर उसका रोपण वृहद स्तर पर प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में किया जायेगा। इस परियोजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश के 16 वनमंडलों दमोह, द.सिवनी, उत्तर बालाघाट, ग्वालियर, झाबुआ, अनुपपुर, नर्मदापुरम, अशोकनगर, सीहोर, जबलपुर, उज्जैन, उत्तर बैतूल, रीवा, पश्चिम छिंदवाड़ा, खंडवा एवं छतरपुर में शीशम (डलबरजिया लेटिफोलिया), बांस (डेन्ड्रोकेलेमस स्टाक्साई) एवं हल्दु (अडायना कॉरडिफोलिया) प्रजाति के पौधे का रोपण प्रोवेनेन्स ट्रायल हेतु किया गया है।

34. Model Ravine Reclamation Plan Through Plantation in Ravine Land of Morena District-

जैव प्रौद्योगिकी प्रभाग में "Model Ravine Reclamation Plan Through Plantation in Ravine Land of Morena District" परियोजना के अंतर्गत मुरैना वनमण्डल के बीहड़ क्षेत्रों के लिये 50 हेक्टेयर क्षेत्र हेतु 11 वर्षीय Model Ravine Reclamation Plan तैयार कर अंतरिम प्रतिवेदन प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी (कैम्पा) एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक (ग्रीन इंडिया मिशन) भोपाल को प्रेषित किया गया।

35. Criteria for Laying Fire Lines and Their Effective Width -

जैव प्रौद्योगिकी प्रभाग में 'Criteria for Laying Fire Lines and Their Effective Width' परियोजना के अंतर्गत प्रस्तावित अध्ययन क्षेत्र पेंच टाईगर रिजर्व बफर सिवनी में परियोजना कार्य प्रगति पर है। अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न परिक्षेत्रों में विभिन्न चौड़ाई की फायर लाईन की जानकारी एकत्रित की गई। परियोजनांतर्गत FSI Website के अनुसार वर्ष 2023 से 2025 तक के अग्नि घटना की जानकारी एकत्रीकरण का कार्य किया जा रहा है।

36. मध्यप्रदेश की वनस्पति पर, इनवेसिव प्रजातियों पर एवं वन्यजीवों पर अग्नि के प्रभाव का आंकलन जिसके अंतर्गत तीन अवयव हैं–

(ए) वनस्पतियों पर अग्नि के प्रभाव का आंकलन

वनों में अग्नि एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिक घटना है, जिसके विभिन्न प्रभाव हो सकते हैं। वनों में लगने वाली अग्नि वृक्षों के पुष्पन, बीज प्रकीर्णन, अंकुरण, पौध स्थापन और पादप मृत्यु दर जैसे विकास और वृद्धि के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करके, पादप समुदायों की प्रजाति संरचना को अत्यधिक प्रभावित करती है। वनों की अग्नि कुछ प्रजातियों को दबाकर और अन्य प्रजातियों को प्रोत्साहित करके वनस्पति को प्रभावित करती है, जिससे वनस्पति संरचना और क्रमिक स्वरूप (Vegetation structure and successional pattern) में परिवर्तन होते हैं।

उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों में, जहाँ आग अक्सर लगती है, पौधे कुछ अनुकूली गुण प्रदर्शित करते हैं जैसे मोटी छाल, आग के घावों को भरने की क्षमता, बीज अनुकूलन और पुनः अंकुरण क्षमता। वनों की स्थापना पर इन आवर्ती अग्नि घटनाओं का पारिस्थितिक महत्व बहुत अधिक है। अग्नि घटनायें कुछ अग्नि–सहिष्णु प्रजातियों को बढ़ावा देती है जो एक अशांत वातावरण में प्राकृतिक रूप से उगने वाली प्रजातियों का स्थान ले सकती हैं।

उक्त परियोजना के अन्तर्गत लिये गये कार्यक्षेत्र निम्न तालिका क्रमांक– 1.63 में दर्शित है।

तालिका क्रमांक-1.63

जबलपुर वनमण्डल के अग्नि प्रभावित स्थलों का सर्वेक्षण

स्थल क्र.	परिक्षेत्र	बीट
1	पाटन	पाटन
2	पनागर	गधेरी, छीतरी
3	पनागर	उमरिया
4	जबलपुर	बंदरकोला
5	जबलपुर	बंदरकोला
6	चेरापोंडी (कुण्डम परियोजना)	पाटी
7	शहपुरा	कालापत्थर
8	शहपुरा	बेलखेड़ा
9	शहपुरा	कोहली
10	शहपुरा	बिजोरी
11	सिहोरा	गुरेहा
12	सिहोरा	सरदा
13	कुण्डम	पड़रिया
14	बरगी	मारापाठा

कार्यविधि : निम्नलिखित बिंदुओं पर अग्नि प्रभावित क्षेत्र और आसपास के गैर–अग्नि प्रभावित क्षेत्र का तुलनात्मक अध्ययन किया जा रहा है।

द्वितीयक स्रोतों से डेटा एकत्र करना – अध्ययन क्षेत्र में आग की घटनाओं के संबंध में जानकारी मध्यप्रदेश वन विभाग की सूचना प्रौद्योगिकी शाखा भोपाल, FSI website, संबंधित डिविजन से एकत्र किये गये है। यूएसजीएस वेबसाइट (https://earthexplorer.usgs.gov) से उपग्रह चित्रों का पता लगाया गया।

अग्नि मानचित्रण – पिछले 10 वर्षों के दौरान आग की आवृत्ति और आग के स्थान का मानचित्रण पिछले 10 वर्षों के उपग्रह डेटा का उपयोग कर के किये गये है।

- वनस्पति पर अग्नि के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए क्षेत्र सर्वेक्षण और प्राथमिक डेटा संग्रह निम्नलिखित बिंदुओं पर डेटा एकत्र किया।
- अग्नि प्रभावित और आसपास के गैर–आग वाले क्षेत्र के 1% क्षेत्र में नियंत्रण के रूप में Sampling की गई।
- वनस्पति डेटा एकत्र करने के लिए 0.1 हेक्टेयर (31.62 मीटर x 31.62 मीटर) का चतुर्भुज बनाया जिसके अंदर 10 x 10 मीटर के तीन प्लॉट तथा प्रत्येक 10 x 10 मीटर के प्लॉट में 15 प्लॉट 1 x 1 मीटर के डाले गये।

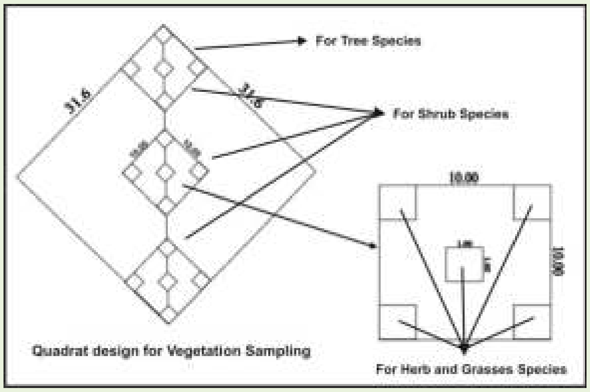

डेटा संग्रहः प्रथम चरण में अग्नि घटना के उपरान्त क्षेत्र सर्वेक्षण के समय Sampling कर डेटा संग्रह किया गया।

- वृक्षप्रजातियों (0.1 हेक्टेयर प्लॉट) के लिए – वृक्ष प्रजातियों (बांस सहित सभी वनस्पतियाँ 2 मीटर से अधिक ऊँची) को 0.1 हेक्टेयर प्लॉट के भीतर उनकी छाती की ऊँचाई (जमीन से 1.37 मीटर पर सीबीएच) पर परिधि और पौधे की ऊँचाई के साथ दर्ज किया गया।
- झाड़ी प्रजातियों (0.1 हेक्टेयर प्लॉट के भीतर 10 मीटर x 10 मीटर के तीन प्लॉट) के लिए –झाड़ियों (40 सेमी से 2.0 मीटर ऊँचाई के बीच की सभी वनस्पतियाँ) के डेटा को एक प्लॉट में दर्ज किया गया।
- शाकाहारी और घास प्रजातियों (10 मीटर x 10 मीटर के तीन प्लॉट के भीतर 1 मीटर x 1 मीटर के पंद्रह प्लॉट) के लिए दृजड़ी बूटी और घास प्रजातियाँ (40 सेमी से कम ऊँचाई की सभी वनस्पतियाँ) 1 मीटर x 1 मीटर प्लॉट के भीतर दर्ज की गई।
- **डेटा विश्लेषण** : वृक्ष, झाड़ी, शाकाहारी और घास प्रजातियों के घनत्व, आवृत्ति, प्रचुरता ध्आधार क्षेत्र, पौधों की संरचना और विविधता का विश्लेषण किया जाएगा। वृक्ष प्रजातियों की पुनर्जनन स्थिति का विश्लेषण किया जाएगा।

अध्ययन क्षेत्र में कुल 106 पादप प्रजातियाँ पाई गई। जिसमें 53 वृक्ष प्रजातियाँ, 20 झाड़ियाँ, 28 शाक तथा 5 घास की प्रजातियाँ पाई गई।

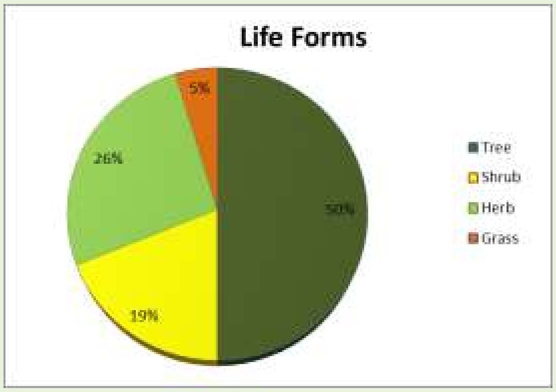

मात्रात्मक विश्लेषण (Quantitative Analysis)

- जले हुए क्षेत्र और आस–पास के गैर–जले हुए क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों के घनत्व, आवृत्ति, आधारीय क्षेत्र, प्रचुरता और प्ट५ की गणना की गई।
- यह विश्लेषण वृक्ष, झाड़ी, जड़ी–बूटी और घास की प्रजातियों के लिए किया गया।
- इसके अलावा, कूड़े के आवरण की भी गणना की गई।
- वृक्ष प्रजातियों की पुनर्जनन स्थिति का भी विश्लेषण किया गया और पौधों और पौध के घनत्व की गणना की गई।
- NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) विश्लेषण जले हुए और न जले हुए दोनों क्षेत्रों के लिए किया गया है।

द्वितीय चरण का डेटा संग्रह वर्षा ऋतु के उपरान्त पुनः उन्हीं क्षेत्रों में वनस्पति सर्वेक्षण कार्य अग्नि प्रभावित एवं उससे लगे अप्रभावित क्षेत्र में वर्तमान में किया जा रहा है।

(बी) इनवेसिव प्रजातियों पर अग्नि के प्रभाव का आंकलन

इनवेसिव प्रजातियों पर अग्नि के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए क्षेत्र सर्वेक्षण और प्राथमिक डेटा का संग्रहण किया गया। एक हेक्टेयर भूखंड में 10 मीटर x 10 मीटर के तीन भूखंड बनाए गये जिसमें इनवेसिव प्रजातियों के कवर प्रतिशत की गणना की गई। मुख्य रूप से लेंटाना, क्रोमोलिना प्रजाति पाई गई। कम क्षेत्र घेरने वाली प्रजातियों के लिए प्रत्येक 10 मीटर x 10 मीटर भूखंड में 1 मीटर x 1 मीटर के पांच भूखंड भी बनाए गए जिसमें मुख्य रूप से वन तुलसी की गणना की गई। क्योंकि यह प्रजाति संख्या में अधिक पाई जाती है और प्रति पौधा कवर प्रतिशत कम होता है। विभिन्न बीटों के इनवेसिव प्रजातियों को मानचित्र में दर्शित किया गया।

द्वितीय चरण का डेटा संग्रहण वर्षा ऋतु के उपरान्त अग्नि प्रभावित एवं उससे लगे अप्रभावित क्षेत्र में किया जा रहा है।

(सी)वन्य जीवों पर अग्नि के प्रभाव का आंकलन

वन्यजीवों पर अग्नि के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए क्षेत्र सर्वेक्षण और प्राथमिक डेटा संग्रह किया गया। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष साक्ष्य दर्ज किए गये। प्रभावित बीटों में ट्रांजेक्ट लाइन और ट्रेल निर्धारित कर उन क्षेत्रों में वन्यजीवों की उपस्थिति के आंकड़े एकत्र किये गये। वन्यजीव प्रजातियों की प्रचुरता (Abundance) को रिकॉर्ड करने के लिए कैमरा ट्रैप स्थापित किये गये।

प्रथम चरण में अध्ययन क्षेत्र के विभिन्न सर्वेक्षण स्थानों पर कुल 34 वन्यजीव प्रजातियों का अवलोकन किया गया। इन प्रजातियों में 14 स्तनधारी, 14 पक्षी और 6 सरीसृप पाये गये।

1.8 मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड

मध्य प्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड का गठन व उद्देश्य :–

भारत सरकार द्वारा अधिसूचित जैवविविधता अधिनियम, 2002 की धारा 63 (1) के अनुसार राज्य शासन द्वारा मध्य प्रदेश जैवविविधता नियम, 2004 दिनांक 17.12.2004 को अधिसूचित किये गये। जिसके अंतर्गत राज्य शासन की अधिसूचना 11 अप्रैल 2005 अनुसार मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड का गठन किया गया।

जैवविविधता अधिनियम, 2002 की धारा 23 एवं मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता नियम, 2004 के नियम 14 के तहत मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड का निम्नानुसार उद्देश्य / भूमिका है–

अ. जैवविविधता का संरक्षण,

ब. जैवविविधता के संघटकों का संवहनीय (पोषणीय) उपयोग तथा

स. जैव संसाधनों और ज्ञान के वाणिज्यिक (व्यापारत्मक) उपयोग से उद्भूत लाभ का उचित और साम्यपूर्ण प्रभाजन।

मध्य प्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड का संचालक मण्डल

राज्य शासन की अधिसूचना दिनांक 11.04.2005 अनुसार मध्य प्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड गठित किया गया है। बोर्ड के अध्यक्ष, 05 पदेन सदस्य एवं 05 अशासकीय सदस्यगण हैं।

बोर्ड का कोई संभागीय / जिला / तहसील / विकासखंड कार्यालय नहीं है।

संचालक मण्डल की बैठक

बोर्ड की 22वीं बोर्ड बैठक अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, वन विभाग तथा अध्यक्ष, म.प्र. राज्य जैवविविधता बोर्ड की अध्यक्षता में दिनांक 09.06.2025 को सम्पन्न हुई।

वित्त वर्ष 2024–25 में मध्य प्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड द्वारा उद्देश्य पूर्ति हेतु संचालित गतिविधियां/कार्य –

1. जैवविविधता का संरक्षण –

जैवविविधता संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित परियोजना – मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड द्वारा जैवविविधता से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर शोध एवं दस्तावेजीकरण परियोजना शोध, संस्थाओं, महाविद्यालयों एवं अशासकीय संस्थाओं के माध्यम से संचालित की जाती है। वर्ष 2025–26 में कुल 23 परियोजनायें संचालित की जा रही है।

जैवविविधता विरासत स्थल– जैवविविधता अधिनियम, 2002 की धारा 37 तथा मध्यप्रदेश जैवविविधता नियम, 2004 के नियम 22 के प्रावधान अंतर्गत प्रदेश में कुल 05 जैवविविधता बाहुल्य क्षेत्रों (नरो हिल्स, जिला–सतना, पातालकोट, जिला–छिन्दवाड़ा एवं अमरकंटक, जिला–अनूपपुर सिरपुर झील, इंदौर मध्यप्रदेश जल एवं भूमि प्रबंध संस्थान (वाल्मी) परिसर, भोपाल) को जैवविविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। क्षेत्रीय ईकाई एवं संस्था द्वारा जैवविविधता विरासत स्थल का संरक्षण एवं प्रबंधन किया जा रहा है।

जैवविविधता सर्वेक्षण – माननीय मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश शासन की पहल एवं निर्देशों पर बोर्ड द्वारा नर्मदा नदी के तटीय क्षेत्रों (5 किलोमीटर दोनों ओर) के अंतर्गत आने वाले 15 जिलों में से 13 जिलों के 931 ग्रामों में से 540 ग्रामों में सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है, 341 ग्रामों का जैवविविधता सर्वेक्षण प्रतिवेदन बोर्ड कार्यालय को परीक्षण हेतु प्राप्त।

देव लोक वनों (सेक्रेड ग्रोव्स) का संरक्षण – प्रदेश के वन क्षेत्रों में पाये जाने वाले देव लोक वनों (सेक्रेड ग्रोव्स) के संरक्षण हेतु वनमण्डल स्तर पर सर्वेक्षण कार्य कराया गया। प्रदेश में कुल 1431 देव लोक वन पाये गये।

2. जैवविविधता का दस्तावेजीकरण

लोक जैवविविधता पंजी का अद्यतनीकरण :– प्रदेश में स्थानीय निकाय स्तर पर जैवविविधता प्रबंधन समितियों के सहयोग से लोक जैवविविधता पंजी अद्यतनीकरण कार्य किया जा रहा है। यह कार्य संस्था स्तर पर महाविद्यालय/विद्यालय एवं जैवविविधता के विषय–विशेषज्ञ/ व्याख्याताओं के माध्यम से कराया जा रहा है। इस परिप्रेक्ष्य में वित्तीय वर्ष 2025–26 में निम्नानुसार लोक जैवविविधता पंजी का अद्यतनीकरण कार्य पूर्ण किया गया है, जिसका विवरण तालिका क्रमांक–1.64 में दर्शित है :–

तालिका क्रमांक–1.64

क्र.	निकाय स्तर	बोर्ड में जमा पंजी संख्या
1	जनपद पंचायत	06
2	ग्राम पंचायत	49
3	नगर निगम	00
4	नगर पालिका	03
कुल		58

3. जैवविविधता प्रबंधन समितियों का क्षमता विकास

जैवविविधिता प्रबंधन समितियो का सक्रियकरणः– प्रदेश में जैवविविधता अधिनियम, 2002 अंतर्गत स्थानीय निकाय स्तर पर गठित कुल 20 जैवविविधता प्रबंधन समितियों में सक्रियकरण कार्यशाला एवं बैठक का आयोजन किया गया।

जैवविविधता प्रबंधन समितियों का सम्मेलन – माननीय विधायक की अध्यक्षता में भोपाल के बैरसिया विकासखंड की 126 जैवविविधता प्रबंधन समितियों का सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में शासकीय विभागों के प्रतिनिधि, समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों, ग्राम पंचायतों के सरपंच, पंचायत सचिव लगभग 2200 प्रतिभागियों द्वारा प्रतिभागिता की गयी, बोर्ड के प्रतिनिधियों द्वारा समिति के गठन, कर्तव्य एवं लोक जैवविविधता पंजी के महत्व तथा निर्माण के बारे प्रतिभागियों को बताया गया।

सम्मेलन को संबोधित करते हुए मान. विधायक एवं सम्मेलन में उपस्थित प्रतिभागी

4. जैवविविधता जागरूकता

अंतर्राष्ट्रीय जैवविविधता दिवस (22 मई) – Convention on Biological Diversity (CBD) सचिवालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जैवविविधता दिवस (IDB) 2025 की विषयवस्तु "प्रकृति के साथ सामंजस्य एवं सतत विकास" निर्धारित की गयी। इस अवसर पर बोर्ड द्वारा राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन मान. राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण, मध्यप्रदेश, अपर मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग एवं वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में किया गया। कार्यशाला में "थीम सॉन्ग – एक कहानी बनते हुए" का विमोचन, राज्य जैवविविधता पुरुस्कार 2023, अन्य प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया तथा जन जागरूकता हेतु जैवविविधता प्रदर्शनी लगायी गयी।

बोर्ड द्वारा प्रदेश में क्षेत्रीय स्तर पर जन जागरूकता हेतु 30 जैवविविधता प्रबंधन समिति, 30 शैक्षणिक संस्थान एवं वन विभाग के क्षेत्रीय इकाईयों में जन जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

राज्य स्तरीय कार्यशाला में मान. राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण, मध्यप्रदेश, अपर मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग, वरिष्ठ अधिकारी एवं अन्य प्रतिभागी

5. विश्व पर्यावरण दिवस (5 जून 2025) –

विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर बोर्ड द्वारा WWF, India के सहयोग से "Say No to Single Use Plastic" विषयवस्तु पर महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज, भोपाल में छात्राओं हेतु पोस्टर एवं स्लोगन लेखन प्रतियोगिता तथा सरोजिनी नायडू गर्ल्स कॉलेज, भोपाल में व्याख्यान एवं संवाद सत्र का आयोजन किया गया। भोपाल के आस–पास के 50 गाँवों में स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसके माध्यम से ग्रामीण समुदाय को प्लास्टिक प्रदूषण से मुक्ति एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित किया गया।

विश्व पर्यावरण दिवस 2025 पर आयोजित कार्यक्रम

6. वन वृत्त स्तरीय कार्यशाला –

जैवविविधता अधिनियम, 2002 के अंतर्गत जैवविविधता प्रबंधन समितियों के सक्रियकरण, लोक जैवविविधता पंजी के निर्माण एवं लाभ प्रभाजन में गति लाने और व्यावहारिक कठिनाईयों को दूर करने के उद्देश्य से क्षेत्रीय ईकाइयों के अमले को प्रशिक्षित करने हेतु बोर्ड द्वारा दिनांक 08.04.2025 को भोपाल वन वृत्त में कार्यशाला सह प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। जिसमें वन वृत्त अंतर्गत 63 पदाधिकारियों द्वारा प्रतिभागिता की गयी।

वन वृत्त अंतर्गत एक दिवसीय कार्यशाला में सम्मिलित प्रतिभागी

7. राज्य स्तरीय वन्यजीव सप्ताह, 2025 –

जैवविविधता जागरूकता के उद्देश्य से बोर्ड द्वारा राज्य स्तरीय वन्यजीव सप्ताह में दिनांक 01–07 अक्टूबर 2025 तक वन विहार, राष्ट्रीय उद्यान में प्रदर्शनी लगायी गयी एवं जागरूकता सामग्री का वितरण किया गया। साथ ही विद्यार्थियों एवं आगंतुकों हेतु स्पॉट क्विज़, स्टेट एनिमल एवं स्टेट बर्ड का मैप गेम, पक्षियों की आवाज पहचानने की प्रतियोगिता, एनिमल डाइंग बुक पेंटिंग एवं डी.आई.वाय नेस्ट पेंटिंग, अन्य जैवविविधता संबंधी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया।

इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश द्वारा "Human Wildlife co-existence" पर आधारित प्रदेश की 08 अग्रणी प्रजातियों का कैम्पेन लॉन्च किया गया तथा समापन कार्यक्रम में महामहिम राज्यपाल महोदय एवं माननीय राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण, मध्यप्रदेश द्वारा Human Wildlife coexistence campaign अंतर्गत 08 अग्रणी प्रजातियों के लेपल पिन बॉक्स का विमोचन किया गया।

महामहिम राज्यपाल महोदय एवं माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश द्वारा विमोचन

8. राज्य स्तरीय मोगली बाल उत्सव कार्यक्रम – 2025 – जैवविविधता संरक्षण एवं संवर्धन के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन द्वारा मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड, स्कूल शिक्षा विभाग एवं अन्य सहयोगी विभागों के माध्यम से विद्यालयीन छात्र–छात्राओं हेतु मोगली बाल उत्सव का आयोजन किया गया। प्रदेश में ''राज्य स्तरीय मोगली उत्सव'' 2025 का आयोजन पेंच टाईगर रिजर्व, सिवनी में दिनांक 27 से 29 अक्टूबर 2025 तक किया गया। प्रदेश के समस्त 55 जिलों के चयनित 277 विद्यार्थियो एवं 55 शिक्षकों द्वारा मोगली बाल उत्सव कार्यक्रम में भाग लिया।

बोर्ड द्वारा प्रशिक्षित सहजकर्ता के सहयोग से मोगली उत्सव में जैवविविधता आधारित – नेचर ट्रेल, ट्रेजर हंट एवं हेबिटेट सर्च, पार्क सफारी, जैवविविधता प्रदर्शनी, चलित जैवविविधता विज्ञान प्रदर्शनी बस आदि गतिविधियों का आयोजन।

मोगली उत्सव कार्यक्रम में आयोजित गतिविधियां एवं समापन कार्यक्रम

9. जैव संसाधनों और ज्ञान के वाणिज्यिक (व्यापारत्मक) उपयोग से उद्भूत लाभ का उचित और साम्यपूर्ण प्रभाजन

जैवविविधता अधिनियम, 2002, जैविक संसाधनों तक पहुंच और सहयुक्त जानकारी तथा फायदा बंटाना विनियम तथा मध्यप्रदेश जैवविविधता नियम, 2004 के प्रावधान अनुसार मध्यप्रदेश के जैव संसाधनों का व्यापारिक (वाणिज्यिक) उपयोग करने वाले समस्त व्यापारी व विनिर्माताओं को धारा 7 के अंतर्गत मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड (एम.पी.एस.बी.बी.) से अनुमति लेना अनिवार्य है।

10. लाभ प्रभाजन राशि – प्रदेश में जैव संसाधनों का वाणिज्यिक उपयोग करने वाले व्यापारियों एवं विनिर्माताओं से राज्य जैवविविधता निधि में निम्नानुसार लाभ प्रभाजन राशि प्राप्त हुई है, जिसका विवरण तालिका क्रमांक.1.65 में दर्शित है :–

तालिका क्रमांक.1.65

(राशि रूपये लाख में)

वित्त वर्ष	अनुबंध की संख्या		लाभ प्रभाजन राशि		कुल एकत्रित राशि
	व्यापारी	विनिर्माता	व्यापारी	विनिर्माता	
2025-26 (नवम्बर, 25 की स्थिति में)	406	16	79.45	22.13	101 .58

11. जैवसंसाधनों तक पहुंच एवं लाभ प्रभाजन (Access and Benefit Sharing) से प्राप्त राशि के वितरण की प्रक्रिया का निर्धारण एवं दिशानिर्देश –

राज्य सरकार द्वारा जैवविविधता अधिनियम, 2002 की धारा 23(ख) तथा मध्यप्रदेश जैवविविधता नियम, 2004 के नियम 14(1) के प्रावधान अनुसार प्रदेश में जैव संसाधनों तक पहुंच एवं लाभ प्रभाजन (Access and Benefit Sharing) से प्राप्त राशि के वितरण की प्रक्रिया का निर्धारण एवं दिशानिर्देश जारी किये गये। दिशानिर्देश अनुसार लाभ प्रभाजन राशि का 95 प्रतिशत हिस्सा समानुपातिक रूप से स्थानीय निकाय स्तर पर गठित जैवविविधता प्रबंधन समितियों/लाभ के दावेदारों एवं 5 प्रतिशत हिस्सा संबंधित वनमण्डल एवं बोर्ड को प्रशासनिक व्यय हेतु दिया जाना प्रावधानित है।

बोर्ड द्वारा दिशानिर्देश के परिपालन में क्षेत्रीय वनमण्डलों से प्राप्त जानकारी के आधार पर राज्य जैवविविधता निधि खाते में वित्तीय वर्ष 2023–24 तक प्राप्त लाभ प्रभाजन राशि में से नवम्बर, 2025 तक 20 वनमण्डलों की 628 जैवविविधता प्रबंधन समितियों/लाभ के दावेदारों को राशि रूपये 241.00 लाख का वितरण किया गया।

12. बजट प्रावधान

मध्य प्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड को वित्त वर्ष 2025–26 में निम्नानुसार बजट अनुदान शासन द्वारा प्रावधानित किया गया है, जिसका विवरण तालिका क्रमांक 1.66 में दर्शित है–

तालिका क्रमांक 1.66

(राशि रूपये लाख में)

क्र.	बजट शीर्ष	प्रावधान राशि	प्राप्त राशि	व्यय राशि (दिनांक. 17.11.25)
1.	7672 - जैवविविधता एवं जैवप्रौद्योगिकी से संबंधित परियोजनाओं का पोषण	50.00	12.50	2.50
2.	7856 - जैवविविधता बोर्ड से संबंधित व्यय	300.00	300.00	144.60
	योग	350.00	312.50	147.10

1.9 मध्य प्रदेश ईकोपर्यटन विकास बोर्ड

मध्यप्रदेश ईकोपर्यटन विकास बोर्ड म.प्र.शासन वन विभाग के अंतर्गत एक स्वशासी संस्था है, जिसका गठन 12.07.2005 को म.प्र.सोसाइटी रजिस्टेशन एक्ट 1973 के अंतर्गत किया गया था। बोर्ड द्वारा मध्य प्रदेश राज्य की वन नीति 2005 की कंडिका 3.16 ईकोपर्यटन नीति निर्देशों के अनुसार ईकोपर्यटन गतिविधियों का विस्तार प्रदेष में किया जा रहा है।

म.प्र.ईकोपर्यटन विकास बोर्ड द्वारा गतिविधियों के संचालन हेतु राज्य शासन के बजट मद 5830 से अनुदान, राष्ट्रीय उद्यान/अभयारण्यों की विकास निधि से 10 प्रतिशत राशि एवं अन्य स्त्रोतों से वित्तीय संसाधन प्राप्त होते हैं।

म.प्र.ईकोपर्यटन विकास बोर्ड के उद्देश्य, लक्ष्य एवं रणनीति निम्नानुसार है :–

उद्देश्य– वन संरक्षण एवं ग्रामीण आजीविका विकास

लक्ष्य– सतत् वन प्रबंधन में ईकोपर्यटन को मुख्य धारा से जोड़कर वन एवं वन्यजीव संरक्षण

रणनीति–

- गंतव्य स्थलों (Destinations) पर मूलभूत अधोसंरचनाओं एवं सुविधाओं का विकास करना।
- प्रकृति संरक्षण के प्रति जागरूकता का प्रचार–प्रसार करना।
- स्थानीय समुदायों हेतु आजीविका के अवसर विकसित करना।

ईकोपर्यटन के मुख्य घटक एवं उद्देश्य

- प्राकृतिक रहवास और वन्यजीवों पर पर्यटन के प्रभावों को नगण्य रखना।
- प्रकृति संरक्षण के लिये पर्यटकों को शिक्षित एवं जागरूक करना एवं उनको वन एवं वन्य जीव संरक्षण से जोड़ना।
- उचित प्रबंधन द्वारा पर्यटकों के प्रवास को आनन्द दायक, मनोरंजक एवं ज्ञानवर्धक बनाना।
- स्थानीय समुदायों को ईकोपर्यटन के माध्यम से वैकल्पिक रोजगार के साधन उपलब्ध कराना व होने वाले लाभों में उन्हें सहभागी बनाना।
- स्थानीय संस्कृति का सम्मान करना एवं पर्यटकों को उससे परिचित कराना।

बोर्ड की प्रशासनिक संरचना :–

बोर्ड की प्रशासनिक संरचना में दो प्रमुख समितियाँ हैं :– साधारण सभा एवं कार्यकारी समिति। साधारण सभा के पदेन सभापति, माननीय वन मंत्री, म.प्र.शासन हैं तथा कार्यकारी समिति के पदेन अध्यक्ष, अपर मुख्य सचिव, वन विभाग हैं। प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, वन विभाग दोनों समितियों के सदस्य है। बोर्ड में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, उप वनसंरक्षक एवं सहायक महाप्रबंधक पदस्थ हैं, जो वन विभाग से प्रतिनियुक्ति पर हैं। प्रदेश के 16 वन वृत्त के मुख्य वन संरक्षक, 11 अनुसंधान एवं विस्तार वृत्तों के मुख्य वन संरक्षक, 64 क्षेत्रीय वनमण्डलाधिकारी और 11 राष्ट्रीय उद्यान के संचालक एवं उप संचालक बोर्ड के पदेन क्षेत्रीय अधिकारी हैं।

बोर्ड की प्रमुख गतिविधियों निम्नानुसार है :–

(अ) ईकोपर्यटन गंतव्य स्थलों का विकासः

बोर्ड द्वारा ईकोपर्यटन को बढावा देने के लिये गंतव्य स्थलों का विकास किया जा रहा है। म.प्र.शासन द्वारा आरक्षित वनों में ईकोपर्यटन विकास हेतु म.प्र.वन (मनोरंजन एवं वन्यजीव अनुभव) नियम, 2015 के तहत माह दिसम्बर 2025 तक कुल 148 स्थल अधिसूचित किये जा चुके हैं। म.प्र.ईकोपर्यटन विकास बोर्ड द्वारा 13 ईकोपर्यटन गंतव्य स्थलों की ऑनलाईन बुकिंग की जा रही है, जिनका प्रबंधन एवं संचालन स्थानीय समिति सदस्यों के द्वारा किया जा रहा है। बोर्ड के 02 गंतव्य स्थलों का जन निजी भागीदारी (पी.पी.पी.) एवं 01 गंतव्य स्थल आर.एफ.पी. के माध्यम से संचालन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त विभिन्न वनमंडलों में स्थित 136 ईकोपर्यटन गंतव्य स्थलों का भी संचालन स्थानीय समिति सदस्यों के सहयोग व सहभागिता से किया जा रहा है, जिससे उन्हें रोजगार का साधन प्राप्त हो रहा है।

(ब) अनुभूति' प्रशिक्षण सह जागरूकता कार्यक्रम : मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग एवं म.प्र.ईकोपर्यटन विकास बोर्ड के फ्लैगशिप कार्यक्रम "अनुभूति" के अंतर्गत एक दिवसीय शिविरों का आयोजन प्रत्येक वर्ष 15 दिसम्बर से 31 जनवरी के मध्य संपूर्ण प्रदेश में किया जाता रहा है। यह कार्यक्रम देश में मात्र मध्यप्रदेश राज्य में इतने वृहद स्तर पर आयोजित किया जा रहा है। जन सामान्य में वन एवं वन्यजीव तथा पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता विकसित करने हेतु प्रतिवर्ष 'अनुभूति कार्यक्रम' का आयोजन किया जा रहा है। इस कैम्प में विद्यार्थियों को वन भ्रमण, नेचर ट्रेल भ्रमण एवं अन्य गतिविधियॉ आयोजित कर पारिस्थितिकी के घटकों की व्याख्या, पर्यावरण सरंक्षण, जैव विविधिता, पक्षी दर्शन, वन औषधि आदि का अनुभव प्रदान किया जाता है।

अनुभूति कार्यक्रम में वर्ष 2016 से 2025 के मध्य 10 वर्षो में लगभग 8.49 लाख विद्यार्थियों को कार्यक्रम में शामिल किया जा चुका है। एक दिवसीय कैम्प का आयोजन कर स्कूली विद्यार्थियों को पर्यावरण संरक्षण, पक्षी दर्शन, जैव विविधता, वन औषधि, वन्यजीव, एवं वन प्रबंधन की सामान्य जानकारी प्रदान की जाती रही एवं माननीय प्रधानमंत्रीजी के Mission LiFE के तहत Pro-Planet&People बनने हेतु प्रेरित किया जाता है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु प्रत्येक वन वृत्त में "अनुभूति प्रेरक" (शासकीय, अशासकीय एवं सेवानिवृत्त) का चयन कर भोपाल में प्रषिक्षण प्रदाय किया जाता है। प्रशिक्षण प्राप्त कर "अनुभूति" प्रेरक"परिक्षेत्र स्तर पर प्रशिक्षण, प्रचार सह जागरूकता शिविरों का आयोजन सम्पन्न करने मे सहयोग करते है। शिविरों के दौरान समस्त विद्यार्थियों को पर्यावरण एवं वनों से संबंधित रोचक जानकारियॉ उपलब्ध करायीं एवं वन भ्रमण करते हुए संवहनीय जीवन शैली अपनाने की प्रेरणा दी जिससे वे Pro-Planet&People की अवधारणा फलीभूत हो सके। इन विद्यार्थियों के माध्यम से प्रकृति संरक्षण का संदेश उनके परिजनों एवं स्थानीय समुदाय तक पहुंचाने में विभाग सफल रहा है।

वर्ष 2025–26 में प्रदेश के 469 क्षेत्रीय एवं वन्यजीव वन परिक्षेत्रों में शासकीय विद्यालयों हेतु कुल 938 अनुभूति शिविरों का आयोजन किया जाना है, जिसमे शासकीय विद्यालयों के प्रति परिक्षेत्र 02 शिविर (126 विद्यार्थी प्रति शिविर) का आयोजन किया जावेगा। इस कार्यक्रम मे शासकीय विद्यालयों के 1,18,188 प्रतिभागियों को शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है।

(स) प्रशिक्षण सह क्षमता विकास–

ईकोपर्यटन गतिविधियों का मूल उद्देश्य ईकोपर्यटन से स्थानीय समुदाय की आजीविका के अवसर विकसित करना भी है, ताकि वनों पर उनकी निर्भरता कम हो सके। इसे ध्यान में रखते हुये वित्तीय वर्ष 2025–26 में ईकोपर्यटन स्थलों पर नवीन/कार्यरत स्थानीय समुदाय के सदस्यों के क्षमता विकास एवं कौशल उन्नयन के उद्देश्य से विभिन्न विधाओं जैसे– गाइड प्रशिक्षण– 1140, गाईडो हेतु हेतु इंग्लिश स्पीकिंग प्रशिक्षण– 234, खानसामा एवं आतिथ्य सत्कार प्रशिक्षण– 22, गंतव्य स्थल प्रबंधन, कैम्पिंग प्रशिक्षण– 49, जलप्रपात पर्यटन के दौरान सुरक्षा एवं प्रबंधन कार्यों का प्रशिक्षण– 48, अनुभूति मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण– 47 कुल 1540 का प्रशिक्षण सह क्षमता विकास किया गया है।

1.10 मध्यप्रदेश राज्य बांस मिशन

1.10.1 मध्यप्रदेश राज्य बांस मिशन की स्थापना एवं उद्देश्यः–

प्रदेश के बांस वनों की उत्पादकता में कमी तथा बांस एवं बांस उत्पादों के विपणन में हो रही कठिनाईयों की दूर करने के लिये राज्य शासन द्वारा दिनांक 3 जुलाई 2013 को म.प्र. राज्य बांस मिशन (सोसायटी) का गठन किया गया है। राज्य बांस मिशन का मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 के अधीन पंजीकरण किया गया है। सितम्बर 2013 से मिशन द्वारा पृथक से कार्य प्रारंभ किया गया ।

राज्य बांस मिशन का मुख्य कार्य राष्ट्रीय बांस मिशन के उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए प्रदेश स्तर पर योजना तैयार कर उसका क्रियान्वयन कराना है। राज्य शासन द्वारा वन विकास अभिकरणों को जिला स्तरीय बेम्बू डेवलेपमेंट एजेन्सी का कार्य भी अतिरिक्त रूप से करने हेतु अधिकृत किया गया है।

म.प्र. राज्य बांस मिशन की साधारण सभा के अध्यक्ष म.प्र. शासन के वनमंत्री तथा कार्यकारी समिति के अध्यक्ष, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वन तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, सदस्य सचिव है।

वर्तमान में प्रधान मुख्य वन संरक्षक स्तर के अधिकारी मिशन के मुख्य कार्यपालन अधिकारी हैं।

म.प्र. राज्य बांस मिशन की योजनाएं तथा कार्यक्रम

बांस मिशन द्वारा प्रदेश स्तर पर राष्ट्रीय बांस मिशन योजना (7458 समग्र बांस विकास योजना) का क्रियान्वयन किया जा रहा है। यह केन्द्र प्रवर्तित योजना है, जिसमें केन्द्रांश एवं राज्यांश का 60:40 का अनुपात होता है।

योजनान्तर्गत कृषि भूमि पर बांस रोपण हेतु बांस कृषकों को अनुदान देने का प्रावधान है। योजना में बांस प्रसंस्करण तथा उत्पाद निर्माण केन्द्रों की स्थापना हेतु अनुदान तथा बांस उत्पादो का प्रभावी विपणन सम्मिलित है।

वर्ष 2024–25 की कार्य योजना की प्रमुख गतिविधियां निम्नानुसार हैं–

वर्ष 2025–26 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय बांस मिशन योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के लिए राशि रू. 2000 लाख की वार्षिक कार्य योजना स्वीकृत की गई है, जिसमें से मिशन को SNA SPARSH के माध्यम से राशि रू.1250 लाख की मदद सेंक्शन प्राप्त हो चुकी है। इस वर्ष की प्रमुख उपलब्धियाँ निम्नानुसार हैं–

बांस रोपण

राष्ट्रीय बांस मिशन की पुनरीक्षित गाईडलाइन्स (वर्ष 2025) के अनुसार इस वर्ष से कृषकों द्वारा बांस पौध रोपण को प्रोत्साहित करने के लिए रू.120 प्रति पौधे से बढ़ाकर रू.150 प्रति पौधे की दर से दो वर्षों में (जीवितता प्रतिशत के आधार पर) अनुदान दिया जा रहा है।

योजना अंतर्गत कृषि क्षेत्र में 13.70 लाख बांस के पौधों का रोपण कराया गया है, जिसके लिए हितग्राही कृषकों को कुल राशि रू.12.33 करोड़ का अनुदान वितरण प्रगतिरत है।

कौशल उन्नयन प्रशिक्षण

मिशन द्वारा UNDP (यूनाइटेड नेशन्स डेवलपमेंट प्रोग्राम) एवं SPA (स्कूल ऑफ़ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर), भोपाल के सहयोग से आयोजित बांस प्रशिक्षण कार्यशालाओं में 65 परंपरागत बांस शिल्पियों को बांस हस्तशिल्प तथा बांस एवं इलेक्ट्रिकल्स के फ्यूज़न क्राफ्ट में प्रशिक्षण दिया गयाद्य

बांस शिल्पियों के डायरेक्ट मार्केट लिंकेज की व्यवस्था

मिशन द्वारा प्रदेश के बांस शिल्पियों को प्रदेश एवं राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित विभिन्न प्रदर्शनियों में उनके द्वारा सामान्य सुविधा केन्द्रों तथा बांस इकाइयों में निर्मित बांस हस्तशिल्प उत्पादों के प्रदर्शन/विक्रय करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

इस वर्ष निम्नलिखित प्रदर्शनियों में इन शिल्पियों को भाग लेने के अवसर प्रदान किये जा रहे हैं: –

- वन विहार भोपाल में आयोजित वन्यजीव सप्ताह प्रदर्शनी
- मध्य प्रदेश काउंसिल ऑफ़ साइंस एंड टेक्नोलॉजी (MPCST) द्वारा आयोजित विज्ञान मेला
- मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय वन मेला, 2025
- केरला बेम्बू फेस्ट, 2025, कोच्ची, केरला

अन्य गतिविधियां

बांस क्षेत्र विकास हेतु सोशल–मीडिया का उपयोग – प्रदेश में बांस क्षेत्र से संबंधित गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कार्यालय स्तर से भी कृषकों, उद्यमियों, शिल्पियों एवं अन्य स्टेकहोल्डर्स के मध्य संपर्क एवं डायरेक्ट लिंकेज स्थापित करने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं।

मिशन के सहयोग से सतना एवं सीधी स्थित एफ़.पी.ओ द्वारा ओरिएंट पेपर मिल, अम्लई, शहडोल को कुल 1875.20 मेट्रिक टन बांस सप्लाई किया गया, जिसका सीधा लाभ स्थानीय कृषकों को प्राप्त हुआ है।

वित्तीय उपलब्धियाँ –

म.प्र. राज्य बांस मिशन द्वारा संचालित योजना अंतर्गत वर्ष 2023–24 एवं 2024–25 में व्यय तथा वर्ष 2025–26 हेतु स्वीकृत कार्य योजना का विवरण तालिका क्रमांक –1.67 में दर्शित है:–

तालिका क्रमांक –1.67

(राशि– लाख रू. में)

क्र.	योजना का नाम	वर्ष	केन्द्रांश	राज्यांश	योग
1	योजना क्र. 7458 समग्र बांस विकास योजना (बांस मिशन) (केन्द्रीय प्रवर्तित)	2023-24	1085.11	723.42	1808.53
2		2024-25	519.88	346.58	866.46
3		2025-26 (स्वीकृत)	1200.00	800.00	2000.00

भाग–2

बजट विहंगावलोकन

2.1 आयोजना व्यय :–

तालिका 2023–24 से 2024 की अवधि का आयोजना मद में आवंटन एवं व्यय का विवरण तालिका क्रमांक 2.1 में दर्शित है–

तालिका क्रमांक 2.1

आयोजनेत्तर व्यय

(राशि करोड़ में)

क्रमांक	मद	2023-24		2024-25		2025-26 का माह दिसम्बर 2025 तक के आंकड़े आई. एफ.एम. आई.एस. से प्राप्त	
		आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय
1	वेतन एवं भत्ते	1339.85	1054.97	1357.22	871.84	1487.68	929.01
2	मजदूरी	1317.33	1209.63	1370.50	898.21	1787.70	1056.45
3	कार्यालय व्यय	52.32	49.44	54.33	36.62	114.36	40.94
4	अनुरक्षण कार्य	13.39	11.92	5.09	1.81	12.69	2.00
5	भवनों/सड़कों का रखरखाव	27.60	27.25	38.50	21.78	53.00	30.39
6	इमारती लकड़ी, बांस, खैर	149.95	140.70	155.70	73.92	175.00	75.05
7	अनुग्रह/अनुदान	51.91	42.85	40.46	21.7 8	51.49	25.61
8	गोपनीय सेवा, क्षतिपूर्ति पुरस्कार	23.19	21.52	24.40	15.58	30.50	17.31
9	लाभांश	160.00	159.40	160.00	72.11	190.00	118.43
10	कर एवं रायल्टी	0.22	0.13	0.22	0.05	0.15	0.01
11	विज्ञापन, सामग्री पूर्तियां एवं अन्य	1103.76	1086.06	1802.69	817.94	1806.92	926.22
	योग	4239.52	3803.88	5009.12	2831.64	5709.50	3221.42

तालिका क्रमांक 2.2
कर, करेत्तर, सकल राजस्व
कर, करेत्तर, कुल राजस्व एवं वानिकी से आय

(राशि करोड़ में)

क्रमांक	राजस्व एवं व्यय	वर्ष 2023-24	वर्ष 2024-25	वर्ष 2025-26 (माह दिसम्बर 2025 की स्थिति में)
1	कर राजस्व	0	0	0
2	करेत्तर राजस्व	1421.76	1040.97	1156.69
3	योग (1+2)	1421.76	1040.97	1156.69
4	वानिकी से सकल राजस्व	1421.76	1040.97	1156.69

तालिका क्रमांक 2.3
बजट शीर्ष 0406 – वानिकी और वन्य जीवन मदवार राजस्व

(राशि करोड़ में)

उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	वित्तीय वर्ष 2024-25 का राजस्व लक्ष्य	वित्तीय वर्ष 2024-25 से प्राप्त राजस्व	वित्तीय वर्ष वर्ष 2025-26 का राजस्व लक्ष्य	वित्तीय वर्ष 2025-26 में माह दिसंबर तक IFMIS से प्राप्त राजस्व
01-वानिकी	101 - लकड़ी और अन्य वन उत्पाद की बिक्री	23.20	5.38	10.01	4.73
	102 - सामाजिक और फ़ार्म वानिकी से प्राप्तियाँ	6.19	6.63	5.00	5.42
	103 - पर्यावरणीय वानिकी से प्राप्तियाँ	0.00	0.21	0.10	0.20
	104 - वन-बागान से प्राप्तियाँ	0.00	0.00	0.01	0.02
	201 -तेंदू पत्ते का राजकीय व्यापार	0.10	0.25	0.50	0.55
	202- छोटी वन उपज का राजकीय व्यापार	0.00	0.11	0.11	0.11
	203- इमारती लकड़ी का राजकीय व्यापार	770.00	514.27	940.00	567.90
	204- बांस का राजकीय व्यापार	20.00	23.75	20.00	24.78
	206- खैर का राजकीय व्यापार	0.00	0.11	0.08	0.03
	800- अन्य प्राप्तियाँ	830.51	490.26	728.19	537.85
02- पर्यावरणीय वानिकी और वन्य जीवन	800- अन्य विविध प्राप्तियाँ	0.00	0.00	46.00	15.10
0406- वानिकी और वन्य जीवन का महायोग (01+02)		1,650.00.	1,040.97	1,750.00	1,156.69

तालिका क्रमांक–2.4
स्थापना व्यय

(राशि करोड़ में)

योजना का नाम	2024-25		2025-26 (माह दिसंबर 2025 तक की स्थिति में राशि करोड़ में)	
	प्रावधान	व्यय	प्रावधान	व्यय
(0812) कार्यकारी योजना संगठन एवं कार्यकारी वन वृतों की स्थापना	1398.13	911.33	1583.39	955.67
(2899) राष्ट्रीय उद्यान स्थापना	169.20	117.99	241.79	127.01
(3555) मुख्यालय	80.05	33.92	152.28	88.93
(4462) वन प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन	36.77	13.97	45.60	21.48
(9668) केम्पा ब्याज	10.22	1.39	7.43	2.18
योग	1694.37	1078.60	2030.49	1195.27

तालिका क्रमांक–2.5
केन्द्र क्षेत्रीय योजना

(राशि करोड़ में)

योजना का नाम	2024-25		2025-26 (माह दिसंबर 2025 तक की स्थिति में राशि करोड़ में)	
	प्रावधान	व्यय	प्रावधान	व्यय
(0664) इको सिस्टम सर्विसेस इम्प्रूवमेन्ट प्रोजेक्ट	0.4649	0	0	0
(5231) लघु वनोपज संघ को अनुदान	2.8	0	0	0
योग	3.26	0.00	0	0

तालिका क्रमांक–2.6
केन्द्र प्रवर्तित योजनाऐं

योजना का नाम	2024-25		2025-26 (माह दिसंबर 2025 तक की स्थिति में)	
	प्रावधान	व्यय	प्रावधान	व्यय
(3730) वन्यजीव पर्यावास का समन्वित विकास	111.96	42.27	168.44	32.97
(5317) गहन वन प्रबंधन	24.36	1.65	24.63	5.00
(7458) समग्र बांस विकास योजना (बांस मिशन) (केन्द्रीय प्रवर्तित)	19.66	4.38	22.93	9.65
(7488) राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (ग्रीन इंडिया)	80.55	39.35	80.45	0.00
(8862) राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्यों में वन्य जीवों का रहवास विकास	35.60	8.11	25.46	2.83
योग	272.13	95.76	321.91	50.45

तालिका क्रमांक–2.7
राज्य योजनाऐं

(राशि करोड़ में)

योजना का नाम	2024-25		2025-26 (माह दिसंबर 2025 तक की स्थिति में राशि करोड़ में)	
	प्रावधान	व्यय	प्रावधान	व्यय
(0535) इमारती लकड़ी का उत्पादन	159.16	73.92	175.00	75.05
(1122) चीता प्रबंधन योजना	1.90	0.00	1.68	1.36
(1306) वैकल्पिक वृक्षारोपण निधि से व्यय	19.20	7.85	12.33	6.34
(2330) वन मानचित्रों का डिजिटाईजेशन	10.00	4.11	11.00	2.17
(2536) पर्यावरण वानिकी	26.79	15.04	30.00	13.63
(2723) प्रशासन सुदृणीकरण	44.15	16.62	39.04	19.99
(3873) वन अपराध का पता लगाने हेतु पुरूस्कार	0.50	0.22	0.50	0.19
(3896) वन्यजीवों द्वारा जनहानि करने पर प्रतिपूर्ति	30.00	15.35	30.00	17.11
(4342) वन अधोसंरचना का सुदृढ़ीकरण	45.00	14.97	45.00	20.02
(5108) अध्ययन एवं अनुसंधान	0.99	0.44	0.99	0.62
(5109) ग्रामों के पुर्नवास हेतु मुआवजा	50.00	50.00	100.00	100.00
(5387) कार्य योजना का निर्माण	8.43	2.89	8.43	5.17
(5669) मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार	0.00	0.00	0.00	0.00
(5830) ईको टूरिज्म बोर्ड को अनुदान	7.02	4.49	7.75	3.08
(6218) शासकीय आवास गृहों का अनुरक्षण	20.40	11.66	20.00	11.73
(6349) संरक्षित क्षेत्र के बाहर वन्यप्राणी प्रबंधन	12.03	8.60	25.00	18.39
(6355) जू एवं रेस्क्यू सेन्टर की स्थापना	9.96	6.10	59.00	5.35
(6397) नर्सरियों में पौधा तैयारी	37.70	25.78	40.66	28.39
(7672) जैव विविधता एवं जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित परियोजनाओं का पोषण	0.75	0.48	0.50	0.13
(7680) संयुक्त वन प्रबंधन समितियों को लाभांश का प्रदाय	200.00	72.11	190.00	118.43
(7781) मालिक मकबूजा लकड़ी का क्रय	38.00	18.46	27.00	12.86
(7824) प्रतिकारात्मक वन रोपड़ निधि पर ब्याज भुगतान	550.00	255.98	375.00	262.73
(7856) जैव विविधता बोर्ड संबंधी व्यय	4.29	4.29	3.00	3.00

(राशि करोड़ में)

योजना का नाम	2024-25		2025-26 (माह दिसंबर 2025 तक की स्थिति में राशि करोड़ में)	
	प्रावधान	व्यय	प्रावधान	व्यय
(7882) कार्य योजनाओं का क्रियान्वयन - संरक्षण समूह	526.13	372.81	639.00	404.38
(8859) वन पर्यटन से प्राप्त आय के सापेक्ष व्ययों का समायोजन	25.00	0.00	60.00	15.00
(9136) वनोपज निकासी मार्ग का संधारण	10.50	5.92	18.00	10.70
(9184) राज्य वन अनुसंधान संस्थान को अनुदान	11.00	7.04	12.00	9.00
(9531) एक जिला एक उत्पाद की संचालन योजना	0.24	0.05	0.31	0.03
(9545) विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण	10.00	4.20	15.00	7.95
(9664) केम्पा प्रतिपूरक वनीकरण	151.03	68.19	293.33	109.16
(9665) केम्पा आवाह क्षेत्र उपचार प्रभार	61.94	17.83	36.80	17.85
(9666) केम्पा वन्य जीव संरक्षण योजना प्रभार	38.33	8.13	37.27	10.87
(9667) केम्पा निवल वर्तमान मूल्य	1129.05	563.38	992.13	661.98
(9669) केम्पा अन्य	0.02	0.00	0.00	0.00
(9854) जंगली हाथियों का प्रबंधन	1.50	0.36	20.00	3.01
(1621) टाईगर रिजर्व के अंतर्गत बफर क्षेत्रों का विकास	0.00	0.00	25.00	0.00
(1622) अविरल निर्मल नर्मदा	0.00	0.00	25.00	0.00
(1643) वन विज्ञान केन्द्र	0.00	0.00	5.00	0.00
(1705) भू-परिदृश्य की पुर्नस्थापना	0.00	0.00	0.00	0.00
(1706) प्रोजेक्ट टाइगर एण्ड एलिफेंट (नॉन रिकरिंग)	0.00	0.00	0.00	0.00
(1707) प्रोजेक्ट टाइगर एण्ड एलिफेंट (रिकरिंग)	0.00	0.00	0.00	0.00
(1708) प्रोजेक्ट टाइगर एण्ड एलिफेंट (प्रोजेक्ट एलिफेंट)	0.00	0.00	0.00	0.00
योग	3241.03	1657.29	3380.72	1975.67

वन विभाग, मध्यप्रदेश

भाग–3

योजनाएँ

3.1 कार्य आयोजनाओं का क्रियान्वयन

विभाग में प्रत्येक वनमण्डल की 10 वर्षो की कार्य आयोजना तैयार कर वनों का प्रबंधन किया जाता है। कार्य आयोजना के माध्यम से कम घनत्व वाले वन क्षेत्रों में वनीकरण किया जाता है, साथ ही बिगडे वनों के सुधार गतिविधियां एवं सघन वनों में पुनरूत्पादन हेतु सहायक वन वर्धनिक कार्य, वन सीमांकन एवं अग्नि सुरक्षा कार्य कराये जाते है। जहां आवश्यक है वहां राशि की उपलब्धता अनुसार भूमि एवं जल संरक्षण किया जाता है। क्षेत्र की तकनीकी उपयुक्तता एवं आवश्यकतानुसार चारागाह एवं जलाऊ रोपण भी किया जाता है। इस हेतु कार्य आयोजनाओं का क्रियान्वयन से व्यय योजना के अन्तर्गत बजट में प्रावधान कराया जाता है।

कार्य आयोजनाओं के क्रियान्वयन अन्तर्गत विगत वर्षो में कराये गये कार्यों की भौतिक एवं आर्थिक उपलब्धियों की जानकारी तालिका क्रमांक–3.1 में दर्शित है :–

तालिका क्रमांक–3.1 क्षेत्रफल हे0 में /राशि लाख रु0 में

वर्ष	कार्य आयोजनाओं के कार्यवृत्त	लक्ष्य		उपलब्धि	
		भौतिक	आर्थिक	भौतिक	आर्थिक
2021-2022	पुनरूत्पादन समूह	149418	35000.96	146545	32881.53
	पुर्नस्थापना समूह	8772		8772	
2022-2023	पुनरूत्पादन समूह	173962	41036.72	173962	40788.76
	पुर्नस्थापना समूह	22473		22473	
2023-2024	संरक्षण समूह	1505	50874.00	1505	49816.21
	पुनरूत्पादन समूह	169031		169031	
	पुर्नस्थापना समूह	67098		67098	
2024-2025	पुनरूत्पादन समूह	186739	52978.35	186739	51614.23
	पुर्नस्थापना समूह	40789		40789	
2025-2026	संरक्षण समूह	1324	63900.00	1324	35782.16 दिनांक 08.12.2025 की स्थिति में
	पुनरूत्पादन समूह	168835		168835	
	पुर्नस्थापना समूह	26484		26484	

विभिन्न विभागीय योजनान्तर्गत निम्नानुसार पौधा रोपण (वन विकास निगम को छोड़कर) तालिका क्रमांक–3.2 में दर्शित हैः–

तालिका क्रमांक–3.2

रोपण वर्ष	विभागीय रोपण (पौधों की संख्या)
2021-2022	3,02,77,626
2022-2023	3,43,03,260
2023-2024	3,66,69,917
2024-2025	4,45,21,648
2025-2026	4,88,48,295

वन अधोसंरचना का सुदृढ़ीकरणः–

इस योजना के अंतर्गत मुख्यतः वन विभाग के कार्यालय भवन, वन कर्मचारियो के आवास, सामूहिक गश्ती दल के लिये चौकी, चौकी पर रहने वाले कर्मचारियों के परिवारों को आवास हेतु लाईन क्वाटर का निर्माण कराया जाता है। इस योजना से वन प्रबंध हेतु विश्राम गृह, वनमार्ग निर्माण, पुल पुलिया, रपटा, सौर ऊर्जा, जल प्रबंध, दूर संचार, वाचटावर, बेरियर आदि जैसी अधोसंरचना का भी निर्माण कार्य कराया जाता है। व्यय की जानकारी का विवरण तालिका क्रमांक–3.3 में दर्शित है :–

तालिका क्रमांक 3.3

वर्ष	भौतिक	आर्थिक उपलब्धि लाख रू. में
2021-2022	284 भवन	3523.71
2022-2023	8 भवन एवं वन भवन	5712.64
2023-2024	109 भवन	3916.59
2024-2025	286 संरचनाएं	3574.81
2025-2026	213 संरचनाएं	1664.12 दिनांक 08.12.2025 की स्थिति में

भाग–4

पुरस्कार

पुरस्कार वितरण संबंधी कार्यवाही

उत्कृष्ट कार्यो हेतु पुरस्कार :–

वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण एवं संवर्धन में उत्कृष्ट भूमिका अदा करने वाले व्यक्तियों एवं संस्थाओं को प्रोत्साहित करने के लिए विभाग द्वारा कई श्रेणियों में पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं।

(i) **शहीद अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार** – प्रदेश में उत्कृष्ट कार्य करने वाली संस्थाओं और व्यक्तियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रति वर्ष पांच श्रेणियों में ''शहीद अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार'' दिया जाता है। वन रक्षा एवं वन संवर्धन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली संस्था को एक लाख रूपये नगद एवं प्रशस्ति पत्र तथा व्यक्तियों को शासकीय एवं अशासकीय श्रेणियों में पचास–पचास हजार रूपये नगद तथा प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। इसी प्रकार वन्यजीवों की रक्षा में अदम्य साहस व सूझबूझ का प्रदर्शन करने वाले शासकीय एवं अशासकीय श्रेणी के व्यक्तियों को पचास–पचास हजार रूपये नगद एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। पुरस्कार की राशि म.प्र. राज्य लघु वनोपज संघ से प्राप्त होती है।

(ii) **बसामन मामा स्मृति वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार** – मध्य प्रदेश शासन द्वारा वर्ष 2009 में वन एवं वन्य जीव संरक्षण हेतु निम्न दो श्रेणियों के पुरसकारों की घोषणा की गईः–

विन्ध्य क्षेत्र हेतु पुरस्कार – यह पुरस्कार शासकीय तथा अशासकीय व्यक्तियों, संस्थाओं को वनों एवं वन्यजीवों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु प्रदर्शित की गई शूरवीरता, अदम्य साहस, उत्कृष्ट कार्य एवं उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार में क्रमशः 2.00 लाख, 1.00 लाख तथा 50 हजार प्रदान की जाती है। व्यक्तिगत श्रेणी में यह पुरस्कार मरणोपरांत भी दिया जा सकता है।

(iii) **राज्य स्तरीय पुरस्कार** – व्यक्तियों, संस्थाओं एवं संयुक्त वन प्रबंध समितियों को निजी/वन भूमि पर 5 वर्ष से अधिक उम्र के उत्कृष्ट वृक्षारोपण के लिये यह पुरस्कार 5 हैक्टेयर से कम तथा 5 हैक्टेयर से अधिक भूमि पर दो श्रेणियों में दिया जाता है। प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार में क्रमशः रू.2.00 लाख, 1.00 लाख तथा 50 हजार प्रदान की जाती है।

''मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता क्विज कार्यक्रम–2023''

(iv) **राज्य स्तरीय वार्षिक जैवविविधता पुरूस्कार योजना** – जैवविविधता संरक्षण को प्रोत्साहन देने एवं इस दिशा में उत्कृष्ट कार्य कर रहे व्यक्ति, अशासकीय संस्थान, जैवविविधता स्वामित्व रखने वाले शासकीय विभागों (वन, कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, मछली पालन एव जल संसाधन) को चिन्हित करने के उद्देश्य से बोर्ड द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जैवविविधता दिवस के अवसर पर 05 श्रेणियों में राज्य स्तरीय वार्षिक जैवविविधता पुरस्कार – 2023 के पुरस्कारों का वितरण किया गया।

मुख्य अतिथि मान. राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण, म.प्र. शासन एवं वरिष्ठ अतिथियों द्वारा पुरस्कारों का वितरण

राज्य स्तरीय वार्षिक जैवविविधता पुरूस्कार–2024 हेतु विभिन्न श्रेणियों में प्रविष्टियॉ बोर्ड द्वारा आमंत्रित किये जाने की कार्यवाही प्रचलन में है।

(v) उत्कृष्ट कार्य के लिए वन कर्मियों को प्रधान मुख्य वन संरक्षक की ओर से ''कमेन्डेशन डिस्क'' एवं ''प्रशस्ति पत्र'' प्रदान करने बावत :–

म.प्र.शासन वन विभाग के आदेश क्र. एफ 3–10/2022/10–1 दिनांक 07.12.2022 से वनरक्षक, वनपाल, उपवनक्षेत्रपाल एवं वनक्षेत्रपाल स्तर के 50 कर्मचारियों को उनके सराहनीय सेवा हेतु प्रति वर्ष प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख की ओर से ''कमेन्डेशन डिस्क'' एवं ''प्रशस्ति पत्र'' प्रति वर्ष 01 नवम्बर को दिये जाने का प्रावधान किया गया है।

शासन निर्देशानुसार 01 नवम्बर 2025 को विभिन्न वनवृत्तों के 34 वन कर्मचारियों को प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख की ओर से ''कमेन्डेशन डिस्क'' एवं ''प्रशस्ति पत्र'' प्रदान किया गया है।

4.2 महत्वपूर्ण सांख्यिकी

वनों का क्षेत्रफल

मध्य प्रदेश के वनों के क्षेत्रफल, घनत्व, प्रकार आदि से संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़े निम्नानुसार तालिकाओं में दर्शित है।

तालिका क्रमांक 4.1

देश की तुलना में मध्य प्रदेश के वन

(वर्ग कि.मी.)

	भौगोलिक क्षेत्र	वनक्षेत्र	प्रतिशत वनक्षेत्र
भारत	32,87,263	7,67,416	23.34
मध्य प्रदेश	3,08,252	96479.841	30.72

तालिका क्रमांक 4.2

प्रदेश के वनक्षेत्रों की वैधानिक स्थिति

(वर्ग कि.मी.)

वर्गीकरण	क्षेत्रफल	प्रतिशत
आरक्षित वन	62209.188	64.48
संरक्षित वन	30011.343	31.11
अन्य	4259.31	4.41
योग	96479.841	100.00

भारतीय वन सर्वेक्षण (पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय) देहरादून द्वारा प्रकाशित प्रतिवेदन के आधार पर प्रदेश में विगत तीन अध्ययनों में परिलक्षित वनावरण की स्थिति की तालिका क्रमांक 4.3 में दर्शित है। जिलेवार विवरण परिशिष्ट–23 में सम्मिलित है।

तालिका क्रमांक 4.3
प्रदेश के वनों का घनत्व–वार क्षेत्रफल

वनों का प्रकार	प्रतिवेदन वर्ष		
	2019	2021	2023
अति सघन वन	6676	6665	7021.31
सामान्य सघन वन	34341	34209	33508.64
खुले वन	36465	36619	36543.49
योग	77482	77493	77073.44
(खुला रिक्त क्षेत्र) *	17207	17196	17616

प्रदेश में वनों के प्रकार तथा क्षेत्रफल का विवरण तालिका क्रमांक 4.4 में दर्शित है।

तालिका क्रमांक 4.4
प्रदेश के वनों के प्रकार और क्षेत्रफल

(वर्ग कि.मी.)

संरचना	क्षेत्रफल	प्रतिशत
सागौन	24,885.5	25.79
साल	6898.81	7.15
मिश्रित एंव अन्य	45708.69	47.38
रिक्त (खुला क्षेत्र)	18986	19.68
योग	96,479.841	100.00

भाग–5

विभाग के प्रकाशन

प्रकाशन

प्रकाशन

''मध्यप्रदेश वनांचल संदेश'' नाम से विभागीय गतिविधियों, उल्लेखनीय सफलताओं के संबंध में जनसामान्य को अवगत कराने हेतु एक त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन किया जा रहा है जिसके 28 संस्करण जारी हो चुके हैं।

भाग–6

परिशिष्ट

परिशिष्ट – 1

क्षेत्रीय इकाईयों का विवरण

अ.क्र.	वृत्त का नाम	क्षेत्रीय वनमण्डल	उत्पादन	अनुसंधान विस्तार वृत्त	कार्य आयोजना	वन विद्यालय
1.	बालाघाट	उत्तर बालाघाट दक्षिण बालाघाट	उत्तर बालाघाट दक्षिण बालाघाट	-	बालाघाट	प्राचार्य रेंजर्स कालेज, बालाघाट
2.	बैतूल	उत्तर बैतूल, दक्षिण बैतूल, पश्चिम बैतूल	बैतूल	बैतूल	बैतूल	बैतूल
3.	भोपाल	भोपाल, सीहोर, औबेदुल्लागंज, विदिशा, रायसेन, राजगढ़	रायसेन	भोपाल रायसेन	भोपाल	-
4.	छतरपुर	छतरपुर, उत्तर पन्ना, दक्षिण पन्ना, टीकमगढ़, निमाड़ी	-	-	छतरपुर	-
5.	छिन्दवाड़ा	पूर्व छिन्दवाड़ा, पश्चिम छिन्दवाड़ा, दक्षिण छिन्दवाड़ा	छिन्दवाड़ा	-	छिन्दवाड़ा	-
6.	ग्वालियर	ग्वालियर, दतिया, भिण्ड, मुरैना, श्योपुरकलां	-	ग्वालियर	ग्वालियर	-
7.	नर्मदापुरम	नर्मदापुरम, हरदा	हरदा	-	नर्मदापुरम	पंचमढी
8.	इंदौर	इन्दौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर	-	इंदौर	इंदौर	-
9.	जबलपुर	जबलपुर, कटनी, पश्चिम मण्डला, पूर्व मण्डला, डिण्डौरी	डिण्डोरी मण्डला	जबलपुर	जबलपुर	-
10.	खण्डवा	खण्डवा, बुरहानपुर, खरगौन, बड़वाह, बड़वानी, सेंधवा	खण्डवा	खण्डवा	खण्डवा	-
11.	रीवा	रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली	-	रीवा	रीवा	गोविन्दगढ़
12.	सागर	उत्तर सागर, दक्षिण सागर, दमोह	-	सागर	सागर	-
13.	सिवनी	उत्तर सिवनी दक्षिण सिवनी, नरसिंहपुर	सिवनी, देवास	सिवनी	सिवनी	-
14.	शहडोल	शहडोल, उत्तर शहडोल, दक्षिण शहडोल, उमरिया, अनूपपुर	-	-	शहडोल	अमरकंटक
15.	शिवपुरी	शिवपुरी, गुना, अशोकनगर	-	-	शिवपुरी	शिवपुरी
16.	उज्जैन	उज्जैन, शाजापुर, रतलाम, मंदसौर, नीमच, देवास	देवास	रतलाम	उज्जैन	-
17.	विक्रय वनमण्डल नई दिल्ली	-	विक्रय वनमण्डल नई दिल्ली	-	-	-

मध्यप्रदेश वन विभाग में कार्यपालिक पदों की वृतवार, पदवार जानकारी निम्नानुसार हैः–

(दिनांक 1.1.2026 की स्थिति में)

क्र.	वन वृत्त का नाम	कार्यपालिक अमला							
		वनक्षेत्रपाल		उपवनक्षेत्रपाल		वनपाल		वनरक्षक	
		स्वी.	कार्य	स्वी.	कार्य	स्वी.	कार्य	स्वी.	कार्य
1	बालाघाट	56	36	72	29	243	153	815	697
2	बैतूल	62	30	66	11	221	115	740	636
3	भोपाल	106	59	103	33	354	101	1178	1035
4	छतरपुर	71	40	78	18	260	96	870	776
5	छिंदवाड़ा	55	27	64	15	212	103	710	683
6	ग्वालियर	72	50	73	13	242	39	810	771
7	नर्मदापुरम	60	35	66	24	221	99	740	649
8	इन्दौर	64	31	64	9	212	69	713	655
9	जबलपुर	119	81	121	21	403	151	1345	1285
10	खण्डवा	104	60	112	37	372	131	1244	1085
11	रीवा	97	56	83	18	276	72	933	837
12	सागर	64	41	72	19	240	109	800	690
13	सिवनी	73	28	76	28	254	116	850	804
14	शहडोल	68	35	71	23	234	92	780	746
15	शिवपुरी	45	26	63	13	210	64	700	612
16	उज्जैन	66	38	71	9	234	58	780	691
17	मुख्यालय	12	4	3	3	6	6	22	22
18	प्रतिनियुक्ति	-	15	-	-	-	-	-	-
	योग	1194	692	1258	323	4194	1574	14030	12674

मध्यप्रदेश वन विभाग में लिपिकीय पदों की वृतवार, पदवार जानकारी निम्नानुसार

(दिनांक 31.12.2024 की स्थिति में)

क्रं.	वन वृत्त का नाम	लिपिकीय/अलिपिकीय																			
		मानचित्रकार		शीघ्रलेखक संवर्ग (वनिस/निस/शीघ्रलेखक/स्टेनोटायपिस्ट		अधीक्षक		सहायक अधीक्षक		सहायक ग्रेड-1		लेखापाल सहायक		सहायक ग्रेड-2		सहायक ग्रेड-3 (पदोन्नति)		सहायक ग्रेड-3 (सीधी भर्ती)		वाहन चालक	
		स्वी.	कार्य.	स्वी.	कार्य.	स्वी.	कार्य.	स्वी.	कार्य.	स्वी.	कार्य.	स्वी.	कार्य.	स्वी.	कार्य.	स्वी.	कार्य.	स्वी.	कार्य.	स्वी.	कार्य.
1	बालाघाट	9	9	8	3	1	0	1	1	9	2	11	7	17	7	17	7	50	50	35	14
2	बैतूल	8	7	8	2	1	0	3	2	9	1	11	3	17	7	17	5	50	45	36	14
3	भोपाल	23	18	13	2	2	0	3	0	18	3	23	10	36	7	35	9	105	97	68	27
4	छतरपुर	12	6	9	1	1	0	2	0	9	2	11	7	16	5	14	7	44	39	26	9
5	छिंदवाड़ा	8	7	8	1	1	0	1	0	10	3	13	11	20	6	19	6	58	57	33	9
6	ग्वालियर	16	9	10	1	1	0	3	0	12	0	15	1	24	1	24	1	71	64	29	15
7	नर्मदापुरम	7	7	5	0	1	0	2	1	7	3	9	4	17	6	15	2	43	41	21	10
8	इन्दौर	10	8	10	2	1	0	2	0	10	1	12	7	18	2	19	8	55	55	25	12
9	जबलपुर	13	11	13	5	1	0	3	1	16	1	21	14	34	8	34	12	99	95	50	23
10	खण्डवा	17	11	9	3	1	0	2	0	15	2	20	13	29	9	29	8	87	82	41	13
11	रीवा	10	6	8	2	1	1	1	0	11	0	14	5	24	7	22	15	71	57	36	10
12	सागर	10	5	7	1	1	0	1	0	9	2	12	3	17	3	18	13	52	48	24	3
13	सिवनी	11	10	10	1	1	0	2	1	10	3	13	5	20	9	20	12	61	62	20	6
14	शहडोल	12	7	9	0	1	0	1	0	8	2	10	5	16	19	16	4	50	42	33	16
15	शिवपुरी	13	9	7	0	1	0	2	0	9	2	11	2	17	1	16	5	49	41	18	2
16	उज्जैन	15	11	7	1	1	1	3	1	11	0	12	4	19	4	19	3	57	52	23	3
17	मुख्यालय	10	12	57	11	18	4	43	11	20	0	27	22	41	4	40	8	120	110	95	33
	योग	204	153	198	88	35	6	75	18	193	27	245	123	382	105	374	125	1122	1037	613	219

मध्यप्रदेश वन विभाग में विविध एवं चतुर्थ श्रेणी पदों की वृत्तवार, पदवार जानकारी निम्नानुसार है:–

(दिनांक 1.1.2026 की स्थिति में)

क्र.	वन वृत्त का नाम	विविध						चतुर्थ श्रेणी					
		सहायक महावत		महावत		मुख्य महावत		सुपरवाईजर		दफतरी		भृत्य	
		स्वी.	कार्य.	स्वी.	कार्य.	स्वी.	कार्य.	स्वी.	कार्य.	स्वी.	कार्य.	स्वी.	कार्य.
1	बालाघाट	0	0	0	0	0	0	1	0	7	4	34	21
2	बैतूल	0	0	0	0	0	0	1	1	13	3	61	36
3	भोपाल	0	0	0	0	0	0	1	0	13	2	65	43
4	छतरपुर	6	4	4	0	2	0	1	0	8	2	37	29
5	छिंदवाड़ा	0	0	0	0	0	0	1	0	6	3	28	25
6	ग्वालियर	0	0	0	0	0	0	1	0	12	1	58	37
7	नर्मदापुरम	6	5	4	0	2	0	1	0	7	1	35	26
8	इन्दौर	0	0	0	0	0	0	1	0	14	1	66	49
9	जबलपुर	17	16	11	3	6	0	1	0	17	1	84	72
10	खण्डवा	0	0	0	0	0	0	1	0	15	2	78	61
11	रीवा	3	3	3	0	0	0	1	1	13	7	66	50
12	सागर	0	0	0	0	0	0	1	1	9	3	43	25
13	सिवनी	5	3	4	0	1	0	1	0	11	3	50	28
14	शहडोल	12	8	9	2	3	1	1	1	9	2	45	37
15	शिवपुरी	0	0	0	0	0	0	1	1	9	2	43	23
16	उज्जैन	0	0	0	0	0	0	1	1	12	3	58	38
17	मुख्यालय	0	0	0	0	0	0	4	1	20	3	99	44
योग		49	39	35	5	14	1	20	7	195	43	950	644

वर्षवार विभिन्न गैर वानिकी कार्यों के उपयोग हेतु व्यपवर्तित वन भूमि

(30.11.2025 की स्थिति में)

वर्ष	सिंचाई	विद्युत	खनिज	विविध	योग	व्यपवर्तित वनभूमि (हे.में)
1982	0	0	2	1	3	7.919
1983	5	3	9	2	19	901.739
1984	7	5	1	0	13	1459.665
1985	14	2	2	3	21	6721.568
1986	4	1	2	4	11	1530.611
1987	5	5	3	3	16	47538.404
1988	5	2	3	4	14	1204.912
1989	13	12	2	8	35	7788.781
1990	21	9	5	46	81	134437.649
1991	2	2	9	2	15	317.114
1992	18	1	14	7	40	730.031
1993	8	3	6	1	18	17218.725
1994	6	25	9	3	43	1018.754
1995	7	18	11	8	44	4056.038
1996	4	32	4	1	41	734.100
1997	6	24	15	3	48	6876.988
1998	1	16	6	2	25	571.942
1999	6	4	17	1	28	1513.926
2000	2	5	9	10	26	337.207
2001	3	1	3	2	9	653.799
2002	7	3	10	10	30	2164.356
2003	10	4	2	5	21	1262.158
2004	1	2	1	2	6	6261.702
2005	3	11	4	6	24	1425.028
2006	3	8	3	10	24	1214.383
2007	1	11	12	13	37	760.938
2008	5	3	7	11	26	1002.348
2009	6	13	5	22	46	1841.181
2010	4	3	7	16	30	2025.926
2011	8	6	4	17	35	1132.361
2012	7	10	7	14	38	2506.737
2013	4	10	4	13	31	1233.385
2014	29	7	0	5	41	2445.503
2015	13	11	4	15	43	3073.018
2016	8	3	5	6	22	975.196
2017	3	0	3	13	19	3264.388
2018	18	12	2	17	49	6768.574
2019	5	8	5	11	29	1699.997
2020	8	14	1	33	56	5762.816
2021	17	18	7	40	82	4080.200
2022	13	6	1	20	40	1334.345
2023	12	7	5	38	62	8345.417
2024	9	19	6	42	76	3576.150
2025	20	12	4	100	136	4970.906
योगः-	351	371	241	590	1553	304746.884

वर्ष 2024–25 में अंतिम चरण स्वीकृति प्राप्त महत्वपूर्ण प्रकरण

क्र.	परियोजना/आवेदक का नाम	औपचारिक स्वीकृति दिनांक	वृत्त	वनमण्डल	व्यपवर्तित वनभूम
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	Beka tank	6-Jan-25	Indore	Indore	36.726
2	Bhabhra - kathiwada - kheda road	14-Feb-25	Indore	Alirajpur	18.501
3	Proposal for diversion of forest land for goras to shyampur road (old proposal no. Fp/mp/road/30794/2017)	17-Feb-25	Gwalior	Sheopur	52.164
4	Sidhi-singrauli new rail line project a part of lalitpur -singrauli rail line project.	18-Feb-25	Rewa	Sidhi (34.482) Singrauli (141.92)	176.402
5	Improvement and upgradation of existing 2-lane to 4-lane with paved shoulders, with/without service roads including realignments and shahgarh & hirapur bypasses from mohari to satia ghat section of nh-934 & nh-34 (old nh-86) from design km 50+300 (existing km 49.789) to design km 89+878 (existing km 90.302) in the state of madhya pradesh	18-Feb-25	Sagar/ Chhatarpur	Sagar North (79.9776) Chhatarpur (29.5184)	109.496
6	Railway Guage Conversion work form MG to BG between Akola-Khandwa	15-Jan-25	Khandwa	Burhanpur	155.000
7	Lower orr major irrigation project	2-Apr-25	Shivpuri	Shivpuri	23.633
8	Badnawar micro lift irrigation scheme	8-May-25	Indore	Dhar	35.000
9	Budni - indore new b.g. rail line project	14-May-25	Bhopal/ Ujjain	Sehore(24.92) Dewas(45.855)	70.603
10	33 KV Line Saleha to Kalda	8-Jul-25	Chhatarpur	Panna South	21.000
11	Apchand medium irrigation project	25-Jul-25	Sagar	Sagar South	181.390
12	Chhotaudepur to Dhar New Broad Gauge railway line project	4-Aug-25	Indore	Dhar(237.385) Alirajpur (6.654)	244.039
13	4 Laning of Indore-Muktainagar Section of NH-753L from Boregaon Buzurg, Khandwa District in MP Design Ch. 139+000 to Muktainagar, Jalgaon District in MH Design Ch. 216+278 (length 77.278 km) under Bharatmala Pariyojana in the state of Madhya Pradesh	5-Sep-25	Khandwa	Khandwa(10.6681) Burhanpur(76.9028)	87.571
14	Khandwa micro lift irrigation project (underground pipeline).	9-Apr-25	Khandwa	Khandwa	18.3150
15	Construction of 400 kv d/c quad transmission line from mp01 irep psp switch yard at rampura, to proposed powergrid 400 kv mandsaur ps, rampura range, neemuch forest division, madhya pradesh	15-Apr-25	Ujjain	Neemuch	34.6200
16	Jhansi - Manikpur and Khairar - Bhimsen Doubling work by North Central Railway	30-Apr-25	Chhatarpur	Tikamgarh	4.6480
17	Bandhaura to Dhirauli (Connecting Rajmilan MDR 16 no. To Dongari)	11-Jun-25	Rewa	Singrauli	32.4510
18	Preparation of DPR for Section of Budhni-Bari Road of NH-146 B 2lane/4 & 6 lane with paved shoulder for KM 73+750 to 102+000 under NH(O))	21-Jul-25	Bhopal	Sehore	27.1700
19	Diversion of 9.2408 ha. Forest Land for Jabalpur Ring Road Section 2	11-Aug-25	Jabalpur	Jabalpur	9.2444
20	MP30 Gandhi Sagar Off-Stream PSP falling under Rampura Pathar R.F, Neemuch Forest Division in Khemla Block(V), Rampura (T) in Neemuch (D), Madhya Pradesh.	11-Sep-25	Ujjain	Neemuch	17.5272
21	Four Laning from Adampur to Mori Kodi section of NH- 146 Upgradation from Chainage km 0+000 to 39+000 Priority - 2- Length 39.0 km under Bharatmala Pariyojana in the State of Madhya Pradesh	31-Oct-25	Bhopal	Bhopal (0.033) Raisen (9.698)	9.7310
22	Bijawar multi village rural water supply scheme, piu-chhatarpur (m.p.)	3-Nov-25	Chhatarpur	Chhatarpur	8.3700

वृत्तवार/ वर्षवार अवैध कटाई के प्रकरण

अ.क्रं.	वृत्त	2021	2022	2023	2024	2025
1	बालाघाट	2268	2148	2164	2121	2125
2	बैतूल	3370	3342	3654	3694	3379
3	भोपाल	4696	4573	4476	4583	3131
4	छतरपुर	3669	3116	4717	4876	3177
5	छिन्दवाड़ा	3180	3013	3282	3201	3631
6	ग्वालियर	922	783	619	442	409
7	नर्मदापुरम	1346	1390	1305	1333	1320
8	इन्दौर	1240	1123	1097	1238	1028
9	जबलपुर	5095	4959	4933	5007	4837
10	खंडवा	2365	2286	2091	1995	1863
11	रीवा	2442	2460	2401	2499	1813
12	सागर	3716	3418	312 6	2966	2803
13	सिवनी	3977	2919	2901	2835	2669
14	शहडोल	2954	3352	2930	2234	2988
15	शिवपुरी	771	679	843	1226	889
16	उज्जैन	1856	1833	1736	1851	1644
17	बांधवगड़ राष्ट्रीय उद्यान	338	0	387	254	1
18	कान्हा राष्ट्रीय उद्यान	700	689	677	650	589
19	कुनो वन्यजीव श्योपुर	39	53	68	39	31
20	माधव राष्ट्रीय उद्यान	26	0	8	4	1
21	पन्ना राष्ट्रीय उद्यान	260	205	198	166	395
22	पेंच टाईगर रिजर्व	170	170	189	186	110
23	संजय नेशनल पार्क सिधी	185	156	46	27	28
24	सतपुडा राष्ट्रीय उद्यान	6	0	16	26	56
25	वन विहार राष्ट्रीय उदयान, भोपाल	0	0	0	0	0
महायोग		45591	42667	43864	43532	38571

वृत्तवार/ वर्षवार अवैध चराई के प्रकरण

अ.क्र.	वृत्त	2020	2021	2022	2023	2024	2025 अंतरिम
1	बालाघाट	2	2	1	0	0	0
2	बैतूल	4	0	3	1	0	4
3	भोपाल	5	4	0	2	0	3
4	छतरपुर	2	5	9	18	15	1
5	छिन्दवाड़ा	1	5	0	2	2	1
6	ग्वालियर	244	255	253	166	91	83
7	नर्मदापुरम	1	5	2	0	8	5
8	इन्दौर	10	19	7	7	12	9
9	जबलपुर	9	7	1	2	1	5
10	खंडवा	63	54	41	32	17	24
11	रीवा	20	9	17	8	17	4
12	सागर	3	2	8	9	19	15
13	सिवनी	5	0	0	1	0	1
14	शहडोल	6	8	16	15	22	18
15	शिवपुरी	3	6	5	17	18	17
16	उज्जैन	240	127	58	68	10	36
17	बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान	0	0	0		0	1
18	कान्हा राष्ट्रीय उद्यान	0	0	0	1	0	0
19	कुनो वन्यजीव श्योपुर	10	24	31	1	1	2
20	माधव राष्ट्रीय उद्यान	39	48	0	8	9	11
21	पन्ना राष्ट्रीय उद्यान	33	9	5	4	3	1
22	पेंच टाईगर रिजर्व	0	0	0	0	0	0
23	संजय नेशनल पार्क सिधी	0	1	3	3	0	0
24	सतपुडा राष्ट्रीय उद्यान	0	0	3	0	0	0
25	वन विहार राष्ट्रीय उदयान, भोपाल	0	0	0	0	0	0
महायोग			590	460	365	300	241

वृत्तवार, वर्षवार अवैध परिवहन के दर्ज प्रकरण

अ.क्रं.	वृत्त	2021	2022	2023	2024	2025 अंतरिम
1	बालाघाट	62	36	33	43	36
2	बैतूल	46	45	37	42	28
3	भोपाल	347	247	221	385	198
4	छतरपुर	89	57	67	66	71
5	छिन्दवाड़ा	41	43	43	63	47
6	ग्वालियर	353	166	234	200	103
7	नर्मदापुरम	13	15	35	23	24
8	इन्दौर	56	77	53	86	68
9	जबलपुर	35	54	40	66	50
10	खंडवा	97	126	85	77	74
11	रीवा	123	132	100	192	107
12	सागर	115	80	68	122	64
13	सिवनी	72	104	71	68	59
14	शहडोल	105	126	103	390	171
15	शिवपुरी	160	105	164	178	115
16	उज्जैन	135	162	106	141	140
17	बांधवगढ राष्ट्रीय उद्यान	6	0	1	12	0
18	कान्हा राष्ट्रीय उद्यान	7	2	3	5	1
19	कुनो वन्यजीव श्योपुर	10	10	6	8	1
20	माधव राष्ट्रीय उद्यान	0	0	0	0	0
21	पन्ना राष्ट्रीय उद्यान	8	9	5	3	3
22	पेंच टाईगर रिजर्व	10	0	10	5	3
23	संजय नेशनल पार्क सिधी	35	21	22	20	18
24	सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान	6	0	0	0	0
25	वन विहार राष्ट्रीय उदयान, भोपाल	0	0	0	0	0
महायोग		1931	1618	1507	2195	1383

वृत्त वार/ वर्षवार अतिक्रमण के प्रकरण एवं प्रभावित क्षेत्र

(क्षेत्र हेक्टेयर में)

अ.क्र.	वृत्त	2021		2022		2023		2024		2025 अंतरिम	
		प्रकरण	अतिक्रमित क्षेत्र	प्रकरण	अतिक्रमित क्षेत्र	प्रकरण	अतिक्रमित क्षेत्र	प्रकरण	अतिक्रमित क्षेत्र	प्रकरण	अतिक्रमित क्षेत्र
1	बालाघाट	8	5	6	1	1	0	21	18	36	17.51
2	बैतूल	0	0	15	12	4	3	31	29	49	72.72
3	भोपाल	162	136	170	104	208	179	257	218	337	444.15
4	छतरपुर	111	131	125	148	61	170	117	461	337	689.20
5	छिन्दवाड़ा	0	0	4	1	1	0	10	35	61	88.96
6	ग्वालियर	230	268	314	582	205	48	199	433	133	204.54
7	नर्मदापुरम	6	19	10	8	10	44	19	24	62	191.8 8
8	इन्दौर	173	52	81	37	73	39	123	86	140	90.10
9	जबलपुर	21	16	89	779	28	81	47	112	139	318.73
10	खंडवा	72	164	59	266	96	934	95	1529	101	298.32
11	रीवा	233	127	201	184	158	102	176	169	205	170.85
12	सागर	302	345	127	116	64	97	85	112	155	399.27
13	सिवनी	29	38	28	66	32	51	17	24	18	29.19
14	शहडोल	53	30	73	39	36	13	45	12	64	47.97
15	शिवपुरी	287	657	157	875	193	338	486	949	460	1086.13
16	उज्जैन	24	20	88	60	68	45	28	37	36	107.17
17	बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान	83	60	0	0	6	6	2	1	0	0.00
18	कान्हा राष्ट्रीय उद्यान	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2.20
19	कुनो वन्यजीव श्योपुर	6	4	3	3	2	0	0	0	0	0.00
20	माधव राष्ट्रीय उद्यान	7	2	0	0	0	0	2	4	1	0.00
21	पन्ना राष्ट्रीय उद्यान	12	17	10	8	6	1	3	0.1	1	6.00
22	पेंच टाईगर रिजर्व	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0.00
23	संजय नेशनल पार्क सिधी	3	12	5	6	5	7	10	23	4	2.10
24	सतपुडा राष्ट्रीय उद्यान	3	7	0	0	0	0	0	0.37	3	25.47
25	वन विहार राष्ट्रीय उदयान, भोपाल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	महायोग	1825	2110	1593	3298	1257	2161	1774	4275	2345	4292.45

वृत्तवार / वर्षवार अवैध उत्खनन के प्रकरण एवं प्रभावित क्षेत्र

(क्षेत्र हेक्टेयर में)

अ. क्र.	वृत्त	2021		2022		2023		2024		2025 अंतरिम	
		प्रकरण	उत्खनित क्षेत्र	प्रकरण	उत्खनित क्षेत्र	प्रकरण	उत्खनित क्षेत्र	प्रकरण	उत्खनित क्षेत्र	प्रकरण	उत्खनित क्षेत्र
1	बालाघाट	16	3630	11	127	10	27	2	0.235	1	0.01
2	बैतूल	6	0	6	25	2	105	2	34	2	0.00
3	भोपाल	50	109	51	279	55	17	81	35	31	0.09
4	छतरपुर	142	1479	164	204	98	369	97	230	54	17.36
5	छिन्दवाड़ा	5	0	2	0	6	1	3	3	6	1.02
6	ग्वालियर	343	33	330	68	196	60	226	34	121	14.01
7	नर्मदापुरम	2	1	0	0	1	0	2	1	2	0.21
8	इन्दौर	12	295	18	0	8	1	16	0.088	15	40.28
9	जबलपुर	6	0	12	41	13	1	13	6	11	0.03
10	खंडवा	30	60	29	149	13	2	18	3	10	4.78
11	रीवा	43	13	47	71	46	150	23	3	26	3.29
12	सागर	60	107	57	7	32	84	31	96	57	2.74
13	सिवनी	6	10	1	3	4	0	0	0	6	0.10
14	शहडोल	46	26	32	2	28	28	55	87	24	66.38
15	शिवपुरी	157	32	149	96	145	109	151	614	143	14.27
16	उज्जैन	12	0	14	84	10	0	10	26	11	0.23
17	बांधवगड़ राष्ट्रीय उद्यान	15	7	0	0	6	0	16	3	0	0
18	कान्हा राष्ट्रीय उद्यान	0	0	1	0	1	0	2	0	1	0.02
19	कुनो वन्यजीव श्योपुर	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0.00
20	माधव राष्ट्रीय उद्यान	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	पन्ना राष्ट्रीय उद्यान	6	0	8	84	2	0	12	0.163	2	2.01
22	पेंच टाईगर रिजर्व	4	0	8	0	1	0	0	0	1	0.00
23	संजय नेशनल पार्क सिधी	13	0	13	0	1	0	3	0.003	1	0.00
24	सतपुडा राष्ट्रीय उद्यान	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	वन विहार राष्ट्रीय उदयान, भोपाल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
महायोग		981	5802	953	1241	679	954	763	1176	526	166.81

वृत्तवार दर्ज वन अपराध प्रकरण

अ0क्र0	वृत्त	2021	2022	2023	2024	2025 अंतरिम
1	बालाघाट	3082	2684	2510	2417	2562
2	बैतूल	4013	3961	3846	3832	3752
3	भोपाल	6057	5527	5234	5552	3996
4	छतरपुर	4282	3685	5057	5298	3796
5	छिन्दवाड़ा	3976	3516	3608	3414	4006
6	ग्वालियर	2187	1934	1505	1316	978
7	नर्मदापुरम	1801	1700	1428	1459	1566
8	इन्दौर	1735	1426	1285	1531	1320
9	जबलपुर	5498	5322	5083	5181	5111
10	खंडवा	3283	2945	2491	2339	2516
11	रीवा	3192	3109	2820	3024	2254
12	सागर	4399	3914	3416	3386	3305
13	सिवनी	3529	3481	3088	2959	2820
14	शहडोल	3624	4125	3284	2899	3510
15	शिवपुरी	1453	1320	1402	2129	1692
16	उज्जैन	2628	2466	2138	2225	1977
17	बांधवगढ राष्ट्रीय उद्यान	592	0	452	323	17
18	कान्हा राष्ट्रीय उद्यान	835	891	728	698	729
19	कुनो वन्यजीव श्योपुर	836	129	107	74	52
20	माधव राष्ट्रीय उद्यान	161	0	52	48	44
21	पन्ना राष्ट्रीय उद्यान	349	266	236	256	81
22	पेंच टाईगर रिजर्व	235	193	225	212	186
23	संजय नेशनल पार्क सिधी	322	310	160	101	91
24	सतपुडा राष्ट्रीय उद्यान	39	0	25	38	99
25	वन विहार रा.उ. भोपाल	0	0	0	0	6
महायोग		58108	52904	50180	50711	46466

वृत्तवार वन अपराध प्रकरणों में जप्त वाहन

अ0क्र0	वृत्त	2021	2022	2023	2024	2025 अंतरिम
1	बालाघाट	64	40	33	46	13
2	बैतूल	45	49	37	43	16
3	भोपाल	378	373	221	509	158
4	छतरपुर	72	40	67	77	32
5	छिन्दवाड़ा	36	48	43	65	29
6	ग्वालियर	291	179	234	200	58
7	नर्मदापुरम	13	16	35	31	10
8	इन्दौर	57	84	53	85	58
9	जबलपुर	31	50	40	65	47
10	खंडवा	79	115	85	60	28
11	रीवा	137	169	100	203	111
12	सागर	130	79	68	67	38
13	सिवनी	51	104	71	72	50
14	शहडोल	105	138	103	387	166
15	शिवपुरी	142	155	164	171	72
16	उज्जैन	132	111	106	115	99
17	बांधवगड़ राष्ट्रीय उद्यान	6	0	1	12	3
18	कान्हा राष्ट्रीय उद्यान	7	2	3	5	2
19	कुनो वन्यजीव श्योपुर	13	11	6	6	1
20	माधव राष्ट्रीय उद्यान	0	0	0	0	0
21	पन्ना राष्ट्रीय उद्यान	7	6	5	2	0
22	पेंच टाईगर रिजर्व	13	0	10	5	6
23	संजय नेशनल पार्क सिधी	36	0	22	21	21
24	सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान	5	24	0	0	0
25	वन विहार रा.उ. भोपाल	0	0	0	0	0
महायोग		1850	1793	1593	2247	1018

वृत्तवार/वर्षवार अग्नि प्रभावित क्षेत्र

(प्रभावित क्षेत्र – हे.मे.)

अ0क्र0	वृत्त	2021	2022	2023	2024	2025 अंतरिम
1	बालाघाट	1488	997.59	386.51	760.46	760.46
2	बैतूल	2512	1454.491	230.40	357.49	357.49
3	भोपाल	1486	1332.153	763.19	530.62	530.62
4	छतरपुर	691	360.752	123.75	358.26	358.26
5	छिन्दवाड़ा	1419	2723.398	399.59	357.65	357.65
6	ग्वालियर	215	92.37	188.11	277.37	277.37
7	नर्मदापुरम	780	513.375	99.28	267.20	267.20
8	इन्दौर	558	211.59	82.29	22.56	22.56
9	जबलपुर	471	310.677	53.05	39.92	39.92
10	खंडवा	2388	856.839	438.17	894.01	894.01
11	रीवा	1318	822.196	115.50	127.86	127.86
12	सागर	516	620.29	265.52	1727.21	1727.21
13	सिवनी	545	1211.692	70.79	68.95	68.95
14	शहडोल	1475	1672.31	252.54	284.57	284.57
15	शिवपुरी	186	32.75	15.8	180.90	180.90
16	उज्जैन	863	444.546	148.67	248.90	248.90
17	बांधवगड़ राष्ट्रीय उद्यान	1422	0	115.97	0.00	0.00
18	कान्हा राष्ट्रीय उद्यान	425	781.182	80.48	331.81	331.81
19	कुनो वन्यजीव श्योपुर	147	90	28.25	20.10	20.10
20	माधव राष्ट्रीय उद्यान	1	0	9.0	0.00	0.00
21	पन्ना राष्ट्रीय उद्यान	65	19.9	54.5	0.00	0.00
22	पेंच टाईगर रिजर्व	79	0	12.90	127.05	127.05
23	संजय नेशनल पार्क सिधी	494	297.45	551.92	15.75	15.75
24	सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान	116	0	9.9	122.55	122.55
25	वन विहार रा.उ. भोपाल	0	0	0	0.00	0.00
महायोग		19660	14879	4496.11	3432.32	7121.19

वृत्तवार/ वर्षवार म0प्र0काष्ठ चिरान अधिनियम के उल्लंघन के प्रकरण

अ0क्र0	वृत्त	2021	2022	2023	2024	2025 अंतरिम
1	बालाघाट	0	1	0	0	0
2	बैतूल	0	0	0	0	7
3	भोपाल	15	24	3	16	54
4	छतरपुर	5	4	0	3	1
5	छिन्दवाड़ा	0	0	0	0	0
6	ग्वालियर	3	21	7	6	5
7	नर्मदापुरम	1	0	1	0	1
8	इन्दौर	0	1	1	2	6
9	जबलपुर	2	1	0	3	0
10	खंडवा	0	3	0	0	4
11	रीवा	7	3	18	12	6
12	सागर	0	2	1	0	4
13	सिवनी	0	3	0	1	0
14	शहडोल	9	0	0	1	3
15	शिवपुरी	6	1	6	5	7
16	उज्जैन	39	54	43	26	17
17	बांधवगड़ राष्ट्रीय उद्यान	0	0	0	0	0
18	कान्हा राष्ट्रीय उद्यान	0	0	0	0	0
19	कुनो वन्यजीव श्योपुर	0	0	0	0	0
20	माधव राष्ट्रीय उद्यान	0	0	0	0	0
21	पन्ना राष्ट्रीय उद्यान	0	0	0	0	0
22	पेंच टाईगर रिजर्व	0	0	0	0	0
23	संजय नेशनल पार्क सिधी	0	0	0	2	0
24	सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान	0	0	0	0	0
25	वन विहार रा.उ. भोपाल	0	0	0	0	0
महायोग		86	118	80	77	155

प्रदेश के संरक्षित क्षेत्रों की सूची

क्र.	संरक्षित क्षेत्र का नाम	टिप्पणी
1	2	3
1	कान्हा राष्ट्रीय उद्यान	कान्हा टाइगर रिजर्व का भाग है।
2	बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान	बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व का भाग है।
3	सतपुडा राष्ट्रीय उद्यान	सतपुडा टाइगर रिजर्व का भाग है।
4	पन्ना राष्ट्रीय उद्यान	पन्ना टाइगर रिजर्व का भाग है।
5	पेंच राष्ट्रीय उद्यान	पेंच टाइगर रिजर्व का भाग है।
6	संजय राष्ट्रीय उद्यान	संजय टाइगर रिजर्व का भाग है।
7	माधव राष्ट्रीय उद्यान, शिवपुरी	
8	वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल	
9	जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान घुघवा	
10	डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान, धार	
11	कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान	
12	पनपथा अभयारण्य	बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व का भाग है।
13	पचमढ़ी अभयारण्य	सतपुडा टाइगर रिजर्व का भाग है।
14	बोरी अभयारण्य	सतपुडा टाइगर रिजर्व का भाग है।
15	गंगऊ अभयारण्य	पन्ना टाइगर रिजर्व का भाग है।
16	पेंच मोगली अभयारण्य	पेंच टाइगर रिजर्व का भाग है।
17	संजय दुबरी अभयारण्य	संजय टाइगर रिजर्व का भाग है।
18	बगदरा अभयारण्य	
19	केन घड़ियाल अभयारण्य	
20	सैलाना अभयारण्य	
21	सोन चिड़िया अभयारण्य घाटीगांव	
22	सोन घड़ियालय अभयारण्य	
23	गांधी सागर अभयारण्य	
24	कर्माझिरी अभयारण्य	
25	नौरादेही अभयारण्य	वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व का भाग है।
26	राष्ट्रीय चम्बल अभयारण्य	
27	ओरछा अभयारण्य	
28	वीरांगना दुर्गावती अभयारण्य	वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व का भाग है।
29	फेन अभयारण्य	
30	नरसिंहगढ़ अभयारण्य	
31	रातापानी अभयारण्य, औबेदुल्लागंज	पद्म श्री विष्णु श्रीधर वाकणकर टा.रि. रातापानी का भाग
32	सिंघोरी अभयारण्य	
33	खिवनी अभयारण्य	
34	सरदारपुर अभयारण्य	
35	रालामण्डल अभयारण्य	
36	डॉ. भीम राव अम्बेडकर अभयारण्य,सागर	
37	जहानगढ अभयारण्य,श्योपुर	
	(प्रदेश के संरक्षित क्षेत्र (कंजर्वेशन रिजर्व) की सूची	
	ताप्ती कंजर्वेशन रिजर्व, बैतूल	-

मध्यप्रदेश के अन्तर्गत संरक्षित क्षेत्रों का विवरण (राष्ट्रीय उद्यान)

क्र.	राष्ट्रीय उद्यान का नाम	जिला	क्षेत्रफल (वर्गक0मी0 में)				प्रारंभिक अधसूचना का का क्रमांक एवं दिनांक	अंतिम अधसूचना अधसूचना का क्रमांक एवं दिनांक
			आरक्षित वन	संरक्षित वन	अन्य	योग		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	बांधावगढ़ राष्ट्रीय उद्यान	उमरिया/ कटनी	422.480	13.406	12.956	448.842	2977/X/68 dt. 23.03.68 (105.000 Sq.Km.) 14.02.82-X- dt. 11.05.82 (343-842 Sq.Km.)	105 Sq. Km. Of Original Park Finally notifed Vide No. 2977/X/68 dt. 23.03.68
2	कान्हा राष्ट्रीय उद्यान	मण्डला/ बालाघाट	941.793	0.000	0.000	941.793	2813-98-42/XI/55 dt. 21-05-55 (252-040 Sq.Km.) 5725-4184-X- dt. 13.05.64 (65.44. Sq.Km.) 8893/X-(2)70 dt. 15.12.70 (128.257 Sq. Km.) 4021/1643/X/2/74 dt. 03.09.74 (487.720 Sq.Km.) 15-13-76-x(2) dt. 29.09.76	15/13/76/X(2) dt. 29.09.76
3	माधव राष्ट्रीय उद्यान	शिवपुरी	324.290	24.220	26.720	375.230	5554/10F/654/55 dt. 22.01.56 (165.320Sq.Km.) 14-1-82-X-(2) dt. 28-05-82 (181.278 Sq.Km.) F-1-1-82-X (2) dt. 25.10.99 (28.630Sq.Km.)	162.32 Sq.Km. Of original park finally notified vide No. 5554/10-1-65-4-55 dt. 22.01.58
4	पन्ना राष्ट्रीय उद्यान	पन्ना	263.690	245.860	33.110	542.660	F-15-8-80X-2 dt. 17.10.81	
5	पेंच राष्ट्रीय उद्यान	सिवनी/ छिन्दवाड़ा	283.811	6.265	2.781	292.857	5-15-82-X--(2) dt. 01.03.83 15-11-05-x-2 dt. 16.12.2005	No. F-15-11-05--10-2 dt. 16.12.2005
6	संजय राष्ट्रीय उद्यान	सीधी	428.949	11.327	24.367	464.643	15/6/80/10/2 dt. 23.09.81 (1938.012 Sq.Km.) F-15-16-2001-X (2) dt 09.03.2001 F15-15-2003-x10-2 dt. 08.09.2006	
7	सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान	होशंगाबाद	414.652	114.077	0.000	528.729	15-12-8-10-2 dt. 13.10.81	
8	वन विहार राष्ट्रीय उद्यान	भोपाल	0.000	4.452	0.000	4.452	14-36-80-10(2) dt. 16.09.1981 15-1-83-X-2 dt. 18.01.83	Finally notifed vide No. 15/1/183-10-2 dt. 18.01.83
9	फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान	डिण्डौरी	0.000	0.000	0.270	0.270	15-10-X-2-83 dt. 05-05-83	
10	डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान	धार	0.897	0.000	0.000	0.897	14-06/2009/10-2 dt. 12.01.11	
11	कूनो राष्ट्रीय उद्यान	श्योपुर	326.403	351.606	70.752	748.761	F 15-52-2002-nl-2 dt. 12-10-2018	
राष्ट्रीय उद्यान का योग			3406.965	771.213	170.956	4349.134		

मध्यप्रदेश के अंतर्गत संरक्षित क्षेत्रों का विवरण (वन्यजीव अभयारण्य/कन्जर्वेशन रिजर्व)

क्र.	अभयारण्य का नाम	जिला	क्षेत्रफल (वर्ग कि0मी0 में)				प्रारंभिक अधिसूचना का क्रमांक एवं दिनांक
			आरक्षित वन	संरक्षित वन	अन्य	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	खिवनी	देवास	115.320	16.676	0.782	132.778	15-4-X-(2)-82 dt. 24.12.82, F 15-13/06/10-2 dt. 13.09.2006
2	पेंच मोगली	सिवनी	118.473	0.000	0.000	118.473	F-15-11-77-10-3 dt. 30.03.77
3	रालामण्डल	इन्दौर	2.345	0.000	0.000	2.345	14-20-X-II-88 dt. 09.02.89, F14-20-88-10-2 dt. 25.08.1998
4	वीरांगना दुर्गावती	दमोह	23.973	0.000	0.000	23.973	F-14-33-94-X-2 dt. 06.01.97
5	बोरी	नर्मदापुरम	485.715	0.000	0.000	485.715	1313-608-10-2 dt. 13.03.1975, 15/22/76-10 (8) dt. 01.06.77
6	गांधीसागर	मंदसौर	368.620	0.000	0.000	368.620	1502-319-10-72 dt. 13.03.1972 4599-3405-10-2-74 dt. 03.10.74 (224.650 Sq.Km.) 15-2-83-X-2 dt. 28.02.83 (368.620 Sq.Km.) (with modified boundaries)
7	फेन	मण्डला	110.704	0.000	0.000	110.704	15-5-83-X-2 dt. 10.03.83
8	बगदरा	सिंगरौली	0.000	231.047	246.953	478.000	15/15/77/10-3 dt. 15.02.78
9	संजय दुबरी	सीधी	244.583	60.030	43.325	347.938	14-5-75-F-X-2 dt. 30.08.75, 81-5-75-10-2 dt. 15.07.1978
10	गंगऊ	पन्ना	52.130	16.990	9.410	78.530	5248-3273-X-(2)-75 dt. 13.11.75
11	घाटीगांव	ग्वालियर	306.140	19.840	72.940	398.920	15-16-75-X-2 dt. 21.05.81, 15-39/2005/10-2 dt. 16.11.2020. F 14-146-91-x-2 dt. 21.01.1994, 15-39/2005/10-2 dt. 16.11.2020
12	कर्माझिरी	सिवनी	14.104	0.000	0.000	14.104	15-04/2022/10-2 dt. 22.07.2022
13	केन घड़ियाल	पन्ना	0.000	37.930	7.270	45.200	15/11/80/10/2 dt. 20.10.81
14	नरसिंहगढ	राजगढ़	0.000	57.190	0.000	57.190	268/5182-X/2/73 dt. 25.01.74
15	राष्ट्रीय चम्बल अभयारण्य	मुरैना	0.000	0.000	435.000	435.000	15-5-77-X-(2) dt. 20.12.78, 15-12-X-(2) 82 dt. 24.12.82, boundaries of North-West, South-East are notified

क्र.	अभयारण्य का नाम	जिला	क्षेत्रफल (वर्ग कि0मी0 में)				प्रारंभिक अधिसूचना का क्रमांक एवं दिनांक
			आरक्षित वन	संरक्षित वन	अन्य	योग	
16	नौरादेही	सागर/दमोह	1023.441	178.062	188.532	1390.035	700/624/10/2/75 dt. 17.02.75, 15-1-84-10-2 dt. 01.02.1984, For/2/0010/2023/Sec-2-10 dt. 20.09.2023
17	ओरछा	टीकमगढ़	44.914	0.000	0.000	44.914	F-14-85-94-X-2 dt. 22.09.94
18	पचमढ़ी	नर्मदापुरम	160.868	256.913	73.851	491.632	15/22/76-10 (8) dt. 01.06.77
19	पनपथा	उमरिया	205.661	40.181	0.000	245.842	2411-X-2-83 dt. 04.06.83
20	रातापानी	रायसेन	453.170	369.895	0.000	823.065	15-4-76-X-2 dt. 02.07.76 2409-X-2-83 dt. 04.06.83 (extended) F 15-01/2022/10-2 dt. 19.04.2022
21	सैलाना	रतलाम	0.000	12.538	1.404	13.942	15-7-83-X-83 dt. 04.06.83
22	सरदारपुर	धार	36.063	95.908	0.863	132.834	2410-X-2-83 dt. 04.06.83 F15-13-2012-10-2 dt. 03.07.2025
23	सिंघोरी	रायसेन	252.048	8.850	51.138	312.036	15-4-76-X-2 dt. 02.07.76
24	सोनघड़ियाल	सीधी/शहडोल/ सतना	0.000	0.000	83.684	83.684	14-47-80-X-(2) dt. 23.09.81
25	डॉ. भीमराव अम्बेडकर	सागर/दमोह	258.640	0.000	0.000	258.640	For 2/0003/2022/10-2 dt. 11.04.2025
26	जहांनगढ़	श्योपुर	0.000	0.000	4.020	4.020	For/2/0030/2025-Sec-2-10 (FOR) dt. 04.08.2025
वन्यजीव अभयाण्य का योग			4276.912	1402.050	1219.172	6898.134	
राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य का कुल योग			7683.877	2173.263	1390.128	11247.268	
1	ताप्ती कंजर्वेशन रिजर्व	बैतूल	224.844	25.156	0.000	250.000	FOR/2/0048/2025-Sec-2-10 (FOR) dt. 20.08.2025
कुल योग			**7908.721**	**2198.419**	**1390.128**	**11497.268**	

मध्यप्रदेश टाइगर रिंजर्व का कोर क्षेत्र (वर्ग कि.मी.)

क्र.	टाइगर रिजर्व का नाम	अधिसूचना क्र./दिनांक	आरक्षित वन	संरक्षित वन	कुल वन क्षेत्र	राजस्व भूमि	कुल योग
1	कान्हा टा.रि.	F-15/31-2007/10-2 dated 24.12.2007	917.430	0.000	917.430	0.000	917.430
2	बांधवगढ़ टा.रि.	F-15/31-2007/10-2 dated 24.12.2007	627.359	53.587	680.946	35.957	716.903
3	सतपुड़ा टा.रि.	F-15/31-2007/10-2 dated 24.12.2007	980.267	328.823	1309.090	30.174	1339.264
4	पेंच टा.रि.	F-15/31-2007/10-2 dated 24.12.2007	402.284	6.265	408.549	2.781	411.330
5	पन्ना टा.रि.	F-15/31-2007/10-2 dated 24.12.2007	281.878	261.146	543.024	33.106	576.130
6	संजय टा.रि.	F-15/31-2007/10-2 dated 23.02.2011	673.532	71.357	744.889	67.692	812.581
7	वीरांगना दुर्गावती टा.रि.	For/2/0010/2023/Sec-2-10 dt. 20.09.2023	1047.413	366.595	1414.008	0.000	1414.008
8	पद्मश्री डॉ. विष्णु श्रीधर वाकणकर टा.रि.,रातापानी	F-15-19/2010/10-2 dt. 02.12.2024	405.089	358.723	763.812	0.000	763.812
9	माधव टा.रि.	F-2-0012-2022-nl-2 dated 07.03.2025	324.295	24.22	348.515	26.718	375.233
	कुल योग		**5659.547**	**1470.716**	**7130.263**	**196.428**	**7326.691**

मध्यप्रदेश टाइगर रिजर्व का बफर क्षेत्र (वर्ग कि.मी.)

क्र.	टाइगर रिजर्व का नाम	अधिसूचना क्र./दिनांक	आरक्षित वन	संरक्षित वन	कुल वन क्षेत्र	राजस्व भूमि	कुल योग
1	कान्हा टा.रि.	F-25&135-10-3-2000 dated 17.01.2001 F-15/11/2010/10-2 dated 05.10.2010	585.565	12.574	598.139	536.180	1134.319
2	बांधवगढ़ टा.रि.	F-15-17-2010-X-2 dated 27.10.2010	270.114	378.592	648.706	171.329	820.035
3	सतपुड़ा टा.रि.	F-15-20-2010-दस-2 dated 03.01.2011	327.655	269.180	596.835	197.208	794.043
4	पेंच टा.रि.	F-15-8-2009-दस-2 dated 05.10.2010	390.706	79.357	470.063	298.239	768.302
5	पन्ना टा.रि.	F-21/2010/10-2 dated 24.07.2014	197.431	695.250	892.681	129.291	1021.972
6	संजय टा.रि.	F-15-1-2011-दस-2 dated 07.02.2011	377.539	127.107	504.646	357.285	861.931
7	वीरांगना दुर्गावती टा.रि.	For/2/0010/2023/Sec-2-10 dt. 20.09.2023	470.506	166.709	637.215	287.907	925.122
8	पद्मश्री डॉ. विष्णु श्रीधर वाकणकर टा.रि. ,रातापानी	F-15-19/2010/10-2 dt. 02.12.2024	0.000	331.398	331.398	176.255	507.653
9	माधव टा.रि.	F-2-0012-2022-दस-2 dated 07.03.2025	729.664	507.183	1236.847	39.307	1276.154
	कुल योग		**3349.180**	**2567.350**	**5916.530**	**2193.001**	**8109.531**

मध्यप्रदेश के टाइगर कंजर्वेशन प्लान (कोर, बफर एवं कॉरिडोर) की (माह जनवरी–2026 की अद्यतन स्थिति)

क्र.	टाइगर रिजर्व का नाम	प्लान	अवधि	किसके द्वारा लिखा गया	अनुमोदन हेतु प्रेषित पत्र दिनांक	अनुमोदन की स्थिति
1.	कान्हा टाइगर रिजर्व,मण्डला	1. कोर जोन	2021-22 से 2031-32 तक	श्री सुनील कुमार सिंह,क्षेत्र संचालक,कान्हा टाइगर रिजर्व श्री राकेश शुक्ला,रिसर्च ऑफिसर रिटा.,कान्हा टाइगर रिजर्व,मण्डला	क्षेत्र संचालक,कान्हा टाइगर रिजर्व द्वारा संशोधित TCPपत्र क्र./D.M./4565 दि. 30.12.2022 से NTCAको प्रेषित।	AIG,(NTCA),नई दिल्ली के पत्रक्र./F.No.1-1/2014-NTCA दिनांक 25.05.2023से अनुमोदित।
		2. बफर जोन	2022-23 से 2031-32 तक	श्री ए.पी.एस.सेंगर, भा.व.से.	कार्या. पत्र क्रमांक/मा.चि.-I/ TCP-Kanha TR/229 दि. 07.01.2026 से NTCA को प्रेषित।	बफर प्लान का अनुमोदन अपेक्षित।
		3. कॉरिडोरप्लान	2024-25 से 2033-34 तक	श्री सुनील कुमार सिंह,क्षेत्र संचालक,कान्हा टाइगर रिजर्व श्री राकेश शुक्ला,रिसर्च ऑफिसर रिटा.,कान्हाटाइगर रिजर्व,मण्डला	कार्या. पत्र क्रमांक/10162 दिनांक 14.11.2024 से NTCA को प्रेषित।	कॉ रीडोर प्लान का अनुमोदन अपेक्षित।
2.	पेंच टाइगर रिजर्व, सिवनी	1. कोर प्लान	2025-26 से	श्री देवाप्रसाद. जे. भा.व.से.	कोर एवं कॉरिडोर प्लान बनाये जाने हेतु क्षेत्र संचालक,को पत्र क्रमांक/मा.चि.-II/TCP-Pench TR/10156 दि.14 .11.2024 से क्षेत्र संचालक को लेख किया गया है।	कोर एवं कॉरिडोर प्लान का अनुमोदन अपेक्षित।
		2. कॉरिडोर प्लान 3. बफर प्लान	2034-35 तक 2025-26 से 2034-35 तक		कार्या. पत्र क्र पत्र क्रमांक/मा.चि.-II/TCP-Pench TR/108 दिनांक 05.01.2026 से बफर प्लान के अनुमोदन हेतु NTCAको प्रेषित।	अनुमोदन अपेक्षित।
3.	सतपुड़ा टाइगर रिजर्व,नर्मदापुरम	1. कोर प्लान 2. बफर प्लान 3. कॉरिडोर प्लान	2025-26 से 2034-35 तक		--	कोरएवं कॉरिडोर प्लान बनाये जाने की कार्यवाही क्षेत्र संचालक स्तर पर प्रचलन में है बफर प्लान कार्य-अधिकारी आयोजना, नर्मदापुरम् द्वारा दिनांक 01.01.2026 इस से कार्यालय

क्र.	टाइगर रिजर्व का नाम	प्लान	अवधि	किसके द्वारा लिखा गया	अनुमोदन हेतु प्रेषित पत्र दिनांक	अनुमोदन की स्थिति
						गया किया प्रेषित की है। परीक्षण कार्यवाही प्रचलन में है।
4.	संजय टाइगर रिजर्व,सीधी	1.कोर प्लान 2.बफर प्लान 3.कोरिडोर प्लान	2020-21 से 2029-30 तक	द्वारा श्री विन्सेंट रहीम,भा.व.से.	कार्या. पत्र क्रमांक/7787 दिनांक 06.11.2019 से से NTCA को प्रेषित।	NTCA,नई दिल्ली के पत्र क्रमांक/F.No.1-8/2013-NTCA दिनांक 17.09.2020 से अनुमोदित।
5.	पन्ना टाइगर रिजर्व,पन्ना	1. कोर प्लान 2.बफर प्लान 3. कोरिडोर प्लान	2019-20 से 2029-30 तक 2021-22 से 2030-31 तक 2016 से 2026 तक	द्वारा श्री आर. श्रीनिवास, मूर्ति,से.नि. (संशोधनकर्ता अधिकारी श्री बृजेन्द्र झा,भा.व.से.) द्वारा श्री उत्तम कुमार शर्मा,भा.व.से. श्री द्वारा आर. श्रीनिवास, मूर्ति,से.नि., भा.व.से. श्री द्वारा आर. श्रीनिवास, मूर्ति,से.नि., भा.व.से.	क्षेत्र संचालक,पन्ना टाइगर रिजर्व द्वारा संशोधित TCPपत्र क्र./283/दिनांक 26.02.2024 एवं 719 दिनांक 16.05.2024 से NTCA को प्रेषित।	NTCA,नई दिल्ली के पत्र क्र/F.No.1-14/2011-NTCA-PT-I (E-31585) दि.05.04.2024 से कोर, बफर एवं कोरिडोर प्लान अनुमोदित।
6.	बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, उमरिया	1.कोर प्लान 2.बफर प्लान 3.कोरिडोर प्लान	2020-21 से 2029-30 तक	--	NTCA, New Delhi द्वारा पत्र दिनांक 14.02.2025 से प्लान में कमियों की पूर्ति हेतु लेख किया गया है।	क्षेत्र संचालक,बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व को कार्या. पत्र क्रमांक/2848 दि. 25.03.2025 एवं 10291 दिनांक 08.12.2025 से लेख किया गया है। क्षेत्र संचालक स्तर से कमियों की पूर्ति हेतु कार्यवाही प्रचलित है।
7.	रातापानी टाइगर रिजर्व, औबेदुल्लागंज	1.कोर प्लान 2.बफर प्लान 3.कोरिडोर प्लान	2025 से 2034 तक	--	व.म.अ.,औबेदुल्लागंज के पत्र क्र./1203 दिनांक 09.01.2026 से कमियों की पूर्ति कर कोर प्लान प्रेषित किया गया है।	–

क्र.	टाइगर रिजर्व का नाम	प्लान	अवधि	किसके द्वारा लिखा गया	अनुमोदन हेतु प्रेषित पत्र दिनांक	अनुमोदन की स्थिति
8.	वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, सागर	1.कोर प्लान 2.बफर प्लान 3.कॉरिडोर प्लान	--	--	कार्या. पत्र क्र./2081 दिनांक 03.03.2025 से व.म.अ.,नौरादेही को TCPतैयार किये जाने हेतु लेख किया गया है।	–
9.	माधव टाइगर रिजर्व, शिवपुरी	1.कोर प्लान 2.बफर प्लान 3.कॉरिडोर प्लान	--	--	कार्या. पत्र क्र./4405 दिनांक16.05.2025 से अ.प्र.मु.व.सं. एवं संचालक,सिंह परियोजना,माधव राष्ट्रीय उद्यान,शिवपुरी को TCP तैयार किये जाने हेतु लेख किया गया है।	--

मध्यप्रदेश के संरक्षित क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान/अभयारण्य की प्रबंध योजना की अद्यतन स्थिति का विवरण

(जनवरी 2026 की स्थिति में)

क्र.	राष्ट्रीय उद्यान/अभयारण्य	प्रबंध योजना की अवधि वर्ष	प्राप्त/अप्राप्त	प्रबंध योजना के अनुमोदन की स्थिति
1	2	3	4	5
1	गांधी सागर अभयारण्य, मंदसौर	2017-18 से 2026-27 तक	प्राप्त	अनुमोदित।
2	रालामण्डल अभयारण्य, इन्दौर	2021-22 से 2030-31 तक	प्राप्त	अनुमोदित।
3	घाटीगांव हुकना अभयारण्य, ग्वालियर	2020-21 से 2029-30 तक	प्राप्त	अनुमोदित।
4	राष्ट्रीय चम्बल अभयारण्य,मुरैना	2018-19 से 2027-28 तक	प्राप्त	अनुमोदित।
5	बगदरा अभयारण्य, सिंगरौली	2017-18 से 2026-27 तक	प्राप्त	अनुमोदित।
6	केन घड़ियाल अभयारण्य	2021-22 से 2030-31 तक	प्राप्त	अनुमोदित।
7	फेन अभयारण्य, मण्डला	2023-24 से 2032-33 तक	प्राप्त	अनुमोदित।
8	सोन घड़ियाल अभयारण्य, पन्ना	2020-21 से 2029-30 तक	प्राप्त	अनुमोदित।
9	नरसिंहगढ़ अभयारण्य, राजगढ़	2021-22 से 2030-31 तक	प्राप्त	अनुमोदित।
10	खिवनी अभयारण्य (कन्नौद), देवास	2024-25 से 2033-34 तक	प्राप्त	अनुमोदित।
11	कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान, श्योपुर	2020-21 से 2029-30 तक	प्राप्त	अनुमोदित।
12	ओरछा अभयारण्य, छतरपुर	2024-25 से 2033-34 तक	प्राप्त	अनुमोदित।
13	खरमोर (सरदारपुर) अभयारण्य, धार	2023-24 से 2033-34 तक	प्राप्त	अनुमोदित। अभयारण्य के पुर्नगठित क्षेत्र के अनुसार पुनः प्रबंध योजना बनाये जाने हेतु वनमण्डलाधिकारी, धार को कार्या. पत्र क्र./7231 दिनांक 12.08.2025, 8783 दिनांक 06.10.2025 से लेख किया गया है।
14	सैलाना अभयारण्य, रतलाम	----	----	अभयारण्य के पुर्नगठित क्षेत्र के अनुसार पुनः प्रबंध योजना बनाये जाने हेतु मु.व.सं., उज्जैन को

क्र.	राष्ट्रीय उद्यान/अभयारण्य	प्रबंध योजना की अवधि वर्ष	प्राप्त/अप्राप्त	प्रबंध योजना के अनुमोदन की स्थिति
				कार्या. पत्र क्रमांक/4114 दिनांक 06.05.2025, से लेख किया गया है।
15	डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान, बाग, धार	2017-18 से 2026-27 तक	प्राप्त	कार्या. पत्र क्रमांक/4231 दिनांक 13.05.2025 से मु.व.सं., वनवृत्त इन्दौर को स्मरण पत्र प्रेषित किया गया है।
16	फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान, (घुघुवा), डिण्डोरी	2007-08 से 2012-13 तक एवं मार्च-2016 तक समयावृद्धि।	प्राप्त	वन संरक्षक, मध्यवृत्त जबलपुर का पत्र दिनांक 04.08.2025 से प्राप्त प्रबंध योजना में पाई गई कमियों की पूर्ति हेतु कार्या. पत्र क्र./10003 दिनांक 25.11.2025 से लेख किया गया है।
17	सिंघोरी अभयारण्य, औबेदुल्लागंज	2012-13 से 2021-22 तक एवं वर्ष 2022 से मार्च 2023 तक	अप्राप्त	कार्या. पत्र क्रमांक/4110 दिनांक 06.05.2025 से व.म.अ., औबेदुल्लागंज को स्मरण पत्र प्रेषित किया गया है।
18	वन विहार, राष्ट्रीय उद्यान, भोपाल	2011-12 से 2021-22 तक एवं मार्च-2023 तक समयावृद्धि	अप्राप्त	कार्या. पत्र क्रमांक/4085 दिनांक 06.05.2025 से संचालक, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, भोपाल को स्मरण पत्र प्रेषित किया गया है।
19	डॉ. भीमराव अम्बेडकर, सागर	---	---	नवगठित अभयारण्य (**2586.00** हेक्टेयर या **258.64** वर्ग कि.मी.) की प्रबंध योजना हेतु कार्या. पत्र क्रमांक/4233 दिनांक 13.05.2025 एवं 6551 दिनांक 23.07.2025 से व.म.अ., उत्तर सागर को स्मरण पत्र प्रेषित किया गया है।
20	जहानगढ़ अभयारण्य	---	---	मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की अधिसूचना दिनांक **04.08.2025** से **402.882** हेक्टेयर या **4.02** वर्ग कि.मी. क्षेत्र को नवगठित जहानगढ़ अभयारण्य को अधिसूचित किया गया है।

भारतीय वन सर्वेक्षण देहरादून से प्रकाशित प्रतिवेदन अनुसार वनाच्छादन

;क्पेजतपबज ूप्रेम थ्वतमेज ब्वअमतद्ध

(क्षेत्रफल वर्ग कि.मी.)

जिला	भौगोलिक क्षेत्र	अतिसघन वन			सघन वन			खुला वन		
		2019	2021	2023	2019	2021	2023	2019	2021	2023
आगर-मालवा	2731.5	0	0	0	0	0	1.84	0	0	48.28
अलिराजपुर	3182.25	0	0	0	211.82	207.29	225.05	472.6	474.06	485.15
अनूपपुर	3746.71	108.97	108.31	123.16	345.3	337.5	298.86	414.41	411.66	436.62
अशोकनगर	4673.94	0	0	0	266.08	265.93	263.85	422.96	421.32	416.36
बालाघाट	9229.44	1409.25	1407.64	1180.47	2638.97	2630.88	2547.62	883.84	884.26	1193.09
बड़वानी	5427.33	0	0	0	186.96	186.79	229.71	741.03	717.57	662.89
बैतूल	10043.41	230.34	230.11	466.71	1938.14	1922.32	2330.68	1495.22	1510.36	875.18
भिण्ड	4458.75	0	0	0	28.55	28.08	58.8	78.2	198.48	254.26
भोपाल	2771.95	0	0	0.1	120.92	120.77	114.04	207.75	207.79	222.21
बुरहानपुर	3427.41	57.92	57.92	34.9	631.09	625.89	569.25	605.55	603.75	580.35
छतरपुर	8687.33	184.06	184.01	157.52	817.52	817.24	506.91	756.97	755.89	1058.13
छिन्दवाड़ा	11814.67	576.94	575.68	473.84	2027.09	2021.61	2127.73	1983.98	2010.84	1976.62
दमोह	7305.61	2	2	0.88	845.79	844.92	630.6	1739.39	1739.79	1873.01
दतिया	3019.12	0	0	0	92.11	91.13	89.6	110.17	121.65	137.22
देवास	7020.28	12	12	87.21	936.85	935.21	962.96	1007.02	1000.06	907.63
धार	8153.09	0	0	0	116.14	115.64	120.52	535.11	528.62	511.75
डिण्डौरी	5799.92	1086.94	1084.98	632.32	1281.17	1271.24	891.52	663.85	666.21	613.55
गुना	6390.54	2	2	1.41	414.33	414	325.81	913.41	911.5	948.18
ग्वालियर	4560.29	1	1	0.82	329.23	323.69	323.36	890.95	902.14	902.68
हरदा	3333.83	19	19	48.19	527.69	523.7	568.86	409.57	396.61	317.31
नर्मदापुरम	6702.67	271.89	271.64	179.74	1370.32	1366.15	1500.66	780.44	783.41	730.12
इंदौर	3897.75	0	0	0	349.08	348.1	341.68	329.65	326.51	319.84
जबलपुर	5210.7	41	40.26	38.91	502.5	501.04	479.36	570.43	560.53	545.21
झाबुआ	3600.11	0	0	0	30.97	30.69	29.3	190.7	189.52	186.99
कटनी	4949.59	93.9	93.9	93.53	608.58	607.87	694.34	658.82	654.85	554.94
मण्डला	7470.25	691.31	691.78	909	1091.05	1092.55	1477.21	795.15	792.65	1025.18
मंदसौर	5534.78	0	0	0	40	42.01	67.22	201.59	198.67	183.67
मुरैना	4988.53	0	0	0	96.18	96.12	94.17	643.99	665.55	674.36
नरसिंहपुर	5133	61	61	71.91	657.34	655.81	668.35	624.42	623.97	594.13
नीमच	4255.94	0	0.04	0	120.64	119.22	168.81	675.05	669.74	641.26
निवाड़ी	1324.53	0	0	0	0	0	38.49	0	0	69.06

भारतीय वन सर्वेक्षण देहरादून से प्रकाशित प्रतिवेदन अनुसार वनाच्छादन
(District wise Forest Cover)

(क्षेत्रफल वर्ग कि.मी.)

जिला	भौगोलिक क्षेत्र	अतिसघन वन			सघन वन			खुला वन		
		2019	2021	2023	2019	2021	2023	2019	2021	2023
पन्ना	7134.64	83.01	82.95	217.12	1478.26	1476.06	1050.34	1181.44	1189.59	1424.47
रायसेन	8466.46	23	22.55	178.06	1306.51	1302.18	1240.44	1346.75	1346.59	1223.62
राजगढ़	6153.47	0	0	0	37.99	37.86	37.11	134.1	133.94	135.77
रतलाम	4860.6	0	0	0	2.53	2.53	1.78	57.32	72.63	117.47
रीवा	6314.08	61	60.91	117.59	386.58	377.18	285.4	333.57	363.11	402.53
सागर	10252.44	1	1	2.3	1141.57	1138.81	1118.12	1651.97	1645.43	1593.21
सतना	7501.93	12	12	40.45	909.7	904.19	788.58	831.2	835.33	926.05
सीहोर	6577.66	23.9	20.7	71.31	614.85	614.84	662.07	719.15	714.61	619.19
सिवनी	8757.91	237.08	237.07	302.44	1791.14	1787.12	1721.44	1041.37	1038.84	1023.65
शहडोल	6205.54	122	122.03	154.24	820.54	818.26	723.29	1028.17	1014.41	891.8
शाजापुर	3463.81	0	0	0	2.44	2.44	0.15	60.91	59.47	29.11
श्योपुर	6605.68	6	6	121.04	1395.23	1394.25	13 85.13	2058.77	2043.66	1901.69
शिवपुरी	9949.21	18	18	14.04	779.84	779.39	684.76	1742.08	1749.14	1847.82
सीधी	4850.72	315.99	315.96	381.87	884.3	881.29	791.61	768.87	805.27	806.17
सिंगरौली	5674.86	394.41	393.73	140.4	1002.52	992.29	1117	783.2	776.84	888.31
टीकमगढ़	3723.28	1	1	0.11	89.96	89.73	50.12	295.68	295.58	224.33
उज्जैन	6090.92	0	0	0	2.6	2.6	2.58	33.62	34.1	39.18
उमरिया	4075.9	378.31	377.98	379.37	1096.22	1092.66	1251.55	548.05	530.6	608.6
विदिशा	7371.07	1	1	20.72	344.91	344.52	230.66	431.55	431.24	487.06
खण्डवा (पूर्व निमाड़)	7351.71	147.8	147.8	379.54	1156.8	1153.11	1124.55	784.52	784.48	599.33
खरगौन (पश्चिम निमाड़)	8025	1	1	0.09	474.5	474.32	494.8	830.56	825.81	808.9
योग	308252	6676.02	6664.95	7021.31	34341.4	34209	33508.6	36465.1	36618.6	36543.5

वन विभाग